इंटरनेशनल मेटलवर्कर्स फेडरेशन

भारत में धातु उद्योग – एक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के दौरान धातु उद्योगों की विशेषताएं और उनकी बनावट और भारत में ट्रेड यूनियनें

भारत मे आई.एम.एफ–एल.ओ/एफ.टी.एफ. द्वारा संगठित परियोजना

अक्टूबर – 2002

प्रकाशक
इंटरनेशनल मेटलवर्कर्स फेडरेशन
साउथ एशिया ऑफिस
लिंज हाउस, 159–ए, गौतम नगर, नई दिल्ली–110 049, इंडिया

मुद्रक
आंकलन प्रिंटिंग वर्क्स, नई दिल्ली, फोन : 011–3382815

आमुख

आज भारत विश्व का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है। वह धातु उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण देश है जिसमें करीब तीस लाख मजदूर काम करते हैं।

इसलिए इंटरनेशनल मेटलवर्कर्स फेडरेशन भारत पर अपना ध्यान दे रहा है। यह शोध रिपोर्ट इसलिए प्रारंभ की गयी ताकि धातु उद्योग की संरचना तथा स्थान और उद्योग में यूनियनों के बारे में सही एवं अद्यतन सूचना मिल सके। फिर इन परिणामों का प्रोजेक्ट संगठित करने में इस्तेमाल किया जाएगा जो 2000 में आईएमएफ के संबद्ध संगठन एसएमईएफआई एवं आईएनएमएफ–माइन्स के साथ और आईएमएफ के डेनिश संबद्ध संगठन सीओ इंडस्ट्री तथा एलओ–एफटीएफ कौंसिल के जरिये डेनिश मेटल के समर्थन से शुरू किया गया।

हमें आशा है कि यह सूचना देश में धातु मजदूरों को संगठित करने और उनकी यूनियनों को मजबूत करने एवं एकताबद्ध करने में उपयोगी होगी।

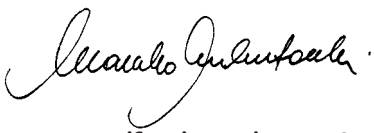

मार्सेल्लो मालेन्टाच्ची
महासचिव
आईएमएफ, जेनेवा, स्विटजरलैंड

प्रस्तावना

"भारत में धातु और धातुकर्म उद्योग का सर्वेक्षण" उपर्युक्त क्षेत्र का एक अध्ययन है जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय मेटलवर्कर्स फेडरेशन (आईएमएफ) ने की थी और जिसका मुख्य उद्देश्य **"असंगठित को संगठित करना"** था। इस शोध का प्राथमिक मिशन धातुकर्म उद्योग, उद्यमों तथा वहां कार्यरत ट्रेड यूनियनों के संबंध में सूचना इकट्ठा करना है जिसका सुस्पष्ट उद्देश्य भवदीय उद्योग के लिए आंकड़े का आधार (डाटा–बेस) निर्मित करना है। इस सूचना से और अनवरत रूप से धातु उद्योग और उनके मजदूरों को चुनौती देने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने में मुख्य रूप से मदद मिलेगी। वर्तमान कार्य से निश्चितरुप से संबद्ध राज्यों के औद्योगिक परिदृश्य एवं श्रम बाजार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी ताकि *संगठनात्मक कार्य* को आगे बढ़ाया जा सके।

सर्वेक्षण के लिए छह राज्यों की पहचान की गयी जहां धातु उद्योग का संकेन्द्रण है। ये हैं **उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक।** खासकर विनिर्माण एवं खनन उद्योगों, परंपरागत घरेलू धातु उद्योगों एवं बहुराष्ट्रीय या पारराष्ट्रीय कंपनियों में कुल औद्योगिक तस्वीर के साथ एक आंकड़े का आधार (डाटा–बेस) निर्मित करने के लिए आवश्यक बुनियादी सांख्यिकी सूचना इनसे इकट्ठी की गयी हैं :

- विनिर्माण और खनन उद्योग;
- धातुकर्म क्षेत्र में मुख्य उद्यम; और
- धातु उद्योगों में काम करने वाली ट्रेड यूनियनें

छह परियोजना राज्यों में सर्वेक्षण करने के लिए चार शोध संस्थानों को शामिल किया गया – ***इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक्स,*** हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के लिए, मणिबेन कारा इंस्टीट्यूट, मुम्बई (महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए), ***रोशिनी एसोसिएट्स*** (कर्नाटक के लिए), ***श्रीराम सेंटर फार इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एंड ह्युमैन रिसोर्सेज*** (उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के लिए)। वर्तमान रचना संकलित एवं संपादित सर्वेक्षण रिपोर्ट है और विभिन्न स्रोतों से पूरा किया गया है। शब्द–संग्रह एवं परिशिष्ट के साथ प्रस्तावना, मुख्य परिणाम, निष्कर्ष एवं सिफारिशें आईएमएफ, दक्षिण एशिया कार्यालय द्वारा तैयार की गयी है ताकि दूसरे राज्य एवं आई टी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने तथा विचार प्राप्त करने में सहूलियत हो। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) भारत में औद्योगिक आंकड़े का मुख्य स्रोत है और मुख्य परिणाम तथा अन्य परिवर्धन में औद्योगिक आंकड़ा उससे (1997–98) प्राप्त किया गया है जो सबसे ताजा उपलब्ध आंकड़ा एवं अन्य सांख्यिकी स्रोत हैं जैसे मेन पावर प्रोफाइल, स्टैटिस्टिकल आउटलाइन आफ इंडिया, सेन्सस आफ इंडिया, आर्थिक सर्वेक्षण, पाकेट बुक्स आफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, लेबर जर्नल्स, आईएलओ की विश्व रोजगार रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट तथा छह राज्यों में सर्वेक्षण के लिए चार शोध संस्थाओं से ली गयी रिपोर्टें आदि। एएसआई औद्योगिक ग्रुप का उद्योगों का वर्गीकरण करने में अनुसरण किया गया है और उनके द्वारा निर्मित मुख्य उत्पादों के मूल्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, भले ही वे विभिन्न उद्योगों से संबद्ध उत्पादों का निर्माण कर रहे हों।

जहां गुणात्मक सूचना उपलब्ध नहीं थीं, वहां विवरणात्मक एवं उपाख्यानात्मक सूचना तैयार की गयी है। दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों में धातु उद्योगों की विशेषताएं संकलित की गयी हैं और परिशिष्ट–1 के रूप में दिया गया है ताकि भारत के अन्य औद्योगिक राज्यों में धातु मजदूरों की एक तस्वीर दी जा सके। इसके

अतिरिक्त परिशिष्ट–2 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए रोजगार को सार–संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए *सूचना टेक्नालाजी* तथा भारत में उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में एक अध्याय भी शामिल किया गया है। **प्रत्येक राज्य के लिए परियोजना राज्यों में अलग–अलग नामों, पतों तथा मजदूरों की संख्या के साथ उद्यमों का डाटा–बेस (आंकड़ा) संकलित किया गया है।**

यह शोध एवं इस दस्तावेज का प्रकाशन **भारत में आईएमएफ–एलओ–एफटीएफ आर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट** के सुस्पष्ट उद्देश्यों का एक हिस्सा है। वर्तमान पुस्तक चुने हुए राज्यों की ट्रेड यूनियनों तथा उनके सदस्यों को कारगर ढंग से संगठनात्मक कार्य करने में मार्ग–दर्शन देने का हमारा एक गंभीर प्रयास है और यह सभी संबद्ध व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से भारत में एवं खासकर चुने हुए राज्यों में धातु उद्योगों तथा मजदूरों की स्थिति को समझने में काफी सहायक होगी।

मैं सर्वेक्षण कार्य करने तथा हमें मूल्यवान सूचना प्रदान करने के लिए सभी चार शोध संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं। मैं आईएमएफ, दक्षिण एशिया के प्रोजेक्ट अस्टिेंट **श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव** का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने वर्तमान रूप में शोध रिपोर्ट को संकलित करने और उसके परिवर्धन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। वर्तमान पुस्तक आईएमएफ दक्षिण एशिया कार्यालय के स्टाफ की सहायता के बिना संभव नहीं हो पाती और इसलिए मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं।, और अंत में सभी प्रोजेक्ट भागीदारों का हार्दिक धन्यवाद।

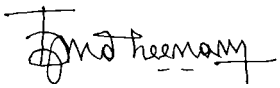

टी. दिवाधीनम
क्षेत्रीय प्रतिनिधि
आईएमएफ दक्षिण एशिया कार्यालय
नई दिल्ली

विषयसूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना **1—32**

1.1 भारत में आर्थिक परिदृश्य 5

1.2 भारत का खनिज डिपाजिट और खनन क्षेत्र 11

1.3 भारत में धातु उद्योग की विशेषता : एक समीक्षा 17

2. धातुकर्म उद्योगों की विशेषताएं और चुने हुए सर्वेक्षण किये गये राज्य में ट्रेड यूनियनें **33—164**

2.1 आन्ध्र प्रदेश 35

2.2 उत्तर प्रदेश 71

2.3 राजस्थान 87

2.4 कर्नाटक 103

2.5 महाराष्ट्र 119

2.6 गुजरात 147

3. मुख्य निष्कर्ष **165—176**

4. निष्कर्ष और सिफारिशें **177—184**

अनुलग्निका : 1 **185—192**

सूचना प्रौद्योगिकी की – रोजगार के लिए निहितार्थ

अनुलग्निका : 2 **193—212**

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योगों की विशेषताएं

शब्दावली **213—214**

प्रस्तावना

भारत मे योजना के अंर्तगत राज्य

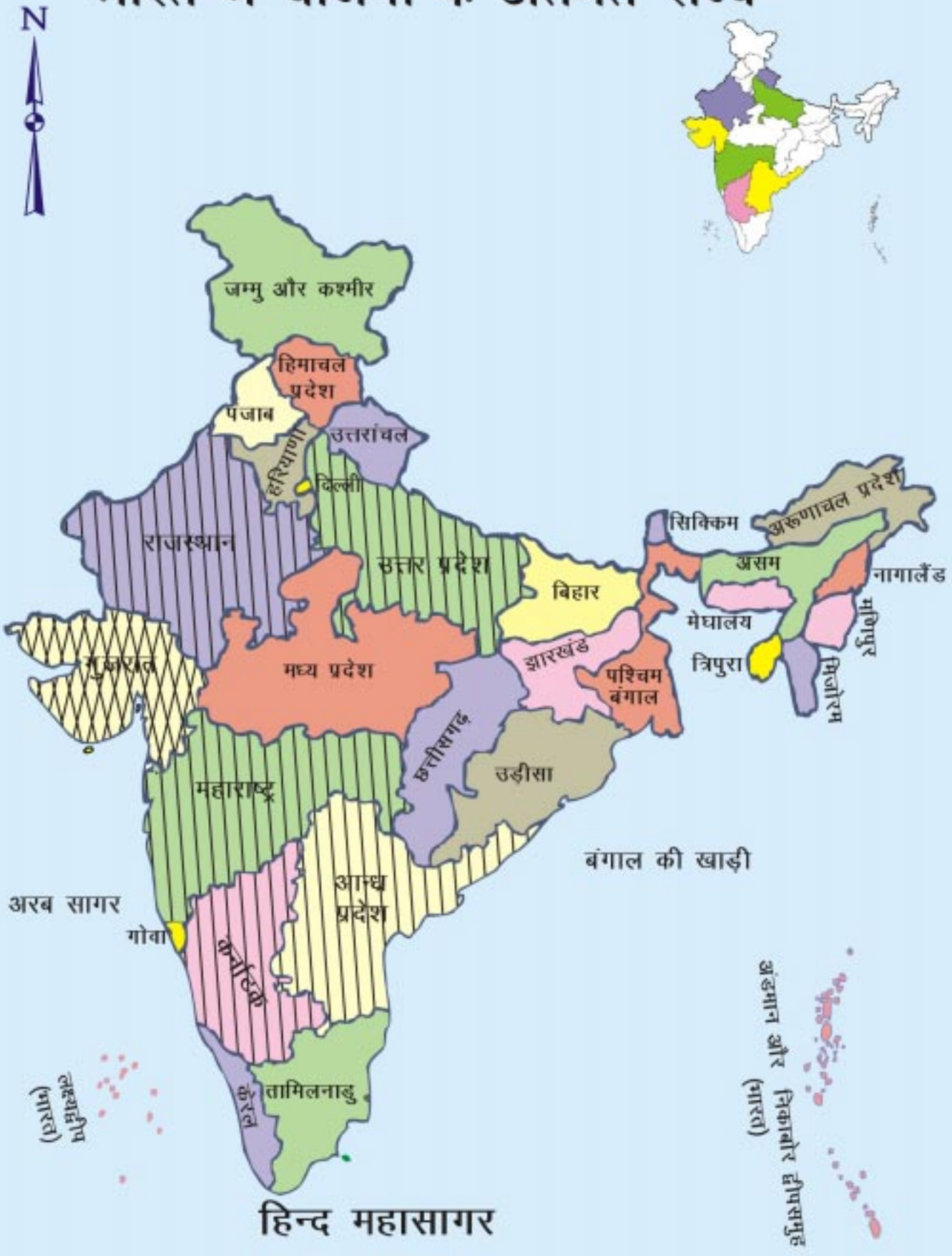

योजना राज्य

अन्य योजनागत्त राज्य

भारत में आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था अब अपने 55वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है जिसने 1947 में दो सदियों के ब्रिटिश शासन से राजनीतिक आजादी मिलने के बाद स्पष्टतौर से राज्य के संरक्षण में लेकिन केन्द्रीकृत नियोजन के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के व्यापक ढांचे में सामाजिक न्याय के साथ विकास की दिशा में अपना मार्च शुरु किया।

विकास राजनीति मुख्यतः इन बातों से प्रभावित थी (1) निवेश, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और व्यापार के रुप में बाकी विश्व से किसी भी संभावित सहायता के संबंध में नीति–निर्माताओं की दोषदर्शिता और (2) देश के दो मुख्य उद्देश्यों 'विकास' एवं 'समानता' को संतुलित करने के लिए संसाधनों के इष्टतम आवंटन करने के वास्ते अपनी टी बाजार की ताकतों की सामर्थ्य के संबंध में आपत्ति।

1977 और खासकर 1985–86 के बाद सरकार ने उदारीकरण और विनियमितीकरण की दिशा में अनेक आर्थिक सुधार के कदम उठाये। इसके बाद देश की विकासदर में उल्लेखनीय सुधार हुआ जो 3.5 प्रतिशत की लंबी आयवृद्धि से औसतन 5.5 प्रतिशत और उससे अधिक वृद्धिदर हासिल की गयी। पर फिर भी भारत की प्रगति विशाल निवेश के अनुपात में नहीं थी। 1991 वर्ष में भारत सरकार ने देश के सामने विद्यमान आर्थिक बुराइयों के रामबाण के रुप में बाजार की दिशा तथा भूमंडलीकरण की और अपनी आर्थिक नीति की मुख्य दिशा को उलट दिया और वह एक अधिक बाजार–मैत्रीपूर्ण वातावरण एवं विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण की दिशा में अग्रसर हो गयी। जो हाल के वर्षों में व्यापक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। देश राज्य के हस्तक्षेप एवं आयात के पूरक तथा उदार औद्योगिक लाइसेंसिंग की अपनी वृहत आर्थिक व्यवस्था से हट गया। इसके फलस्वरुप कंपनियां अपने उत्पादन का विविधीकरण कर सकती हैं एवं किसी अत्यधिक नियंत्रण के बिना अपनी क्षमता का विस्तार कर सकती हैं।

बहरहाल, पर्याप्त एवं प्रभावी वित्तीय नियमन कार्यविधि के अभाव में पूंजी बाजार के अचानक भूमंडलीकरण ने अल्पकालिक विदेशी कर्ज तथा अन्य जोखिम के ऋण पर कुछ अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता बढ़ा दी।

यह आशा की गयी थी कि आर्थिक सुधारों से निर्यात बढ़ेगा और व्यापार संतुलन में सुधार होगा। हालांकि 1990 के दशक के प्रथमार्ध में निर्यात में वृद्धि हुई पर 1996–97 के बाद उसमें ठहराव आ गया (जैसा कि निम्नतालिका से पता चलता है) पर आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के निर्यात में तेज वृद्धि से मशीनरी, परिवहन तथा धातुकर्म के निर्यात में वृद्धि हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आंकड़ा

	1950–51	1970–71	1990–91	1995–96	1997–98	1999–00	2001–02
राष्ट्रीय आय और आबादी							
राष्ट्रीय आबादी (मिलियन रुपये में)	359	541	852	922	955	1,027	1,027
राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्य पर (मिलियन रुपये में) सकल घरेलू उत्पाद	91,89	391,72	4,502,430	9,365,480	12,207,160	17,864,590	20,803,000
प्रतिव्यक्ति आय (वर्तमान मूल्य पर रु. में)	256	724	5,285	10,158	12,782	16,047	21,600

कृषि							
कृषि उत्पादन सूचकांक (1981–82 = 100)	46.2	85.9	148.4	160.7	164.9	176.8	175.9 पी
खाद्यान उत्पादन (मिलियन टन)	50.8	108.4	176.4	180.4	192.3	208.9	209.2 पी
उद्योग							
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1993–94 = 100)	18.3	65.3	212.6	122.3	137.6	154.9	163.3#
निर्मित इस्पात उत्पादन (मिलियन टन)	1.0	4.6	13.5	21.7	23.4	27.2	उपलब्ध नहीं
सूती कपड़ा उत्पादन (बीएन वर्गमीटर)	4.2	7.8	17.8	22.9	25.7	38.6	उपलब्ध नहीं
बिजली							
बिजली रुपता (मिलियन किलोबार)	2.3	16.3	74.7	95.2	102.0	113.0	उपलब्ध नहीं
बिजली उत्पादन (अरब किलोहार्स)	6.6	61.2	289.4	418.0	464.4	448.6	383.2#
विद्युतीकृत गांव	3	107	481	501	506	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
विदेश व्यापार							
निर्यात (मिलियन रुपये में)	6060	15,350	325,530	1,063,530	1,301,010	1,629,250	1,544,450#
आयात (मिलियन रुपये में)	6080	16,340	431,980	1,226,780	1,541,760	2,045,830	1,817,530#
श्रम (मिलियन में)							
संगठित क्षेत्र रोजगार	उपलब्ध नहीं	17.5	26.7	27.5	28.3	28.1	28.1
पंजीकृत रोजगार के इच्छुक	0.3	5.1	36.3	36.7	39.1	40.4	41.2
मुद्रा और बैंकिग (मिलियन रुपये)							
मुद्रा आपूर्ति	22,800	110,190	2,658,280	6,067,750	8,213,320	11,241,740	14,584,000
बैंक डिपाजिट	8,810	59,060	1,996,430	4,507,740	6,054,100	8,133,450	9,832,680^
बैंक ऋण	5,470	46,840	1,163,010	2,725,370	3,240,780	4,359,590	5,249,450

मूल्य							
थोक मूल्य सूचकांक (1993–94 = 100)	17	35	183	296	330	145.3	161*
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक मजदूर (1982=100)	17	38	193	313	366	428	469**
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गैर–शारीरिक श्रम कर्मचारी (1984–85 = 100)	उपलब्ध नहीं	33	161	259	302	352	378*

स्त्रोत : स्टेटिस्टिकल आउटलाइन ऑयल इंडिया 2000–2001

**19.01.2000 तक (अस्थायी); ** दिसंबर 2001*

+ 46 फसलों में, बागान समेत; आधार त्रैवार्षिक 1981–82 = 100 (संशोधित)

पीः अस्थायी; #: अप्रैल – दिसंबर, 2001; ^: 28, अगस्त 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बौंड (आरबीआई) 179,450 मिलियन समेत और 17 नवंबर 2001 से इंडिया मिलेनियम डिपाजिट (आईएमडी) की प्राप्ति से 256,620 मिलियन।

निम्नलिखित तालिका में भारतीय आर्थिक परिदृश्य को अधिक स्पष्ट रुप में प्रदर्शित किया गया है और इसमें भारत के कुल घरेलू उत्पाद तथा राज्य के घरेलू उत्पाद के उल्लेख के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य संकेतको को दिखाया गया है।

मूल के उद्योग द्वारा घरेलू उत्पादन (वर्तमान मूल्य पर)

	1997–98	1998–99	1999–2000
		मिलियन रुपये में	
प्राथमिक क्षेत्र	3919060	4639180	4890190
	(31.7)	(32.0)	(30.5)
जिसमें			
1. कृषि	3356750	4036630	4227030
	(27.1)	(27.8)	(26.3)
2. खनन	249410	262320	289350
	(2.0)	(1.8)	(1.8)
सैकंडरी (अनुषंगी क्षेत्र)	2779870	3120590	3464670
	(22.5)	(21.5)	(21.6)
जिसमें			
1. विनिर्माण (पंजीकृत)	1155680	1226290	1357910
	(9.3)	(8.5)	(8.5)
2. विनिर्माण (अपंजीकृत)	701380	780930	828790
	(5.7)	(5.4)	(5.2)
तीसरा क्षेत्र			
● परिवहन संचार और व्यापार	2639980	3063240	3381600
	(21.1)	(20.5)	(21.1)

जिसमें			
1. रेलवे	102840	96910	110280
	(0.7)	(0.7)	(0.7)
2. व्यापार, होटल और रेस्तरां	1898630	2197440	2417200
	(15.3)	(15.2)	(15.1)
● वित्त, बीमा और वास्तविक इस्टेट	1394030	1622390	1937440
	(11.3)	(11.2)	(12.1)
जिसमें			
1. बैंकिग एवं बीमा	797290	911210	1081270
	(6.4)	(6.3)	(6.7)
● समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा	1646980	2048840	2383420
	(13.3)	(14.1)	(14.8)
जिसमें			
1. सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा	719570	904060	1066660
	(5.8)	(6.2)	(6.6)
कुल	12379920	14494240	16057320
	(100)	(100)	(100)

स्त्रोत : स्टैटिस्टिकल आउटलाईन ऑफ इंडिया

नोटः ब्रैकेट में आंकड़ा कुल का प्रतिशत दिखाता है

*कारक (फैक्टर) लागत पर

वर्तमान मूल्य, 1997–98 पर कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

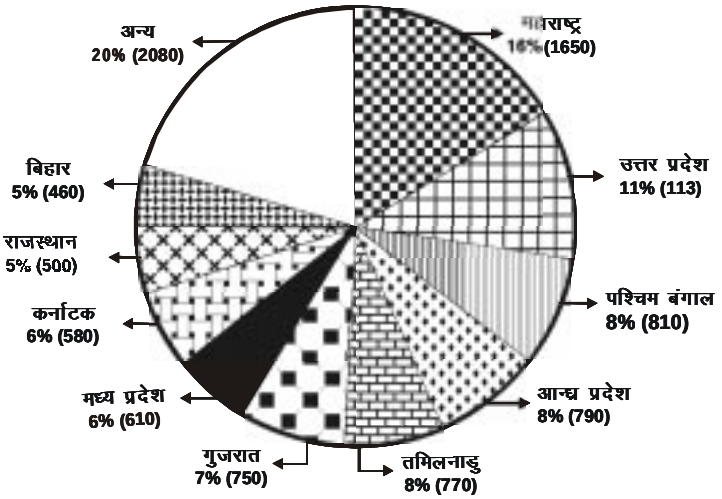

(ब्रैकेट में आंकड़ा हजार रु. में है)

स्त्रोत : स्टैटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया

राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धिदर के मानक मानदंड की दृष्टि से उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा कार्य–निष्पादन किया है। 1992–93 और 1999–2000 के बीच वार्षिक वृद्धिदर 6.65 प्रतिशत थी। यह पहले 1985–86 और 1989–90 के बीच हासिल 6.04 प्रतिशत की उच्चदर से भी अधिक है। वृद्धिदर के परिवर्तन का सूचकांक (को–एफिसिएंट ऑफ वेरिएशन) 1980 के दशक से कम रहा है।

1992–93 और 1999–2000 के बीच औसतन वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर 1980 के दशक की 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 4.7 प्रतिशत रही है। लेकिन इस वृद्धि में कुछ तथ्य शामिल थे और वह यह कि औद्योगिक उत्पादन अप्रैल–दिसंबर 2001–2002 के दौरान कम होकर 2.3 प्रतिशत हो गया जबकि पूर्व वर्ष की उसी अवधि में कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 5.8 प्रतिशत था। यह पिछले दस वर्षों के दौरान सबसे कम था। सभी मुख्य क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट रही जहां विनिर्माण क्षेत्र ने अप्रैल–दिसंबर 2001 के दौरान 2.4 प्रतिशत की सीमांत वसूली प्रदर्शित की है जो 2000 की उसी अवधि के दौरान दर्ज 6 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम है। 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्पष्ट रुप से उच्चतर वृद्धि दर सेवा क्षेत्र की वृद्धिदर में तेज वृद्धि के कारण ही हुआ। 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 7–8 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ा जो 2001–02 में 49 प्रतिशत तक पहुंच गया।

उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के तहत आर्थिक विकास के वर्तमान परिदृश्य में **एक मुख्य सवाल यह उठता है कि क्या *श्रम मसलों का पर्याप्त रुप से माधान किया गया या नहीं।*** भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण का श्रम सघन इकाइयों पर काफी प्रभाव पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण तेज गति से शुरु हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग की स्थापना के मूल विचार के ही विपरीत है क्योंकि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के मसले ने इसे मूल रुप से प्रेरित किया था। अधिकांश सार्वजनिक देश की इकाइयां धातु उद्योग हैं जहां बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं जिन्हें संभावित खरीदारों के हाथों में छोड़ दिया गया है जो लागत के बोझ को कम करने के लिए श्रमबल में कटौती करने के लिए आमादा हैं। मजदूर एक बार फिर कमजोर अर्थव्यवस्था की कीमत अदा कर रहे हैं। मैक्सिको, चिली जैसे देशों में कर्मचारियों/मजदूरों को निजीकरण की वांछनीयता तथा उनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में जानकारी देने का प्रयास किया गया। श्रीलंका ने निजीकरण के पूर्व श्रम/कर्मचारी पुनर्गठन का काम शुरु किया। पर भारतीय मजदूर चल रही प्रक्रिया तथा उसके कुप्रभावों की प्रतिक्रिया के बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं। दूसरी ओर श्रम कानून सुधारों पर सरकारी दृष्टिकोण हृदयहीन मालूम पड़ता है। व्यापक लेऑफ, छंटनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस), यहां तक कि मुनाफा कमानेवाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के जबरी या सुझावकारी निजीकरण ने श्रम अर्थपिलटन को प्रभवित किया है और **असंगठित क्षेत्र में अधिक योगदान दिया है (93 प्रतिशत)** और भवन के व्यापक श्रमबल के सामने हताश नियति तथा भारी मुसीबतों में धकेल दिया है।

विनिर्माण क्षेत्र में चुनी हुई वृद्धि की प्रवृत्ति (प्रतिशत)

	वृद्धिदर		आपेक्षिक योगदान	
	2000–01 पी	1990–00	2000–01	1999–00
विनिर्माण क्षेत्र	5.4	7.1	15.1★	15.4★
धातु उत्पाद	15.0	–1.2	8.7	–0.6
परिवहन उपकरण और पुर्जे	–2.0	5.7	–2.2	4.9
मशीनरी और उपकरण	7.3	17.8	18.9	31.1
बुनियादी धातु और मिश्र धातु उद्योग	1.9	5.0	3.0	6.2

स्रोत : स्टैटिस्टिकल आउटलाइन आफ इंडिया 2001–02

पी : अस्थायी

+ प्रासंगिक उद्योग ग्रुप के वजन के लिए समायोजित कुल सूचकांक में परिवर्तन के अनुरुप संबंधित उद्योग ग्रुप के सूचकांक में परिवर्तन का सूचक है।

*सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान

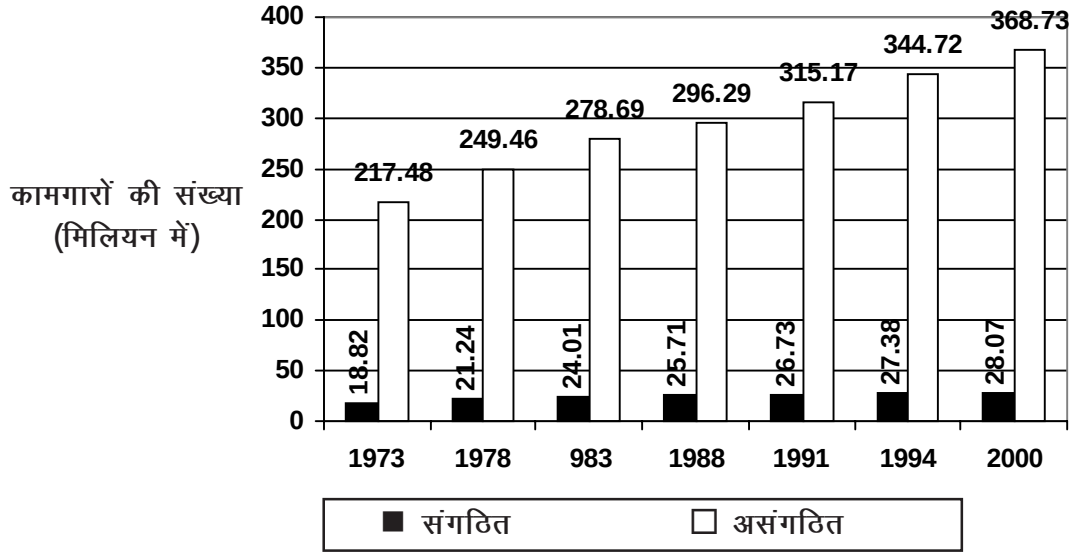

आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण के फलस्वरुप 1988–2000 के दौरान सर्वगठित श्रमबल 296.29 मिलियन से बढ़कर 368.73 मिलियन हो गया, यानी उसमें 72.44 मिलियन की वृद्धि (24.44 प्रतिशत) हुई, जबकि संगठित श्रमबल में 2.36 मिलियन (9.17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 1995 के बाद आर्थिक मंदी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा छंटनी, लेआफ और बड़े पैमाने पर रोजगार में कटौती की सरकार की नीति के कारण असंगठित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई जबकि संगठित क्षेत्र में, यानी सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और गैर–कृषि प्रतिष्ठानों में जो दस से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, संगठित रोजगार मार्च 1997 में 28.24 मिलियन से घटकर मार्च 1999 में 28.16 मिलियन तथा 2000 में और कम होकर 28.07 मिलियन हो गया। असंगठित क्षेत्र की कठिनाइयां हर वर्ष श्रम बाजार में अधिकाधिक व्यक्तियों का प्रवेश करने से और अधिक बढ़ गयी हैं। यूनियनों के सामने रोजगार की असुरक्षा एवं अलगाव एक बड़ा संभावित खतरा हो गया है।

भारत का खनिज डिपाजिट और खनन क्षेत्र

भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र है और वह खनिज संसाधनों से भरा है। वह **विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक खंडों तथा विखंडनों (ब्लाक एंड स्प्लिटिंग) का उत्पादक** है और **क्रोमाइट, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बेराइट तथा क्यानाइट** का भी एक प्रमुख उत्पादक है। भारत में बड़े **संभावित स्वर्ण, हीरा तथा जिंक–लीड का भंडार** है। भारत में बड़ी संख्या में धातु तथा गैर–धातु खदानें हैं।

भारत में धातु खदानें और गैर – धातु खदानों की संख्या

खनिज	1998–99	राज्यों में खनिजों का मुख्य संकेन्द्रण** (ब्रैकेट में खदानों की संख्या)
बाक्साइट	155	गुजरात (75), मध्य प्रदेश (38), बिहार (27)
क्रोमाइट	22	उड़ीसा (15), कर्नाटक (5), महाराष्ट्र (2)
तांबा अयस्क	11	बिहार (5), राजस्थान (3), सिक्किम (2)
सोना	7	कर्नाटक (4), आंध्र प्रदेश (3)
लौह अयस्क	220	उड़ीसा (76), कर्नाटक (53), गोवा (44), बिहार (21), मध्य प्रदेश (15)
लीड और जिंक	8	राजस्थान (6), आंध्र प्रदेश (1), उड़ीसा (1)
मैगनीज अयस्क	150	उड़ीसा (40), आंध्र प्रदेश (32), कर्नाटक (26), गोवा (25), मध्य प्रदेश (15), महाराष्ट्र (10)
दूसरे	2	गुजरात (1), मध्य प्रदेश (1)
कुल धातु खदानें	574	उड़ीसा (94), गुजरात (75), कर्नाटक (64) मध्य प्रदेश (54), बिहार (53), गोवा (46), राजस्थान (12)
कुल गैर–धातु खदानें	2047	राजस्थान (472), गुजरात (365), आंध्र प्रदेश (291), मध्य प्रदेश (284), कर्नाटक (113)
अखिल भारतीय*	3196	**राजस्थान (484), मध्य प्रदेश (469), गुजरात (442), आंध्र प्रदेश (370), बिहार (327), उड़ीसा (202), कर्नाटक (177), महाराष्ट्र (137)**

स्रोत : इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, खदान मंत्रालय

** अखिल भारतीय आंकड़े में ईंधन खदान (575) भी शामिल है (कोयला, लिग्नाइट आदि)।*

*** केवल महत्वपूर्ण राज्यों का उल्लेख किया गया है।*

खनिज क्षेत्र जिसका **1988–89 में 982 करोड़ परिव्यय था, पिछले दशक में औसतन 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।** भारत में **52 खनिजों का उत्पादन** होता है और वह **30 खनिजों में आत्मनिर्भर** है जिनमें कोयला, बाक्साइट, लौह तथा अभ्रक अयस्क शामिल हैं।

धातु खनिज उत्पादन

खनिज	1980–81	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00
	'000 टन में				
बाक्साइट	1,932	6,076	6,112	6,452	6,489
क्रोमाइट	324	1,456	1,515	1,404	1,324
तांबा अयस्क	2,004	3,896	4,500	4,253	2,976
लीड कंसेन्ट्रेट्स	19	60	61	64	63
मैगनीज अयस्क	1,632	1,871	1,642	1,526	1,514
जिंक कन्सेन्टैट्स	50	277	293	350	355
	मीट्रिक टन में				
लौह अयस्क	42.2	68.2	75.7	70.7	72,7
	केजी				
सोना	2,412	2,710	2,636	2,463	2,247

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2000

धातु खदानों में रोजगार निम्नलिखित है :

धातु खदानों में रोजगार

	1993	**1994**	**1995**	**1996**	**1998**
धातु खदानें	**रोजगार में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या**				
क्रोमाइट	10526	9977	9408	9781	9133
तांबा अयस्क	12233	11164	10473	9921	10273
मैग्नेसाइट	6522	4705	4040	3547	3457
मैगनीज अयस्क	18548	18248	18085	18129	16074
लौह अयस्क	39751	38546	39657	38637	38637
सोना (केजी)	7884	7364	7095	6875	6836
अखिल भारतीय	**779,416**	**749,590**	**736,112**	**716,183**	**704,537**

स्रोत : स्टैटिस्टकल एबस्ट्रैक्ट, 1999

यह क्षेत्र जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित था, अब निजी क्षेत्र द्वारा दोहन के लिए खोल दिया गया है। जिन खनिजों को अब निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए खोल दिया गया है वे मुख्यतः धातु खदान क्षेत्र में हैं, जैसे लौह अयस्क, मैगनीज, क्रोम, सल्फर, सोना, हीरा, तांबा, लीड, जिंक, मोलीब्डेनम, टंगस्टेन, निकेल तथा खनिजों का प्लेटिनम ग्रुप। इस तरह धातु खदान क्षेत्र में निजीकरण का कुप्रभाव व्यापक है।

संशोधित नीति ने खदान कंपनी में विदेशी नागरिकों द्वारा इक्विटी होल्डिंग पर किसी भी प्रतिबंध को हटा

दिया है। खनिज तथा धातु प्रोसेसिंग इकाइयों को जो कच्ची सामग्रियों की सुनिश्चित आपूर्ति हासिल करने के लिए कैपिटल खदान विकसित करना चाहती हैं। ऐसी प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए पहले ही अनुमति दी गयी मात्रा तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की इजाजत दी जाएगी। आधुनिक खोज तकनीक के प्रयोग से खनिज भंडारों की बढ़ती खोज के साथ विश्व ग्रेड खदानों के खुलने की आशा की जाती है और इस लागत पर खनिजों का उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिस्पर्धात्मक हो।

खनन क्षेत्र के खोल देने से आस्ट्रेलिया, कनाड़ा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे देशों की इसमें दिलचस्पी काफी बढ़ गयी है। यह आशा की जाती है कि 13 खनिजों जिन्हें निजी क्षेत्र के दोहन के लिए खोल दिया गया है, के मामले में खोज तथा दोहन के कार्यकलापों में तेजी आ जाएगी।

धातु खनिज

1996–97 आंकडे और भौगोलिक स्थिति

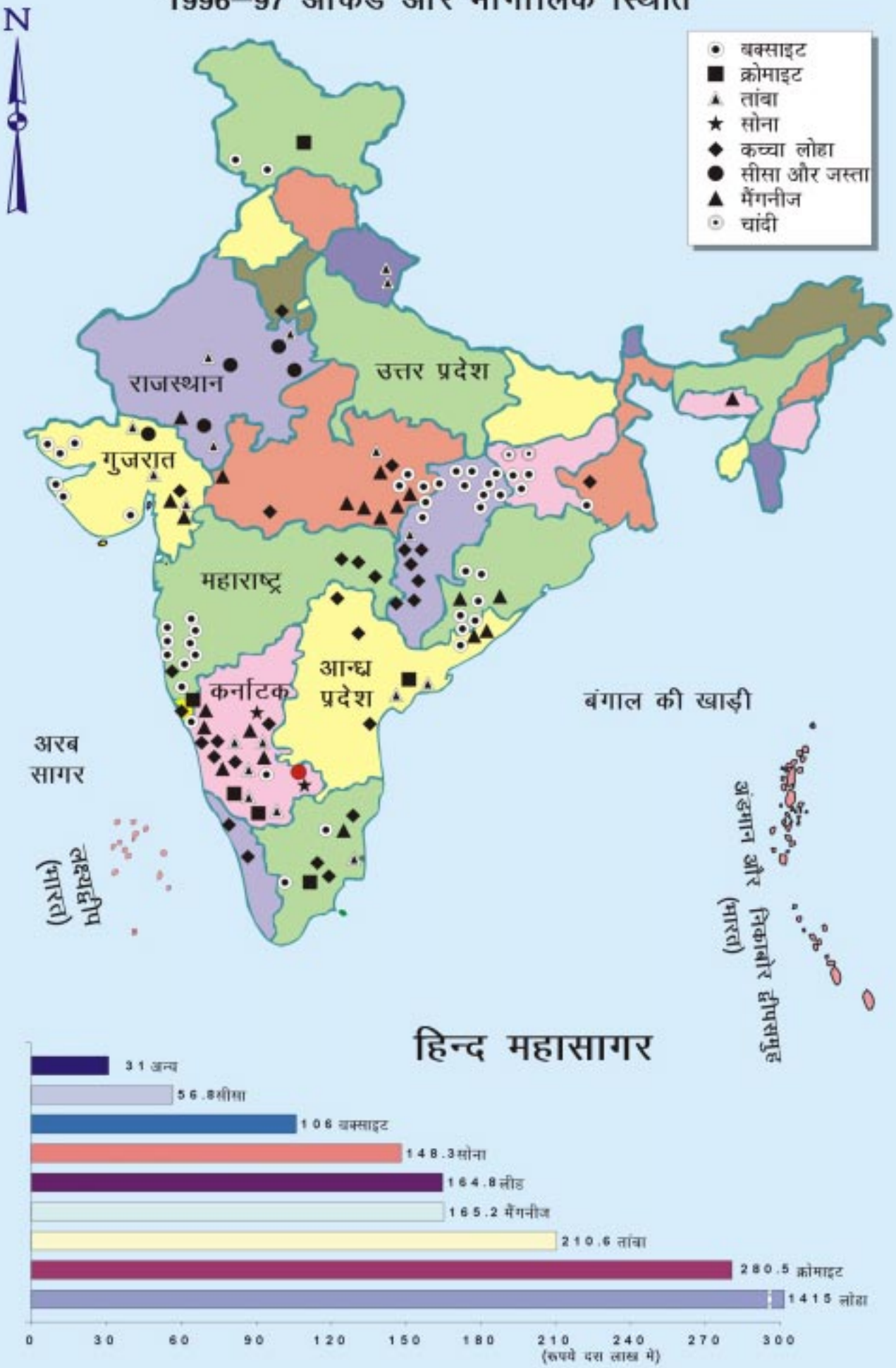

भारत में धातु उद्योग की विशेषता : एक समीक्षा

भारत जहां प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज भंडारों से भरा है जिनमें लौह अयस्क, तांबा, बाक्साइट, सोना, क्रोमाइट, मैगनीज आदि शामिल हैं। परिणामतः भारत में धातु तथा धातुकर्म उद्योग सदियों से काफी दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण रहे हैं। बहरहाल, 1947 में आजादी हासिल करने के बाद ही भारत की औद्योगिक विकास की यात्रा शुरु हुई। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने भारतीय औद्योगिक नीति के विकास का सूत्रपात किया और उत्तरोत्तर सरकारों ने पिछली औद्योगिक उपलब्धियों पर उद्योग के निर्माण तथा भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया।

लेकिन 1991 तक भारत सरकार ने अपने बृहत आर्थिक राजनीतिक व्यवहार में नीति में परिवर्तन कर दिया और एक अधिक उदार अर्थव्यवस्था लागू की। वह राज्य के हस्तक्षेप तथा आयात पूरक की रणनीति से अलग हो गयी और औद्योगिक लाइसेंसिंग को उदार बना दिया। नयी नीतियों में अपनायी गयी इस दिशा ने निजीकरण को अधिक गति प्रदान की तथा आयात प्रतिबंध को हटाकर बाजार को खोल दिया एवं विदेशी निवेश को आमंत्रित किया। पर इन समय – पूर्व के परिवर्तनों का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि मजदूरों की व्यापक छंटनी हुई, निजी उद्यमियों ने सरकारी प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण कर लिया, अनेक इकाइयां बंद हो गयीं तथा बेरोजगारी में वृद्धि हो गयी।

बाद में, 1990 के दशक ने भारतीय धातु उद्योग के सामने गंभीर चुनौतियां पेश कर दीं और धातु उद्योग पर अपना प्रभाव छोड़ दिया जिसके फलस्वरुप निर्मित एवं अर्ध–निर्मित उत्पादों का स्टाक जमा हो गया और उद्योग ने लेआफ का सहारा लिया तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) अपनानी शुरु कर दी और यहां तक कि बंदी का भी प्रस्ताव किया जाने लगा उत्पादन ढांचे में भी परिवर्तन होने लगा और इकाइयां नियमित रोजगार में कटौती करने लगीं तथा लागत घटाने के लिए काम को औपचारिक से अनौपचारिक क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाने लगा और कुछ ने तो उत्पादन ठेके पर करना भी शुरु कर दिया। देश के 186 लघु इस्पात उत्पादकों में जो इलेक्ट्रिक मार्क फर्नेस रुट का इस्तेमाल करते हैं, 60 प्रतिशत संभावित बंदी के कगार पर हैं।

सिका (बीमार औद्योगिक कंपनीज (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985) तथा बी आई एफ आर (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) के गठन से कुछ राहत मिलने की आशा की गयी थी। पर लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। **बीआईएफआर के अनुसार उसके पास दर्ज कंपनियों की संख्या मार्च 2001 में 3435 से बढ़कर जून 2002 में 4023 हो गयी, यानी उसमें 17 प्रतिशत** वृद्धि हुई जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां तथा निजी क्षेत्र की इकाइयां भी शामिल हैं। कुल संचित घाटा उसी अवधि के दौरान 575500 मिलियन रु. से बढ़कर 786183.2 मिलियन रु. हो गया यानी उसमें 37 प्रतिशत वृद्धि हुई। बीआईएफआर में दर्ज कंपनियों का शुद्ध मूल्य मार्च 2001 में 314200 मिलियन रु. से बढ़कर जून 2002 में 420000 मिलियन रु. हो गया।

इन 4,023 कंपनियों में श्रमबल करीब 2.15 मिलियन है जबकि मार्च 2001 में 3,435 कंपनियों में 2 मिलियन लोग कार्यरत थे।

लघु उद्योग भी जो बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार से बाहर है, गंभीर बीमारी के शिकार रहे हैं। एस्सोचेम द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार **लघु उद्योग क्षेत्र में 221530 इकाइयां बीमार** थी जिनमें **42147 धातु एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में थी।**

बीमार औद्योगिक इकाइयां (मार्च 2001 के अंत तक)

राज्य	बीमार/कमजोर इकाइयों की संख्या लघु उद्योग	बीमार/कमजोर इकाइयों की संख्या गैर–लघु उद्योग
पश्चिम बंगाल	113845	252
उत्तर प्रदेश	23117	233
बिहार	16423	69
आंध्र प्रदेश	11841	385
केरल	11144	76
तमिलनाडु	9959	317
असम	8632	56
महाराष्ट्र	8056	611
उड़ीसा	6668	59
मध्य प्रदेश	6614	161
राजस्थान	6395	102
गुजरात	5408	328
त्रिपुरा	5352	3
कर्नाटक	4400	204
मणिपुर	4150	3
दिल्ली	2143	115
पंजाब	1836	91
हरियाणा	1285	104
जम्मू और कश्मीर	848	8
मेघालय	376	16
हिमाचल प्रदेश	368	30
पांडीचेरी	186	13
अन्य	464	71

यह और अधिक चिन्ताजनक है कि **देश करीब 6 करोड़ टन अयस्क**–लम्प, फाइन एवं पेलपेट समेत का उत्पादन करता है। जिनमें **2.8 करोड़ टन का निर्यात किया जाता है।** इससे केवल **3.2 करोड़ टन घरेलू इस्पात एवं स्पोंज लौह निर्माताओं** के लिए बच जाता है। इसमें 2.1 करोड़ टन दो विशाल कंपनियों सैल और टिस्को के कैप्टिव खदानों से होगा। यह संकेत है कि भारत को करीब 7 करोड़ टन लौह अयस्क उत्पादन की जरूरत होगी। पर वर्तमान परिदृश्य में देश में विशाल संभावनाओं के बावजूद लौह अयस्क के उत्पादन में किसी नाटकीय वृद्धि की संभावना नहीं है।

मुख्य निष्कर्षः

भारतीय धातु–उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

बुनियादी धातु और एलॉय (मिश्रधातु) उद्योग (मिलियन रु. में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरूष	महिलाएं							
1. प्राथमिक/स्व–निर्मित रूप में लौह और इस्पात का निर्माण	1809	477205	219646	4000	223651	39043	262694	77190	339884	29166	35119
2. रीरॉलिंग मिलों, कोल्ड–रोलिंग मिलों और वायर–रोलिंग मिलों में अर्ध–निर्मित लौह तथा इस्पात उत्पादों का निर्माण	1836	172572	58820	332	59152	16282	75434	28896	104330	4968	5997
3. लौह–एलॉय (मिश्रधातु) का निर्माण	127	29878	10306	72	10378	6459	16837	5614	22451	1066	1327
4. ताम्बा निर्माण	178	29078	5236	111	5354	3296	8650	3537	12187	571	663
5. पीतल निर्माण	270	1964	4579	83	4662	1443	6105	1479	7584	222	260
6. अल्युमिनियम	340	57459	27609	187	27796	11347	39143	16076	55219	4024	5222
7. जिंक निर्माण	30	8072	7056	244	7300	96	7396	3170	10566	1165	1337
8. धातुओं को ढ़ालना	2118	26684	63885	830	64715	18008	82723	27437	110160	5179	6281
9. लौह एवं इस्पात स्क्रैप को छोड़कर धातु स्क्रैपो (टुकड़ों) की प्रोसेसिंग और री–रोलिंग	93	1507	2267	123	2390	1209	3599	952	4551	142	173
10. अन्य अलौह धातु	130	2318	2644	0	2644	1487	4131	1275	5406	211	245
कुल	**6931**	**806738**	**402048**	**5982**	**408042**	**98670**	**506712**	**165626**	**672338**	**46713**	**56622**

1. उत्पादक पूंजी = निर्धारित पूंजी + कार्यशील पूंजी (भौतिक कार्यशील पूंजी + नकद डिपाजिट)।
2. कर्मचारियों की कुल संख्या = कुल सीधे रोजगार में लगे मजदूर + ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर + मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी।
3. कुल मजदूरों की संख्या = कुल सीधे रोजगार में लगे मजदूर + ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर (मजदूरों की कुल संख्या में बाल मजदूर भी शामिल हैं जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है।)
4. मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी = सुपरवाइजरी और प्रबंधकीय स्टाफ + अन्य गैर–शारीरिक मजदूर।
5. बोनस समेत वार्षिक वेतन और मजदूरी में शामिल है मजदूरों, सुपरवाइजरी तथा प्रंबधकीय स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन एवं मजदूरी।
6. कुल पारिश्रमिक = बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी + मालिकों का अंशदान जैसा कि वेतन और मजदूरी शीर्षक के तहत ग्लोसरी नोट में निर्धारित किया गया है।

★ मूल्य का आंकड़ा मिलियन रुपये में दिया गया है।

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

मशीनरी और उपकरण के अतिरिक्त धातु एवं पुर्जों का निर्माण (मिलियन रुपये में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
1. गढ़े हुए इमारती धातु उत्पादों का निर्माण	1229	16117	29650	500	30150	7207	37357	16758	54115	3114	3707
2. गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण जो अन्य वर्गीकृत नहीं है	1839	18434	38687	1118	39805	6529	46334	15619	61953	2615	3223
3. धातु के फर्नीचरों एवं फिक्सरों का निर्माण	363	3912	11242	9	11251	1859	13110	4665	17775	1240	1586
4. हैंड औजार, वजन एवं माप एवं सामान्य हार्डवेयर का निर्माण	1580	15191	39870	1014	40884	1955	42839	12948	55787	2618	3228
5. फोर्जिंग, प्रेसिंग, स्टाम्पिंग द्वारा निर्मित एवं अर्ध–निर्मित धातु उत्पाद और धातुओं का रोल फोर्मिंग; पाउडर स्टाम्पिंग एवं धातुकर्म	456	24201	16311	30	16341	3509	19850	8453	28303	1736	2086
6. धातु का ट्रीटमेंट या कोटिंग, जैसे प्लेटिंग, पालिशिंग, एनोडाइजिंग, इन्क्रैविंग, प्रिंटिंग, हार्डनिंग, बफिंग, वेल्डिंग या अन्य विशेषी–कृत कार्य; जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भुगतान या ठेको के आधार पर	702	1486	6370	381	6751	1050	7801	2313	10114	338	388
7. धातु का छुरी–कांटा, बर्तन तथा रसोई के बर्तन का निर्माण	1482	8747	17614	1428	19042	1934	20976	7776	28752	1117	1315
8. धातु उत्पादों का निर्माण (मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर)	608	6418	16507	1608	18115	692	18807	5621	24428	1075	1265
कुल	**8259**	**94507**	**176251**	**6088**	**182339**	**24735**	**207074**	**74153**	**281227**	**13852**	**16798**

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

परिवहन उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी और उपकरण का निर्माण (मिलियन रुपये में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
1. कृषि मशीनरी एवं उपकरण तथा पुर्जों का निर्माण	809	19068	30953	58	31011	1790	32801	14796	47597	4240	5191
2. निर्माण और खनन उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनरी/ उपकरण का निर्माण	257	5222	8771	20	8791	2209	11000	5890	16890	1146	1372
3. प्राइम मूवर्स, ब्वालयर, स्टीम जेनेरेटिंग संयंत्र और नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण	780	28279	29220	939	30159	8598	38757	21737	60494	4954	6140
4. खाद्य और टैक्सटाइल उद्योग के लिए औद्योगिक मशीनरी का निर्माण (बोतल तथा भराई मशीनरी समेत)	1074	18569	30776	704	31480	2916	34396	14763	49159	3034	3765
5. खाद्य तथा टैक्सटाइल उद्योग को छोड़कर औद्योगिक मशीनरी का निर्माण	1183	14109	30065	176	30241	4118	34359	19460	53819	3523	4257
6. रेफ्रिजरेटरों, एयर–कंडिशनरों तथा अग्नि–शमन, उपकरणों एवं उनके पुर्जों और गौण उपकरणों (एक्सेसरीज). का निर्माण	230	15721	19377	270	19647	1619	21266	9955	31221	2639	3243
7. सामान उद्देश्य की इलेक्ट्रिकल मशीनरी/ उपकरण, उनके संघटकों तथा गौण उपकरणों (एक्सेसरीज) का निर्माण	1531	38954	60742	527	61269	4326	65595	34232	99827	7080	8779

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

परिवहन उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी और उपकरण का निर्माण (मिलियन रुपये में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
8. मशीन औजारों एवं उनके पुर्जों तथा गौण उपकरणों का निर्माण	1146	11641	28691	384	29075	713	29788	14698	44486	3062	3779
9. ऑफिस, कंप्यूटिंग एवं एकांउटिंग मशीनरी तथा पुर्जों का निर्माण (कंप्यूटरों तथा कंप्यूटर आधारित सिस्टम जिसमें शब्द प्रोसेसर भी शामिल है, को छोड़कर)	74	1286	2111	45	2156	252	2408	1227	3635	233	271
10. विशेष उद्देश्य की मशीनरी उपकरणों उनके संघटकों तथा गौण उपकरणों का निर्माण	1136	15690	24733	833	25566	2909	28475	12551	41026	2018	2394
11. इलेक्ट्रिकल औद्योगिक मशीनरी, एपैरैटस एवं पुर्जों का निर्माण	2195	73645	96945	5792	102737	9306	112043	63989	176032	15320	19359
12. इंसलेटेड तारों तथा केबल इन्कु. का निर्माण, ऑप्टिकल फायबर केबल का निर्माण	550	48600	23251	492	23743	2144	25887	14972	40859	2736	3331
13. प्राइमरी सेल्स और प्राइमरी बैटरीज यंत्र का निर्माण	152	6696	10061	405	10468	712	11180	3550	14730	95	1296
14. इलेक्ट्रिक लैंपों का निर्माण	530	9988	15660	5893	21553	2112	23665	6763	30428	1507	1805
15. इलेक्ट्रिक पंखों तथा इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रो–थर्मिक घरेलू यंत्रों एवं पुर्जों का निर्माण	611	6938	10678	1230	11908	2788	14696	7434	22130	86	1036

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

परिवहन उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी और उपकरण का निर्माण (मिलियन रुपये में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
16. रेडियो प्रसारण, टीवी ट्रांसमिशन, राडार एपेरैटस, रेडियो रिमोट कंट्रोल एपैरैटस तथा रेडियो/लाइन टेलीफोनी एवं लाइन टेलीग्राफी के लिए एपेरैटस का निर्माण	296	35069	27037	5188	32341	812	33153	23148	56301	4721	5934
17. टीवी रिसीवरों, रेडियो प्रसारण, रेडियो टेलीफोनी/टेलीग्राफी, वीडियो रिकार्डिंग, रिप्रोड्यूसिंग, रिकार्ड/कैसेट, प्लेयर तथा अन्य साउंड रिकार्डिंग/रिप्रोड्यूसिंग एपेरैटस जैसे माइक्रो आदि तथा प्री. रिकार्डेड ऑडियो, वीडियो रिकार्ड फोनों; लाउडस्पीकरों, एम्पलिफायरों, फोनों, लाउडस्पीकरों; एम्पलिफायरों टेपो का निर्माण	474	41128	18594	7847	26441	1324	27765	14043	41808	2661	3396
18. कंप्यूटर तथा कंप्यूटर–आधारित सिस्टम का निर्माण	180	13790	6060	5100	11160	4148	15308	10596	25904	1757	2210
19. इलेक्ट्रानिक बल्बों और ट्यूबों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक संघटकों का निर्माण	533	23993	16147	7077	23224	1836	25060	12680	37740	2229	2754
20. रेडियोग्राफिक एक्स–रे एपेरैटस, एक्स–रे ट्यूबों एवं पुर्जों तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों का निर्माण	250	3822	6839	318	7157	150	7307	3685	10992	844	1033
कुल	13991	432208	496711	43298	540127	54782	594909	310169	905078	63885	81345

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

परिवहन उपकरणों तथा पुर्जों का निर्माण (मिलियन रुपये में मूल्य, दूसरे संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
1. जहाज और नौका निर्माण	198	13917	17715	98	17813	3556	21369	6078	27447	1748	1957
2. लोकोमोटिव और पुर्जों का निर्माण	52	6097	16593	348	16941	74	17015	5404	22419	2077	2202
3. रेलवेज/ट्रामवे वैगनों एवं कोचों तथा अन्य रेलरोड उपकरणों का निर्माण	152	10941	73923	839	74762	1366	76128	23693	99821	6806	7424
4. भारी मोटर वाहनों का निर्माण; कोच कार्य	687	75131	78529	1514	80043	8309	88352	38748	127100	10032	12541
5. मोटरकारों और अन्य मोटर वाहनों का निर्माण जो मुख्यतः 10 व्यक्तियों से कम के परिवहन के लिए बनाये गये हैं (दौड़ कारों तथा गोल्फकारों के निर्माण समेत)	1229	79369	79305	1917	81222	11478	92700	34503	127203	12018	14983
6. मोटर–साइकिलों एवं स्कूटरों एवं पुर्जों का निर्माण (थ्री व्हील समेत)	534	30854	45955	1145	47100	7384	54484	19394	73878	5182	6400
7. साइकिलों, रिक्शा–साइकिल और उनके पुर्जों का निर्माण	654	7114	31463	310	31773	2339	34112	8513	42625	1471	1776
8. विमान, अंतरिक्षयान और उनके पुर्जों का निर्माण	26	17282	8526	35	8561	59	8620	3987	12607	2417	2682
9. बैलगाड़ियों, ठेलागाड़ियों तथा हाथगाड़ियों आदि का निर्माण	12	26	213	0	213	9	222	81	303	9	11
10. परिवहन उपकरण तथा पुर्जों का निर्माण	466	13790	13324	1498	14822	1940	16762	7098	23860	1073	1314
कुल	**4010**	**254523**	**365546**	**7704**	**373250**	**36514**	**409764**	**147499**	**557263**	**42832**	**51288**

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98
अन्य विनिर्माण उद्योग (मिलियन रुपये में मूल्य, दूसरे संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
1. आप्टिकल उपकरण के अतिरिक्त मेडिकल, सर्जिकल, वैज्ञानिक एवं मापन उपकरण का निर्माण	525	12697	20185	2088	22273	1155	23428	11775	35203	2276	2781
2. फोटोग्राफिक, सिनेमाटोग्राफिक और आप्टिकल वस्तुओं एवं उपकरण का निर्माण (फोटोकेमिकल्स, सेन्सिटाइज्ड पेपर एवं फिल्म को छोड़कर)	117	12377	5025	566	5591	169	5760	2970	8730	538	638
3. घड़ियों एवं दीवार घड़ियों का निर्माण	202	5831	8630	4323	12953	386	13339	4362	17701	1092	1333
4. जवाहरात और संबन्धित वस्तुओं का निर्माण	450	19309	18770	8874	27644	3048	30692	7834	38526	1956	2283
5. मुद्रा सिक्कों का टकसाल	4	1517	4253	1	4254	0	4254	996	5250	534	546
6. स्पोर्ट्स एवं एथलीटिक वस्तुओं का निर्माण	102	1004	4014	523	4537	675	5212	1803	7015	240	276
7. वाद्य–यंत्रों का निर्माण (खिलौनों को छोड़कर)	13	204	670	14	684	14	698	555	1253	102	131
8. स्टेशनरी वस्तुओं का निर्माण	312	3857	4369	2255	6624	1388	8012	3504	11516	543	647
9. सौर्य सेल जैसी सौर्य ऊर्जा पर आधारित वस्तुओं, कुकरों, एयर एंड वाटरहीटिंग प्रणाली तथा अन्य संबंधित वस्तुओं का निर्माण	10	927	630	161	791	15	806	559	1365	152	193
10. विविध फुटकर उत्पादों का निर्माण जिन्हें कहीं अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है	513	7034	9494	2478	11972	7108	19080	4732	23812	691	812
कुल	**2248**	**64755**	**76040**	**21283**	**97323**	**13958**	**111281**	**39090**	**150371**	**8122**	**9640**

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत (मिलियन रुपये में मूल्य, दूसरे संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
1. कृषि मशीनरी या उपकरण की मरम्मत	45	91	726	6	732	0	732	294	1026	53	58
2. प्राइम मूवरों, ब्वायलरों, स्टीम जेनेरेटिंग संयंत्रों एवं नाभिकीय रिएक्टरों की मरम्मत	6	1146	486	0	486	128	614	233	847	143	176
3. मशीन–औजारों की मरम्मत	6	53	49	0	49	22	71	14	85	2	2
4. मशीन–औजारों के अलावा औद्योगिक मशीनरी की मरम्मत	34	466	1497	30	1527	116	1643	520	2163	154	206
5. इलेक्ट्रिकल औद्योगिक मशीनरी एवं एपेरैटस की मरम्मत	71	177	1222	9	1231	215	1446	598	2044	114	126
6. रेडियो प्रसारण या टीवी ट्रांसमिशन; राडार एपेरैटस, रेडियो रिमोट कंट्रोल एपेरैटस और रेडियो/लाइन टेलीफोनी या टेलीग्राफी के लिए एपेरैटस की मरम्मत	6	7	87	3	90	0	90	151	241	26	29
7. लोकोमोटिव और अन्य रेलरोड़ उपकरणों की मरम्मत	59	2103	72046	1561	73607	447	74054	12400	86454	6084	6327
8. भारी मोटर वाहनों की मरम्मत	1934	14153	149966	551	150521	1092	151613	38997	190610	9839	10859
9. मशीनरी एवं उपकरण की मरम्मत जिन्हें अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं किया गया है	82	750	3297	34	3331	278	3609	1737	5346	512	582
कुल	**2243**	**18946**	**229376**	**2194**	**231574**	**2298**	**233872**	**54944**	**288816**	**16926**	**18365**

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

सेवाओं की मरम्मत (मिलियन रुपये में मूल्य, दूसरे संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूर	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
			पुरुष	महिलाएं							
1. घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत	10	10	115	12	127	0	127	44	171	6	7
2. टी.वी, वीसीआर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप–रिकार्डर, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत	65	214	1420	25	1445	2	1447	534	1981	107	126
3. घड़ियों, दीवार घड़ियों तथा जवाहरात की मरम्मत	6	4	31	0	31	0	31	23	54	3	3
4. मोटरवाहनों और ट्रकों, लौरी एवं अन्य भारी वाहनों को छोड़कर मोटरों की मरम्मत	1640	8833	38328	125	38454	1007	39461	19471	58932	2577	2893
5. मरम्मत उद्यम	256	2884	7517	125	7642	344	7986	2900	10886	1065	1163
कुल	**1977**	**11944**	**47411**	**287**	**47699**	**1353**	**49052**	**22972**	**72024**	**3757**	**4192**

मुख्य निष्कर्ष :

भारतीय धातु उद्योगों की अखिल भारतीय विशेषताएं, 1997–98

आंकड़ा समापन (मिलियन रुपये में मूल्य, दूसरे संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ↓	फैक्टरियों की संख्या 1997–98	फैक्टरियों की संख्या 1992–93	92–93 97–98 तक फैक्टरियों की संख्या में वृद्धि	कर्मचारियों की कुल संख्या 97–98	कर्मचारियों की कुल संख्या 92–93	92–93 से 97–98 तक कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि	मजदूरों की कुल संख्या 1997–98	मजदूरों की कुल संख्या 1992–93	92–93 से 97–98 तक मजदूरों की कुल संख्या में वृद्धि	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या (97–98)	सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या (97–98)	कुल मजदूरों में ठेका मजदूरों का प्रतिशत (97–98)	कुल पारिश्रमिक (97–98)
1. बुनियादी धातु और मिश्र धातु उद्योग	6931	6247	684	672338	666698	5640	506712	497771	8941	98670	408042	24	566221
2. धातु उत्पादों एवं पुर्जों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर	8259	7038	1221	281227	239871	41356	207074	175503	31571	24735	182339	14	167983
3. परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	13991	13434	557	905078	898656	6422	594909	572733	22176	54782	540127	10	813462
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	4010	3499	511	557263	350300	206963	409764	252799	156965	36514	373250	10	512881
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	2248	2096	152	150371	118231	32140	111281	86043	25238	13958	97323	14	96401
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	2243	2019	224	288816	213251	75565	233872	173476	60396	2298	231574	1	183648
7. मरम्मत सेवा	1977	1785	192	72024	60692	11332	49052	43367	5695	1353	47699	3	41915
कुल धातु उद्योग	39659	36118	3541	2927117	2547699	379418	2112664	1801692	310982	232310	1880354	12	2382511

मुख्य निष्कर्ष :

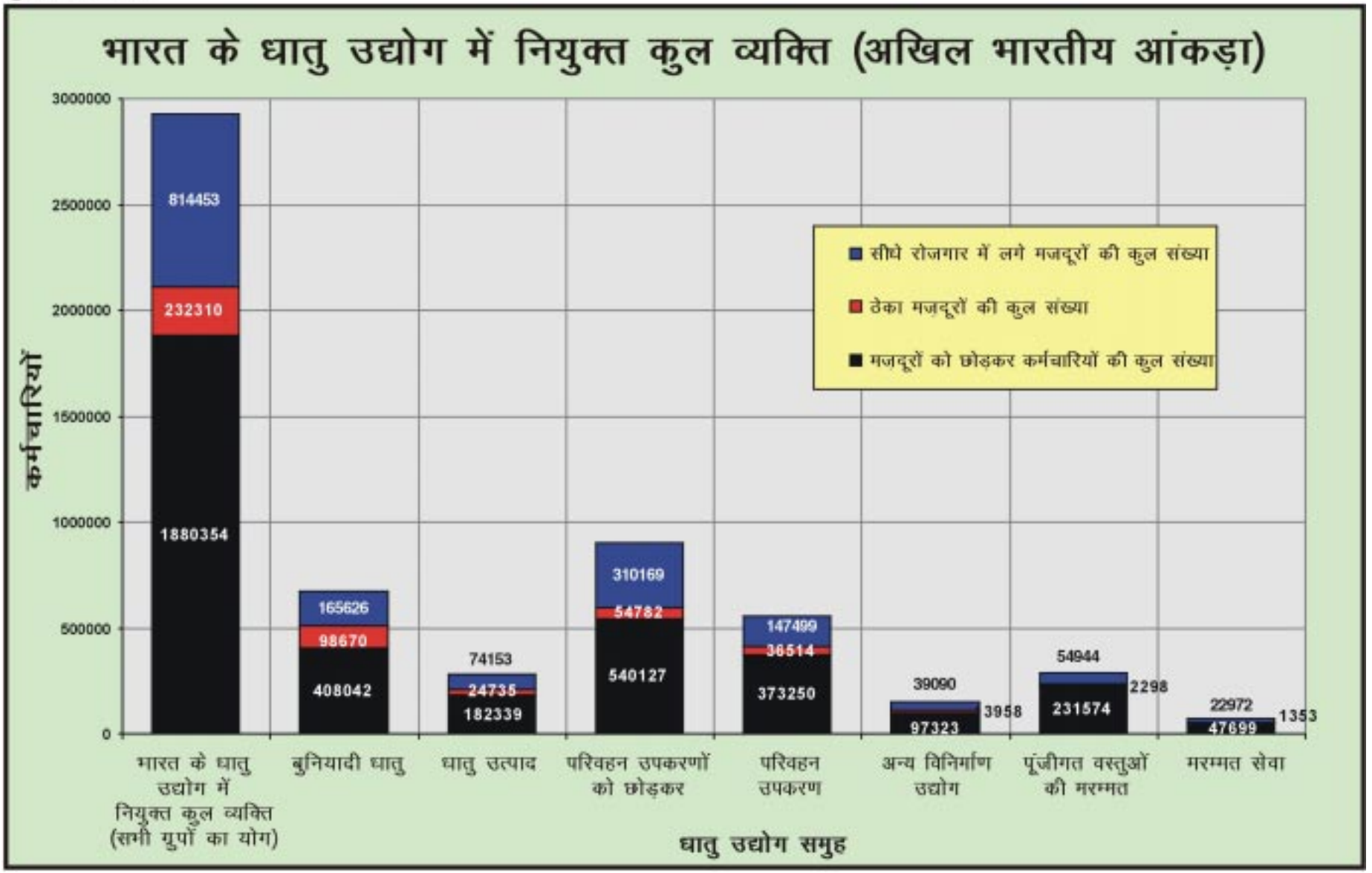
भारत के धातु उद्योग में नियुक्त कुल व्यक्ति (अखिल भारतीय आंकड़ा)
कर्मचारियों
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
814453
232310
1880354
165626
98670
408042
74153
24735
182339
310169
54782
540127
147499
36514
373250
39090
3958
97323
54944
2298
231574
22972
1353
47699
सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या
ठेका मज़दूरों की कुल संख्या
मज़दूरों को छोड़कर कर्मचारियों की कुल संख्या
भारत के धातु उद्योग में नियुक्त कुल व्यक्ति (सभी ग्रुपों का योग)
बुनियादी धातु
धातु उत्पाद
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
परिवहन उपकरण
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा
धातु उद्योग समूह

मुख्य निष्कर्ष :

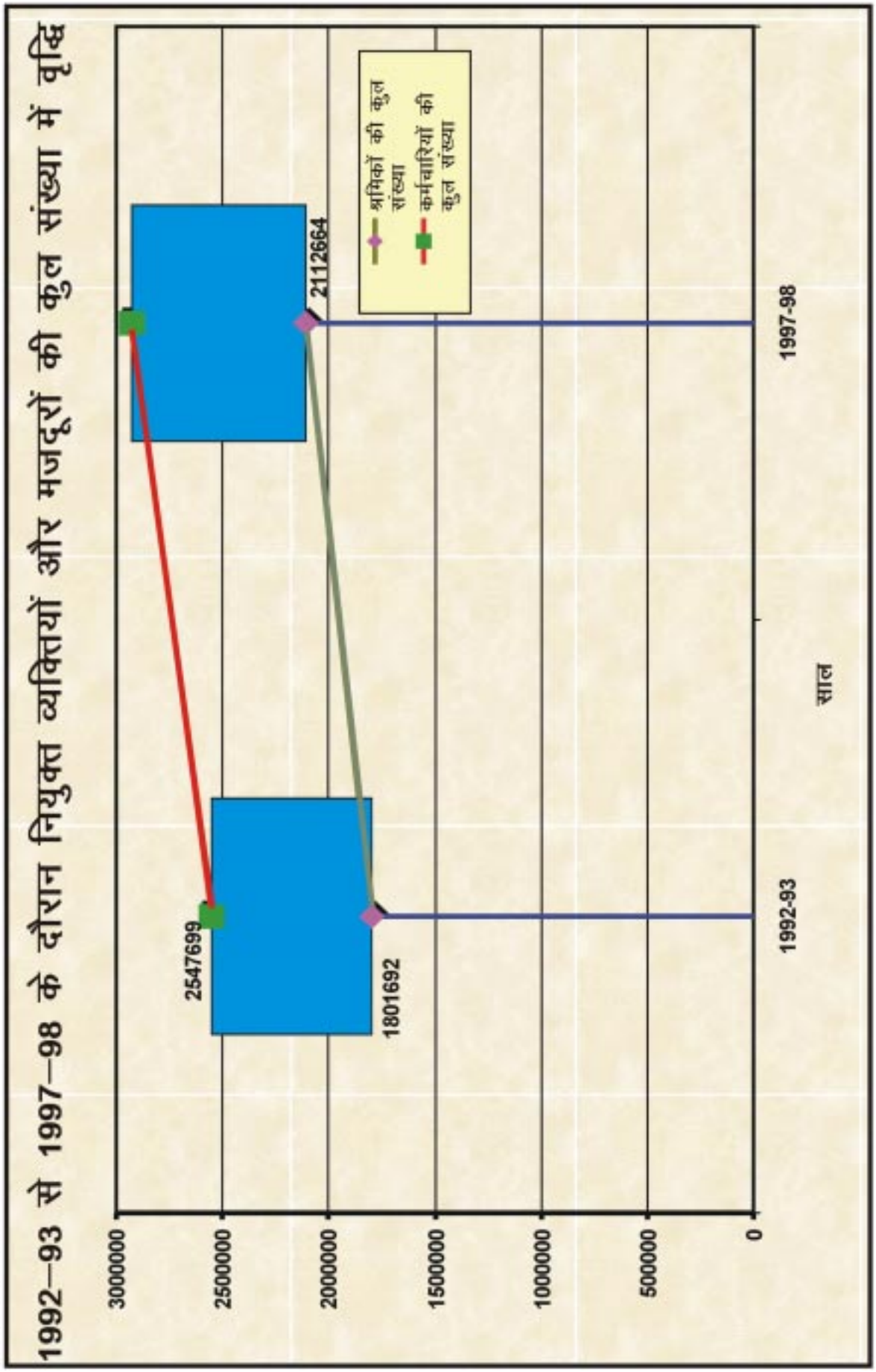
1992–93 से 1997–98 के दौरान नियुक्त व्यक्तियों और मजदूरों की कुल संख्या में वृद्धि
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2547699
1801692
2112664
श्रमिकों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
1992-93
1997-98
साल

मुख्य निष्कर्ष :

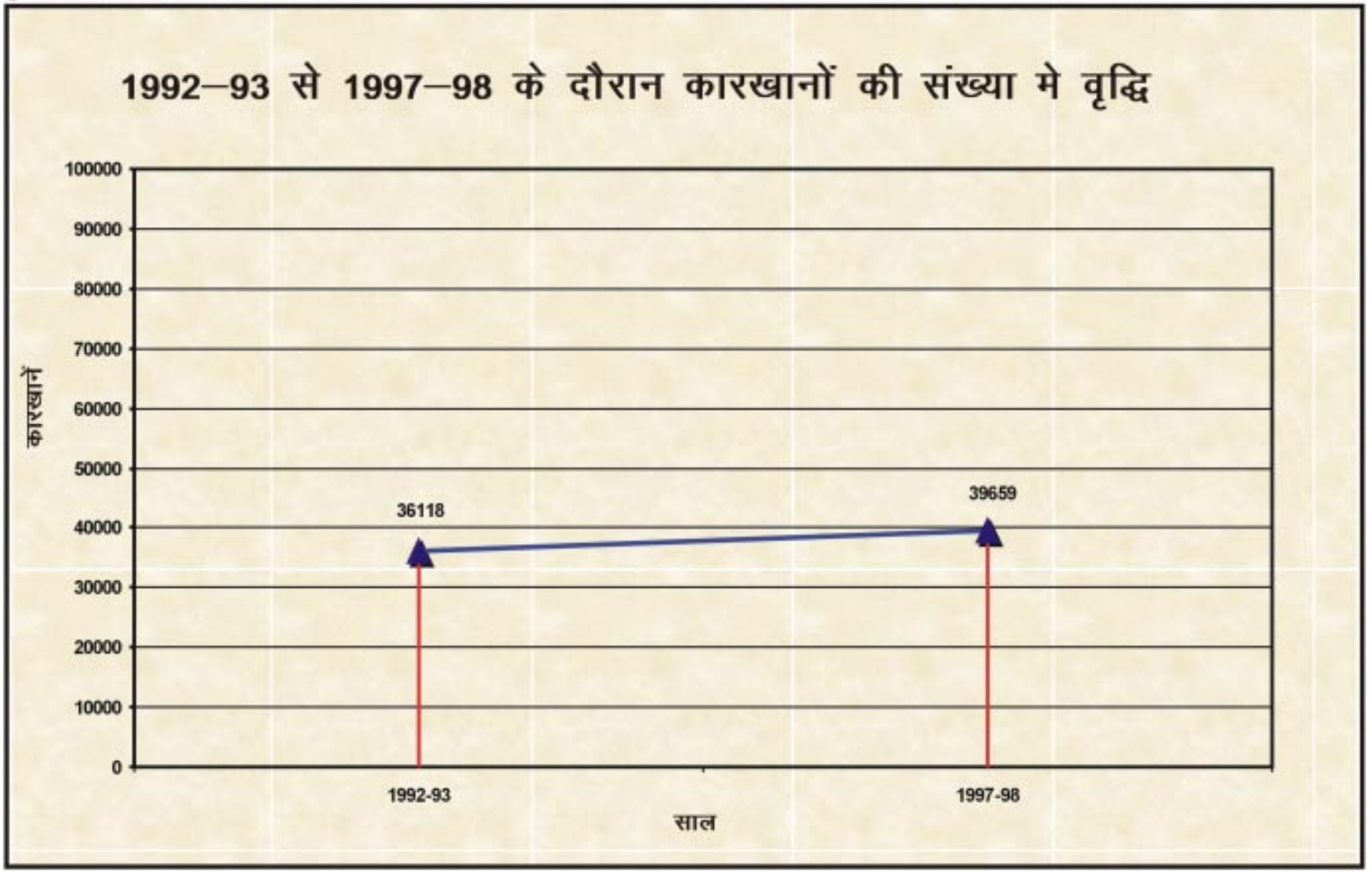

1992–93 से 1997–98 के दौरान कारखानों की संख्या मे वृद्धि
कारखानें
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
36118
39659
1992-93
1997-98
साल

धातुकर्म उद्योगों की विशेषताएं और चुने हुए सर्वेक्षण किये गये राज्य में ट्रेड यूनियनें

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश

N
ADILABAD
KARIMNAGAR
NIZAMABAD
MEDAK
ANDHRA
PRADESH
HYDERABAD
RANGAREDDI
NALGONDA
WARANGAL
KHAMMAM
MAHBUBNAGAR
KURNOOL
PRAKASAM
GUNTUR
KRISHNA
WEST GODAVARI
EAST GODAVARI
VISHAKHAPATNAM
VIZIANAGARAM
SRIKAKULAM
NELLORE
CUDDAPAH
ANANTAPUR
CHITOOR
औद्योगिक पट्टी
आन्ध्र प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र
1 हैदराबाद
2 कोठागुडम–रामागुडम बेल्ट
3 विजयवाड़ा
4 विशाखापत्तनम
5 विजियनगरम
6 कुरनूल
7 तिरुपति रेनीगुन्टा

खंड–1

राज्य का एक संक्षिप्त विवरण

अध्याय–1

आंध्र प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य

अपनी प्रचुर क्षमता तथा संसाधनों के साथ राज्य सरकार की विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, भौतिक परिसंपत्ति के कारगर उपयोग जिसे निर्मित किया जा चुका है एवं निजी भागीदारी और निवेश बढ़ाने की योजनाएं हैं। तीन मुख्य क्षेत्रों– तेलंगाना तटवर्ती आंध्र और रायलसीमा में विकास के स्तर में अंतर को खत्म करते हुए एवं बराबरी लाते हुए संतुलित क्षेत्रीय विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य को लगे आघात

- ❖ विकास के लिए वित्त मुख्यतौर से योजना कोष से आता है जो उधार लिया जाता है एवं अभी वह करीब 90 प्रतिशत है।
- ❖ राजस्व खाते पर अधिकांश सरकारी खर्च पूंजी निर्माण की बजाय उपभोग की दिशा में निर्दिष्ट है।
- ❖ इसके साथ ही सरकारी, निवेश की निम्न उत्पादकता ने सरकारी राजस्व बढ़ाने के आधार को संकुचित कर दिया है।
- ❖ इसके परिणामस्वरूप कर्ज का पुर्नभुगतान एवं ब्याज का दायित्व तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते पूंजीगत खर्च से कटौती की जा रही है।

इन सभी कठिनाइयों के बावजूद राज्य बचत दर को बढ़ाने, नियोजन में प्रबंधकीय कुशलता के जरिये और परियोजनाओं को लागू करके पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है।

नयी औद्योगिक नीति ने समर्थक संरचनात्मक निवेश के साथ एक चयनात्मक औद्योगिक प्रोन्नति रणनीति अपनायी है। सामाजिक न्याय तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के साथ विकास के विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों के बीच विकास के स्तरों में अंतर को दूर करने की योजना बनायी गयी है।

आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण सकल घरेलू उत्पाद के स्तर तथा संरचना से प्राप्त किया जा सकता है। 1998–99 वर्ष के लिए अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 224090 मिलियन रु. था जो 1997–98 में 202150 मिलियन रु. था यानी इसमें 10.85 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी गयी है। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 1997–98 में 3118280 मिलियन रु. था जबकि वह 1996–97 में 2968450 मिलियन रु. था। सामान्यतः आंध्र प्रदेश में अचल रूप में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अखिल भारतीय वृद्धि दरों से कम रही है।

1999–2000 के दौरान राज्य और राष्ट्रीय घरेलू उत्पादों के संगठन के लिए आधार को बदलकर 1993–94 कर दिया गया। इसके अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1993–94 की कीमतों) के आधार पर 680150 मिलियन रु. से बढ़कर 755300 मिलियन रु. हो गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्तर तथा 1997–98 और 1998–99 वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

अचल कीमतों (1993–94) पर मूल के उद्योग द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिलियन रुपया में

	1997–98 (पी)	1998–99(क्यू)
1. कृषि, वानिकी, मत्सत्य पालन		
1.1 कृषि	154720	197760
1.2 वानिकी	6670	7200
1.3 मतस्यपालन	**16150**	**16070**
2. खनन और उत्खनन		
सब–टोटल–प्राथमिक क्षेत्र	**189800**	**234770**
3. विनिर्माण		
1.1 पंजीकृत	75270	77980
1.2 अपंजीकृत	38720	41430
4. बिजली, गैस और जल आपूर्ति	19530	18960
5. निर्माण	36740	39830
सब टोटल–सेकंडरी क्षेत्र	**170260**	**178200**
6. व्यापार, होटल और रेस्तरां	93300	105140
7. परिवहन, भंडारण और संचार		
7.1 रेलवे	11720	12070
7.2 अन्य साधनों से परिवहन और भंडारण	42990	42640
7.3 संचार	11030	12740
8. वित्त व्यवस्था, बीमा, वास्तविक इस्टेट और बैकिंग सेवा		
8.1 बैकिंग और बीमा	34120	38660
8.2 निवास का वास्तविक इस्टेट स्वामित्व और बिजनेस सेवा	41450	42720
9. समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा		
9.1 सार्वजनिक प्रशासन	26890	28140
9.2 अन्य सेवाएं	58590	60220
सब टोटल तृतीय क्षेत्र	320090	342330
कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**680150**	**755300**
कुल शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1993–94 की कीमत पर)	**605550**	**677120**
प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	**8246**	**9118**

प्रतिव्यक्ति आयः आंध्र प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 1980–81 में 1380 रु., 1990–91 में 2060 रु. और 1996–97 में 2500 रु. थी जबकि राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः 1980–81 में 1630 रु., 1990–91 में 2232 रु. ओर 1996–97 में 2761 रु. थी। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रतिव्यक्ति आय के आंकड़े से कम रही है।

जनसांख्यिकी और रोजगार की स्थिति

2001 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की आबादी 7.57 करोड़ है और भौगोलिक क्षेत्र तथा आबादी के आकार के मामले में देश के राज्यों में उसका पांचवां स्थान है। पर राज्य ने स्पष्टतः एक दशक की अल्प अवधि में दशकीय वृद्धि से 10 प्रतिशत प्वाइंट की भारी गिरावट दर्ज की है और यह सफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती है कि इससे आबादी की वृद्धि में भारी वृद्धि में भारी गिरावट प्राप्त करने में सारी कठिनाइयों को दूर करना संभव हो सकेगा।

श्रमबलः जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि 2001 में श्रमजीवी आबादी 38.57 मिलियन थी जो 7.57 करोड़ की कुल आबादी का 50.9 प्रतिशत है। पर राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कार्य भागीदारी दर तथा पुरुषों एवं महिलाओं के बीच श्रमजीवी आबादी के प्रतिशत की अखिल भारतीय आंकड़े से तुलना की जा सकती है।

	आंध्र प्रदेश	अखिल भारतीय
श्रमजीवी आबादी की कार्य भागीदारी दर प्रतिशत	45.05	39.7
(क) पुरूष	55.48	52.00
(ख) महिला	34.32	22.96

इन आकड़ों से यह संकेत मिलता है कि रोजगार दफ्तरों के रजिस्टर में रोजगार चाहने वाले लोगों की कुल संख्या में अक्टूबर 1997 से 58 प्रतिशत से अक्तूबर 1998 में थोड़ी कमी आयी। संगठित क्षेत्र में रोजगारशुदा प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिए मोटे तौर से 155 व्यक्ति रोजगार चाहते थे। रोजगार दफ्तरों द्वारा काम दिलाने में काफी कमी हुई जिससे रोजगार की उपलब्धता में भारी कमी का पता चलता है। लघु उद्योग क्षेत्र में बीमार इकाइयों में वृद्धि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में अनियमितता और रिक्तियों को नहीं भरने की राज्य सरकार की नीति ने इस गिरावट में योगदान दिया।

आंध्र प्रदेश में संगठित क्षेत्र में रोजगार

	1997	1998
संगठित क्षेत्र में रोजगार (मिलियन में)	2.042	2.046
रोजगार दफ्तरों के रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या (मिलियन में)	3.378	3.181
रोजगार दफ्तरों द्वारा काम दिलाया गया	18452	9732

रोजगार चाहनेवालों के संबंध में रोजगार और प्रशिक्षण आयुक्त से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर 1998 में रजिस्टर में 2.694 मिलियन शिथिल तथा 0.412 मिलियन अकुशल रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिनकी कुल संख्या 3.106 मिलियन होती है। 1995 में कुल रोजगार चाहनेवालों की संख्या 2.718 मिलियन से बढ़कर 1996 में 2.907 मिलियन, 1997 में 2.94 मिलियन तथा 1998 में 3.106 मिलियन हो गयी। इससे यह पता चलता है कि नये रोजगार के अवसरों का सृजन कोई महत्वपूर्ण नहीं था।

संगठित, खनन, उत्खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार का वितरण (मिलियन में)

रोजगार	1997	1998
संगठित क्षेत्र	2.041	2.046
खनन और उत्खनन	0.103	0.10
विनिर्माण	0.524	0.514

उपलब्ध आंकड़ो से इन दो उपक्षेत्रों में रोजगार में खास गिरावट का पता चलता है। निर्माण परिवहन तथा कृषि में ऐसी ही गिरावट मालूम पड़ती है जबकि वित्त, बीमा, वास्तविक इस्टेट, समुदाय तथा व्यक्तिगत सेवाओं में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में रोजगार की स्थिति के पूरे अनुमान से यह पता चलता है कि परंपरागत क्षेत्रों में गिरावट हुई है जबकि तृतीय क्षेत्र, खासकर नयी अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

अध्याय– 2

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य

राज्य औद्योगिक रुप में पिछड़ा था क्योंकि 1987– 88 विनिर्माण द्वारा प्रतिव्यक्ति मूल्य वर्धित आय केवल 204 थी जबकि पूरे देश के लिए वह 359 थी। प्रति मजदूर उत्पादकता भी कम थी। प्रति मजदूर मूल्यवर्धित 17461 रु. था जबकि अखिल भारतीय औसत 36384 रु. था। विनिर्माण द्वारा प्रतिव्यक्ति मूल्यवर्धित में वृद्धि हुई जो 1988–89 में बढ़कर 297 (आंध्र प्रदेश) तथा 453 (भारत) में हो गयी। भारत सरकार द्वारा 1988–89 में किये गये उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश में 14292 फैक्ट्रियां पंजीकृत थीं जो देश में कुल फैक्टरियों का 13.7 प्रतिशत थी।

- **पंजीकृत फैक्टरियों की कुल संख्या में दूसरा स्थान** था और महाराष्ट्र का प्रथम स्थान था जहां 15127 फैक्टरियां पंजीकृत थी।
- **रोजगार के मामले में देश में पांचवां स्थान**
- **उत्पादन के मामले में छठा स्थान**
- **विनिर्माण के द्वारा मूल्यवर्धित के मामले में सातवां स्थान**
- **उत्पादन का 6.2 प्रतिशत**
- **देश विनिर्माण द्वारा मूल्यवर्धित का 5.3 प्रतिशत**

राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) की सेक्टरीय (क्षेत्रीय) संरचना

	प्राथमिक	सेकंडरी	तृतीय
1980–81	47	16	37
1990–91	40	19	41
1997–98	31	24	45

एसडीपी की सेक्टरीय संरचना प्राथमिक के मुकाबले सेकंडरी एवं तृतीय क्षेत्रों के पक्ष में धीरे–धीरे बदल रही है और इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर तृतीय क्षेत्र में बढ़े है और रोजगार का स्वरूप व्यक्तियों के छोटे ग्रुपों के लघु उद्योग तक सीमित है जो मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में हैं।

राज्य घरेलू उत्पाद में सेकंडरी क्षेत्र का हिस्सा तीसरी योजना अवधि में केवल 11.7 प्रतिशत था। उसमें सातवीं योजना अवधि में सुधार हुआ और वह बढ़कर 17.5 प्रतिशत हो गया। पर अभी भी वह अखिल भारतीय 25.1 प्रतिशत से कम है। सेकंडरी क्षेत्र (पंजीकृत विनिर्माण) ने काफी सुधार किया और तीसरी योजना अवधि में राज्य घरेलू उत्पाद में उसका हिस्सा 3.2 प्रतिशत से बढ़कर सातवीं योजना अवधि में राज्य घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत हो गया पर अभी भी सेकंडरी क्षेत्र का राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक या तृतीय क्षेत्र के हिस्से से आधा से भी कम है।

वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का आकार और सेक्टरीय योगदान

		हिस्सा		
	कुल (मिलियन में)	प्राथमिक प्रतिशत	सेकंडरी प्रतिशत	तृतीय प्रतिशत
1980–81	81910	43.95	19.01	37.04
1990–91	333,360	34.86	23.58	41.56
1995–96	745,460	34.54	23.19	42.27
1996–97	842,510	34.62	22.94	42.44
1997–98	883,870	30.89	24.35	44.76

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) आंकड़ो का प्राथमिक स्त्रोत है जो औद्योगिक क्षेत्र के संगठित हिस्से के विकास तथा ढ़ांचे को उद्घाटित करता है। 1990 के बाद की अवधि के एएसआई से फैक्टरियों की संख्या, रोजगारशुदा मजदूरों तथा पूंजी निवेश आदि के संबंध में स्थिति का पता चलता है।

निम्नलिखित तालिका में 1970–71, 1988–89 और 1996 की अवधि के आंकड़ो का एक विश्लेषण दिया गया है :

	1970–71	1988–89	1996–97
फैक्टरियों की संख्या	5448	14292	18522
रोजगार (मिलियन में)	0.325	0.725	0.878
उत्पादन का मूल्य (मिलियन रुपये में)	6860	114480	456980
विनिर्माण द्वारा मूल्यवर्धित (मिलियन रुपये में)	1250	18210	85550

1970–71 के आधार पर औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक संख्या यह उद्घाटित करती है कि सामान्य सूचकांक 1984–85 में 274.30 से बढ़कर 1991–92 में 405.10 और 1997–98 में 584 तथा 1998–99 में 550.75 हो गया।

औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक संख्या (1970–70=100)

वर्ष	खनन एवं उत्खनन	विनिर्माण	बिजली	सामान्य
1984–85	342.00	287.90	487.90	274.30
1989–90	498.00	326.50	523.40	366.50
1991–92	570.70	348.54	633.50	405.10

इन संघटकों में 66.9 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि खनन तथा उत्खनन में पायी गयी और उसके बाद बिजली में 29.8 प्रतिशत तथा विनिर्माण में 21.1 प्रतिशत। सातवीं योजना अवधि (1985–90) के दौरान सामान्य सूचकांक की वार्षिक यौगिक वृद्धि 6.0 प्रतिशत आंकी गयी। खनन तथा उत्खनन में वृद्धि अधिक तेजी से हुई जो 7.8 प्रतिशत की वार्षिक यौगिक वृद्धिदर आंकी गयी और विनिर्माण में 6.5 प्रतिशत तथा बिजली में 1.4 प्रतिशत।

1980 और 1990 में की गयी आर्थिक संगणना के अनुसार असंगठित क्षेत्र में उद्यमों की संख्या उस दशक

के दौरान 170.3 मिलियन से बढ़कर 245.9 मिलियन हो गयी, यानि 44.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी। सामान्य रूप से काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या 460 मिलियन से बढ़कर 653 मिलियन हो गयी यानी 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 1994–95 से 1996–97

विशेषताएं	यूनिट	1994–95	1995–96	1996–97	कालम 5 से कालम 4 के परिवर्तन का प्रतिशत
(कालम–1)	(कालम–2)	(कालम–3)	(कालम–4)	(कालम–5)	(कालम–6)
फैक्टरियों की संख्या	संख्या	17756	17408	18522	6.40
अचल पूंजी	मिलियन रुपया	248153.4	276326.7	321432	16.32
कार्यशील पूंजी	मिलियन रुपया	28838.4	28182.3	51031.6	81.08
बकाया ऋण	मिलियन रुपया	143965.8	154744.1	193196.4	24.85
मजदूरों की संख्या	संख्या	889817	952611	878913	–7.736
श्रमदिवस मजदूर	'000 संख्या	272105	298502	268122	–10.18
कर्मचारियों की संख्या (मजदूर समेत)	संख्या	1051461	1115678	1036871	–7.06
श्रमदिवस कर्मचारी	'000 संख्या	321675	345730	321504	–7.01
कुल व्यक्ति	संख्या	1073781	1127846	1049506	–6.95
मजदूरों को वेतन	मिलियन रुपया	18187.2	22535.1	21228.2	–5.80
कुल पारिश्रमिक	मिलियन रुपया	26131.7	32181.7	30840	–4.17

एएसआई फैक्टरीज अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) और 2एम (ii) के तहत पंजीकृत सभी फैक्टरियों पर लागू होता है जो क्रमशः 10 या अधिक मजदूरों को नियुक्त करने वाली तथा शक्ति का इस्तेमाल करने वाली फैक्टरियों या 20 या अधिक मजदूरों को नियुक्त करने वाली पर पहले के 12 महीने के किसी भी दिन शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने वाली फैक्टरियों से संबंध रखती है। एएसआई के अनुसार राज्य में फैक्टरियों की संख्या 1989–90 में 15963 से बढ़कर 1994–95 में 17756 हो गयी पर 1995–96 में कम होकर 17408 हो गयी, लेकिन फिर 1996–97 में बढ़कर 18522 हो गयी। **यह एक तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि औद्योगिक स्थिति कुछ अनिश्चित रही है।**

विकास रणनीति

आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने **विजन (दृष्टि) दस्तावेज 2020** में खनिजों तथा खनन पर आधारित कार्यकलाप को एक विकास का इंजिन बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि "आज आंध्र प्रदेश की खनिज संपदा काफी हद तक अप्रयुक्त है।"

- ❖ हालांकि यहां भारत का 27 प्रतिशत बाक्साइट है पर राज्य उसका एकदम खनन नहीं करता है।
- ❖ राज्य का **खनिज रिजर्व में दूसरा** स्थान है पर **खनिज उत्पादन के मामले में उसका पांचवा** स्थान है और कोयले का उत्पादन रिजर्व का केवल 0.3 प्रतिशत ही होता है।
- ❖ हालांकि राज्य में देश का 20 प्रतिशत चूना पत्थर रिजर्व है, पर चूना, पत्थर उत्पादन में उसका केवल 14 प्रतिशत ही हिस्सा है।

राज्य में बैटाइटीज का विशाल भंडार है पर देश के निर्यात में एक बड़ा हिस्सा है और विश्व के उपभोग के 1/4 हिस्से की आपूर्ति करता है।

रणनीति के अनुसार जिस पर अभी विचार किया जा रहा है, कोयला, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बाक्साइट पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। लेकिन खनिजों के दोहन तथा धातु उद्योग की स्थापना के लिए कानूनी ढांचे में कुछ परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि बड़े पैमाने पर अयस्क (कच्ची धातु) भंडार आदिवासी क्षेत्रों में है जिनका केवल राज्य या स्वयं आदिवासियों द्वारा ही दोहन किया जा सकता है। लेकिन धातु के उत्पादन में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वहां विशाखापटनम इस्पात कारखाना है जो बैलाडीला लौह अयस्क पर आधारित है, हिन्दुस्तान जिंक राजस्थान तथा बाहर के कन्सेटन्ट्रैटों पर आधारित है, गारिविडी विजियानगरम जिले में फेरो एलॉय कारखाना है, पलोनचा (खम्माम जिला) में स्पोंज लौह कारखाना है तथा विशेष एवं रक्षा उद्देश्यों के लिए मिश्रधातु (एलॉय) पर काम करने वाला मिश्रधातु निगम स्थित है। राज्य में धातुकर्म में अनेक लघु तथा मंझोली इकाइयां हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित रणनीति के अनुरूप पर्यावरणीय एवं सामाजिक रूप से टिकाऊ तरीके से अपनी खनिज क्षमता का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

आंध्र प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए विजन 2020

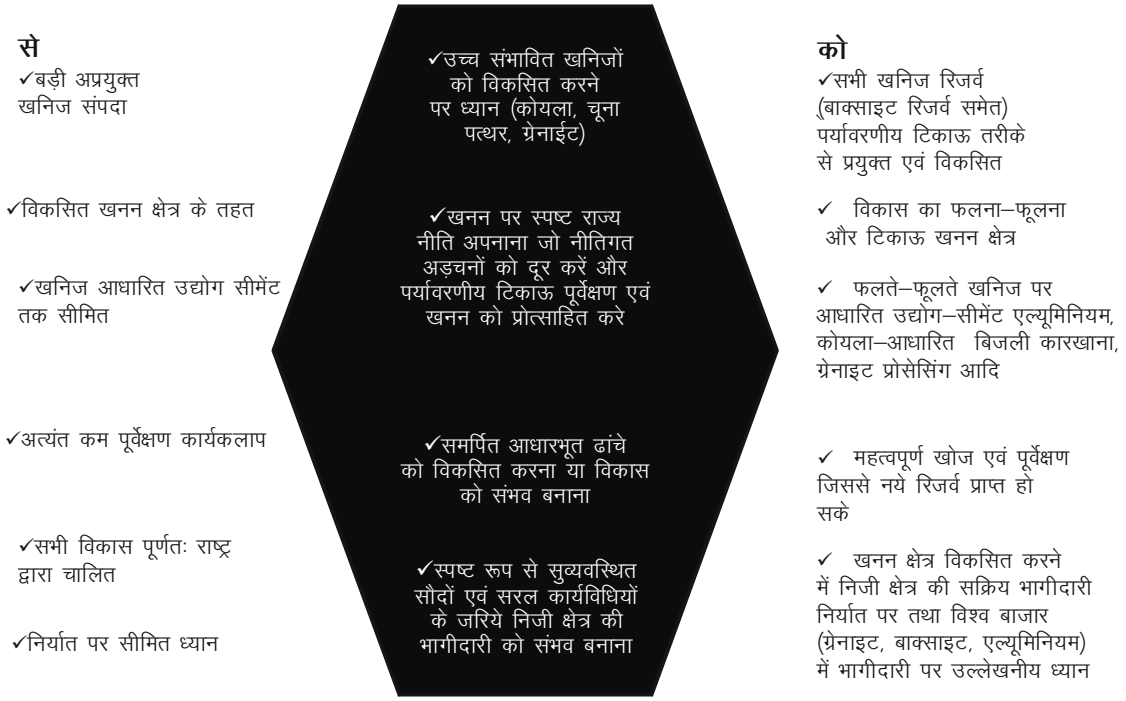

आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम को राज्य में खनिज डिपाजिटों के संयुक्त खोज तथा विकास के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार का नोडल एजेंट बनाया गया है। इसके कार्यकलापों का मुख्य क्षेत्र बैराइटीज क्षेत्र में ही है।

आंध्र प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति खनन कार्यकलापों को उदार बनाने तथा अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करती है और आधुनिक टेक्नालाजी एवं उच्च निवेश को प्रोत्साहित करती है जबकि छोटे एवं लघु क्षेत्र पर भी ध्यान रखती है और उन इकाइयों को एक समन्वित आनुषंगिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनाती है।

खंड–2

धातु उद्योग का सर्वेक्षण

अध्याय–1

खनिज और धातु

राज्य में बाक्साइट और ग्रेनाइट का विशाल भंडार है। विशाखापट्नम तथा पूर्वी गोदावरी जिलों में करीब **70 करोड़ टन बाक्साइट के भंडार है जिनमें निम्न सिलिका अंश** है जो अल्युमिना/अल्यूमिनियम के निर्माण के लिए काफी उपयुक्त है। राज्य में करीब **90 लाख टन ताम्बा, लीड एवं जिंक** का स्थापित भंडार है जिनमें 1.35 से 1.60 प्रतिशत ताम्बा, 3 से 9 प्रतिशत तक लीड तथा 4 से 5 प्रतिशत तक जिंक है। गुंटूर जिले में लीड भंडार का एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा दोहन किया जा रहा है जिसकी विशाखापट्नम में एक विनिर्माण इकाई भी है। आंध्र प्रदेश राज्य में खनन उद्योग विकास के एक नये युग में प्रवेश करने के लिए सर्वथा तैयार है।

खनिज उत्पादन

	इकाई	1997–98	1998–99
ईंधन खनिज			
कोयला	('000 टन)	28944	28377
धातु खनिज			
1. सोना	(किलो)	193	225
2. लौह अयस्क	('000 टन)	227	320
3. मैगनीज	('000 टन)	93	82
4. चांदी	(किलो)	10575	8349
गैर–धातु खनिज			
1. एन्सेस्टस	(टन)	717	817
2. बेरयाटीज	('000 टन)	449	655
3. डोलामाइट	('000 टन)	115	418
4. चूना पत्थर	('000 टन)	18589	19138
5. अभ्रक (क्रूड)	(टन)	787	884
मुख्य खनिजों का मूल्य			
ईंधन खनिज			
कोयला	(मिलियन रुपया में)	22840	21770

धातु खनिज			
1. सोना	(मिलियन रुपया में)	220.0	250.0
2. लौह अयस्क	(मिलियन रुपया में)	17.5	31.4
3. मैगनीज	(मिलियन रुपया में)	25.6	23.5
4. चांदी	(मिलियन रुपया में)	78.1	61.7
गैर–धातु खनिज			
1. एन्सेस्टस	(मिलियन रुपये में)	14.6	15.7
2. बेरयाटीज	(मिलियन रुपये में)	320.0	370.0
3. डोलामाइट	(मिलियन रुपये में)	110.0	120.0
4. चूना पत्थर	(मिलियन रुपये में)	1410.0	1710.0
5. अभ्रक (क्रूड)	(मिलियन रुपये में)	15.0	1.7

स्त्रोत : इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, नागपुर

राज्य में उद्योगों का विकास मुख्यतः संसाधन आधारित रहा है। ईंधन धातु एवं गैर–धातु खनिजों के उत्पादों का उत्पादन स्तर तथा मूल्य जैसा कि इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स द्वारा संकेत दिया गया है, ऊपर तालिका में दिखाया गया है।

राज्य में 1970 =100 के आधार पर औद्योगिक उत्पादन को सूचकांक के आंकड़े से बुनियादी धातुओं, धातु उत्पादों के सूचकांक में वृद्धि का पता चलता है जैसाकि निम्नतालिका में दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश में खनन तथा उत्खनन बुनियादी धातु उत्पादों का विकास एवं आकार उसी से समझा जा सकता है।

उद्योग	**अप्रैल से नवम्बर (औसतन)**		**1997 से 1998 में परिवर्तन (प्रतिशत)**
	1997	**1998**	
खनन और उत्खनन	680.65	646.79	–5.0
गैर–धातु खनिज उत्पाद	544.1	467.26	–14.1
बुनियादी धातु उत्पाद	130.83	170.14	30
धातु उत्पाद (मशीनरी तथा परिवहन उपकरण छोड़कर)	115.93	126.1	8.8
मशीनरी (इलेक्ट्रिकल मशीनरी छोड़कर)	240.94	248.18	3
इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1065	823.01	–22.7
परिवहन उपकरण	3230.55	3027.28	–6.3
अन्यान्य / फुटकर	137	138.45	1.1
बिजली का उत्पादन	933.68	962.01	3
राज्य का सामान्य सूचकांक	584	550.75	–5.7

राज्य में खनिजों तथा धातुकर्म उद्योग की प्रमुख सार्वजनिक इकाइयां निम्नलिखित हैः

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.: 1982 में विशाखापटनम में स्थापना, 1992 में उत्पादन शुरू यह पिंड लोहा, इस्पात उत्पाद, वायर की छड़े बार का उत्पादन करता है। 1999–2000 के दौरान उसकी स्थापित क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत बताया।

मिश्रधातु निगम लि.: हैदराबाद में स्थापित हुआ और यह सुपर एलॉय (मिश्रधातु), टिटानिक एलॉय, एयरोनाटिक्स, रक्षा एवं आणविक ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए विशेष उद्देश्यों के इस्पात का उत्पादन करता है। उसने 1999–2000 के दौरान 2009 मीट्रिक टन मिश्रधातु का उत्पादन किया और 74 प्रतिशत स्थापित क्षमता का उपयोग किया जबकि उसके पूर्व वर्ष के दौरान 73 प्रतिशत स्थापित क्षमता के उपयोग के साथ 1933 मिलियन टन का उत्पादन किया था।

राष्ट्रीय खनिज विकास, कार्पोरेशन लि.: 1958 में इसकी स्थापना की गयी जिसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में था। वह लौह अयस्क, हीरा तथा चूना पत्थर के निष्कर्षण में लगा है। 1999–2000 के दौरान उसका उत्पादन 13.801 मिलियन टन लौह अयस्क का था जबकि उसके पूर्व वर्ष के दौरान 11.646 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। इस तरह उसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हिन्दुस्तान जिंक लि.: इसका पंजीकृत कार्यालय उदयपुर (राजस्थान) में है और वह जिंक तथा लीड धातुओं का उत्पादन करता है। उपर्युक्त मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में 8 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। इनमें कुछ इकाइयों का पंजीकृत कार्यालय तथा निर्माण करने वाली इकाइयां आन्ध्र प्रदेश में है। नीचे प्रदत पूंजी स्थापना के वर्ष, बिक्री, शुद्ध मुनाफा उत्पादित माल तथा संगठनों के कर्मचारियों की वास्तविक संख्या की तालिका दी गयी हैः–

आंध्र प्रदेश में खनिज और धातुओं में मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (31.1.2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)

क्र. सं.	संगठन का नाम	• पंजीकृत कार्यालय • स्थापित • प्रदत्त पूंजी	•कारोबार •शुद्ध मुनाफा (मिलियन रुपया)	उत्पादित माल	कर्मचारियों की संख्या (मजदूरों समेत)
1.	मिश्रधातु निगम लि.	• हैदराबाद • 1981 • 1373.4	•1104.8 •21.4	सुपर एलॉय रक्षा, आणविक ऊर्जा के लिए विशेष उद्देश्य के इस्पात	1427
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम	•विशाखपतनम •1982 •78273.2 मिलियन रु.	•29726 •(–)5616.8	पिंड लोहा इस्पात उत्पाद वायर छड़े, बार	17,254
3.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	•उदयपुर यूनिटःविजग •4225.3मिलियन रु.	•15156रु. • 904.2रु. (सभी इकाइयां)	जिंक और लीड धातु	11,496 (सभी इकाइयां)
4.	राष्ट्रीय खनिज विकास कार्पोरेशन लि.	•हैदराबाद •1958 •1321,6 मिलियन रु.	•7904.9 •1600 रु.	लौह अयस्क हीरा चूना पत्थर	6774
5.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	•नयी दिल्ली यूनिट हैदराबाद •2447.6मिलियन रु.	•66340 •5994.4 (सभी इकाइयां)	थर्मल हाइड्रोसेट गैस टर्बाइन प्रोसेस संयंत्र कायोजेनिक्स	53.930 (सभी इकाइयां)

6.	भारत हेवी प्लेट्स और वेस्सेल्स लि.	•विशाखापटनम •293.0 मिलियन रु.	•125.52रु. •(–)202.1	कम्बस्टन प्रणाली	3933
7.	भारत डिनामिक्स लि.	•हैदराबाद •1970 •1150 मिलियन रु.	•3240.1 •807.7 रु.	मिसाइल प्रणाली छोटे हथियार	3261
8.	इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	•हैदराबाद •1967 •792.5 मिलियन रु.	•4331.6रु. •(–) 6.7	औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिनिक उपकरण आणविक ऊर्जा जरूरतें	6,572
9.	एचएमटी वीयरिंग्स लि.	•हैदराबाद (1970) •1981	•549.6 रु. •17.6रु.	बाल टेपर बीयरिंग	695
10.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. (31.3.1999 को हैदराबाद में यूनिट)	•बैंगलोर •1953 • 1305 मिलियन रु.	•8742.2 रु. •(–) 367.7 (सभी इकाइयां)	विशेष उद्देश्य की मशीनें, सीएनसी मशीनें, घड़ियां	19,387 (सभी इकाइयों में)
11.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	•बंगलौर •1940 (प्राईवेट) •1942 (सरकार ने अधिग्रहण कर लिया) •1205 मिलियन रु.	•24008.8 रु. •3682.6 रु. (सभी इकाइयां)	(एयरक्राफ्ट निर्माण हेलीकाप्टर, राडार तथा बंगलौर इलेक्ट्रिक उपकरण	34.448 (सभी इकाइयां)
12.	प्रागा टूल्स लि. (1943–प्राईवेट कम्पनी)	•हैदराबाद •1959–रक्षा अंडरटेकिंग सहायक कंपनी एचएमटी लि. की	•146.9 रु. •(–) 291.1	मशीन टूल्स फाउंड्री, फोर्ज आइटम सीएनसी मशीनें	1,319

परिवहन उपकरण और कंपोनेंट (पुरजा)

इकाइयों का आकार तथा उम्र का मुख्यतः निवेश, मजदूरों के रोजगार तथा स्थापना की तिथि से संबंधित उपलब्ध सूचना के मामले में आकलन किया जाता है।

परिवहन उपकरण और कंपोनेट (पुरजा)

1. निवेश (मिलियन रु. में)	0.5 मिलियन रु. से कम	0.5 मिलियन रु. से 1 मि. रु.	1 से 2 मिलियन रु.	2 मिलियन से अधिक	कुल (मिलियन)
बस बॉडी बिल्ड़िंग परिवहन उपकरण	1	8	3	1	13
अतिरिक्त पुरजे तथा कंपोनेंट	–	32	6	4	42
इकाइयों की कुल संख्या	1	40	9	5	55

2. रोजगार (मजदूरों की संख्या)	**10 मजदूरों से कम**	**10–20 मजदूर**	**20–30 मजदूर**	**ऊपर**	**कुल 30 मजदूर**
बस बॉडी बिल्डिंग परिवहन उपकरण अतिरिक्त पुरजे तथा कंपोनेंट	3 18	2 6	2 6	6 12	13 42
इकाइयों की कुल संख्या	21	8	8	18	55
3. स्थापित (इकाइयों की उम्र)	**5 वर्षों से कम**	**5–15 वर्ष**	**15–25 वर्ष**	**करीब 25 वर्ष**	**कुल**
बस बॉडी बिल्डिंग परिवहन उपकरण	–	9	2	2	13
अतिरिक्त पुरजे एवं कंपोनेंट	–	31	6	5	42
इकाइयों की कुल संख्या	–	40	8	7	55

स्त्रोत : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकानामिक्स में संकलित

इसमें शामिल इकाइयों में छोटी एवं मध्यम इकाइयां शामिल हैं जो ऑटो, कंपोनेट, स्पार्कप्लग, सिलिंडर लाइनरों, ब्रेक ड्रमों, ट्रैक्टर–ट्रेलर एवं बस बॉडी बिल्डिग के निर्माण में लगी है। सभी इकाइयां करीब 1000 मजदूरों को काम पर रखती है। 1986 से 1995 की अवधि के दौरान स्थापित इकाइयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई जिनमें करीब 40 इकाइयां स्थापित हुईं। करीब 80 प्रतिशत इकाइयों ने 0.5 से 1 मिलियन रुपये तक का निवेश किया है।

बुनियादी धातु

सर्वेक्षण में लौह एलॉय (मिश्रधातु) अल्युमिनियम तथा इस्पात उत्पादों का निर्माण करने वाली 322 इकाइयां शामिल है। उत्पाद रेंज है एमएस एंगल्स, राउंडस, फ्लैट्स, रेल के लिए स्विचेज तथा क्रासिंग ट्रैक्ट, एक्सेसरीज, लोह क्रोम तथा सिलिकोन, अल्युमिनियम चद्दर, सर्कल, डाइ आदि। 1986–95 की अवधि के दौरान 70 प्रतिशत इकाइयों जिनकी संख्या 227 है, की स्थापना की गयी। करीब 25 प्रतिशत इकाइयों का औसतन निवेश 3.5 मिलियन रु. है और वे 40 मजदूरों को काम पर रखती हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या 6500 है और वे ऑटोमोबाइल, चीनी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग एवं रक्षा उपकरण कंपनियों को आपूर्ति करती हैं। (नीचे तालिका दी गयी है)

बुनियादी धातु

निवेश (मिलियन रुपये में)	**0.5 मिलियन रु. से कम**	**0.5 रु. से 1 मिलियन**	**1 रु. से 2 मिलियन**	**2 मिलियन से अधिक**	**कुल**
	29	98	109	86	322
रोजगार (मजदूरों की संख्या)	10 मजदूरों से कम	10–20 मजदूर	20–30 मजदूर	30 से अधिक	कुल
	70	90	43	119	322
स्थापित (इकाइयों की उम्र)	5वर्षों से कम	5–15 वर्ष	15–25 वर्ष	25 वर्ष	कुल
	–	227	64	31	322

स्त्रोतः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकानामिक्स में संकलित

मशीनरी और कंपोनेंट

आंकड़ा सामान्य इंजीनियरिंग एवं मशीन निर्माण में 252 इकाइयों से संबंधित है। आईएम को आपूर्ति की जाती है तथा स्थानीय उद्योगों की उपकरणों की जरूरतों को पूरा करती है। करीब 80 प्रतिशत इकाइयां 1985–95 की अवधि के दौरान स्थापित की गयी हैं और उनका औसतन निवेश 0.5 से 1 मिलियन रु. है। कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 3175 है।

मशीनरी और कंपोनेंट

निवेश (मिलियन रूपये में)	0.5 मिलियन रु. से कम	0.5 से 1 मिलियन रु.	1 से 2 मिलियन रु.	2 मिलियन से अधिक	कुल
	37	125	61	29	252
रोजगार (मजदूरों की संख्या)	10 मजदूरों से कम	10–20 मजदूर	20–30 मजदूर	30 मजदूरों से अधिक	कुल
	122	81	24	25	252
स्थापित (इकाइयों की उम्र)	50 वर्षों से कम	5–15 वर्ष	15–25 वर्ष	25 वर्ष	कुल
	–	210	32	10	252

स्त्रोत : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकानामिक्स

उद्योगों का क्षेत्रीय फैलाव

आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक फैलाव मुख्य नगरों–हैदराबाद, विशाखापतनम तथा विजयवाड़ा के गिर्द संकेन्द्रित है। औद्योगिक कार्यकलापों के केन्द्र यहां है :

1. हैदराबाद नगर और रंगारेड्डी तथा मेडक के पड़ोसी जिले
2. विशाखापतनम
3. विजयवाड़ा–गुंटूर
4. कर्नूल और येरागुंटला
5. तिरूपति रेनीगूंटा
6. कोठागुडम – रमागुंडम क्षेत्र

राज्य ने चुने हुए स्थानों, जैसे पाटनचेरू, पशामीलारम, संतनगर, बलांगार, विशाखापटनम में नचरम औद्योगिक इस्टेट तथा विजयवाड़ा में उद्योग बढ़ाने एवं विकसित करने के लिए मुख्य औद्योगिक इस्टेटों की स्थापना की। सर्वेक्षण के लिए चुनी गयी इकाइयां औद्योगिक कार्यक्रलापों के सभी उपर्युक्त मुख्य समूहों में स्थित है।

अध्याय–2

धातु उद्योग में कानूनी न्यूनतम वेतन

कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 जिसमें आंध्र प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम शामिल हैं के दो मुख्य उद्देश्य है : (1) मजदूरों तथा परिवार को आजीविका एवं रखरखाव प्रदान करना और दूसरा (2) मजदूर के रूप में उसकी कार्यकुशलता को सुरक्षित रखना।

कानूनी न्यूनतम वेतन अधिसूचना करीब 55 श्रेणियों के लिए अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों को कवर करती है। यह उस श्रेणी में सभी कर्मचारियों के लिए लागू होती है तब राज्य में कुल रोजगार किसी भी समय में कृषि 1000 मजदूर तक होता है। उसने कर्मचारियों को सामान्य श्रेणी, एकाउंटस में काम करने वाले, टाइम आफिस, सुरक्षा, स्टोर आदि में वगीकृत किया और उच्च कुशलता प्राप्त अर्ध–कुशलता प्राप्त, एवं अकुशल के रूप में मजदूरों का मूल वेतन प्रति महीने निर्धारित किया जाता है।

न्यूनतम वेतन अधिसूचना परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता भी प्रदान करती है जो प्रत्येक कर्मचारियों की श्रेणी को दिया जाता है और जो प्रति महीने 500 रु. के न्यूनतम वेतन के साथ जीवन सूचकांक लागत (1982 आधार वर्ष = 100 सीरिज) से जुड़ा होता है। जीवन भत्ते की लागत जो प्रतिशत वृद्धि के रूप में दिया जाता है कम है 3 रु. और मूल वेतन में 50 रु. की प्रत्येक वृद्धि लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के रूप में 0.25 पैसे दिया जाता है। श्रमायुक्त द्वारा प्रत्येक 6 महीने में सीएलआई अधिसूचना जारी की जाती है और वह सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो मासिक या दैनिक आधार पर वेतन पाते हैं और यह समान रूप से पुरूष एवं महिला मजदूरों पर लागू होता है काम का स्वरूप एक समान होता हे।

महीने या दिन के आधार पर वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित होती हैं और इस अधिनियम में पीस–रेट मजदूर भी शामिल किये जाते हैं। इस बात का ध्यान किये बिना न्यूनतम वेतन दिया जाता है कि कितना मुनाफा हुआ है। प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति क्या है या निम्नस्तर दर मजदूरों की उपलब्धता है। वे अनुसूचित रोजगार श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित किये जाते हैं जो अनुसूची या किसी प्रक्रिया या ऐसे रोजगार का हिस्सा निर्मित करने वाले कार्य की शाखा में विशेष रूप से उपस्थित हैं।

धातु उद्योग के मामले में जो हमारे अध्ययन में शामिल है, रोजगार की तीन श्रेणियों के तहत निर्धारित न्यूनतम दरें निम्नलिखित हैं:–

(1) **आटोमाबाइल इंजीनियरिंग वर्कशाप** (जीओआरटी 9.03, तिथि 22.5.98)
(2) **मेटल फाउंड्रीज और जनरल इंजीनियरिंग** (जीओआरटी 1218 तिथि 4.7.98)
(3) **इस्पात मिल ओर इस्पात रीरॉलिंग मिल** (जीओआरटी 1229, तिथि 8.7.98)

1) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग वर्कशाप– 1992 वेतन की न्यूनतम मूल दरें 194 प्वाइंट (आधार वर्ष 1982=सीरिज) पर उपभोक्ता सूचकांक में जुड़ी हैं और 1998 में उसी मूल वर्ष 1982 सीरिज के साथ 342 प्वाइंट के साथ उसमें संशोधन किया गया।

श्रेणी का नाम	पूर्व का मूल वेतन	वगीकृत मूल वेतन
आफिस और सामान्य		
– सुपरिटेंडिंग/हेड क्लर्क	1150.00	2024.00
– एकाउटेंट	1080.00	1901.00
– टेलीफोन आपरेटर/स्टेनो/कैशियर	1015.00	1786.00

– टाइपिस्ट, कंप्यूटर आपरेटर	945.00	1663.00
– क्लर्क, स्टोरकीपर/टाइमकीपर	810.00	1426.00
–आफिस ब्वाय/वाचमैन/स्वीपर	675.00	1188.00
उच्च कुशल		
– इंजीनियर/सुपरवाईजर	1960.00	3450.00
– फोरमैन/चार्जमैन	1620.00	2851.00
कुशल		
– नक्शानवीस/इंजिन मैकेनिक/मशीनिस्ट पेंटर/ब्लैकस्मिथ/ऑटो इलेक्ट्रिशियन टिंकर	1350.00	2376.00
– अस्सिटेंट फोरमैन/माउल्डर/हेड ट्रीटमेंट आपरेटर, ग्रिंडर, वेल्डर	1080.00	1901.00
– कोच बिल्डर (लकड़ी) धातु/पैनल वीटर/ अस्सिटेंट मेकैनिक/दर्जी/फिटर ड्रिलर/टर्नर	1080.00	1901.00
– वल्केनाइजर/कारपेंटर/अपहोलस्टर/बेंच फिटर/ विंडर/मशीन विंडर/फिटर/हेल्पर/लाइनर	1080.00	1901.00
ब्वायलरमैन/टायर मैकेनिक	1080.00	1901.00
अर्ध–कुशल		
– असिस्टेंट इंजिन मैकेनिक	810.00	1426.00
– असिस्टेंट पेंटर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट ऑटोइलेक्ट्रिशियन	810.00	1426.00
– असिस्टेंट ब्लैकस्मिथ	810.00	1426.00
– असिस्टेंट मशीनिस्ट	810.00	1426.00
– असिस्टेंट टिंकर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट टर्नर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट ड्रिलर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट ग्राइंडर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट फिटर/वल्केनाइजर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट कारपेंटर	810.00	1426.00
– असिस्टेंट वेल्डर/अपहोल्स्टर	810.00	1426.00
– लुबरिकैटर	810.00	1426.00
– टायर सोर्टर/ टायरमैन	810.00	1426.00
– प्रेस आरपेटर	810.00	1426.00

अकुशल		
–क्लीनर/ग्रीजर	675.00	1188.00
हैमरमैन/टूलकीपर	675.00	1188.00
हैल्पर/पैट्रोल पम्प ब्वाय	675.00	1188.00
मजदूर	675.00	1188.00

न्यूनतम आधार प्वाइंट से ऊपर मूल्य सूचकांक की लागत में वृद्धि जीवन भत्ते की लागत के रूप में दिया जाता है जिसे सक्षम मंहगाई भत्ता भी कहा जाता है।

जीवन भत्ते की लागत : वेतन की न्यूनतम मूल दरें 342 प्वाइंट पर (आधार वर्ष 1982 = 100 सीरिज) औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है। इस स्तर से ऊपर मूल्य सूचकांक की लागत में किसी भी वृद्धि के लिए जीवन भत्ते की लागत का विशेष उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाए। जीवन भत्ते की मूल वेतन लागत 500 रु. (आधार के रूप में) के लिए प्रति प्वाइंट वृद्धि 3.00 रु. और मूल वेतन में प्रति 50 रु. की वृद्धि पर 0.25 पैसा वीडीए के रूप में दिया जाएगा पर वह 2000 रु. और उससे अधिक के मूल वेतन के लिए 10.50 रु. तक सीमित रहेगा जो औद्योगिक वीडीए (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता) में परिवर्तनों के साथ बदलता है।

2) मेटल फाउंड्री और सामान्य इंजीनियरिंग : जी.ओ.एम.एफ. सं.38 डब्ल्यू.डी.सी.डब्ल्यू. एंड एल, तिथि 12.3.93 के अनुरूप इस श्रेणी को मजदूर 1993 से न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कवर किये गये और फिर जीओ, आरटी नं. 1218 एसईटीएफ तिथि 4.7.1998 के अनुरूप 1998 में उसमें संशोधन किया गया। 1993 में 242 प्वाइंट पर (आधार वर्ष 1982=100 सीरिज) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से वेतन की न्यूनतम मूल्य दरें जुड़ी हैं और फिर बाद में 1998 में 243 प्वाइंट पर उसमें संशोधित किया गया और ऐसा उसी आधार वर्ष, 1982 की सीरिज के साथ किया गया। न्यूनतम आधार प्वाइंट से ऊपर मूल्य सूचकांक की लागत में 0.3 भी वृद्धि जीवन भत्ते की लागत के रूप में दी जाती है जिसे सक्षम मंहगाई भत्ता भी कहा जाता है।

श्रेणी का नाम	**मूल वेतन**
उच्च कुशल	
– फोरमैन/चार्जमैन	2475.00
कुशल	
श्रेणी –ए	
– मैकेनिक/पैटर्न मेकर	1819.00
– क्रेनशिप ड्राइवर/प्लम्बर	1819.00
श्रेणी–बी	
– टर्नर मशीनिस्ट/माउल्डर/वेल्डर	1650.00
– ब्लैकस्मिथ/इलेक्ट्रिशियन/मिलर स्वैप्पर	1650.00
– कारपेंटर/फिटर	1650.00
श्रेणी–सी	
– कोरमेकर/ड्रिलर/विंडर/पेंटर	1551.00
– टिनर/असेम्बलर/निकेल प्लैटर	1551.00

–चिप्पर/पुश और प्रेस आपरेटर	1551.00
अर्ध–कुशल	
–हैमरमैन/ग्रिंडर/ऑयलमैन	1276.00
– वायरमैन/हैल्पर	1276.00
–सभी कुशल श्रेणियों के लिए सहायक	1276.00
अकुशल	
चपरासी/अटेंडर/वाचमैन/चौकीदार	1079.00
आफिस ब्वाय/क्लीनर/गार्डनर/माली	1079.00
आफिस स्टाफ	
मैनेजर	2319.00
क्लर्क/टाइपिस्ट/कैशियर/टाइमकीपर	1417.00
स्टोरकीपर/एकाउंटेंट/स्टेनो	1551.00
कंप्यूटर आपरेटर	1551.00

न्यूनतम आधार प्वाइंट से अधिक मूल्य सूचकांक की लागत में कोई भी वृद्धि जीवन भत्ते की लागत के रूप में देती है जिसे परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता भी कहा जाता है।

जीवन भत्ते की लागत : वेतन की न्यूनतम मूल दरें 342 प्वाइंट पर (आधार वर्ष = 100 सीरिज) औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है। इस स्तर से ऊपर मूल्य सूचकांक लागत में किसी भी वृद्धि के लिए जीवन भत्ते की लागत निम्न होगीः

मूल वेतन	प्रति प्वाइंट वृद्धि जीवन भत्ते की लागत देती है (रुपये में)
500 रु. के लिए (आधार के रूप में)	3.00 रु.

मूल वेतन में प्रत्येक 50 रु. की वृद्धि के लिए वीडीए के रूप में 0.25 पैसा दिया जाएगा, पर वह 2000 रु. एवं ऊपर के मूल वेतन के लिए 10.50 रु. तक सीमित रहेगा जो औद्योगिक वीडीए में परिवर्तनों के अनुरूप बदलता है।

3. इस्पात मिलें और इस्पात रीरॉलिंग मिलें : इसे जी.ओ एमएस नं. 69 डब्ल्यू.डी.सी.डब्ल्यू.एल. तिथि 15.5.1993 के अनुरूप 1993 से ही न्यूनतम वेतन अधिनियम 1945 को तहत कवर किया गया है और फिर 1998 में जी.ओ.आर.टी. नं. 1229, एलईटीएफ तिथि 8.7.98 के अनुरूप इसमें संशोधन किया गया। 1993 में 229 प्वाइंट पर (आधार वर्ष 1982 = 100 सीरिज) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वेतन की न्यूनतम दरें जुड़ी हैं और बाद में उसी आधार वर्ष 1982 सीरिज के साथ 342 प्वाइंट पर संशोधन किया गया।

श्रेणी का नाम	मूल वेतन
आफिस और सामान्य	
मैनेजर	2815.00
– एकाउंटस आफिसर	2512.00
– सुपरवाइजर (गैर–तकनीक)	2012.00

– चीफ एकाउंटेंट	1714.00
– एकाउटेंट/कैशियर/स्टेनो	1512.00
– टाइपिस्ट/स्टोर असिस्टेंट	1512.00
– स्टोरकीपर/स्टोर इन्चार्ज	1408.00
– क्लर्क/जूनियर असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट डिसपैच क्लर्क/एकाउंटस असिस्टेंट/कंप्यूटर आपरेटर	1408.00
– टेलीफोन आपरेटर/आफिस असिस्टेंट	1408.00
– टाइमकीपर	1408.00
– वाचमैन/सुरक्षा गार्ड	1311.00
– सुपरिटेंडिंग/हेड क्लर्क	1006.00
– चपरासी/अटेंडर/आफिस ब्वाय/माली स्वीपर/सफाई कर्मचारी वाटर ब्वाय	1005.00
उच्च कुशल (ग्रुप–ए)	
– चीफ इंजीनियर	2815.00
– इंजीनियरिंग–मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल	2719.00
– फाउड्री इंजीनियर	2719.00
– केमिस्ट	2615.00
– सीनियर फोरमैन	2317.00
उच्च कुशल (ग्रुप–बी)	
– माउल्ड आपरेटर/मेल्टर/लेड्डल आपरेटर/ बिल्लेट गैस कटर	2116.00
– फोरमैन, टीमरमैन/बारीमैन	2116.00
– रिफ्रैक्टरी मैसन/फिटर (कन्सेस्ट)	2116.00
– बिल्लैट इंस्पेक्टर	2116.00
– माइक्रो–सह–सल्फर प्रीसिट इंस्पेक्टर	2116.00
– सेक्शन इन्चार्ज	2116.00
– सुपरवाइजर (टेक्निकल)	2116.00
– असिस्टेंट इंजीनियर/फर्नेस फर्स्टहैंड	2116.00
– सेम्पलर/स्क्रैप तौल ब्रिज आपरेटर/ट्रिलर आपरेटर	1512.00
– पलम्बर/पम्प असिस्टेंट	1512.00
– स्क्रीन मशीन आपरेटर	1512.00
– टांग/टोन्समैन	1512.00

कुशल	
– गैस कटर/वेल्डर/इलेक्ट्रिशियन	1512.00
– विंडर/फिटर	1512.00
– टर्नर /लौथ वर्कर	1512.00
– ब्लैकस्मिथ/कैनोहमैन	1512.00
– यूटेन्सिल प्रेस मशीन आपरेटर	1512.00
– सीथमैन/फायरमैन	1512.00
– मैकेनिक (योग्य)	1512.00
– प्रेस आपरेटर/मशीनिस्ट	1512.00
– क्रैन आपरेटर/फिटर मैकेनिक	1512.00
– बिल्लेट गैस कटर/ वेल्डर	1512.00
– मैसन/फर्नेस सेंकडहैंड	1512.00
– माउल्डर/ट्रेसर/सिविल मिस्त्री	1512.00
– इंस्ट्रूमेंटलिस्ट/टेक्निशियन	1512.00
– लैड्डल साल्टर/स्टापर/रोडमेकर	1512.00
– एमपीएच अटेंडेंट/कंपाउंडर	1512.00
– स्किड आपरेटर	1512.00
– मैटीरियल हैण्डलर कारपेंटर	1512.00
अर्ध – कुशल (ग्रुप–ए)	
– स्पिनर/हैमरमैन/शारपरमैन/पम्प आपरेटर	1207.00
– मैकेनिक (अकुशल)	1207.00
– वायरमैन/इलेक्ट्रिकल हेल्पर/वेल्डर	1207.00
– कुंडीमैन	1207.00
– फर्नेस III हैंड/प्रेसमैन	1207.00
– कंसेस्ट हेल्पर/पल्टीमैन	1207.00
– टोटमैन/सीलिंगमैन	1207.00
– पुशरमैन	1207.00
अर्ध–कुशल (ग्रुप–बी)	
– कटिंगमैन/असिस्टेंट गैस कटर हेल्पर	1207.00
– यूटेन्सिल पोलिशर/पैकर	1207.00

– वुलिंग मजदूर	1207.00
– असिस्टेंट मैकेनिक/मशीनिस्ट/स्ट्रिकर/टर्नर	1207.00
– लेबोरैटरी असिस्टेंट	1207.00
– असिस्टेंट–लैथ, टोन्समैन	1207.00
– हैंडवर्कर/गार्डरमैन	1207.00
– ट्विस्टिंग आपरेटर	1207.00
– मुख्य सुरक्षा गार्ड	1207.00
– चार्जमैन/क्रेनहेल्पर	1207.00
– लैड्डल हैल्पर/ग्राइन्डर	1207.00
अकुशल (ग्रुप–ए)	
– लोडर/अनलोडर/हमाली मट्टा जट्टू कुली/ कोयला कैरियर	1125.00
अकुशल (ग्रुप–बी)	
– हेल्पर	1006.00
– मजदूर/केजुअल मजदूर तथा अन्य कुशल मजदूर	1006.00
– लैबोरेटरी ब्वाय	1006.00
– चटल मजदूर	1006.00

न्यूनतम आधार प्वाइंट से अधिक मूल्य सूचकांक लागत में कोई भी वृद्धि जीवन भत्ता लागत के रूप में ही जाएगी जिसे परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता भी कहा जाता है।

जीवन भत्ता लागत : 342 प्वाइंट पर (आधार वर्ष = 100 सीरिज) औद्योगिक मजदूरों के लिए वेतन की न्यूनतम मूल दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है। इस स्तर से ऊपर मूल्य सूचकांक में किसी भी वृद्धि के लिए जीवन भत्ता लागत निम्नलिखित होगी :

मूल वेतन	प्रति प्वाइंट वृद्धि के लिए दी जानेवाली जीवन भत्ता लागत (रु. में)
500 रु. (आधार के रूप में)	3.00 रु.

मूल वेतन में प्रत्येक 50 रु. की वृद्धि के लिए परिर्वतनीय मंहगाई भत्ते (वीडीए) के रूप में 25 पैसे दिये जायेंगे पर 2000 रु. के मूल वेतन एवं अधिक के लिए 10.50 रु. तक सीमित रहेगा जो औद्योगिक वीडीए में परिवर्तन के अनुरूप बदलता है।

वेतन का भुगतान

मझोले से तथा बड़े उद्योग – समझौते के अनुसार भुगतान किया गया (पांच वर्ष की अवधि के लिए समय–समय पर किया)

छोटे उद्योग

: उच्च कुशल मजदूर – न्यूनतम वेतन दिया गया या अनुबंध के अनुरूप या उनकी स्वीकृत मान्यता के अनुरूप उच्चतर वेतन भी दिया गया।

: अन्य श्रेणी के मजदूर – छह महीने या एक वर्ष के लिए काम की एवं संतोषजनक अवधि के बाद ही न्यूनतम वेतन दिया गया।

: नयी भर्त्ती — प्रशिक्षु के रूप में व्यवहार किया गया, हालांकि न्यूनतम वेतन शासित करने वाले कानूनों में खासतौर से इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है।

अक्तूबर 2000 तक निर्धारित न्यूनतम वेतन पर अर्जित कुल वेतन

		इस्पात रोलिंग	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग	सामान्य इंजीनियरिंग और धातु फाउंडेशन
		रु. में	रु. में	रु. में
उच्चतर	न्यूनतम वेतन	2815.00	3450.00	2475.00
कुशल	वीडीए	1268.50	1526.50	1118.00
	कुल	4383.50	4976.50	3593.00
अर्ध कुशल	न्यूनतम वेतन	1207.00	4426.00	1276.00
	वीडीए	580.50	666.50	602.00
	कुल	1787.50	2092.50	1878.00
अकुशल	न्यूनतम वेतन	1006.00	1188.00	1079.00
	वीडीए	494.50	559.00	516.00
	कुल	1500.50	1747.00	1595.00

राज्य में औद्योगिक मजदूरों के लिए जीवन सूचकांक लागत की अधिसूचना श्रम ब्यूरो, भारत सरकार/श्रमायुक्त द्वारा जारी की जाती है और डाइरेक्टरेट ऑफ इकानामिक्स एंड स्टेटिटिक्स, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद द्वारा उसकी सूचना दी जाती है।

ठेका मजदूर (सीएल)

आईएमएफ दक्षिण एशियाई कार्यालय द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार (1997 में) कुल रोजगारशुदा ठेका मजदूरों में करीब 80 प्रतिशत वही काम करते हैं जो स्थायी मजदूर करते हैं और बाकी 20 प्रतिशत कंपनियों को चलाने की आकस्मिक जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नियुक्त किये जाते हैं। निम्नलिखित तालिका सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों की स्थिति को उद्घाटित करती है।

हैदराबाद में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में ठेका मजदूरों की तीव्रता और स्थायी मजदूरों के साथ (31 मार्च 1997 को) तुलनात्मक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का नाम	स्थायी मजदूरों की संख्या	ठेका मजदूरों की संख्या	प्रति मजदूर मिनी वेतन रु. प्र.मा.	ठेका मजदूरों के लिए मिनी वेतन रु. प्र.मा.	अंतर प्रतिमाह रु. में
बीएचईएल	6000	2000+ 800 (★)	4042	1200	2842
एचएएल	2658	220	3730	1980	1750
एचसीएल	2000	200	3730	1410	2320
ईसीआईएल	3700	400	330	1350	2380
बीडीएल	2100	425	3730	1100	2630

स्रोत : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक्स द्वारा संकलित

★ सोसायटी ठेका मजदूर (आंकड़े से निर्माण कार्य में नियुक्त ठेका मजदूरों को अलग रखा गया है)।

जांच से पता चलता है कि आजतक वहीं स्थिति विद्यमान है और यह प्रवृति अनेक मझोली तथा बड़ी निजी इकाइयों तक फैल गयी है। श्रमायुक्त को उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान ठेका श्रम अधिनियम 1970 के तहत ठेका मजदूरों की भागीदारी निम्नलिखित रही है:

	1997	1998	1999	2000
प्रधान कर्मचारियों की संख्या	1446	1919	2034	2486
लाइसेंसशुदा ठेका	3780	5423	5308	6376
ठेका मजदूरों की कुल संख्या	85817	112941	101021	104733

1991 में उदारीकरण के बाद बाजार में तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा के चलते अनेक औद्योगिक इकाइयों के कुछ कामों को बाहर से कराने लगी हैं जो पहले भीतर से कराया जाता था क्योंकि कुछ खास कामों के लिए ठेका श्रम का इस्तेमाल संभव मालूम पड़ता है और वेतन बिल की लागत में लाभ होता है। कैंटीन की सुविधा प्रदान करने तथा आंशिक के रूप से वार्षिक बोनस देने के अलावा परिवहन, कर्ज, अग्रिम राशि, यूनिफार्म, एलटीसी आदि देने के सिलसिले में नियमित मजदूरों की तुलना में ठेका मजदूरों की साथ घोर भेदभाव किया जाता है।

अध्याय–तीन

काम की दशाएं

❖ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समस्याएं

संगठित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा प्रमुख निजी औद्योगिक इकाइयों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कदमों के मामले में पर्याप्त परिस्थितियां मौजूद हैं। छोटी औद्योगिक इकाइयों के मामले में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यह संकटपूर्ण हो सकता है जहां जोखिम भरी परिस्थितियों में काम किया जाता हैं।

❖ प्रोत्साहन

खासकर लघु उद्योग क्षेत्र में प्रोत्साहन पर या पीस–रेट आधार पर कोई काम नहीं होता है और वेतन निर्धारण के लिए कोई नीतियां नहीं है। कुछ मझोली तथा बड़ी इकाइयों में जहां संगठित यूनियनें काम करती हैं, सामान्यतः हर तीन वर्षों में वेतन संशोधन होता है और बातचीत के बाद समझौता होता है। सामान्यतः वेतन समझौते में मूल वेतन एवं सीएल आधारित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के अलावा यूनिफार्म, कैंटीन, लाभ आदि शामिल होते है।

❖ कार्य के घंटे

फैक्टरीज अधिनियम के तहत कार्य के घंटे तथा अवकाश निर्धारित किये जाते है। सभी पंजीकृत इकाइयां उसी का अनुसरण करती हैं। अवकाश के दिन काम करने पर वेतन समझौते के अनुरूप अतिरिक्त भुगतान किया जाता है जो सामान्यतः फैक्टरीज अधिनियम के मानदंडों के अनुरूप होता है या अधिक लाभकारी होता है। इसी तरह पारस्परिक समझौते के मामले में अवकाश के दिन काम करने वाले खास श्रेणी के मजदूरों को क्षतिपूरक अवकाश दिया जाता है।

छुट्टी सविधाएं तथा सवेतन अवकाश : फैक्टरीज अधिनियम के तहत कानुनी विनियमों के अनुरूप ये सुविधाएं दी जाती हैं। राज्य सरकार मुख्य यूनियन प्रतिनिधियों, एसोसिएशनों तथा मासिक संगठनों जैसे एफ.ए.पी.सी.सी.आई के साथ बातचीत के बाद फैक्टरीज अधिनियम के तहत हर वर्ष अवकाशों की सूची की घोषणा करती है। आंध्र प्रदेश फैक्टरीज एंड प्रतिष्ठान अधिनियम 1974 के तहत राष्ट्रीय अवकाशों के तहत चार अवकाश तथा चार त्यौहार अवकाश सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये जाते है।

❖ पीएफ, ईएसआई तथा अन्य लाभ

जबकि मझोले तथा बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों मजदूर अनुसूचित रोजगार अधिसूचना के पीएफ, ईएसआई एवं ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अनुरूप न्यूनतम वेतन के भुगतान के अंतर्गत कवर किये जाते है। पर वहीं कानुनी लाभ लघु उद्योग क्षेत्र के अधिकांश मजदूरों को नहीं मिलते है। नये आर्थिक कदमों के सफल कार्यान्वयन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि लघु उद्योग क्षेत्र के मजदूरों को जो मुख्यतौर से असंगठित है, मंझोली एवं बड़ी इकाइयों के मुख्यधारा के श्रमबल के साथ समन्वित किया जाये। सामाजिक सुरक्षा लाभों के श्रमिक कार्यान्वयन और देखरेख के संगठित क्षेत्र के वैसे ही काम के लिए उनके वेतन स्तरों में सुधार होगा। लघु उद्योग क्षेत्र में भी कैंटीन की सुविधाएं, परिवहन, यूनिफार्म, वार्षिक बोनस, प्रोत्साहन, आवास, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, कर्ज/अग्रिम राशि आदि लाभ अधिकांश लघु उद्योगों की इकाइयों में उपलब्ध नहीं हैं।

❖ धातुकर्म उद्योग में महिला मजदूर

आंध्र प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए महिला मजदूर मुख्यतौर से कृषि कार्यों, तंबाकू एवं कपास उत्पादन/प्रोसेसिंग इकाइयों तक ही सीमित हैं। गारमेंट तथा फर्मास्युटिकल उद्योग में भी उनकी उपस्थिति है। हल्की इंजीनियरिंग इकाइयों में सुपरवाइजरी कैडरों में छोटी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा धातुकर्म इकाइयों – बड़े, मझोले एवं छोटे क्षेत्रों में महिला मजदूरों की संख्या तथा आकार कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पर इलेक्ट्रानिक उद्योग क्षेत्र की बड़ी मझोली तथा छोटी इकाइयों में महिला मजदूरों की संख्या अधिक हैं। खासकर आईटी उद्योग के कार्य में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

❖ सामूहिक सौदेबाजी

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अनेक मसलों, जैसे आवास तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था, मकान निर्माण के लिए दीर्घकालिक अग्रिम राशि देने आदि के मामले में बड़ी निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए मुख्य मार्गदर्शक है। प्रत्येक समझौते में (5 वर्षो के अवधि के बाद) वेतन वृद्धि होती है जो 15 से 20 प्रतिशत होती है और कुछ उद्योगों में तो 35 से 40 प्रतिशत भी होती है जो खास इकाइयों की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इन वृद्धियों के लिए सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि मजदूर वर्ग का वास्तविक वेतन पिछले कुछ वर्षो में बढ़ी हुई जीवन लागत से काफी कम है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1999–2000 में वास्तविक वेतन वृद्धि 2.3 प्रतिशत है जबकि उसी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

❖ ट्रेड यूनियनें

देश के बाकी भाग की ही तरह आंध्र प्रदेश में भी ट्रेड यूनियनें अनुकूल श्रम पंजीकरण के कारण अपेक्षाकृत काम करने में स्वतंत्र हैं। पर आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण के प्रयासों के चलते जो अभी चल रहा है, ट्रेड यूनियनों को कामकाज से संबधित स्थिति में तभी से परिवर्तन हो रहा है। ट्रेड यूनियनों की सदस्यता में तेजी से गिरावट आयी है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के अभ्युदय के साथ ही उद्यम स्तर पर स्वतंत्र यूनियनें बढ़ रही हैं इसकी वजह से आनेवाले वर्षो में अधिक खंडित ट्रेड यूनियनें सामने आयेंगी। यूनियन की सदस्यता सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा सुस्थापित निजी क्षेत्रों में संकेन्द्रित है जहां से उनकी सदस्यता का बड़ा हिस्सा आता है। उपठेका तथा केजुअल श्रम में वृद्धि से ट्रेड यूनियनों पर भारी दबाव पड़ा है। अभी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के भय से यूनियनों को बड़ी संख्या में मजदूरों तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही है।

❖ भूमंडलीकरण का प्रभाव

रोजगार में अस्थिरता, मशीन–औजार के निर्माण में भारी मात्रा में स्वचालन तथा कार्य संगठन की विकास भागीदारी एवं कुशलताओं में निवेश लगाने में लगातार विफलता से पुर्जो के उत्पादन तथा असेम्बली (संयोजन) से मशीनों की सर्विसिंग (मरम्मत) पर अधिक जोर दिया जाता है। बम्बई से टेक्सटाइल जैसे वस्तुओं के परंपरागत उत्पादन के औद्योगिक कार्यकलाप देश के सुदूर हिस्सों में जा रहे हैं जहां वेतन लागत कम आती है।

पूंजी सघन मशीन–औजार की डिजाइनिंग तथा निर्माण अब बदल रहा है और उसकी जगह प्रयोग–योग्य कटिंग औजार, मापन उपकरणों, कटिंग आयल तथा केमिकल सोल्वेंट जैसी चीजों का वितरण हो रहा है। सुस्थापित एवं विख्यात फर्में अपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नामों पर व्यापार और स्थापित वितरण नेटवर्क पर व्यापार कर रही हैं। प्रमुख कंपनियों अपने खर्च के अनुकूल तथा संबंधित मदों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठबंधन कायम कर रही हैं।

अध्याय–चार

श्रम विनियमनों का प्रशासन

विभिन्न श्रम कानूनों जिनकी संख्या 24 है, को कार्यान्वयन की जिम्मेवारी श्रम, प्रशिक्षण एवं फैक्टरीज विभाग पर है। राज्य सचिवालय में एक प्रभारी मंत्री के साथ प्रधान सचिव उस विभाग का प्रधान होता है। परिचालन स्तर पर (1) आयुक्त जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में उपायुक्त सहायता करते हैं, (2) रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक (3) फैक्टरीज निदेशक (4) श्रम कंट्रैक्ट तथा औद्योगिक ट्रिव्यूनल होते है। विभिन्न विनियमनों के अनुपालन एवं कार्यानवयन की मात्रा का पता लगाने के लिए आईआईई विभिन्न विभागों के मामलों तथा अनुपालन के विवरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। इस आंकड़े में समस्त उद्योग शामिल है जिनमें धातु एवं धातुकर्म प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं और यह श्रम कानूनों की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है।

1. **औद्योगिक संबंध** : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 वेतन तथा सेवाओं की दशा, वेतन समझौते से संबंधित हड़ताल तथा तालाबंदी विवाद आदि से संबंधित औद्योगिक संबंधों के विभिन्न मामलों पर विचार करता है। 1997, 1998 और 1999 के दौरान उठाये गये विवाद, हुए समझौतों तथा हड़ताल एवं तालाबंदियों के चलते हुए श्रमदिवसों के नुकसान निम्नलिखित हैः

	1997	1998	1999
(क) उठाये गये विवाद	3217	2206	1905
(ख) समझौते/अवार्ड	741	1934	1171
(ग) हड़तालें और तालाबंदी	68	45	37
(घ) उनमें शामिल मजदूर	31947	14124	18946
(च) श्रम दिवसों का नुकसान	2065622	1809843	1152815

2. **बोनस भुगतान अधिनियम 1965** : इस अधिनियम के अनुरूप बोनस का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार सभी प्रतिष्ठानों को शामिल करता है और श्रम इंसपेक्टर समय–समय पर निरीक्षण के जरिये उसके कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।

	1997	1998	1999
शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या दिये गये	11986	31602	19001
बोनस की रकम (मिलियन रु. में)	13.2	47.3	40.3

3. **ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926** : हर वर्ष सामने आनेवाली यूनियनों को पंजीकृत करता है और नियम के मुताबिक पंजीकृत यूनियनों का चुनाव कराता है :

	1997	1998	1999
पंजीकृत यूनियनों की संख्या	11967	6488	12484

4. **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948** : यह रोजगार की श्रेणियों की अनुसूचियों पर विचार करता है मजदूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ समुचित सलाह–मशविरा एवं बातचीत करने के बाद प्रतिमाह या दिन न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है।

	1997	1998	1999
(क) अनुसूची	58	54	58
(ख) दायर किये गये दावे	10252	7126	18461
(ग) लाभान्वित मजदूर	16046	13252	25119
(घ) दी गयी रकम (मिलियन रु. में)	37.4	31.4	52.2

5. **मजदूर क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923** : यह ड्यूटी पर घायल मजदूरों को दिये गये मुआवजे पर विचार करता है।

	1997	1998	1999
(क) दायर मामले	5741	5036	3955
(ख) मामलों का निपटारा	3795	3252	2219
(ग) दी गयी रकम (मिलियन रु. में)	102.8	56.0	77.6

6. **ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972** : यह सभी मजदूरों को जिन्होंने 5 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी की हो या पारस्परिक स्वीकार्य आधार पर ग्रेच्युइटी के भुगतान की व्यवस्था करता है।

	1997	1998	1999
(क) प्राप्त मामले	881	678	543
(ख) मामलों का निपटारा	576	496	882
(ग) दी गयी रकम (मिलियन रु. में)	2.638	3.820	4.518

7. **वेतन भुगतान अधिनियम 1976** : यह मजदूरों को मासिक, साप्ताहिक जो भी मामला हो, वेतन के नियमित भुगतान पर विचार करता है। निर्धारित अवधि में वेतन का भुगतान नहीं करने पर मालिकों या प्रबंधकों के खिलाफ मामले दायर करता है।

	1997	1998	1999
(क) मामलों का निपटारा	444	190	122
(ख) लाभान्वित मजदूर	1897	275	85
(ग) दी गयी रकम (मिलियन रु. में)	13.662	3.924	0.726

उपर्युक्त के अलावा, श्रम विभाग सक्रिय रूप से **आंध्र प्रदेश दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1988, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम 1961, कल्याण कोष अधिनियम 1987, बाल श्रम (पुनर्वास एवं नियमन) अधिनियम 1986, ठेका श्रम अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, आंध्र प्रदेश फैक्टरीज और प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय त्यौहार एवं अन्य अवकाश) अधिनियम 1974 आदि के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।**

श्रम विभाग ने इन कानूनों के तहत विवादों का निपटारा करने के लिए **11 श्रम अदालतें** कायम कर रखी हैं। 31.12.2000 तक पंजीकृत कुल फैक्टरियों की संख्या 34376 थी जिसमें 865890 मजदूर काम करते थे। श्रम कल्याण बोर्ड ने 31.12.2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मजदूरों के बच्चों को 4999 छात्रवृत्तियां वितरित की और यह कुल रकम 2730500 रु. थी। 31.12.2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कानूनी लाभों के अतिरिक्त 7514169 की अनुग्रह राशि प्रदान की।

श्रम विभाग ने केमिकल्स जैसी विशेष उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कारखानें में 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। 372 फैक्टरियों में मुफ्त मेडिकल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये वहां 29463 मजदूरों की मेडिकल जांच की गयी।

31.12.2000 तक रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में दर्ज रोजगार की स्थिति से यह पता चला कि 3147285 उम्मीदवार रोजगार चाहते थे। 31.12.2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ताजा पंजीकरण था 259652 और 8613 रिक्तियों में 3599 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

मुख्य निष्कर्ष :

आंध्र प्रदेश में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

(मिलियन में रुपया, दूसरे संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ग्रुप ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बुनियादी धातु और मिश्र धातु उद्योग	297	4	71424	26315	107	26429	7993	34422	9897	44319	27629	33002
2. मशीनरी तथा उपकरण को छोड़कर धातु उत्पादों एवं पुरजों का निर्माण	704	9	5080	11038	883	11921	1173	13094	5035	18129	613	707
3. परिवहन उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी तथा उपकरण का निर्माण	736	5	22054	29897	2060	31957	1496	33423	19436	52889	4229	5308
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	130	3	4929	11965	76	12041	2223	14264	3632	17896	808	917
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	73	3	1799	3691	1197	4888	300	5188	1248	6436	376	440
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	295	13	652	27877	341	28221	75	28296	5375	33671	2013	2183
7. मरम्मत सेवा	121	6	214	3239	54	3293	151	3444	1065	4509	154	170
कुल	**2356**	**6**	**106152**	**114022**	**4718**	**118750**	**13411**	**132131**	**45688**	**177849**	**35821**	**42728**
अखिल भारतीय आंकड़ा	39659	100	1683618	1793383	86836	1880354	232310	2112664	814453	2927117	196089	2382511
अखिल भारतीय आंकड़े के अनुपात में राज्य का कुल प्रतिशत	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	18	2

मुख्य निष्कर्ष :

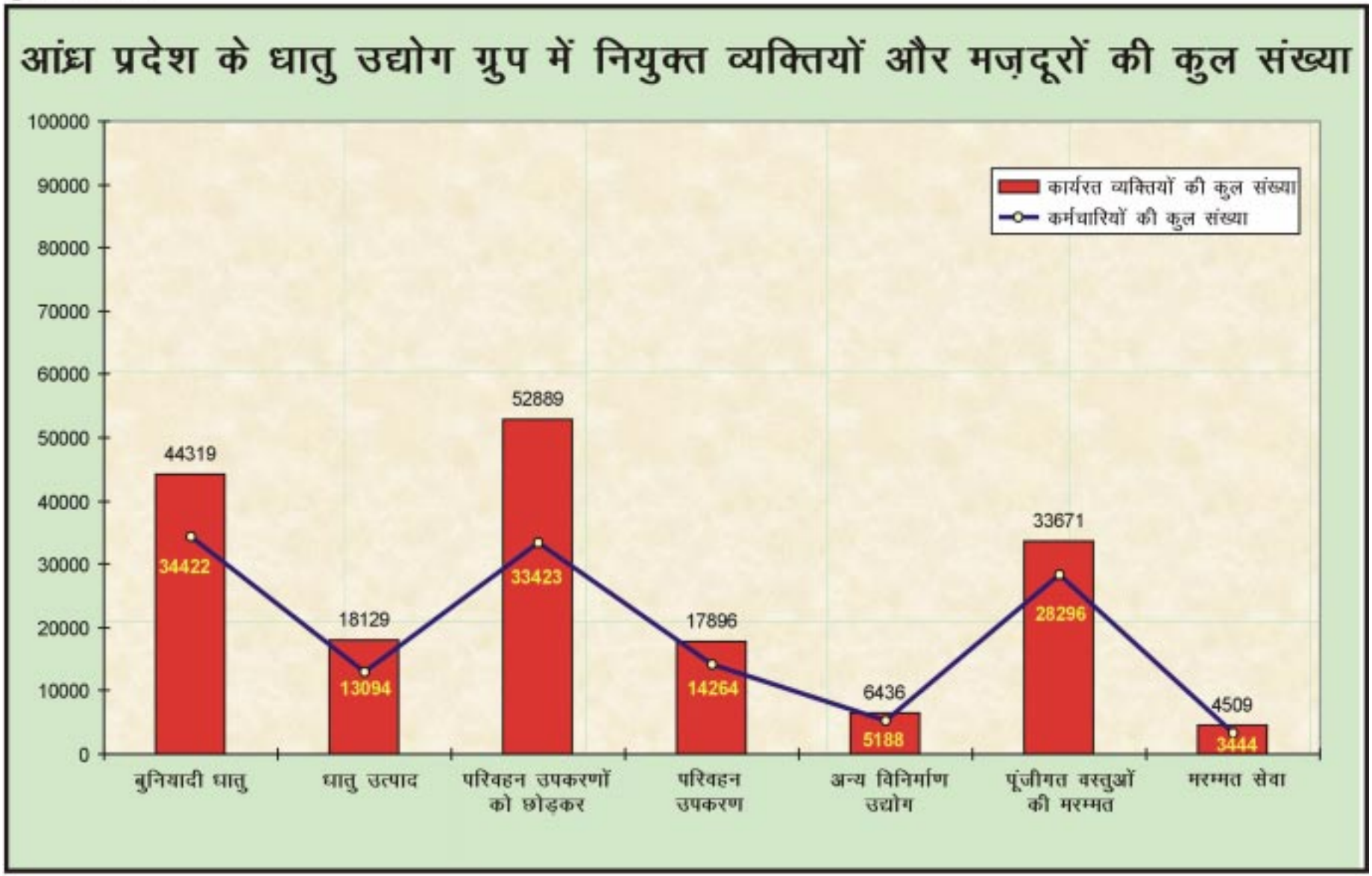
आंध्र प्रदेश के धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्तियों और मज़दूरों की कुल संख्या
कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
44319
34422
18129
13094
52889
33423
17896
14264
6436
5188
33671
28296
4509
3444
बुनियादी धातु
धातु उत्पाद
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
परिवहन उपकरण
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के
औद्योगिक क्षेत्र

1. आगरा•
2. अलीगढ़•
3. इलाहाबाद•
4. आजमगढ़
5. बदायूं
6. बरेली
7. इटावा
8. फतेहपुर•
9. गाजियाबाद•
10. गाजीपुर
11. गोंडा
12. हमीरपुर•
13. हाथरस
14. जलायूं•
15. कानपुर ग्रामीण•
16. कानपुर शहरी•
17. खीरी
18. लखनऊ•
19. लखीमपुर
20. ललितपुर
21. मेरठ•
22. मोबा
23. मिर्जापुर•
24. मुरादाबाद•
25. मथुरा
26. मुजफ्फर नगर•
27. नोएडा•
28. पीलीभीत
29. राय बरेली
30. सहारनपुर•
31. साहिबाबाद•
32. सुल्तानपुर
33. उन्नाव•
34. वाराणसी

• धातु औद्योगिक पट्टी
उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जो अब नये राज्य में गठित हो गया है

खंड 1

राज्य की एक तस्वीर

अध्याय–एक

उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है पर औद्योगिक क्षेत्र में इसका पांचवां स्थान है (पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या के अनुरूप)। मुख्य उद्योग हैं चमड़ा, चीनी, टैक्सटाइल तथा इंजीनियरिंग जो अधिकाशतः लघु उद्योग क्षेत्र में है। धातु उद्योगों का भी एक मुख्य स्थान जिसने 51000 फैक्टरियों तथा करीब 62330 मिलियन रु. के साथ 7 धातु उद्योग ग्रुपों में करीब 0.4 मिलियन लोगों को नियुक्त कर रखा है। राज्य में अनेक परंपरागत हस्तशिल्प तथा धातु उद्योग भी हैं जो छोटे, लघु कुटीर उद्योगों में है। 2001 की जनगणना के अनुसार करीब 16.6 करोड़ की कुल अनुमानित आबादी में राज्य में कार्य–भागीदारी की दर करीब 34 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय भागीदारी दर 39.7 प्रतिशत है। महिला सदस्यों की भागीदारी केवल करीब 12 प्रतिशत है।

अध्ययन के दौरान क्षेत्र में जमा की गयी सूचना में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है जिसमें धातुकर्म उद्योग पर विशेष जोर दिया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उद्योगों के *वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई)* के परिणामों के आधार पर एक लंबी अवधि तक औद्योगिक विकास के बारे में अखिल भारतीय स्तर एवं स्थिति के बारे में बताया गया है। इस औद्योगिक के व्यापक विश्लेषण में अखिल भारतीय विकास के मुकाबले 2 राज्यों के औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति बतायी गयी हैं।

उत्तर प्रदेश की तुलना में भारत का कुल औद्योगिक परिदृश्य

वर्ष	फैक्टरियों की संख्या		उत्पादक पूंजी (मिलियन)		रोजगार में लगे व्यक्ति (000)		उत्पादों का एक्स–फैक्टरी मूल्य (मिलियन)	
	यू.पी. (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)	यू.पी. (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)	यू.पी. (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)	यू.पी. (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)
1980–81	5661	96503		431200	494	7854		61084
85–86		101016 (4.67)		838940(94.55)		7584(–3)		1201550(96.70)
88–89		104077 (3.03)		1163700(38.71)		7558(3)		1843490(53.42)
89–90		107992 (3.76)		1407910(20.98)		8257 (5)		2300420(24.78)
90–91		110179 (2.02)		1761680(25.12)		8279(0.2)		2705640(17.61)
91–92		112286 (1.91)		1963710(11.46)		8320(0.4)		2991960(10.58)
92–93		119494 (6.41)		2553610(30.04)		8836 (6.20)		3686140(23.20)
93–94		121594 (1.75)		3115220(21.99)		8838 (0.02)		4257440(15.49)
94–95	10154	123010 (1.16)	40694	3649410(17.14)	1360	9227 (4.40)	48702	5179870(21.66)

95–96	10613 (4.52)	134571 (9.39)	40727 (.08)	4561310(24.98)	1418 (4.26)	10222(10.78)	57063 (17.16)	6705140(29.44)
96–97		134556(–0.01)		4976820 (0.9)		9785 (–4)		6925200(3.2)
97–98	20852	135551 (0.7)		5865310 (1.7)		10001 (2)		8254230(19)

स्रोत : उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण (फैक्टरी क्षेत्र), स्टैटिस्टिकल एबस्ट्रैक्ट इंडिया 97, 98, 99 सांख्यिकी रूपरेखा राजस्थान 1982–83, 1993–94

प्रतिशत डी – पूर्व वर्ष के संबंध में प्रतिशत

निर्यात कार्य–निष्पादन

अखिल भारतीय स्तर पर कुल निर्यात में संतुलित वृद्धि हुई है। जबकि 1998–99 की अवधि के दौरान कुल निर्यात का मूल्य 325530 मिलियन रु. था, वहीं 1999–2000 के दौरान बढ़कर 1629250 मिलियन रु. हो गया। 1995–96 के दौरान तेज वृद्धि हुई और उसमें करीब 738000 मिलियन रु. की वृद्धि हुई। जहां तक धातु (निर्माण, मशीनरी, परिवहन तथा लोहा एवं इस्पात) ग्रुप का सवाल है तो मूल्य के रूप में निर्यात 1990–91 में 38720 मिलियन रु. से 1999–2000 में 214350 मिलियन रु. की वृद्धि हुई। जैसा कि कुल निर्यात के रूप में देखा गया। मूल्य के रूप में वृद्धि महत्वपूर्ण थी जब वह 1990–91 में 38720 मिलियन रु. से बढ़कर 1995–96 में 145720 मिलियन रु. हो गया। कोई यह दलील दे सकता है कि मुख्यतः औद्योगिक तथा व्यापार क्षेत्रों में उदारीकरण की नीतियों को लागू किये जाने के कारण ही निर्यात में इतनी उच्च वृद्धि हुई। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले वर्षों के दौरान जारी उदारीकरण ने निर्यात में टिकाऊ विकास में योगदान दिया।

जहां तक निर्यात में कार्य–निष्पादन का सवाल है, तो कई कमोबेश अखिल भारतीय रूझान भी वैसा ही था और उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मदों के मुख्य ग्रुपों में वृद्धि की रूझान जारी रहा।

जहां तक उद्योगों के व्यक्तिगत ग्रुपों का सवाल है तो कंप्यूटर साफ्टवेयर ने हाल की अवधि में नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात साफ्टवेयर केन्द्र है। उच्चतम वृद्धि दर्ज की। निर्यात का मूल्य 1997–98 में 500 मिलियन रु. से बढ़कर 1998–99 में 10050 मिलियन रु. हो गया और फिर 1999–2000 में 28000 मिलियन रु. की भारी वृद्धि दर्ज की। इस तरह अब यह उत्तर प्रदेश में सबसे तीव्र गति से बढ़नेवाला जिर्यात उद्योग है जो परंपरागत ऊनी गलीचे, कलात्मक धातु के बर्तनों तथा चर्म उत्पादों की जगह ले रहा है। इंजीनियरिंग वस्तुओं ने भी पिछले वर्षों में वृद्धि दर्ज की पर कम मात्रा में।

मूल्य के रूप में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से मुख्य मदों के निर्यात

मुख्य मद	मुख्य जिले	1997–98 (मिलियन)	1998–99 (मिलियन)	1999–2000 (मिलियन)
ऊनी गलीचे, दरियां चमड़े और चर्म उत्पाद	मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी कानपुर, उन्नाव, आगरा, नोएडा	17300 8050	17570 8980	18000 9500
कलात्मक धातु के बर्त्तन	मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, इटा, अलीगढ़, झांसी, अल्मोड़ा, मथुरा, उन्नाव, मेरठ	16870	17380	18000
सूती टेक्सटाइल, धागे, रेडीमेड गारमेंट	लखनऊ, जौनपुर, आगरा इलाहबाद	7600	8030	8350
कृषि उत्पाद,	मथुरा, मेरठ, नैनीताल, उन्नाव	6270	6390	6500

प्रसंस्कृत फल/खाद्य इंजीनियरिंग वस्तुएं/ बिल्डिंग हार्डवेयर	आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मेरठ	3100	3300	3500
जेम्स, जवाहरात, कृत्रिम (नकली) जवाहरात	लखनऊ, फिरोजाबाद, आगरा कानपुर, मेरठ, मथुरा	2000	2300	2500
कंप्यूटर साफ्टवेयर	नोएडा	500	10030	28000
खेल–कूद के सामान	मेरठ	530	640	700
अन्य वस्तुएं		6820	11730	15000

खंड–दूसरा

धातु उद्योग का सर्वेक्षण

अध्याय –1

खनिज और धातु

उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक परिदृश्य का विस्तार से विश्लेषण किया गया और उसका उद्देश्य चुने हुए धातुकर्म उद्योगों से जमा की गयी उद्यम–विशेष की सूचना का विश्लेषण से पूर्व एक पृष्ठभूमि प्रदान करना था।

मुख्य धातुकर्म के उद्यम कानपुर शहरी, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, गाजियाबाद, साहिबाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली तथा जनसठ के औद्योगिक नगरों में है।

पिछले वर्षों में अखिल भारतीय की तुलना में उत्तर प्रदेश में धातु उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषताएं

उद्योग का नाम/ वर्ष	फैक्टरियों की संख्या		रोजगार में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या		उत्पादक पूंजी (मिलियन रु.)		सकल उत्पाद एक्स–फैक्टरी मूल्य	
	यू.पी.	ऑल इंडिया	यू.पी.	ऑल इंडिया	यू.पी.	ऑल इंडिया	यू.पी.	ऑल इंडिया
बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग								
1990–91		8620		691947				
1991–92		8675		662913				
1992–93		9020		684463				
1993–94		9222		680230				
1994–95	3510	6373	47288	635929	9630	5089678		580409.1
1995–96	3808	6820	52606	741193	15900.3	4759523		407007.8
1996–97	4111	उपलब्ध नहीं	53857	उपलब्ध नहीं	15989.9	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
1997–98	4476	6917	54508	670042	15734.8	7985506		935237
1998–99	4741		55509		15873.2			
धातु उत्पादों एवं पुरजों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरण को छोड़कर								
1990–91			–	362942				
1991–92		13252	–	363897				
1992–93		14668	–	366637				
1993–94		14810	–	375242				
1994–95	21257	7287	115863	250036	3936.6	501928		107857.9
1995–96	22941	7984	163449	284194	4676.5	731436		149389.3
1996–97	24493	उपलब्ध नहीं	128540	उपलब्ध नहीं	10921.7	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं

1997–98	25888	8214	132137	283394	11192.3	920129		184465.1
1998–99	26998		135420		11497.1			
परिवहन उपकरणों को छोड़कर मशीनरी तथा उपकरणों का निर्माण								
1990–91		11223		556789				
1991–92		11299		524383				
1992–93		11038		522286				
1993–94		11170		969170				
1994–95	13486	13663	135801	393825	22007.8	2598657		57735.6
1995–96	13566	14304	148815	104725	22965.9	3313117		79010.7
1996–97	15310	उपलब्ध नहीं	151085	उपलब्ध नहीं	22390.0	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
1997–98	15507	13964	147039	905422	22099.2	4410789		843407.8
1998–99	16812		150014		22311.2			
परिवहन उपकरणों एवं पुरजों का निर्माण								
1990–91		3493		491195				
91–92		3511		478988				
92–93		3760		490702				
93–94		3889		485917				
94–95	2401	4057	50998	542683	7620.5	1115724		316168.2
95–96	2508	4106	49861	621880	8801.8	1855974		476641.4
96–97	2579	उपलब्ध नहीं	50139	उपलब्ध नहीं	8808.1	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
97–98	2606	4011	49584	553585	8677.9	37096590		494396.6
98–99	2697		50051		8719.3			
अन्य विनिर्माण उद्योग								
1990–91		2358		121636				
1991–92		2335		120152				
1992–93		2326		122947				
1993–94		2454		123485				
1994–95		2059		121508		323662		65898.2
1995–96		2277		145810		487009		87956.5
1996–97		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं|
1997–98		2244		149592		630140		110668.1
1998–99								–

विभिन्न शहरों में उद्यमों के नाम अलग से वर्गीकृत किया गया है, गाजीपुर, महोबा, सुल्तानपुर, आगरा, आजमगढ़, फरूखाबाद, रायबरेली, लखीमपुर, खेरी, गोंडा, फतेहपुर, ललितपुर, टायरस, सिद्धार्थ नगर, इटावा, बरेली, बदायूं तथा पीलीभीत के औद्योगिक शहरों के जिला औद्योगिक कार्यालयों ने यह दर्ज किया है कि उन क्षेत्रों में कोई भारी धातु उद्योग नहीं है।

कानूनी न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन अधनियिम 1948 का यह तकाजा है कि समुचित सरकारें केन्द्र तथा राज्यों की वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित करें जो कर्मचारियों को देय है। जहां कर्मचारियों की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों के रूप में की गयी है जो कोई भी कुशल या अकुशल शारीरिक या किरानी का

काम करने के लिए भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए नियुक्त किये जाते हैं। उन अनुसूचित रोजगार के मामले में वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है जिसमें पूरे राज्य में 1000 या अधिक कर्मचारी नियुक्त है। नीचे की तालिका में उत्तर प्रदेश में धातु उद्योग में अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दिखाया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत धातु उद्योग में अकुशल मजदूरों के लिए वेतन की न्यूनतम दरें (1.7.1997 को)

अनुसूचित रोजगार का नाम	न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) (डब्ल्यूईएफ)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता यदि कोई है (प्र.मा.) (डब्ल्यूईएफ)	कुल न्यूनतम वेतन (प्र.मा.)
मैकेनिकल परिवहन वर्कशाप	750.00 रु.	341.32 रु.	1091.32 रु.
ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशाप	750.00 रु.	341.32 रु.	1091.32 रु.
मेटल मैन्युफैक्चरीज़	690.00 रु.	330.52 रु.	1020.52 रु.
इंजीनियरिंग उद्योग			
(50 कर्मचारियों से कम)	690.00 रु.	330.52 रु.	1020.52 रु.
इंजीनियरिंग उद्योग			
(50से 500 कर्मचारियों तक)	770.00 रु.		
	(1.4.1990)	–	770.00 रु.
अभ्रक उद्योग	वेतन निर्धारित नहीं हैं क्योंकि मजदूरों की संख्या कम है।		
		1000	
टिन प्लेट शेपिंग और प्रिटिंग	690.00 रु.	330.52 रु.	1020.52 रु.
इंजीनियरिंग उद्योग			
50–500 से अधिक	820.00 रु.		
कर्मचारी	(21.4.1989)	–	820.00 रु.
कोई अन्य फाउंड्री	725.00 रु.	329.94 रु.	1054.94 रु.

स्त्रोत : "वेतनों की न्यूनतम दरें" – आर.के.ए. सुब्रहमण्य

ट्रेड यूनियनों के कार्यकलाप

स्वतंत्रता के पूर्व की अवधि के दौरान कानपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र था। मुख्य औद्योगिक इकाइयों में जो खासकर ब्रिटिश के स्वामित्व में थी, मजदूर शक्तिशाली ट्रेड यूनियनों के तहत संगठित थे जिनका नेतृत्व मुख्यतः प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता कर रहे थे। मजदूरों का यह भी विश्वास था कि बेहतर कार्य–दशाएं हासिल करने के लिए ब्रिटिश मालिकों के खिलाफ उनका आंदोलन एक तरफ से स्वतंत्रता आंदोलन को भी समर्थन दे रहा था। स्वतंत्रयोत्तर अवधि में खासकर लखनऊ, मेरठ तथा गाजियाबाद में उद्योगों ने उच्चतर औद्योगिक विकास दर्ज करना शुरू कर दिया। पर समान रूप से राज्य के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या 1992 में अधिक वृद्धि नहीं दिखाती है। लेकिन 1993 के दौरान यूनियनों तथा सदस्यता की संख्या में ठहराव मालूम पड़ता है जबकि 1993 तक अखिल भारतीय आधार पर यूनियनों एवं सदस्यता की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1998–99 के दौरान चुने हुए 18 महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में यूनियनों की कुल संख्या 3739 थी।

कानपुर में सबसे अधिक यूनियनें थी। उसके बाद लखनऊ तथा गाजियाबाद में।

ट्रेड यूनियनों की पंजीकृत संख्या

वर्ष	उत्तर प्रदेश			
	केन्द्र यूनियनें		राज्य यूनियनें	
	रजिस्टर पर	रिटर्न दाखिल करने पर	रजिस्टर पर	रिटर्न दाखिल करने पर
1992	208 ई	—	1786	—
1993	208 ई	—	1786	—

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों के अनुसार यूनियनें (1998–99)

क्र. सं.	उद्योग का नाम	कान –पुर	मेरठ	साहरन –पुर	गोरख –पुर	आगरा	नैनी– ताल	झांसी	गाजिया –बाद	गौतम बुद्ध नगर	फैजा बाद	वारा –णसी	आजम –गढ़	लख –नऊ	बरेली	मुरादा बाद	इलाहा बाद	मिर्जा पुर	देहरा दून	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	होटल/रेस्टोरेंट	10	01	01	–	10	03	–	06	02	–	06	–	06	01	04	01	–	02	53
2.	परिवहन	43	07	08	15	07	03	01	09	02	01	06	–	26	–	02	10	–	–	139
3.	पेपर	–	–	–	–	–	08	01	10	02	01	05	–	05	03	04	01	–	02	42
4.	कृषि	07	–	–	–	05	02	01	01	02	08	03	–	16	09	01	01	–	05	61
5.	टेक्सटाइल	119	10	05	11	04	07	07	26	02	–	08	06	25	04	09	12	01	08	264
6.	तंबाकु/बीड़ी	01	01	–	–	–	–	–	03	02	–	08	–	05	–	03	08	–	02	33
7.	चीनी	11	70	38	97	05	14	–	10	02	32	12	08	44	51	43	–	–	03	440
8.	चाय	–	–	–	–	03	–	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	04	09
9.	पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–	02	–	–	–	–	02	–	01	–	–	05
10.	केमिकल	40	08	03	02	05	03	03	24	–	02	08	–	09	06	03	01	21	25	163
11.	इंजीनियरिंग	72	15	10	03	16	10	10	40	–	12	15	02	19	12	03	24	01	08	272
12.	रबड़	17	08	03	02	02	01	–	08	–	–	–	–	06	04	–	03	–	03	57
13.	बैंक/इंशोरेंस	88	10	–	07	14	05	05	03	–	07	06	03	46	10	05	07	–	04	220
14.	शराब/पेय	–	09	08	03	01	11	–	05	–	04	–	–	09	09	08	03	–	व3	73
15.	सेंट्रल	12	03	01	01	18	02	02	08	–	–	16	–	08	01	–	01	–	15	88
16.	मिरर उद्योग	02	–	–	–	21	–	–	12	–	–	–	–	01	–	01	–	–	10	47
17.	डिफेंस	99	19	02	–	09	03	02	–	–	–	–	–	19	16	–	26	–	18	213
18.	बिजली	24	03	29	–	02	07	01	37	–	–	04	–	22	01	–	–	21	06	157
19.	शिक्षा/ नर्सिंगहोम	11	–	03	–	07	05	–	03	–	04	–	–	19	03	–	02	–	05	62
20.	गैस	10	02	–	–	05	–	–	–	–	–	–	–	05	–	–	–	–	02	24
21.	भोजन/पेय	42	10	04	07	04	–	01	09	–	02	–	–	21	04	02	04	01	–	111
22.	चमड़ा	26	–	–	–	04	–	–	13	–	–	–	–	14	–	–	–	–	02	59

क्र. सं.	उद्योग का नाम	कान –पुर	मेरठ	साहरन –पुर	गोरख –पुर	आगरा	नैनी –ताल	झांसी	गाजिया –बाद	गौतम बुद्ध नगर	फैजा बाद	वारा –णसी	आजम –गढ़	लख –नऊ	बरेली	मुरादा –बाद	इलाहा –बाद	मिर्जा –पुर	देहरा –दून	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
23.	धातु / लोहा	16	08	01	03	05	–	01	09	–	02	–	–	21	04	02	04	01	–	111
24.	अर्द्ध–सरकारी	75	17	16	24	26	22	07	26	–	06	–	–	82	12	04	15	04	18	354
25.	तेल	10	–	–	01	03	02	–	09	–	02	–	–	11	–	01	04	–	–	43
26.	सिनेमा	04	01	01	02	01	–	–	05	–	–	04	01	07	01	–	01	–	02	30
27.	फर्टिलाइजर	08	01	01	08	–	–	04	–	–	02	–	07	03	01	02	01	–	02	33
28.	मेडिसिन / मेडिकल	12	09	06	04	02	02	03	05	–	–	–	–	17	01	01	05	–	02	69
29.	प्रिटिंग प्रेस	19	13	16	09	03	–	–	08	–	–	05	–	16	–	02	09	01	01	102
30.	दुकान / व्यवसायिक	36	02	03	04	05	–	–	17	–	–	06	–	05	01	–	03	01	07	90
31.	असंगठित	22	–	02	04	28	–	03	35	–	27	16	03	86	32	13	11	11	–	293
32.	लकड़ी / फर्नीचर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	03	03	05	–	–	–	11
33.	इलेक्ट्रिोनिक	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	13	02	02	01	–	–	19
34.	कास्मेटिक	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	02
35.	पत्रकार	–	–	–	–	–	–	01	–	–	04	03	–	05	–	–	–	–	–	13
36.	टेलीफोन	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	06	–	01	–	–	–	08
37.	ऊनी	–	–	–	–	–	–	–	02	–	–	05	–	02	–	–	–	–	–	09
38.	फर्श	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	01	–	02	–	–	–	04
	कुल	**836**	**227**	**161**	**207**	**215**	**110**	**55**	**335**	**18**	**114**	**136**	**23**	**581**	**190**	**125**	**166**	**74**	**166**	**3739**

मुख्य निष्कर्ष :

उत्तर प्रदेश में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

(मिलियन रु. में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ग्रुप ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	562	8	48464	19747	198	19945	6328	26273	9966	36239	19563	23837
2. धातु उत्पादों एवं पुर्जों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर	630	8	5549	12093	76	12169	1070	13239	5251	18490	880	1072
3. परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	1071	8	33948	48862	2883	51745	3138	54883	24484	79367	6586	6708
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	289	7	21373	32052	1224	33276	2180	35456	10374	45830	2856	3399
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	292	1	6455	9143	775	9918	6403	16321	4095	20416	799	964
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	180	0	436	16889	78	16967	482	17449	3659	21108	1242	1313
7. मरम्मत सेवा	145	7	675	3485	28	3513	74	3587	1146	4733	174	192
कुल	**3169**	**32**	**116900**	**142271**	**5262**	**147533**	**19675**	**167208**	**58975**	**226183**	**32100**	**37486**
अखिल भारतीय आंकड़ा	39659	100	1683618	1793383	86836	1880354	232310	2112664	814453	2927117	196089	2382511
अखिल भारतीय आंकड़े के अनुपात में राज्य का कुल(%)	8	8	7	8	6	8	8	8	7	8	16	2

मुख्य निष्कर्ष :

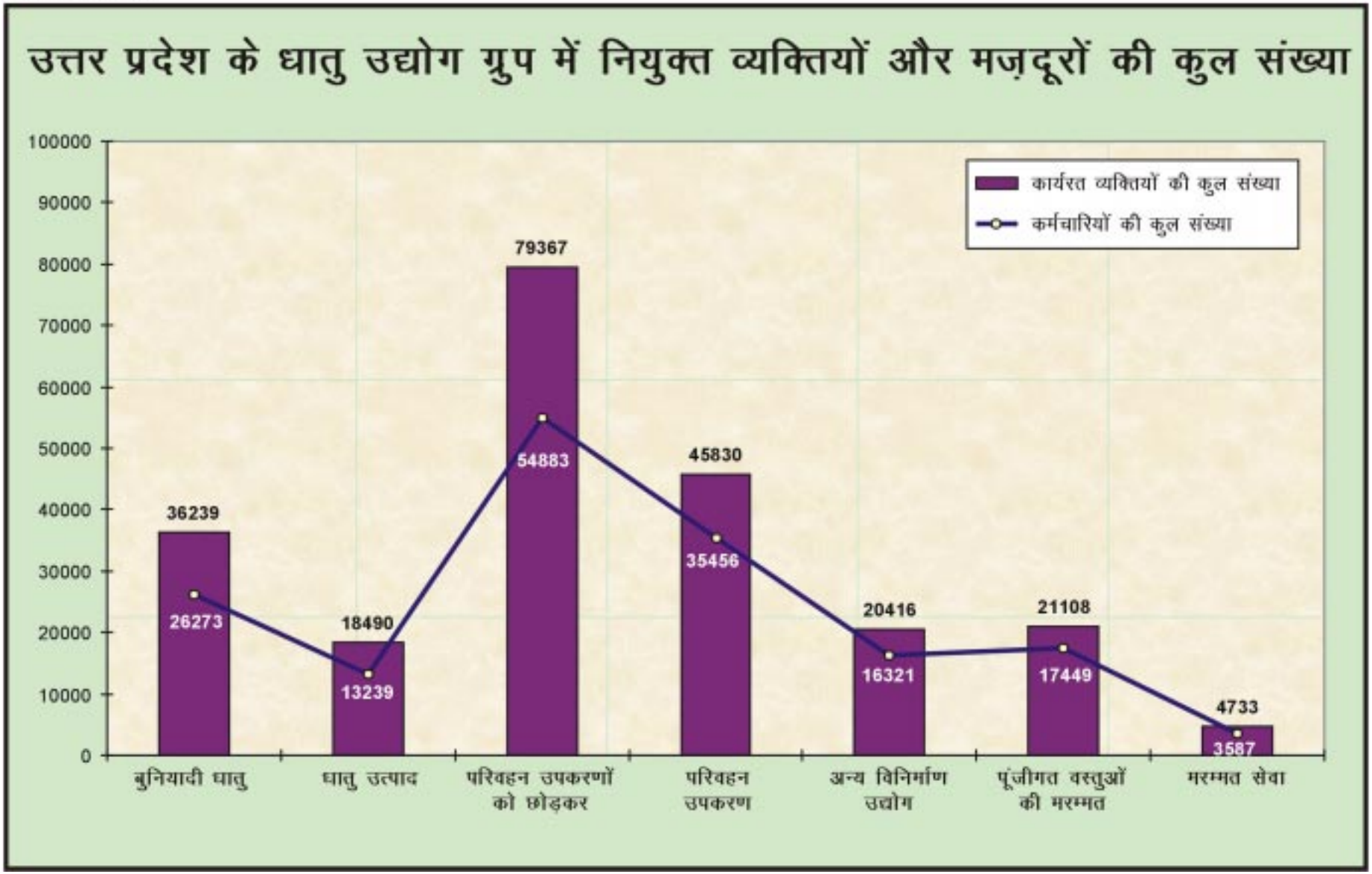

उत्तर प्रदेश के धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्तियों और मजदूरों की कुल संख्या
कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
36239
26273
18490
13239
79367
54883
45830
35456
20416
16321
21108
17449
4733
3587
बुनियादी धातु
धातु उत्पाद
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
परिवहन उपकरण
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा

राजस्थान

राजस्थान

N
RAJASTHAN
INDIA
GANGANAGAR
HANUMANGARH
BIKANER
CHURU
JHUNJHUNUN
SIKAR
ALWAR
BHARATPUR
DHAULPUR
KARAULI
DAUSA
JAIPUR
SAWAI MADHOPUR
TONK
AJMER
NAGAUR
JODHPUR
JAISALMER
BARMER
JALOR
SIROHI
PALI
RAJSAMAND
UDAIPUR
DUNGARPUR
BANSWARA
CHITTAURGARH
BHILWARA
BUNDI
KOTA
BARAN
JHALAWAR
Indira Gandhi Canal
औद्योगिक पट्टी
1. आबू रोड
2. अजमेर •
3. अलवर • ?
4. बगरू •
5. बांसवाड़ा
6. बीमवर
7. भीलवाड़ा •
8. भिवाड़ी •
9. बूंदी
10. डूंगरपुर
11. दूनी
12. जयपुर •
13. जेतपुर – चोमू •
14. जोधपुर
औद्योगिक पट्टी
15. जोतवाड़ा •
16. कांकरौली
17. खेतड़ी • ?
18. कोटा
19. मकराना
20. मारवाड़
21. नागपुर
22. पाली •
23. रानीवाड़ा
24. सांगानेर
25. सिरोही
26. उदयपुर •
• धातु औद्योगिक पट्टी

खंड–एक

राज्य की एक तस्वीर

अध्ययन – 1

राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य

हालांकि राजस्थान राज्य क्षेत्रफल में बड़ा है पर राज्य में कुल आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 5.6 करोड़ है। आबादी की सघनता निम्न है क्योंकि भूक्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच में है।

आबादी की ऐसी निम्न सघनता के बावजूद कार्य–भागीदारी दर करीब 39 प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश से काफी अधिक और अखिल भारतीय औसतन भागीदारी दर से कुछ अधिक है। इसका यह अर्थ है कि कमोबेश राजस्थान की जनता अधिक सक्रिय है एवं राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाओं की भागीदारी दर करीब 27 प्रतिशत है।

जहां तक राजस्थान में औद्योगिक विकास का सवाल है, प्रिवी पर्स के खत्म होने के बाद ही बड़े पैमाने पर इसकी पहल की गयी। रॉयल्टी का औद्योगिक विकास के लिए कोई अधिक महत्व नहीं था और वस्तुतः प्रिवी पर्स की समाप्ति रॉयल्टी की ही समाप्ति थी।

राज्य ने अनेक रिआयतें देकर उद्यमियों को निवेश लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके फलस्वरूप विख्यात उद्योगपतियों ने जिनमें राजस्थान के बाहर उद्योग चलाने वाले राजस्थानी भी शमिल है। खासकर लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की। तेजी से स्थानातंरण के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण इलाकों मे अनेक औद्योगिक इस्टेटों की स्थापना की ताकि स्थानीय प्रतिभा का उपयोग किया जा सके और रोजगार पैदा किये जा सके।

अखिल भारतीय की तुलना में राजस्थान में कुल औद्योगिक परिदृश्य

वर्ष	फैक्टरियों की संख्या		उत्पादक पूंजी (मिलियन)		काम में लगे व्यक्ति (000)		उत्पादों का एक्स–फैक्टरी मूल्य (मिलियन)	
	राजस्थान (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)	राजस्थान (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)	राजस्थान (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)	राजस्थान (% डी)	ऑल इंडिया (% डी)
1980–81	9573	96503	20865	431200	270	78540		610840
1985–86	4298 (–55)	101016 (4.67)	48781 (133.8)	838940 (94.55)	467 (73)	75840 (–3)		1201550 (96.70)
1988–89	5853 (36)	104077 (3.03)	68428 (3.03)	1163700 (38.71)	530 (13.5)	75580 (3)		1843490 (53.42)
1989–90	5088 (–13)	107992 (3.76)	76152 (12.6)	1407910 (20.98)	549 (3.5)	82570 (5)		2300420 (24.78)

1990–91	4707 (–7.4)	110179 (2.02)	85993 (12.92)	1761680 (25.12)	570 (3.8)	82790 (0.2)		2705640 (17.61)
1991–92	5192 (10.3)	112286 (1.91)	100181 (16.5)	1963710 (11.46)	594 (4.2)	83200 (0.4)		2991960 (10.58)
1992–93	4818 (–7.2)	119494 (6.41)	114810 (14.60)	2553610 (30.04)	615 (3.5)	88360 (6.20)		3686140 (23.20)
1993–94	4330 (–10.1)	121594 (1.75)	131678 (14.70)	3115220 (21.99)	636 (3.4)	88380 (0.02)		4257440 (15.49)
1994–95	4508 (4.11)	123010 (1.16)	146280 (11.08)	3649410 (17.14)	474 (–25.4)	92270 (4.40)	179460	5179870 (21.66)
1995–96	4960 (10.02)	134571 (9.39)	167470 (14.5)	4561310 (24.98)	516 (8.86)	102220 (10.78)	221380 (23.35)	6705140 (29.44)
1996–97	6233	134556 (–0.01)		4976820 (0.9)		97850 (–4)		6925200 (3.2)
1997–98	6453	135551 (0.7)		5865310 (1.7)		100010 (2)		8254230 (19)
1998–99		8840						

स्रोत : उद्योग की वार्षिक सर्वेक्षण (फैक्टरी क्षेत्र), स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया, 97, 98, 99)
सांख्यिकी रूपरेखा राजस्थान 1982–83–1993–94

** % डी पूर्व वर्ष के मामले में प्रतिशत*

राजस्थान में खनिज खदानें

जिला	खनिज
1. अजमेर	कच्चा तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर
2. अलवर	कच्चा तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर
3. बांसवाड़ा	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर
4. भरतपुर	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी
5. भीलवाड़ा	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर
6. बीकानेर	संगमरमर
7. बूंदी	संगमरमर
8. चित्तौड़गढ़	कच्चा तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर
9. चूरू	कच्चा तांबा
10. दौसा	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, संगमरमर
11. डूंगरपुर	कच्चा तांबा, संगमरमर
12. जयपुर	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, संगमरमर
13. झुंझुनू	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, संगमरमर

जिला	खनिज
14. जालौर	कच्चा तांबा, संगमरमर
15. पाली	कच्चा तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी
16. राजसमंद	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी
17. सीकर	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, संगमरमर
18. सिरोही	कच्चा तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर
19. सवाई माधोपुर	कच्चा तांबा, सीसा, जस्ता, बेंटोनी, चांदी, संगमरमर
20. उदयपुर	कच्चा तांबा, कच्चा लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर

निर्यात कार्य–निष्पादन

राजस्थान ने न केवल कुछ निर्यात बल्कि इन वर्षों में राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के लिए मशीनरी परिवहन तथा धातु निर्माण के मामले में मूल्य के रूप में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

खनिज और धातु

राजस्थान राज्य चार प्रमुख धातु खनिजों – ताम्बा, जिंक, लौह अयस्क तथा लीड में समृद्ध है।

1996 से 1998 तक राजस्थान राज्य में खनिजों एवं अयस्कों का उत्पादन और मूल्य
(खनिज धातुएं)

वर्ष	मात्रा (टन)	% वृद्धि	मूल्य	% वृद्धि	मात्रा (टन)	% वृद्धि	मूल्य	% वृद्धि
मद	तांबा				जिंक			
अखिल भारतीय								
1996–97	3896	–17.75	2415870	0.6	276992	–4.17	1684678	–2.56
1997–98	4499	15.47	2583334	6.93	292498	5.59	1882540	11.74
राजस्थान								
1996–97	1232	–	575331	–	276668	–	1647205	–
1997–98	1471	19.39	909471	58.07	292233	5.62	1881501	14.22
मद	लौह अयस्क				लीड			
अखिल भारतीय								
1996–97	68159	1.09	14795799	9.16	60271	–2.13	574044	–3.75
1997–98	73445	7.75	16428361	11.03	60972	1.16	592757	3.25
राजस्थान								
1996–97	22	–	1459	–68.47	48492	–	414108	–
1997–98	6	–72.72	460	–	48820	–	414438	0.07

खंड –2

धातु उद्योग का सर्वेक्षण

अध्याय–1

राजस्थान में धातु उद्योग

राजस्थान राज्य में औद्योगिक परिदृश्य का विस्तार से विश्लेषण किया गया और चुने हुए धातुकर्म उद्योगों से जमा कि गयी उद्योग विशेष सूचना का विश्लेषण करने का एक प्रयास किया गया है।

पिछले वर्षों में अखिल भारतीय की तुलना में राजस्थान में धातु उद्योगों की मुख्य विशेषताएं

उद्योग का नाम/वर्ष	फैक्टरियों की संख्या		काम में लगे व्यक्ति (000)		उत्पादक पूंजी (मिलियन)		सकल उत्पाद एक्स–फैक्टरी मूल्य	
	राज.	आल इंडिया	राज.	आल इंडिया	राज.	आल इंडिया	राज.	आल इंडिया
बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग								
1990–91		8620	691947					
1991–92		8675	662913					
1992–93		9020	684463					
1993–94		9222	680230					
1994–95		6373	12622	635929	10438.7	5089678	14852.4	5804091
1995–96	407	6820	741193	4759523		4070078		
1996–97	426	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
1997–98	625	6917		670042		7985506		9352370
1998–99	614							
मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पादों एवं पुरजो का निर्माण								
1990–91				362942				
1991–92		13252		363897				
1992–93		14668		366637				
1993–94		14810		375242				
1994–95		7287	5377	250036	1491	501928	286.79	107857.9
1995–96	210	7984		284194		731436		149389.3
1996–97	218	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नही।
1997–98	216	8214		283394		920129		184465.1
1998–99	200							
परिवहन उपकरणों के अतिरिक्त मशीनरी तथा मशीनरी उपकरणों का निर्माण								
1990–91		11223		556789				
91–92		11299		524383				
92–93		11038		522286				

93–94		11170		969170				
94–95		13663	22106	393825	7925.5	2598657	1316.93	57735.6
95–96	336	14304		104725		3313117		79010.7
96–97	344	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
97–98	362	13964		905422		4410789		843407.8
98–99	373							
परिवहन उपकरणों और पुरजों का निर्माण								
1990–91		3493		491195				
1991–92		3511		478988				
1992–93		3760		490702				
1993–94		3889		485917				
1994–95		4057	8836	542683	1265.3	1115724	251.62	316168.2
1995–96	53	4106		621880		1855974		476641.4
1996–97	55	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
1997–98	58	4011		553585		37096590		494396.6
1998–99	59							
अन्य विनिर्माण उद्योग								
1990–91		2358		121636				
1991–92		2335		120152				
1992–93		2326		122947				
1993–94		2454		123485				
1994–95		2059	4139	121508	1107.8	323662	174.71	65898.2
1995–96	84	2277		145810		487009		87956.5
1996–.97	93	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
1997–98	112	2244		149592		630140		110668.1
1998–99	132							

कानूनी न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन इस देश के 32 करोड़ श्रम बल के विशाल बहुमत के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय का सुदृढ़ आधार है। पर बड़ी संख्या में मजदूरों का मालिकों, ठेकेदारों तथा अन्य वह जिन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं देकर उनका निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता है।

प्रत्येक मालिक का यह दायित्व है कि वह अपने तहत अनुसूचित रोजगार में लगे प्रत्येक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वेतन का भुगतान करें राजस्थान राज्य में धातु उद्योग में लागू दरें निम्नलिखित है।

राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत धातु उद्योग में अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित वेतन की न्यूनतम दरें (1.7.1997 को)

अनुसूचित रोजगार का नाम	न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) (तब से लागू)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, यदि कोई है (प्रतिमाह) (तब से लागू)	कुल न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह)
मैकनिकल परिवहन वर्कशाप	32.00रु.	नहीं दिया	32.00रु.
ऑटोमोबाईल मरम्मत वर्कशाप	32.00रु.	नहीं दिया	32.00रु.
लघु उद्योग	32.00रु.	नहीं दिया	32.00रु.
इंजीनियरिंग उद्योग	32.00रु.	नहीं दिया	32.00रु.

स्रोत : "वेतनों की दरें" – आर. के. ए. सुब्रहमण्य

ट्रेड यूनियन का कार्यकलाप

जहां तक राजस्थान में ट्रेड यूनियनों के विकास का सवाल है, तो ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सम्मान अखिल भारतीय ढांचें के अनुरूप बढ़ने वाला है। यदि हम 1993 से 2000 के दौरान ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार, राजस्थान द्वारा दिये गये आंकड़े पर विचार करें तो न केवल यूनियनों की संख्या बल्कि सदस्यता की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित तालिका से मालूम पड़ता है। 2000 से 2001 के दौरान जयपुर में सबसे अधिक यूनियनों की संख्या दर्ज की गयी। 1999 के अंत तक कुल स्थिति यह थी : यूनियनों और उनकी सदस्यों की संख्या क्रमशः 3793 तथा 642973 थी।

पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या (केन्द्रीय यूनियनें और राज्य की यूनियनें)

क्र.सं.	वर्ष	राजस्थान			
		केन्द्रीय यूनियनें		राज्य यूनियनें	
		रजिस्टर पर	रिटर्न दाखिल करने पर	रजिस्टर पर	रिटर्न दाखिल करने पर
1.	1992 (पी)	15	15	3401	207
2.	1993 (पी)	—	9	2693	255
3.	1994 (पी)	10	3	2870	147

स्रोत : एएसआई

राजस्थान में पंजीकृत ट्रेड यूनियनें और उनकी सदस्यता (पिछले 8 वर्षों में)

क्र. सं.	वर्ष	पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या	सदस्यता
1.	1993	2694	474138
2.	1994	2885	498785
3.	1995	3054	516033
4.	1996	3206	533788
5.	1997	3405	597045
6.	1998	3581	616889
7.	1999	3793	642973
8.	2000	3972	668060

राजस्थान के विभिन्न डिवीजनों में पंजीकृत ट्रेड यूनियनें और उनकी सदस्यता (2000–2001)

वर्ष / महीने	जयपुर		कोटा		अजमेर		जोधपुर		उदयपुर		बीकानेर		कार्यालय		कुल	
2000	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य	संख्या	सदस्य
जनवरी	–	–	–	–	1	40	4	5174	2	165	–	–	–	–	7	5379
फरवरी	2	49	–	–	1	150	–	–	–	–	–	–	–	–	3	199
मार्च	4	351	1	80	–	–	3	153	–	–	2	80	1	15	11	679
अप्रैल	7	900	3	33	–	–	6	1081	–	–	3	167	–	–	19	2181
मई	4	453	2	427	1	140	1	50	2	695	1	1500	2	54	13	3319
जून	4	250	6	341	4	274	3	435	–	–	9	772	2	112	28	2184
जुलाई	10	873	4	1365	–	–	4	327	5	1220	–	–	–	–	23	3785
अगस्त	6	582	2	23	1	25	5	1050	–	–	1	50	1	88	16	1818
सितम्बर	6	500	3	21	–	–	10	638	2	96	1	75	3	895	25	2225
अक्टूबर	5	545	1	34	1	140	2	53	2	96	–	–	3	200	14	1068
नवम्बर	5	446	1	52	1	250	3	575	–	–	–	–	–	–	10	1323
दिसम्बर	6	344	–	–	–	–	1	13	2	90	–	–	1	480	10	927
कुल	**59**	**5293**	**23**	**2376**	**10**	**1019**	**42**	**9549**	**15**	**2362**	**17**	**2644**	**13**	**1844**	**179**	**25087**
				31.12.1999 तक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें और उनकी सदस्यता →											3793	642973
				31.12.2000 तक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें और उनकी सदस्यता →											3972	668060
				1999 से 2000 तक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें और उनकी सदस्यता →											7765	1311033
2001																
जनवरी	4	477	–	–	–	–	3	425	3	130	2	97				
फरवरी	2	525	3	271	–	–	6	642	1	95	1	45				

मुख्य निष्कर्ष :

राजस्थान में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

(मिलियन रु. में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ग्रुप ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	339	5	8309	9694	13	9707	863	10570	2932	13502	6294	7572
2. धातु उत्पादों एवं पुर्जों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर	153	2	2187	2724	0	2724	460	3184	973	4157	215	254
3. परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	309	2	15465	13536	483	14019	1269	15288	7543	22831	1665	1958
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	65	2	1452	8241	42	8283	1013	9296	2007	11303	640	695
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	79	0	2709	3199	338	3537	194	3731	1914	5645	283	318
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	55	0	276	7542	72	7614	84	7698	2488	10186	607	645
7. मरम्मत सेवा	53	3	47	1188	9	1197	9	1206	275	1481	80	86
कुल	1053	3	30444	46124	957	47081	3892	50973	18132	69105	9783	11529
अखिल भारतीय आंकड़ा	39659	100	1683618	1793383	86836	1880354	232310	2112664	814453	2927117	196089	2382511
अखिल भारतीय आंकड़े के अनुपात में राज्य का कुल(%)	3	3	2	3	1	3	2	2	2	2	5	0

मुख्य निष्कर्ष :

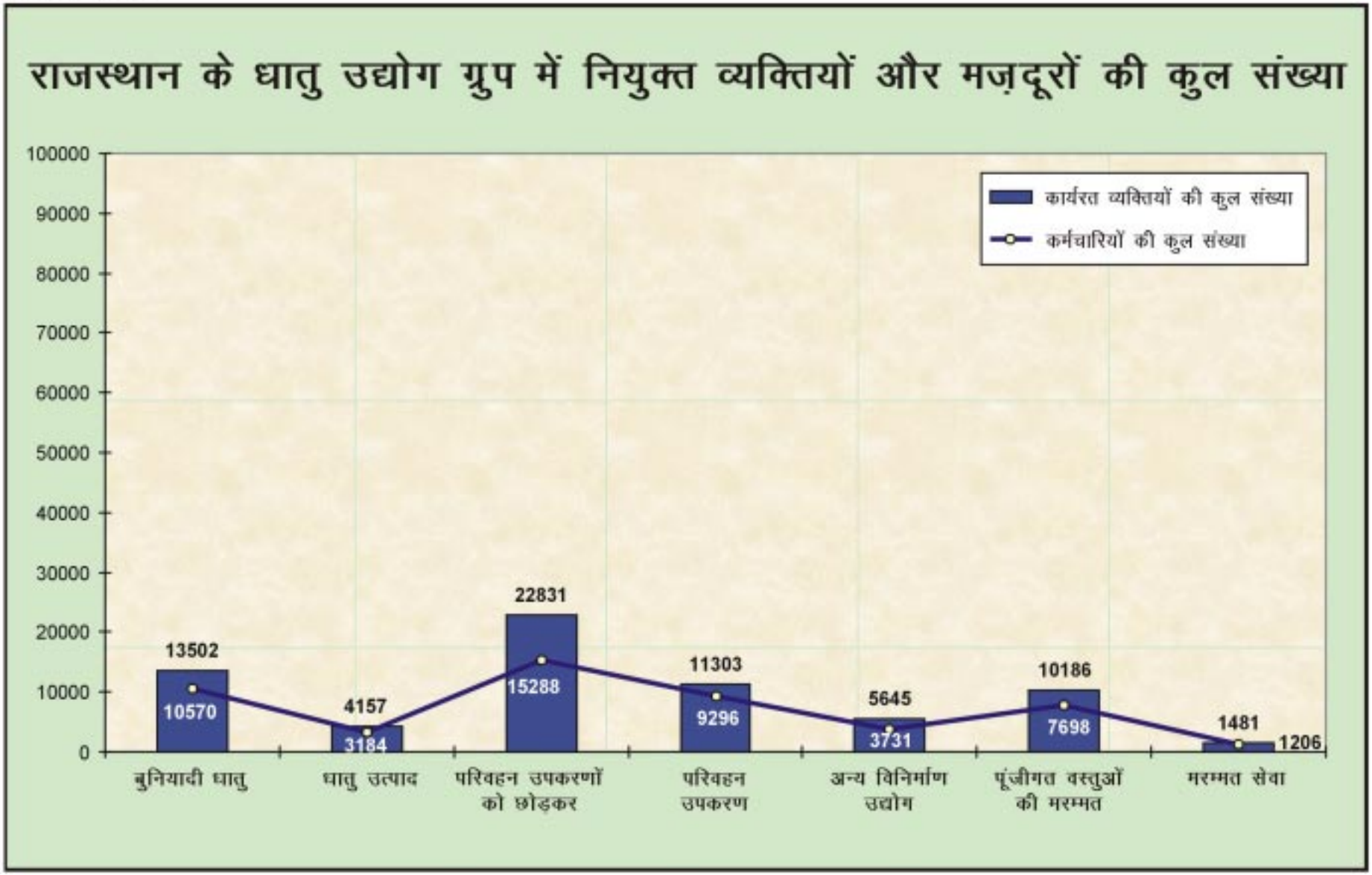

राजस्थान के धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्तियों और मज़दूरों की कुल संख्या
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
13502
10570
4157
3184
22831
15288
11303
9296
5645
3731
10186
7698
1481
1206
बुनियादी धातु
धातु उत्पाद
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
परिवहन उपकरण
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा

कर्नाटक

कर्नाटक

N
BIDAR
GULBARGA
BIJAPUR
BAGALKOT
BELGAUM
RAICHUR
KOPPAL
GADAG
DHARWAD
BELLARY
UTTAR KANNAD
HAVERI
DAVANGERE
CHITRADURGA
SHIMOGA
UDUPI
CHIKMAGALUR
TUMKUR
KOLAR
HASSAN
BANGALORE
BANGALORE RURAL
MANGALORE
DAKSHIN KANNAD
KODAGU
MANDYA
MYSORE
CHAMRAJANAGAR
I N D I
K A R N A T A K A
औद्योगिक पट्टी
1. बंगलौर
2. तुमकुर
3. कोलार
4. चित्रादुर्ग
5. देवनगेरे
6. धरवार
7. गादक
8. हावेरी
9. मंगलौर
10. हुबली
11. गुलबर्गा
12. बीदड़
13. बीजापुर
14. बागलकोट
15. बेल्लारी
16. रायपुर
17. कोप्पल
18. बेलगाम
19. मैसूर
20. मांडया
21. उडुपी
22. शिमोगा
23. हसन
24. चिकमंगलौर
25. कोदागु
26. हरिहर

खंड–1

राज्य की एक तस्वीर

अध्याय–1

कर्नाटक का आर्थिक परिदृश्य

कर्नाटक जो क्षेत्रफल तथा आबादी के रूप में भारत का आठवां सबसे बड़ा राज्य है। देश में औद्योगिक विकास में अगली पांत में रहा है। औद्योगिक उद्यमीय मेमौरेंडम के अनुसार भारतीय औद्योगिक गंतव्य (डेस्टिनेसन्स) की सूची में कर्नाटक का चौथा स्थान है। (गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश) के बाद यह राज्य सरकार की भारत के विदेश प्रत्यक्ष निवेश स्वीकृति सूची में महाराष्ट्र तथा दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक का मुख्य जोर सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढ़ांचा, विकास, खाद्य प्रोसेसिंग, गार्मेंट, हल्की इंजीनियरिंग पर हैं जो राज्य की मुख्य ताकत है। कर्नाटक का इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा कच्चे रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान है (स्त्रोत : "इंडिया 2001")

तालिका : कर्नाटक के आंकड़े

	कर्नाटक
भौगोलिक क्षेत्र (हजार वर्ग किलोमीटर)	192
कुल आबादी (मिलियन) 2001 जनगणना	53
शहरी आबादी का प्रतिशत	33.98
फैक्टरियों की संख्या +	9,780
फैक्टरियों में रोजगार* (हजार में) (1999) +	559
कुल आबादी में मजदूरों का प्रतिशत (2001 जनगणना)	49.1
महिला मजदूरों की भागीदारी दर (2001)	39.9
कुल संगठित क्षेत्र रोजगार में प्रतिशत शेयर (मार्च 1990)	5.4
निवेशित पूंजी (मिलियन) +	15,654,540
प्रतिव्यक्ति सकल औद्योगिक उत्पादन (1997–98) (रु. में)	8,469
वर्तमान कीमत पर राज्य घरेलू उत्पाद (मिलियन रूपये में) (1998–98)	579,520
प्रतिव्यक्ति आय (रूपया)	11,693

स्रोत : +"इंडिया 2001 " और बाकी "स्टैटिस्टिकल आउटलाईन आफ इंडिया 2000–2001"

**आंकड़ा में कार्य में लगे मजदूरों की औसतन दैनिक संख्या दिखायी गयी है, न कि पेरौल पर कुल संख्या*

जून 2000 में बंगलौर में भूमंडलीय निवेशकों की बैठक के दौरान 254 परियोजनाओं को जिनमें 270,500 मिलियन रूपये का निवेश होना था, क्लीयर किया गया। इसमें 47 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं ने जिन्हें क्लीयर किया गया था, उत्पादन शुरू कर दिया है जबकि 11 परियोजनाएं जिनमें इनेरकोन (इंडिया) लि. (745 करोड़ रु. का निवेश), भारत मोबाइल आप्टिकल फायबर केबल (203 करोड़ रु. का निवेश) तथा सिस्को सिस्टम लि. (220 करोड़ का निवेश) शामिल हैं कार्यान्वयन के चरण में है।

कर्नाटक आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) उद्योग में नेतृत्व करता है और इसमें सीमेन्स, मोटोरोला, एटी एंड टी, अलकाटेल, सोनी, सान्यो, जीई तथा ब्रिटिश एयरोस्पेस जैसी विशाल भूमंडलीय कंपनियों तथा भारत इलेक्ट्रानिक्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि., बीपीएल लि. जैसी बड़ी राष्ट्रीय कम्पनियां तथा अन्य अनेक शामिल हैं। 925 साफ्टवेयर कंपनियों के साथ जिनमें 80000 आईटी व्यावसायिक लोग काम करते हैं, बंगलौर भारत की निर्विवाद आईटी राजधानी है। भारतीय आईटी बड़ी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टैन्सी सर्विसेज एवं माइक्रोलैंड के अलावा, विश्व की अग्रणी कंपनियों जैसे जीई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, सीआईएससीओ, डिजिटल, आईबीएम, एचपी, कोम्पेक, मोटोरोला, लूसेंट टेक्नालाजीस, माइक्रोसाफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम्स, ओराकल, नोवेल तथा अन्य अनेक ने बंगलौर को अपना घर बना लिया है। वास्तव में विश्व की 50 प्रतिशत एसईआई सीएमएम स्तरीय 5 प्रमाणित आईटी कंपनियां बंगलौर में स्थित हैं। राज्य का अमरीकी 1 अरब डालर का कारोबार राष्ट्रीय उत्पाद का 20 प्रतिशत है। "हिन्दू" के लाठा आनंद ने यह रिपोर्ट की है।

आईटी क्रांति का नेतृत्व करने तथा बायोटेक में भी एक शक्ति बनकर उभरने के अलावा कर्नाटक अपने कॉफी एवं रेशम के लिए भी सुविख्यात हैं (भारत के कॉफी का 70 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत रेशम भी कर्नाटक से ही आता है) 2000 करोड़ रु. का प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात, 3500 करोड़ का वेश–भूषा (कपड़ो) का निर्यात तथा इस्पात एवं सीमेंट का बड़ा उत्पादन कर्नाटक की औद्योगिक विशेषताओं के कुछ मुख्य पहलू हैं।

खंड–2

राज्य की एक तस्वीर

अध्याय–1

कर्नाटक का औद्योगिक परिदृश्य

सांख्यिकीय सर्वेक्षण में यह दिखलाया गया है कि कर्नाटक में **9780 उद्योग पंजीकृत हैं** जिनमें करीब **5500 उद्योग कर्नाटक की राजधानी बंगलौर** में एवं उसके गिर्द स्थापित है और बाकी राज्य के दूसरे हिस्सों में हैं। **लघु उद्योगों का बड़ा हिस्सा** बंगलौर में और उसके गिर्द है और वे सामान्यतः इंजीनियरिंग उद्योगों के अनुसूचित रोजगार में वर्गीकृत हैं। **कर्नाटक में पंजीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 933000 हैं जिनमें करीब 534000 कर्मचारी बंगलौर तथा उसके गिर्द है।**

संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में अनेक फैक्टरियां तथा लघु उद्योग हैं। कुछ निर्मित मदों में विमान, रेल कोच, टेलीफोन उपकरण, इलेक्ट्रानिक एवं दूरसंचार उपकरण, ग्लास, बैटरी, स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रिक मोटर, टेक्सटाइल, रेशम कपड़े, चंदन का तेल, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, कैपिसिटर, खनन धातु के औजार, सीमेंट, मोटरसाइकिल, उर्वरक आदि शामिल हैं। **विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील लि. तथा भद्रावती जो अब सेल के नियंत्रण में है विशेष इस्पात, मिश्रधातु लौह सिलिकोन का उत्पादन करता है। इसमें लोहे की निर्धारित क्षमता 11097, मैगनीज –134585, ताम्बा–87802 (टन में), सोना – 429 किलो तथा चांदी 380 किलो प्रतिवर्ष है। राज्य की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है कुद्रमुख आयरन और परियोजना** जो चिकमगलूर जिले के मल्लेश्वर में है। तटवर्ती क्षेत्रों में अधिकांश खनन तथा अन्य अयस्क निष्कर्षण क्षेत्र पाये जाते है।

कर्नाटक में धातु खदानों की संख्या (1998–99)

धातु खनिज									
बाक्साइट	क्रोमाइट	ताम्बा अयस्क	सोना	लौह अयस्क	लीड और जिंक	मैगनीज अयस्क	अन्य	कुल धातु खदानें	कुल खदानें (गैर–धातु खदानों समेत)
2	5	–	4	53	–	26	–	64	177

स्रोत : स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया 1999

धातु खदानों में रोजगार (1997)

ताम्बा	क्रोमाइट	मैगनीज	सोना	लौह अयस्क	अन्य खदानें	कुल
360	951	3213	6101	–	1684	19656

स्रोत : स्टैटिस्टिकल एब्सट्रैक्ट इंडिया 1999

इसके अलावा निम्नलिखित खनन क्षेत्रों में प्रत्येक में करीब 2000 ठेका कर्मचारी काम करते हैं।

- कुद्रमुख लौह अयस्क
- सन्दूर मैगनीज
- कोलार स्वर्ण खदान
- हट्टी स्वर्ण खदान और
- अन्य अनेक उत्खननों खानों में

राज्य में करीब **9,780 बड़े तथा मझोले उद्योग** हैं जिनमें **15,654,54 करोड़ रु. का निवेश** लगा है और जो करीब **8,68,932 लोगों को रोजगार** दे रहे हैं। **223 हजार से अधिक लघु उद्योग की इकाइयां** है जिनमें **2800 करोड़ रु. का निवेश** लगा है और जो करीब **140 हजार लोगों को रोजगार** दे रहे है।

1997–98 में कर्नाटक में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार (आंकड़े 2000 में)

सार्वजनिक क्षेत्र				निजी क्षेत्र			कुल
केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अर्ध–सरकारी स्थानीय		निकाय	बड़े	छोटे	
		केन्द्र	राज्य				
133.4	521.4	185.2	175.8	70.5	682.0	75	1843.6

स्रोत : स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया, 1999

प्रति श्रमदिवस औसतन श्रम लागत, कर्नाटक (सभी उद्योग)

प्रति श्रम दिवस औसतन श्रम लागत (रुपया)			
सेन्सस क्षेत्र		सेम्पल क्षेत्र	
1993–94	1994–95	1993–94	1994–95
182.45	191.25	95.34	98.85

स्रोत : लेबर ब्यूरो, इंडियन लेबर ईयर बुक, 1997

सेन्सस क्षेत्र : उन उद्योगों को कवर करता है जो बिजली के साथ 50 या अधिक तथा बिजली के बिना 100 से अधिक मजदूरों को नियुक्त करता है।

सेम्पल क्षेत्र : उन उद्योगों को कवर करता है जो बिजली के साथ 10–49 मजदूरों तथा बिजली के बिना 20–99 मजदूरों को नियुक्त करता है।

शारीरिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि फैक्टरीज अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ उद्योग बंद हो गये हैं और उन्होंने बंदी का दर्जा दाखिल नहीं किया है एवं अपना पंजीकरण रद्द कर दिया है। रोशनी एसोसिएट्स, बंगलौर तथा उसके गिर्द करीब 30 से 40 ऐसे उद्योगों की पहचान कर सका।

ऐसी बंदी के लिए ये कारण बताये गये हैं :

1. मुद्रास्फीति
2. सरकारी नीति, कराधान

3. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुक्त प्रवेश में ढ़ील

4. बुरा कर्ज/अत्यधिक देरी और ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं करना

5. चोरी और कुप्रबंध

6. गला काट प्रतिस्पर्धा तथा विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अक्षमता आदि।

यह भी पाया गया है कि लघु उद्योग, खासकर इंजीनियरिंग उद्योग चिन्ताजनक ढंग से बंद हो रहे हैं और **प्रतिवर्ष औसतन 800 से 1000 कर्मचारी रोजगार खो रहे हैं** संभवतः प्रत्येक उद्योग संकेन्द्रित क्षेत्रों के पाकेट में।

कुछ मझोले उद्योगों में छंटनी और/या आंशिक बंदी भी हुई है। उसके अतिरिक्त कुछ उद्योग श्रमबल में कमी करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मुकाबले से अतिरिक्त लाभों की पेशकश कर रहें है।

अध्याय –2

कार्य–दशाएं

❖ औसतन काम के घंटे

बंगलौर तथा उसके गिर्द शारीरिक सत्यापन के दौरान एवं वार्षिक रिटर्न के आंकड़ों से यह पता चला कि संगठित क्षेत्रों में एक सप्ताह में औसतन काम के **40 से 45 घंटे** हैं। ऐसा अनुपस्थिति तथा श्रम कारोबार की अधिकता के कारण है। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में ठेका श्रम में काम एक सप्ताह में औसतन 50 घंटे है। हालांकि अनुपस्थिति के कारण अनेक हो सकते हैं, पर काउंसलिंग (सलाह) का कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकला है।

❖ वेतन की औसतन दरें :

हालांकि न्यूनतम वेतन बोर्ड ने विभिन्न अनुसूचित रोजगार के लिए वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित की हैं, पर यह पाया गया है कि **अधिकांश लघु उद्योग वेतन देने की स्थिति में नहीं है और यदि वे देते हैं तो उद्योग का अस्तित्व बचा नहीं रहेगा।** उद्यमियों के साथ बातचीत में यह बात प्रकाश में आयी कि कच्चे माल की लागत बढ़ गयी है। उत्पादन लागत तथा अन्य निर्धारित ओवरहेड (ऊपरी) लागत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर समेत बढ़ गयी है। इसके विपरीत खरीददार, सहयोगी उद्योग निर्मित वस्तुओं की खरीद में लागत नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वित्तदाताओं की उच्च ब्याज दरें इन संगठनों के अस्तित्व को सीधे प्रभावित करती है।

❖ न्यूनतम वेतन :

कर्नाटक में धातु मजदूरों को **इंजीनियरिंग उद्योग** के अनुसूचित रोजगार में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारी अपने काम की प्रवृति के आधार पर मौटे तौर से चार ग्रुपों में वर्गीकृत किये गये हैं जैसे–अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल। सरकार ने प्रबंधन के प्रतिनिधियों, ट्रैड यूनियन प्रतिनिधियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों का एक बोर्ड गठित किया है जो वेतन दरों के बारे में बातचीत करेगा एवं निर्णय लेगा पूरे राज्य को तीन जोनों (क्षेत्रों) में वर्गीकृत किया गया है और वेतन/मजदूरी कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी को वर्गीकृत क्षेत्र के अनुरूप दी जाती है। ये क्षेत्र मूलतः भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित हैं और वह उस खास क्षेत्र की आबादी पर भी निर्भर करता है।

क्षेत्र–1 : सभी नगर निगम

क्षेत्र–2 : सभी अन्य जिला मुख्यालय तथा एक लाख (100,000) एवं अधिक की आबादी वाले शहर

क्षेत्र–3 : राज्य के बाकी सभी क्षेत्र जो क्षेत्र–1 और 2 में कवर नहीं किये गये हैं।

वर्ष 2001 और 2002 के लिए इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत देय न्यूनतम वेतन निम्नलिखित है जो 5.2.1997 के गजट में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना नं. केएई 186 एलएमडब्ल्यू 93, तिथि 8.1.1997 पर आधारित है और जो 1.1.1997 से प्रभावी है। न्यूनतम वेतन में दो कारक शामिल हैं – **मूल तथा मंहगाई भत्ता** (डीए) (जिसे जीवन भत्ता लागत भी कहा जाता है) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है (जिसे लागत सूचकांक भी कहा जाता है)

विभिन्न स्थानों के जीवन लागत सूचकांक को ध्यान में रखा जाता है और वर्ष में एक बार राज्य का औसतन निकाला जाता है। इसके अनुरूप परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए न्यूनतम वेतन बोर्ड डीए में वृद्धि का निश्चित पता लगायेगा। इस परिवर्तन को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता या वीडीए भी कहा जाता है।

क्र.सं.	रोजगार का वर्ग	प्रतिदिन	जोन–I	जोन–I	जोन–III
1.	**उच्च कुशल**	मूल	64.00	62.00	60.00
		डीए	32.95	32.95	32.95
		कुल	**96.95**	**94.95**	**92.95**
2.	**कुशल**	मूल	55.00	52.00	49.00
		डीए	32.95	32.95	32.95
		कुल	**87.95**	**84.95**	**81.95**
3.	**अर्धकुशल**	मूल	49.00	47.00	45.00
		डीए	32.95	32.95	32.95
		कुल	**81.95**	**79.95**	**77.95**
4.	**अकुशल**	मूल	47.00	46.00	44.00
		डीए	32.95	32.95	32.95
		कुल	79.95	78.95	76.95

नोट 1 : शिमला, सीरिज (आधार वर्ष 1960 = 100 प्वाइंट) के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2000 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2329 प्वाइंट है। मूल के साथ निष्प्रभावित सूचकांक की सूची 1513 प्वाइंट है। इसलिए डीए 1513 प्वाइंट से ऊपर प्रतिदिन प्रति प्वाइंट 3.5 पैसे की दर से देना है, यानी 2329–1513=816 प्वाइंट (816 x 3.5 = 2856 x 30 = 85680 इसे 26 से भाग करने पर = 32.95) इसलिए 2001–2002 के लिए प्रतिदिन देय डीए 32.95 रु. है।

नोट : 2 कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन एवं वीडीए की दैनिक दरें 26 से कुल मासिक वेतन में भाग देकर निकाली जाती हैं।

♦ कानूनी कल्याण लाभ :

1. कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए मेडिकल देखभाल तथा लाभ–एम्पलाइज स्टेट इन्शोरेंस (ईएसआई)
2. अपने जीवन की संध्या के लिए माप–ग्रेच्युइटी
3. अपने परिवार तथा अपने लिए जीवन समर्थक बचत–एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड।
4. एक अधिकार के रूप में लाभ–श्रम कल्याण फंड।

♦ ठेका मजदूर/ठेका कर्मचारी :

सर्वेक्षण कार्य के शारीरिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया है कि संगठित उद्योगों के बड़े तबके में ठेका

मजदूरों से काम लिया जाता है। यह भी पाया गया है कि जहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भी इन ठेके पर कर्मचारियों को काम पर लगाया जाता है भी बताया गया है कि कुछ बड़े क्षेत्रों में यह ऐसे ठेके पर कर्मचारी मुख्य शाप फ्लोर (विभाग) में भी काम करते हैं। **हालांकि वे स्थायी कर्मचारियों के बराबर या उनसे बेहतर काम करते है, पर यह पाया गया है कि उन्हें समान रूप से वेतन नहीं दिया जाता है।**

अधिकांश असंगठित क्षेत्रों में ठेका मजदूरों द्वारा काम किया जाता है। यह पाया गया है कि अनेक मामलों में ठेका मजदूरों को **न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है जो उस अनुसूचित रोजगार में लागू है जहां वह काम करता है।**

ठेका मजदूर (अनायास सर्वेक्षण शारीरिक सत्यापन के अनुरूप) घोषित काम करने वाले रोजगार की कुल शक्ति के करीब 30 से 35 प्रतिशत है लेकिन उनका यही आंकड़ा रिकार्ड में नहीं है क्योंकि अधिकारिक अभिपुष्टि के जरिये उसका आंकड़ा नहीं मिल सका है।

अध्याय–3

औद्योगिक संबंध

♦ ट्रेड यूनियनें

कर्नाटक में दिसंबर 2000 को पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की कुल संख्या **4088** थी (उप–श्रमायुक्त के कार्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुरूप)। कर्नाटक में संगठित क्षेत्र में यूनियनें अच्छा काम कर रही हैं पर उनकी सेवा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिली है। हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, व्यापक लेआफ तथा छंटनी ने ट्रेड यूनियनों के बीच गंभीर चिन्ता पैदा कर दी है। बंगलौर तथा आसपास के क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हैं और खासकर राजाजीनगर औद्योगिक क्षेत्र एवं पेन्नया औद्योगिक क्षेत्र पर संगठनात्मक दृष्टि से अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

♦ औद्योगिक विवाद

कर्नाटक की ख्याति मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए रही है। ट्रेड यूनियनों को औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करने में एक समर्थक एवं रचनात्मक भूमिका अदा करनी है तथा सकरात्मक कल्याण कार्यक्रमों की भी जिम्मेवारी लेनी है।

राज्य में 1997 में औद्योगिक विवाद 26 रहा है जो अन्य औद्योगिक राज्यों की तुलना अपेक्षाकृत कम है।

कर्नाटक में औद्योगिक विवाद, 1997

विवादों की संख्या	शामिल मजदूरों की संख्या	नुकसान हुए श्रम दिवसों की संख्या
26	99,670	428,683

स्रोत : स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया, 1999

मुख्य निष्कर्ष :

कर्नाटक में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

(मिलियन रु. में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ग्रुप ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	235	3	52688	14277	236	14513	5198	19711	7812	27523	15347	18704
2. धातु उत्पादों एवं पुर्जों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर	457	6	4326	9758	268	10026	1477	11503	4879	16382	916	1059
3. परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	1129	3	50961	49250	7273	56523	4065	60588	38627	99215	7580	9753
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	165	4	7684	13160	1557	14717	2320	17037	6016	23053	2015	2735
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	139	6	3522	5546	2976	8522	735	9257	3980	13237	877	1064
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	220	10	5572	41390	146	41536	661	42197	11422	53619	1085	1202
7. मरम्मत सेवा	33	2	198	587	1	588	0	588	329	917	34	40
कुल	**2378**	**6**	**124950**	**133968**	**12457**	**146425**	**14456**	**160881**	**73065**	**233946**	**27854**	**34557**
अखिल भारतीय आंकड़ा	39659	100	1683618	1793383	86836	1880354	232310	2112664	814453	2927117	196089	2382511
अखिल भारतीय आंकड़े के अनुपात में राज्य का कुल(%)	6	6	7	7	14	8	6	8	9	8	14	1

मुख्य निष्कर्ष :

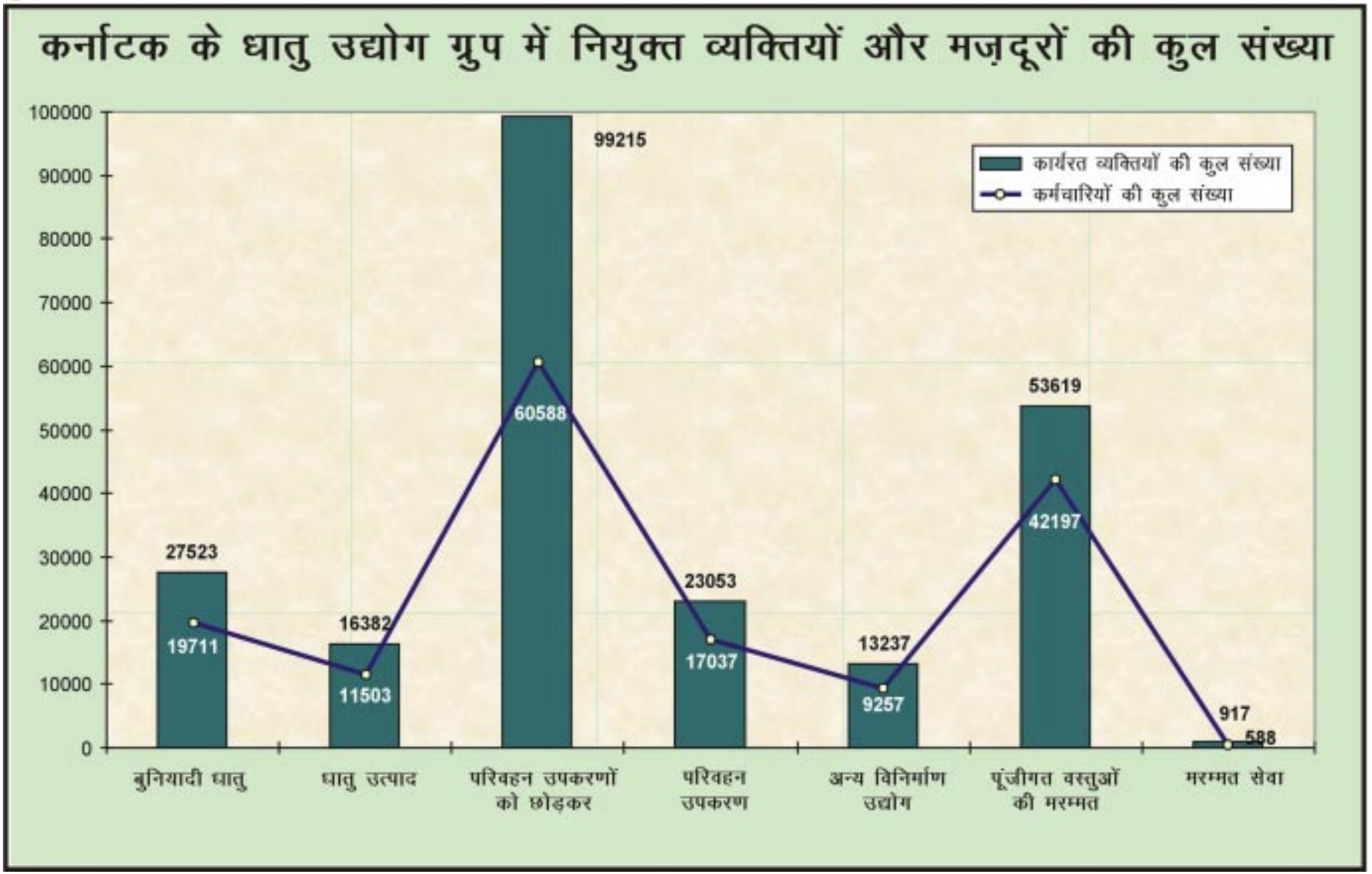

कर्नाटक के धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्तियों और मज़दूरों की कुल संख्या
कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
27523
19711
बुनियादी धातु
16382
11503
धातु उत्पाद
99215
60588
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
23053
17037
परिवहन उपकरण
13237
9257
अन्य विनिर्माण उद्योग
53619
42197
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
917
588
मरम्मत सेवा

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

N
NANDURBAR
DHULE
JALGAON
NASHIK
THANE
GREATER MUMBAI
MUMBAI
PUNE
RAIGARH
RATNAGIRI
SINDHUDURG
KOLHAPUR
SANGLI
SATARA
SOLAPUR
AHMEDNAGAR
AURANGABAD
JALNA
BID
OSMANABAD
LATUR
PARBHANI
HINGOLI
NANDED
BULDANA
AKOLA
WASHIM
AMRAVATI
YAVATMAL
WARDHA
NAGPUR
BHANDARA
GONDIA
CHANDRAPUR
GARHCHIROLI
BALHARSHAH
औद्योगिक पट्टी
1. अकोला
2. औरंगाबाद
3. बल्लारपाह
4. भंडा
5. चंद्रपुर
6. धुले
7. जलगांव
8. कोल्हापुर
9. कोइना नगर
10. मुम्बई
11. नागपुर
12. नाशिक
13. पिम्परी
14. पुणे
15. रत्नागिरि
16. सांगली
17. सतारा
18. सोलापुर
19. थाणे
20. उल्हासनगर

खंड–एक

राज्य की एक तस्वीर

अध्याय–1

महाराष्ट्र का आर्थिक परिदृश्य

महाराष्ट्र ने जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 308 हजार वर्ग किलोमीटर है, देश के औद्योगिक विकास में एक उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। राज्य का ध्यान हमेशा मजबूत औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने पर लगा रहा है क्योंकि वह अपने विकास के लिए केवल कृषि पर निर्भर नहीं कर सकता है।

भारत की तुलना में महाराष्ट्र का आंकड़ा

	महाराष्ट्र	भारत
भौगोलिक क्षेत्र (हजार वर्गकिलोमीटर)	308.0	3287.0
कुल आबादी (2001) (मिलियन में)	96.7	1027
शहरी आबादी का प्रतिशत (2001)	38.7	25.7
बिजली उत्पाद (अरब केडब्ल्यूएच)	42.2	324.1
चलनेवाली फैक्ट्रियां (हजार)	23.4	205.0
फैक्ट्री मजदूर (हजार)	1163.0	8431.0
प्रतिव्यक्ति सकल उत्पादन (रुपया)	7859.0	31225.0
फैक्टरी लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (अरब रु. में)	1014.5	7071.5
प्रतिव्यक्ति जीडीपी (रुपया)	12216.0	7963.0

उपलब्ध संकेतों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था के 1999–2000 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है। 1999–2000 में राज्य की आय की सेक्टरीय (क्षेत्रीय) वृद्धिदर प्राथमिक क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत सेकंडरी क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत तथा तृतीय क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत बढ़ने की आशा है महाराष्ट्र की राज्य आय (यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्तमान कीमत पर (1993–94 की नयी सीरिज) 1998–99 में 1954200 मिलियन रु. होने का अनुमान है जबकि 1997–98 में 1323420 मिलियन रु. थी। इस तरह राज्य ने 1998–99 में 9.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जो 1997–98 में 6.2 प्रतिशत से डेढ़ गुना अधिक है।

उदारीकरण प्रक्रिया से जो एक भूमंडलीय अर्थव्यवस्था की दिशा के देश के बढ़ने के एक हिस्से के रूप में 1991 में शुरू हुई, उद्योगों में विदेशी तथा घरेलू निवेश में वृद्धि के रूप में देश में औद्योगिक कार्यकलापों में तेजी आ गयी। महाराष्ट्र को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लाभ मिला है।

अगस्त 1991 और अगस्त 1997 के बीच कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो 1291.35 अरब रु. है। महाराष्ट्र को 155.98 अरब रु. प्राप्त हुआ है। यह देश में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 12.07 प्रतिशत होता है। घरेलू औद्योगिक निवेश के रूप में महाराष्ट्र अगली पांत में रहा है और वहां अगस्त 1991 और अक्टूबर 1997 के बीच 1642.1 अरब रु. (23.20 प्रतिशत) का प्रभावशाली निवेश हुआ।

औद्योगिक क्षेत्र में यह निर्विवाद है कि विनिर्माण एक अंशभूत हिस्सा है और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) से यह पता चलता है कि 1997–98 के दौरान पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र से उत्पादन के देश के सकल मूल्य में राज्य का हिस्सा 21 प्रतिशत था जो देश में अद्वितीय है।

अध्याय –2

महाराष्ट्र का औद्योगिक परिदृश्य

पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र में पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या 8283 से बढ़कर 27982 हो गयी। रोजगार 787000 से बढ़कर करीब 1260000 हो गया। इसी अवधि में उत्पादक पूंजी में 23 गुनी वृद्धि हुई और सकल उत्पादन में 27 गुनी।

विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या का करीब 15 प्रतिशत इसी क्षेत्र में स्थित है। राज्य में फैक्टरियों तथा रोजगारशुदा मजदूरों की संख्या में वृद्धि इस तथ्य का प्रमाण है कि यह औद्योगिक उद्यमों के व्यापक क्षेत्र का प्रथम स्थान है।

महाराष्ट्र में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है मुम्बई–थाने–पुणे–पट्टी जहां राज्य के कुल उत्पादन का प्रायः 60 प्रतिशत उत्पादन होता है। दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने लिए भी लगातार प्रयास किये जा रहा है, जैसे **नागपुर, औरंगाबाद, शोलापुर, जलगांव, रायगढ़, अमरावती तथा रत्नागिरी** और वहां सहायक आधारभूत ढ़ांचा एवं विकास के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित किया जा रहा है। मार्च 1997 तक राज्य में 125 कोआपरेटिव औद्योगिक इस्टेट थे जिनमें 74 नयी इकाइयों को आगे बढ़ाया गया। फिर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने 270 औद्योगिक इस्टेटों की योजना बनायी गयी जिनमें 195 कार्य कर रहें है।

कुल घरेलू औद्योगिक निवेश के रूप में महाराष्ट्र अगली पांत में है अगस्त 1991 और अक्टूबर 1997 के बीच अनुमानित घरेलू निवेश 7292.12 अरब रु. था जिसमें महाराष्ट्र में 1692.1 अरब डालर (23.20 प्रतिशत था)।

एएसआई के तहत शामिल कुल 24 उद्योग डिवीजनों में दस उद्योग डिवीजनों ने राज्य में औद्योगिक उत्पादन में काफी योगदान दिया। ये डिवीजन हैः

1. केमिकल और केमिकल उत्पाद
2. मशीनरी और उपकरण
3. परिवहन उपकरण
4. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद
5. खाद्य उत्पाद
6. बुनियादी धातु
7. धातु उत्पाद
8. सूती कपड़ा
9. सिंथेटिक फायबर टेक्सटाइल और
10. अन्य विनिर्माण उद्योग

इन उद्योग डिवीजनों का राज्य तथा अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वर्धित में क्रमशः 74 प्रतिशत और 68 प्रतिशत हिस्सा है। 19 उद्योग डिवीजनों महाराष्ट्र मूल्य वर्धित के मामले में देश में तीन अग्रणी राज्यों में प्रथम है। इन 19 में महाराष्ट्र का 12 उद्योग डिवीजनों में प्रथम स्थान था।

राज्य का क्रमशः 9 उद्योग डिवीजनों और 7 डिवीजनों के प्रत्येक के मामले में देश में उत्पादों के मूल्य तथा मूल्य वर्धित में बड़ा हिस्सा था। राज्य में प्रतिव्यक्ति शुद्ध मूल्य वर्धित अखिल भारतीय प्रतिव्यक्ति मूल्यवर्धित के दो गुना अधिक था।

उद्योग डिवीजन तथा उसका हिस्सा नीचे के ग्राफ में दिखाया गया है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत शामिल कुल 24 उद्योग डिवीजनों में दस उद्योग डिवीजनों ने जिसका पहले उल्लेख किया गया है। राज्य के औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इन दस उद्योग डिवीजनों ने राज्य में तथा अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धित में क्रमशः 74 प्रतिशत एवं 68 प्रतिशत का योगदान दिया इस उद्योग डिवीजन के मामले में भारत में औद्योगिक उत्पादन के औसतन सूचकांक के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि राज्य में 1999–2000 के प्रथम नौ महीनों में औद्योगिक उत्पादन (विनिर्माण) 1998–99 वर्ष की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक था। महाराष्ट्र भारत के औद्योगिक परिदृश्य में नेतृत्वकारी स्थिति में बना हुआ है।

भारत में मूल्यवर्धित में बड़े राज्यों का हिस्सा

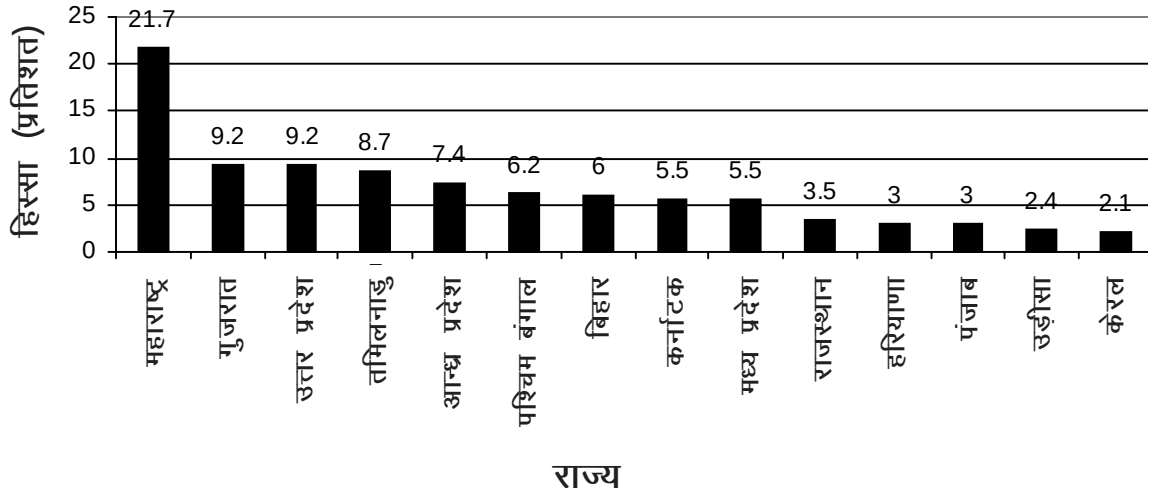

राज्य सरकार की औद्योगिक नीति

दिसंबर 1995 में महाराष्ट्र की नयी उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य नीति की घोषणा की गयी नयी नीति का बुनियादी दृष्टिकोण है।

क) उदारीकरण का सशक्त समर्थन

ख) कार्यविधियों की पारदर्शिता एवं सरलीकरण

ग) विकास कार्यों में मिली क्षेत्र की भागीदारी

घ) विकासशील क्षेत्रों में आधारभूत ढांचें पर जोर।

इस नीति के तहत इन कदमों को उठाने का निर्णय दिया गया रू

1. राज्य में नौ विभिन्न स्थानों में आकृष्ट आधारभूत ढ़ांचें के साथ औद्योगिक टाउनशिप विकसित करना : ये हैं बूतीबोरी (नागपुर), सिन्नार (नासिक), नंदगांव पेठ (अमरावती), वालूज–शेन्द्रे (औरंगाबाद), कुशनूर (नांदेड), कागल–हंटकांगले (कोल्हापुर), महाद (रायगढ़), निवाली फाटा (रत्नगिरी) और इंदपुर (पुणे)। इन औद्योगिक टाउनशिप का क्षेत्र दो से सात हजार हेक्टर होगा।

2. सिंगल विंडो सिस्टम : प्रत्येक औद्योगिक में अनुकूल प्रशासनिक केन्द्र निर्मित करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के काम में लगे हैं और जिन्हें आवश्यक शक्ति दी गयी है, उपस्थित रहेंगे एवं परियोजनाओं को समबद्ध क्लीयरेंस देंगे।

3. सरकारी प्रतिष्ठानों के निजीकरण को प्रोत्साहन देना।

4. मुम्बई मेट्रोपालिटन क्षेत्र (एमएमआर), 1993 की औद्योगिक स्थान नीति में कुछ संशोधन किया जाएगा ताकि उन उद्योगों जो क्षेत्र–। में अनुसूची ।। श्रेणी में आते हैं, विस्तार करने या उत्पाद बदलने या प्रगति की अनुमति दी जा सके बशर्ते कि उद्योग को किसी अतिरिक्त बिजली की जरूरत नहीं हो या विनिर्माण उद्देश्यों के लिए निर्मित क्षेत्र की जरूरत नहीं हो और ऐसे परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल प्रदूषण में कमी हो।

5. छोटे उद्यमों के लिए (क) – छोटे उद्यमियों को उद्यम शुरू करने के लिए बीज पूंजी एवं बैंक वित्तीय सहायता के जरिये करीब 0.12 मिलियन रु. की सहायता प्रदान करना। (ख) बी.सी.डी तथा डी + क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र को स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण की या रेहनदारी सौदे से छूट और (ग) प्रोत्साहनों की पैकेज स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की योग्यता हासिल करने के लिए एक करोड़ रु. कम मूल्य की आयतित (सेकंडहैंड) मशीनरी बनाना।

6. महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को मजबूत बनाना ताकि वह खादी ग्रामोद्योग कमीशन के जरिये कार्यान्वित केन्द्र सरकार की ब्याज सब्सिडी स्कीम में परिवर्तनों को लागू कर सके।

7. कृषि–उद्योग के लिए एक स्वतंत्र नीति

8. एमआईडीसी के जरिये समुद्री तट पर झींगा मछली पार्क विकसित करना जहां उद्यमियों को शीत भंडार, पैकेजिंग, गोदाम तथा तालाब मछली जैसे आवश्यक आधारभूत ढांचे प्रदान किये जायेंगे।

अभी तक नयी औद्योगिक नीति के तहत

(क) महाद (रायगढ़) बुतीबोरी (नागपुर) में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है और नंदगांव पेठ (अमरावती), वालूज–शेन्द्रे (औरंगाबाद) एवं कुशनूर (नोदेड) में कार्य पूरा होने को है। बाकि चार स्थानों में कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) राज्य में 12 औद्योगिक टाउनशिप में सिंगल बिंडो सिस्टम शुरू किया गया है।

(ग) इस नीति के तहत दिसंबर 1999 के अंत तक 106085 छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

(घ) राज्य सरकार ने 1 जून 1999 के बाद स्थापित कृषि उद्योगों के लिए 'कृषि उद्योग प्रोत्साहन स्कीम' शुरू की है।

नया निवेश

उदारीकरण की प्रक्रिया ने राज्य के तेज औद्योगिक विकास को एक नयी गाति प्रदान की है। उदारीकरण के बाद (अगस्त 1991–1999) महाराष्ट्र में 1741930 मिलियन रु. के निवेश के साथ 8283 परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार में उनका पूंजीकरण किया गया है। ये परियेाजनाएं 1484520 रोजगार पैदा करेंगी। प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा कोंकण में लगेगा (47 प्रतिशत) उसके बाद पुणे क्षेत्र में (24 प्रतिशत) और नासिक क्षेत्र में (11 प्रतिशत)। इन 8283 परियोजनाओं में 527470 मिलियन रु. के साथ परियोजनाओं ने उत्पादन शुरू कर दिया है और 301491 रोजगार पैदा किये हैं। बाकी परियोजनाओं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

उदारीकरण के बाद औद्योगिक विकास में आदिवासी भारतीयों की भागीदारी भी एक विशेषता है।

महाराष्ट्र में नयी पंजीकृत फैक्टरियां

1998 के दौरान फैक्टरीज अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में नये पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या 2347 थी इन फैक्टरियों में रोजगार की संख्या 72000 थी। नयी पंजीकृत फैक्टरियों में 82 प्रतिशत में 50 से भी कम मजदूर नियुक्त थे। नयी पंजीकृत फैक्टरियों मे अधिक हिस्सा उद्योग ग्रुप सूती टेक्सटाइल (28.4 प्रतिशत) खाद्य उत्पाद (10 प्रतिशत) लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद (8.1 प्रतिशत), बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु, धातु उत्पाद एवं पुरजे (मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर) (8.1 प्रतिशत) तथा केमिकल एवं केमिकल उत्पाद (6.7 प्रतिशत) का है।

सरकारी नीति का मुख्य जोर इस बात पर है कि औद्योगिक रूप से विकसित मुम्बई–थाने पट्टी के अलावा क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये। मुम्बई तथा उपनगरीय जिलों–पुणे एवं थाने के अतिरिक्त जिलों का फैक्टरी रोजगार में हिस्सा 1975 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 1998 में 44 प्रतिशत हो गया। बाकि जिलों का 1975 और 1998 के बीच फैक्टरी रोजगार में बड़ा हिस्सा था (सूती कपड़ा उद्योग को छोड़कर जो मुम्बई में हड़ताल से प्रभावित हुआ)।

आयात–निर्यात

1999–2000 के दौरान निर्यात में मजबूत रिकवरी (वसूली) हुई जिसमें अप्रैल–दिसबंर 1999 में अमरीकी डालर मूल्य में 12.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1999 में उसी अवधि के दौरान निर्यात 27419 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ उसी अवधि के दौरान आयात 34458 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ जो पूर्व वर्ष के आयात से 9 प्रतिशत अधिक था।

इस अवधि में अमरीकी डालर के रूप में व्यापार अनुमानित व्यापार घाटा 7039 मिलियन अमरीकी डालर था। भारतीय रिर्जव बैंक में विदेश मुद्रा परिसंपत्ति जनवरी के अंत तक 31941 मिलियन अमरीकी डालर थी जो कि मार्च 1999 के अंत तक 29522 मिलियन अमरीकी डालर थी।

महाराष्ट्र राज्य और भारत के निर्यात (मिलियन रुपया में)

वर्ष	भारत (रु.)	महाराष्ट्र (रु.)	महाराष्ट्र का हिस्सा (%)
1995–96	1064640	356510	33
1996–97	1175250	413570	35
1997–98	1410300	438840	31
1998–99	1428000	390420	27

जनवरी से दिसंबर 1999 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए 36 आशय–पत्र एवं 8 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये। 1999 के दौरान जो उद्योग जारी किये गये आशय–पत्र मुख्यतः इंजीनियरिंग (5), इलेक्ट्रिकल मशीनरी (4) तथा टेक्सटाइल (3) के लिए था। उद्योगों को जिन्हें आशय–पत्र जारी किये गये, वे मुम्बई, थाने, रायगढ़, पुणे तथा नासिक जिले के थे। इसके अतिरिक्त जनवरी से अगस्त 1999 तक भारत सरकार ने आर्गेनिक केमिकल (102), इलेक्ट्रिकल मशीनरी (947), इंजीनियरिंग (45) लौहा एवं इस्पात (35), प्लास्टिक (31) तथा टेक्सटाइल (28) में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 721 औद्योगिक उद्यमीय मेमौरेंडम प्राप्त किये।

औद्योगिक उत्पादन

1999–2000 के अनुपालों में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन (विनिर्माण) में करीब 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1998–99 में 5.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

औद्योगिक संबंध

1999 में हड़ताल तथा तालाबंदी के कारण फैक्टरियों में काम–बंदी की संख्या 63 थी और वह 1998 में 82 से कम थी। लगातार काम–बंदी समेत काम–बंदी के कारण 1999 के दौरान 4.9 मिलियन श्रम दिवसों का नुकसान हुआ जबकि 1998 में 5.4 मिलियन श्रम दिवसों का नुकसान हुआ था।

महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक विवाद

मद	1981	1986	1991	1996	1998	1999*
टेक्सटाइल मिलें						
1. हड़तालों की संख्या तालाबंदी	66	28	10	15	9	18
2. शामिल मजदूर	564	108	61	304	57	105
3. श्रमदिवसों का नुकसान	47,365	5.920	2.368	5,313	8,050	8,725
इंजीनियरिंग फैक्टरियांः						
1. हड़तालों की संख्या तालाबंदी	119	65	59	30	22	20
2. शामिल मजदूर	412	140	110	97	39	34
3. श्रम दिवसों का नुकसान	16,209	10,927	14,462	15,603	22,470	22,090
अन्यान्य						
1. हड़तालों की संख्या तालाबंदी	451	207	148	56	51	25
2. शामिल मजदूर	1,031	584	423	1,313	260	90
3. श्रम दिवसों का नुकसान	31,489	36,131	29,663	13,112	23,395	18,280
कुल						
1. हड़तालों की संख्या तालाबंदी	636	300	217	101	82	63
2. शामिल मजदूर	2,007	831	594	1,715	356	229
3. श्रमदिवसों का नुकसान	95,054	52,978	46,493	34,028	53,915	49,095

लघु उद्योग (एसएआई) क्षेत्र का विकास

लघु उद्योग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और निम्न पूंजी लागत के रोजगार के अवसर पैदा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। लघु उपयोग क्षेत्र के तेज विकास के लिए राज्य सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के पंजीकरण की कार्यविधियों को सरल बना दिया है और इसके अनुरूप दस्तावेजों में कमी की गयी है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की लाइन पर लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की स्कीम में संशोधन किया है। इसके अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए निवेश की सीमा 30 मिलियन रु. से कम करके 1 मिलियन रु. कर दिया गया है। इस छोटे क्षेत्र के लिए निवेश सीमा 0.2 मिलियन रु. से बढ़ाकर 50000 रु. कर दिया गया है। 31 दिसंबर को राज्य में लघु उद्योग की इकाइयों की कुल संख्या 287712 थी। इन लघु उद्योगों की इकाइयों की कुल पूंजी 536960 मिलियन रु. थी और कुल रोजगार 2.132 मिलियन था। दिसंबर 1998 तक यह आंकड़ा क्रमशः 337320 मिलियन रु. एवं 1.892 रोजगार था।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी)

राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्य सरकार एमआईडीसी के जरिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू कर रही है।

1. पूरे राज्य में 63 विकास केन्द्रों की स्थापना
2. राज्य के सभी तालुका में मिनी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
3. 5 केन्द्रीय सरकारी विकास केन्द्रों की स्थापना
4. 9 केन्द्रों में 'पांच तारांकित' औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जैसा कि राज्य की उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य नीति, 1995 में घोषणा की गयी थी।

एमआईडीसी राज्य में उद्योगों के तेज, व्यस्थित प्रगति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आंतरिक सड़कें, पानी, बिजली, तथा अन्य आंतरिक सेवाओं जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित भूखंड प्रदान करता है। एमआईडीसी ने चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में शेडों का भी निर्माण किया है। एमआईडीसी को विकास के लिए सौंपे गये क्षेत्रों की संख्या मार्च 1999 के अंत तक 270 थी। इन 270 औद्योगिक क्षेत्रों में 94 बड़े थे और 67 विकास केन्द्र थे (इनमें 62 राज्य सरकार के तथा 5 केन्द्र सरकार के) और 109 मिनी–औद्योगिक क्षेत्र थे।

1997–98 और 1998–99 में एमआईडीसी का कार्य–निष्पादन

मद	1997–98	1998–99	1998–99 के अंत में संचित
बनाया गया भूखंड	2,935	2,338	48,552
आवंटित भूखंड	2,254	1,100	40,783
निमित शेड	10	–	3,891
आवंटित शेड	20	–	3,646
उत्पादन में इकाइयां (नयी)	1,133	1,545	21,330
निमार्णाधीन इकाइयां	581	596	3,857
इकाइयों में कुल निवेश (रुपये में)	**35,830**	**3,670**	**248,830**

रोजगार

फैक्टरियों के आंकड़ो के अनुसार जून 1998 अंत में राज्य में औसतन फैक्टरी रोजगार 1.236 मिलियन था। अप्रैल–दिसंबर 1999 के दौरान रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 78.2 मिलियन श्रमदिवस रोजगार दिया गया जबकि पूर्व वर्ष की उसी अवधि के दौरान 63.2 मिलियन श्रमदिवस रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल से दिसबंर 1999 की अवधि के दौरान 31.2 मिलियन श्रमदिवस रोजगार प्रदान किया गया। 1998–99 में रोजगार एवं स्वरोजगार लाइसेंस केन्द्र में नये पंजीकरणों की संख्या 0.785 मिलियन थी जो पूर्व वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। दिसंबर 1999 के अंत में रोजगार एवं स्वरोजगार केन्द्रों के रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 4.184 मिलियन थी।

खंड–दो

धातु उद्योग का सर्वेक्षण

अध्याय–1

फैक्टरी रोजगार

फैक्टरी रोजगार में फैक्टरीज अधिनियम 1948 की धारा 2 एम (i), धारा 2 एवं (ii) तथा धारा 85 के तहत पंजीकृत फैक्टरियों में रोजगार शामिल है। अखिल भारतीय स्तर पर फैक्टरी रोजगार के संबंध में नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा से, जो वर्ष 1997 से सम्बन्धित है। यह संकेत देता है कि महाराष्ट्र राज्य का देश के सभी राज्यों में औसतन दैनिक फैक्टरी रोजगार के मामलें में प्रथम स्थान बना हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य के लिए फैक्टरी रोजगार के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो वर्ष 1998 से संबंधित है। औसतन दैनिक फैक्टरी रोजगार 1.252 मिलियन था जो 1997 से तीन प्रतिशत कम था। विनिर्माण क्षेत्र में जिसका कुल फैक्टरी रोजगार में 91 प्रतिशत हिस्सा था, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, मध्यवर्ती वस्तु उद्योग तथा पूंजीगत माल उद्योग शामिल हैं। मुख्य उद्योग डिवीजन–वार रोजगार निम्न तालिका में दिखाया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में मुख्यधातु उद्योगों में फैक्टरी रोजगार

उद्योग डिवीजन	औसतन दैनिक रोजगार			कुल का प्रतिशत		
	1961	1997	1998	1961	1997	1998
बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग, धातु उत्पाद एवं पुरजे (मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर)	49,853	152,126	146,963	6.3	11.8	11.7
पूंजीगत माल	121,920	323,355	296,784	15.5	25.0	23.7
मशीनरी और उपकरण (परिवहन उपकरण को छोड़कर)	59,396	183,696	171,938	7.5	14.2	13.7
परिवहन उपकरण 7 पुरजे	46,867	104,529	93,299	6.0	8.1	7.5
अन्य विनिर्माण उद्योग	15,657	35,130	31,547	2.0	2.7	2'5

उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में रोजगार में गिरावट से भिन्न मध्यवर्ती वस्तु उद्योग तथा पूंजीगत माल उद्योग में रोजगार में पिछले 38 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी। मध्यवर्ती वस्तु उद्योग में रोजगार 0.13

मिलियन से बढ़कर 0.37 मिलियन हो गया। इसी तरह पूंजीगत माल उद्योग में रोजगार 1961 में 0.12 मिलियन से बढ़कर 1998 में 0.30 मिलियन हो गया।

राज्य में औसतन दैनिक फैक्टरी रोजगार 1961 से 1981 की अवधि के दौरान 1.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। पर उसके बाद राज्य में फैक्टरी रोजगार में 1981–82 में मुम्बई में सूती टेक्सटाइल उद्योग में तथा 1984 में थाणे तथा पुणे क्षेत्र क्षेत्र में अन्य फैक्टरियों में हड़ताल के कारण गिरावट आ गयी। हाल के वर्षों में कुल फैक्टरी रोजगार में कुछ वसूली हुई और वह 1993 वर्ष में 1981 में 1.192 मिलियन के हड़ताल पूर्व की अवधि के स्तर से बढ़ गया।

1961 से 1998 की अवधि के दौरान फैक्टरी रोजगार में 11.115 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर दर्ज की गयी। पर उसी अवधि के कुल फैक्टरियों में वार्षिक वृद्धि दर काफी अधिक 3.85 प्रतिशत थी।

महाराष्ट्र राज्य में धातु उद्योगों में रोजगार

उद्योग ग्रुप	औसतन दैनिक रोजगार					
	1981	1986	1991	1996	1998	अर्धवार्षिक 1999
बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग, धातु उत्पादन एवं पुरजे	1,310	1,181	1,301	1,448	1,470	1,435
मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर (मशीनरी और उपकरण)	1,786	1,728	1,614	1,773	1,719	1,676

1999 की जनगणना के अनुरूप मजदूर

1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में मजदूरों का अनुपात 43 प्रतिशत था जो 1981 के ही बराबर था। मजदूरों का अनुपात शहरी क्षेत्रों से (32.3 प्रतिशत) से ग्रामीण क्षेत्रों में (49.7 प्रतिशत) अधिक था।

पुरूष मजदूर

राज्य में पुरूष आबादी में पुरूष मजदूरों का अनुपात 1981 में 53.7 प्रतिशत से गिरकर 1991 में 52.2 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में (53.3 प्रतिशत) यह अनुपात शहरी क्षेत्रों (50.6 प्रतिशत) से अधिक था। राज्य में कुल मजदूरों में पुरुष मजदूरों का अनुपात 62.8 प्रतिशत था।

महिला मजदूर

पुरूष मजदूरों के अनुपात में गिरावट से भिन्न महिला आबादी के अनुपात में महिला मजदूरों की संख्या 1981 में 30.6 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 33.1 प्रतिशत हो गया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 46.0 प्रतिशत था जो राज्य में कुल मजदूरों में महिला मजदूरों के अनुपात से अधिक था जो 37.2 प्रतिशत था।

रोजगार बाजार सूचना

रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम के तहत मुम्बई में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में जो 25 या अधिक मजदूरों को नियुक्त करते हैं, तथा बाकी राज्य के प्रतिष्ठानों जो 10 से या अधिक मजदूरों को नियुक्त करते हैं के लिए आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं। मार्च 1999 के अंत तक इन प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार 3.81 मिलियन था जबकि मार्च 1998 के अंत तक 3.85 मिलियन था और इस तरह पिछले एक वर्ष में रोजगार में एक प्रतिशत की कमी हुई।

ईएमआई कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 1999 के अंत तक 3.81 मिलियन रोजगार में 2.3 मिलियन रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र में था। सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार में स्थानीय निकायों में रोजगार का हिस्सा, 29 प्रतिशत, केन्द्र सरकार में 19 प्रतिशत, अर्ध – केन्द्र सरकार में 18 प्रतिशत, अर्ध–राज्य सरकार में 11 प्रतिशत, हिस्सा था। 3.81 मिलियन रोजगार में राज्य में मार्च 1999 के अंत तक निजी क्षेत्र में रोजगार 1.51 मिलियन था जबकि पूर्व वर्ष के अंत में 1,52 मिलियन था।

अध्याय –2

धातु उद्योग में कानूनी न्यूनतम वेतन

महाराष्ट्र राज्य ने धातु उद्योग में कुशल, अर्ध–कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों के लिए वेतन की न्यूनतम दरें प्रस्तावित की हैं। कुशल, अर्ध–कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा प्रत्येक सेगमेंट (खंड) की विशेषताओं के अनुरूप अलग–अलग सेगमेंट में कुछ अलग–अलग है।

स्पष्टता के लिए धातु उद्योग में कर्मचारियों को देय वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित करते हुए राज्य के उद्योग को प्रत्येक सेगमेंट के लिए जोनो में बांटा गया है।

वाच स्ट्रिप का निर्माण

- ❖ जोन–I : म्युनिसिपल कार्पोरेशन की सीमा के अंतर्गत इसमें सभी क्षेत्र तथा पड़ोस के एमआईडीसी क्षेत्र शामिल हैं।
- ❖ जोन–II : महाराष्ट्र राज्य के अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं जो जोन–I में शामिल नहीं है।

वाच स्ट्रिप निर्माण उद्योग में देय न्यूनतम वेतन की अनुसूची

कर्मचारियों का वर्ग	प्रतिमाह वेतन की न्यूनतम दरें	
	जोन–I (रु.)	**जोन–II** (रु.)
कुशल	1300.00	1200.00
अर्ध–कुशल	1200.00	1150.00
अकुशल	1150.00	1100.00

साइकिल मैकेनिक वर्कशाप

- ❖ जोन–I : इसमें ग्रेटर मुम्बई, न्यू मुम्बई, थाणे तथा कल्याण–डोम्बिविली को म्युनिसिपल कार्पोरेशन की सीमा के अंतर्गत भरनेवाले सभी क्षेत्र शामिल हैं।
- ❖ जोन–II : महाराष्ट्र राज्य के अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं जो जोन–I में शामिल नहीं है।

साइकिल मैकेनिक वर्कशाप में देय न्यूनतम वेतन की अनुसूची

कर्मचारियों का वर्ग	प्रतिमाह वेतन की न्यूनतम दरें	
	जोन–I (रु.)	**जोन–II** (रु.)
कुशल	1750.00	1600.00
अर्ध–कुशल	1700.00	1550.00
अकुशल	1650.00	1500.00

ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशाप और गैरेज

❖ जोन–I सीमा के अंतर्गत सभी क्षेत्र

1. ग्रेटर मुम्बई की म्युनिसिपल कार्पोरेशन
2. रायगढ़ जिले के उरान, पानवेल, कारजात तथा खालापुर तालुका
3. थाणे जिले के थाणे, वसाई, भिवाड़ी, कल्याण तथा उलहासनगर तालुका शामिल हैं।

❖ जोन–II स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत सभी क्षेत्र

1. पुणे नगर जो बम्बई प्रोविजनल म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1949 के तहत संघटित हुआ है,
2. नागपुर जिले का नागपुर तालुका
3. कोल्हापुर जिले का कारवीर तालुका
4. कोल्हापुर जिले का शोलापुर उत्तरी तालुका
5. नासिक जिले का नासिक तालुका शामिल है।

आटोमोबाइल रिपेयरिंग वर्कशाप और गैराजों में देय न्यूनतम वेतन की अनुसूची

कर्मचारियों का वर्ग	प्रतिमाह वेतन की न्यूनतम दरें		
	जोन I (रु.)	**जोन II** (रु.)	**जोन III** (रु.)
(क) कुशल (ग्रेड –I)	1593.00	1390.00	1295.00
1. फोरमैन	1593.00	1390.00	1295.00
2. सर्विस इंजीनियर	1593.00	1390.00	1295.00
3. हैड मैकेनिक	1593.00	1390.00	1295.00
4. असिस्टेंट मैकेनिक	1593.00	1390.00	1295.00
5. ऐसे कर्मचारी जो किसी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रदिष्टियों (श्रेणियों) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता हैं	1593.00	1390.00	1295.00
(ख) कुशल (ग्रेड – I)			
1. फिटर	1311.00	1217.00	1170.00
2. मशीनिस्ट	1311.00	1217.00	1170.00
3. पेंटर	1311.00	1217.00	1170.00
4. टिनस्मिथ	1311.00	1217.00	1170.00
5. कारपेंटर	1311.00	1217.00	1170.00
6. इलेक्ट्रिशियन	1311.00	1217.00	1170.00
7. वेल्डर	1311.00	1217.00	1170.00

8. अपहोल्स्टरर	1311.00	1217.00	1170.00
9. ब्लैकस्मिथ	1311.00	1217.00	1170.00
10. बोरर (बेधक)	1311.00	1217.00	1170.00
11. फुएल पम्प इंजेक्टर	1311.00	1217.00	1170.00
12. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) में आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है	1311.00	1217.00	1170.00
(ग) अर्ध–कुशल			
1. असिस्टेंट	1186.00	1029.00	1045.00
2. असिस्टेंट फिटर	1186.00	1029.00	1045.00
3. असिस्टेंट टिनस्मिथ	1186.00	1029.00	1045.00
4. असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन	1186.00	1029.00	1045.00
5. असिस्टेंट वेल्डर	1186.00	1029.00	1045.00
6. असिस्टेंट अपहोल्स्टरर	1186.00	1029.00	1045.00
7. असिस्टेंट ब्लैकस्मिथ	1186.00	1029.00	1045.00
8. असिस्टेंट बोरर	1186.00	1029.00	1045.00
9. असिस्टेंट पेंटर	1186.00	1029.00	1045.00
10. बैटरीमैन	1186.00	1029.00	1045.00
11.सर्विसमैन, यानी वह कर्मचारी जो वाहनों को साफ करने के अलावा बोल्ट को कसता है, तेल डालता है और या ग्रीजिंग करता है तथा फिल्टर को साफ करता है	1186.00	1029.00	1045.00
12. पेट्रोल पम्पमैन/पेट्रौल पम्प असिस्टेंट	1186.00	1029.00	1045.00
13. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।	1186.00	1029.00	1045.00
(घ) अकुशल			
1. क्लीनर	1030.00	990.00	920.00
2. व्यक्ति जो वाहनों को साफ करता है	1030.00	990.00	920.00
3. वाहन अटैडेंट	1030.00	990.00	920.00

4. रैम्प सर्विसमैन	1030.00	990.00	920.00
5. हैमरमैन	1030.00	990.00	920.00
6. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उप–रोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।	1030.00	990.00	920.00
(च) अन्य सभी कर्मचारी (उन पेशों मे नियुक्त जो उपर्युक्त किसी पेशे में कवर किया गया है)।	इस जोन में अकुशल कर्मचारियों के लिए देय वेतन की न्यूनतम दर से कम नहीं	इस जोन में अकुशल कर्मचारियों के लिए देय वेतन की न्यूनतम दर से कम नहीं	इस जोन मैं अकुशल कर्मचारियों के लिए देय वेतन की न्यूनतम दर से कम नहीं
(छ) 18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी जो इस कालम में उल्लिखित रोजगार की किसी भी श्रेणी में नियुक्त हैं।	रोजगार की उसी श्रेणी के मामले में वयस्क के लिए निर्धारित दरों का 80 प्रतिशत	रोजगार की उसी श्रेणी के मामले में वयस्क के लिए निर्धारित दरों का 80 प्रतिशत	रोजगार की उसी श्रेणी के मामले में वयस्क के लिए निर्धारित दरों का 80 प्रतिशत

इस्पात के फर्नीचर का निर्माण

- ❖ जोन–I ग्रेटर मुम्बई के म्युनिसिपल कार्पोरेशन की सीमा के अंतर्गत सभी क्षेत्र, न्यू मुम्बई, थाने, कल्याण–डोम्बिविली तथा अम्बरनाथ, उल्हासनगर, भिवंडी के म्युनिसिपल कौंसिल के क्षेत्र शामिल हैं।
- ❖ जोन–II महाराष्ट्र राज्य के सभी अन्य म्युनिसिपल कार्पोरेशन शामिल है जो जोन –I में शामिल नहीं हैं।
- ❖ जोन –III महाराष्ट्र राज्य के सभी अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो जोन – I में शामिल नहीं हैं।
- ❖ जोन –IV महाराष्ट्र राज्य के अन्य सभी क्षेत्र शामिल जो जोन–I, जोन–II तथा जोन–III में शामिल नहीं हैं।

इस्पात फर्नीचरों के निर्माण में देय न्यूनतम वेतन की अनुसूची

कर्मचारियों का वर्ग	प्रतिमाह वेतन की न्यूनतम दरें			
	जोन–I (रु.)	**जोन**–II (रु.)	**जोन**–III (रु.)	**जोन**–IV (रु.)
कुशल (प्रतिदिन)	73.00	70.00	65.00	61.00
अर्ध–कुशल (प्रतिदिन)	63.00	60.00	55.00	51.00
अकुशल (प्रतिदिन)	53.00	50.00	45.00	41.00
क्लर्क (प्रतिमाह)	1638.00	1560.00	1430.00	1326.00

इंजीनियरिंग उद्योग

- ❖ जोन–I ग्रेटर, मुम्बई, न्यू मुम्बई, थाने, कल्याण–डोम्बिविली, खोपोली, पुणे किर्की, पिंपरी, चिंचवाड, भोसारी, लोनीकालभोर, हदपसर तथा पुणे के कैंटोनमेंट के म्युनिसिपल

कार्पोरेशन या म्युनिसिपल कौंसिलों या ग्राम पंचायातों के सभी क्षेत्र, जो भी स्थिति हो तथा ऐसे कार्पोरेशन, म्युनिसिपल कौंसिल, ग्राम पंचायत या कैंटोनमेट की सीमा से 10 किलोमीटर के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र, जो भी स्थिति हो, शामिल हैं।

❖ जोन–II नागपुर, कोल्हापुर तथा नासिक के म्युनिसिपल कार्पोरेशनों की सीमा के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्र तथा उनके आसपास के एमआईडीसी क्षेत्र शामिल हैं।

❖ जोन–III अमरावती और शोलापूर के म्युनिसिपल कार्पोरेशन, अकोला, भंडारा, चन्द्रपुर, जालना, जलगांव अहमदनगर, के म्युनिसिपल कौंसिल की सीमा के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्र तथा उक्त कैंटोनमेंट या म्युनिसिपल कौंसिलों के आसपास के एमआईडीसी क्षेत्र शामिल हैं।

❖ जोन – IV महाराष्ट्र राज्य के अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं जो जोन– I तथा III में शामिल नहीं हैं।

इंजीनियरिंग उद्योग में देय न्यूनतम वेतन की अनुसूची

कर्मचारियों का वर्ग	प्रतिमाह वेतन की न्यूनतम दरें			
	जोन–I (रु.)	**जोन**–II (रु.)	**जोन**–III (रु.)	**जोन**–IV (रु.)
कुशल	2300.00	2275.00	2225.00	2200.00
अर्ध–कुशल	2250.00	2225.00	2175.00	2150.00
अकुशल	2200.00	2175.00	2125.00	2100.00
क्लर्क	2300.00	2275.00	2225.00	2200.00

धातुओं से घरेलू वस्तुओं/बर्तनों का निर्माण

❖ जोन–I ग्रेटर मुम्बई के म्युनिसिपल कार्पोरेशन, न्यू मुम्बई, थाने कल्याण, डोम्बिविली, नागपूर, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड की सीमा के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्र तथा अमरनाथ, भिंडर, विरार तथा वसई म्युनिसिपल कौंसिलों या ग्रामपंचायत की सीमा में आने वाले क्षेत्र और ऐसे कार्पोरेशनों या म्युनिसिपल कौंसिलों या ग्राम पंचायत की सीमा से 30 किलोमीटर तक की सीमाओं में आनेवाले क्षेत्र शामिल हैं।

❖ जोन–II महाराष्ट्र राज्य के अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं जो जोन–I में शामिल नहीं हैं।

धातुओं से बर्तनों/घरेलू वस्तुओं का निर्माण

कर्मचारियों का वर्ग	प्रतिमाह वेतन की न्यूनतम दरें	
	जोन–I (रु.)	**जोन**–II (रु.)
(I) सुपरवाइजर		
1. टेक्निकल सुपरवाइजर	1813.50	1787.50
2. फोरमैन	1813.50	1787.50

(II) क्लर्क स्टाफ		
1.स्टोर/गोदाम क्लर्क	1888.50	1838.50
2. क्लर्क/टाइपिस्ट क्लर्क	1888.50	1838.50
(III) कुशल–ए		
1. टर्नर–मशीनिस्ट	1761.50	1735.50
2. फिटर	1761.50	1735.50
3. स्पिनर कम पैर्टन मेकर	1761.50	1735.50
4. मेल्टर – ग्रेड–I	1761.50	1735.50
5. मोल्डर – ग्रेड–I	1761.50	1735.50
6. वेल्डर–ग्रेड–I	1761.50	1735.50
7. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है	1761.50	1735.50
(IV) कुशल–बी		
1. स्प्रे पेंटर	1735.50	1709.50
2. केमिकल कोटर	1735.50	1709.50
3. मेल्टर – ग्रेड–II	1735.50	1709.50
4. रोलिंग मशीन आपरेटर हाट फ्रन्ट	1735.50	1709.50
5. स्पिनर	1735.50	1709.50
6. चरक/बफ् पॉलिशर	1735.50	1709.50
7. इलेक्ट्रो प्लेटर	1735.50	1709.50
8. एंडिजर	1735.50	1709.50
9. मोल्डर – ग्रेड –II	1735.50	1709.50
10. वेल्डर – ग्रेड – II	1735.50	1709.50
11."हाथगढ़ाई" का काम करनेवाले कर्मचारी	1735.50	1709.50
12. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।	1735.50	1709.50

(V) कुशल–सी		
1. हाट रोलिंग मशीन आपरेटर बैक	1683.50	1657.50
2. कोल्ड रोलिंग मशीन आपरेटर फ्रंट	1683.50	1657.50
3. टर्नर डाय पालिशर	1683.50	1657.50
4. प्रेसमैन/प्रेस आपरेटर	1683.50	1657.50
5. वायरमैन	1683.50	1657.50
6. बिलैट हीटिंग हर्नेसमैन	1683.50	1657.50
7. अनीलिंग फर्नेस मैन रोलिंग	1683.50	1657.50
8. दस्तकार/नक्सीवाला	1683.50	1657.50
9. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता हैं।	1683.50	1657.50
(VI) अर्ध–कुशल		
1. कोल्ड रोलिंग मशीन आपरेटर फ्रंट	1657.00	1631.00
2. कोल्ड रोल प्रैसरमैन	1657.00	1631.00
3. रोलिंग कटिंग	1657.00	1631.00
4. सर्कल कटर	1657.00	1631.00
5. शियरिंग मशीन आपरेटर	1657.00	1631.00
6. हैंड कटर	1657.00	1631.00
7. बिडिंग मशीन आपरेटर	1657.00	1631.00
8. अनीलिंग फर्नेसमैन (बर्तन)	1657.00	1631.00
9. असेम्बलिंग (रीविटिंग, फिटिंग एवं वैसी ही दस्तकारी)	1657.00	1631.00
10. ड्रिलर	1657.00	1631.00
11. कलईवाला	1657.00	1631.00
12. ग्राइंडर	1657.00	1631.00
13. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों जो		

उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है	1657.00	1631.00
(VII) अकुशल वयस्क कर्मचारी		
1. हेल्पर	1631.50	1605.50
2. वाचमैन	1631.50	1605.50
3. मजदूर	1631.50	1605.50
4. चपरासी/ऑफिस ब्वाय	1631.50	1605.50
5. पिकिंग/क्लीनिंग/ढुलाई	1631.50	1605.50
6. स्वीपर	1631.50	1605.50
7. पैकट	1631.50	1605.50
8. स्कैपर	1631.50	1605.50
9. आयलमैन	1631.50	1605.50
10. ऐसे कर्मचारी जो किसी भी नाम से उस प्रकृति का काम करते हों, जो उपरोक्त प्रविष्टियों (श्रेणियों) के तहत आनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।	1631.50	1605.50
अप्रेंटिस		
रोजगार की किसी भी श्रेणी में नियुक्त अप्रेंटिस	कर्मचारियों की उसी श्रेणी में वयस्कों के लिए निर्धारित दर का 75 प्रतिशत	कर्मचारियों की उस श्रेणी में वयस्कों के लिए निर्धारित दर का 75 प्रतिशत

मजदूर वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य में दस केन्द्रों का औसतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (198=100 सीरिज) जीवन लागत सूचकांक है जो अनुसूचित रोजगार में नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकार प्रत्येक छह महीने की समाप्ति के बाद दस केन्द्रों के जीवन लागत सूचकांक की गणना करता है जो इन छह महीनों के लिए उक्त कर्मचारियों के लिए लागू होता है और इसमें *वाच स्ट्रिप मैन्युफैक्चरिंग* के लिए 375 प्वाइंट के ऊपर ऐसी औसतन वृद्धि *साइकिल मैकेनिक वर्कशाप* के लिए 445 प्वाइंट, *स्टील के फर्नीचर बनाने* के लिए 279 प्वाइंट *इजीनियरिंग उद्योग* के लिए 375 प्वाइंट, *मैन्युफैक्चरिंग, यूटेन्सिल और / या अन्य किसी भी धातु से बनायी जानेवाली वस्तुओं* के लिए 279 प्वाइंट के ऊपर औसतन ऐसी वृद्धि भी शामिल है। ऐसे प्रत्येक प्वांइट की वृद्धि के लिए विशेष भत्ता या **जीवन भत्ता की लागत** जो प्रत्येक छह महीने के लिए कर्मचारियों को देय है, सभी जोनों में प्रतिमाह *वाच स्ट्रिप मैन्युफैक्चरिंग* के लिए 3.85 रु. *स्टील फर्नीचर* के लिए 3.90 रु. *साइकिल मैकेनिक वर्कशाप* के लिए 3.25 रु., *इंजीनियरिंग उद्योग* के लिए 3.85 रु. *मैन्युफैक्चरिंग यूटेन्सिल और/या किसी भी धातु* के साथ बनाये जानेवाली *अन्य घरेलू वस्तुओं* के लिए 5.00 रु. की दर से होगी।

मुख्य निष्कर्ष :

महाराष्ट्र में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

(मिलियन रु. में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ग्रुप ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	983	14	118693	36485	102	36587	12365	48952	20496	69448	46166	58075
2. धातु उत्पादों एवं पुर्जों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर	1833	22	36722	43234	1347	44581	6352	50933	23788	74721	5254	6605
3. परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	3021	22	122498	97885	10471	108356	17374	125730	71522	197252	19293	24291
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	689	2	80979	64740	900	65640	4285	69925	30153	100078	12536	15164
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	746	33	29673	21307	7095	28402	4199	32601	11954	44555	2737	3227
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	458	20	2810	44890	628	45518	206	45724	10484	56208	4495	4887
7. मरम्मत सेवा	280	14	2660	6914	54	6968	57	7025	5253	12278	842	947
कुल	**8010**	**20**	**394035**	**315455**	**20597**	**336052**	**44838**	**380890**	**173650**	**554540**	**91323**	**113197**
अखिल भारतीय आंकड़ा	39659	100	1683618	1793383	86836	1880354	232310	2112664	814453	2927117	196089	2382511
अखिल भारतीय आंकड़े के अनुपात में राज्य का कुल(%)	20	20	23	18	24	18	19	18	21	19	47	5

मुख्य निष्कर्ष :

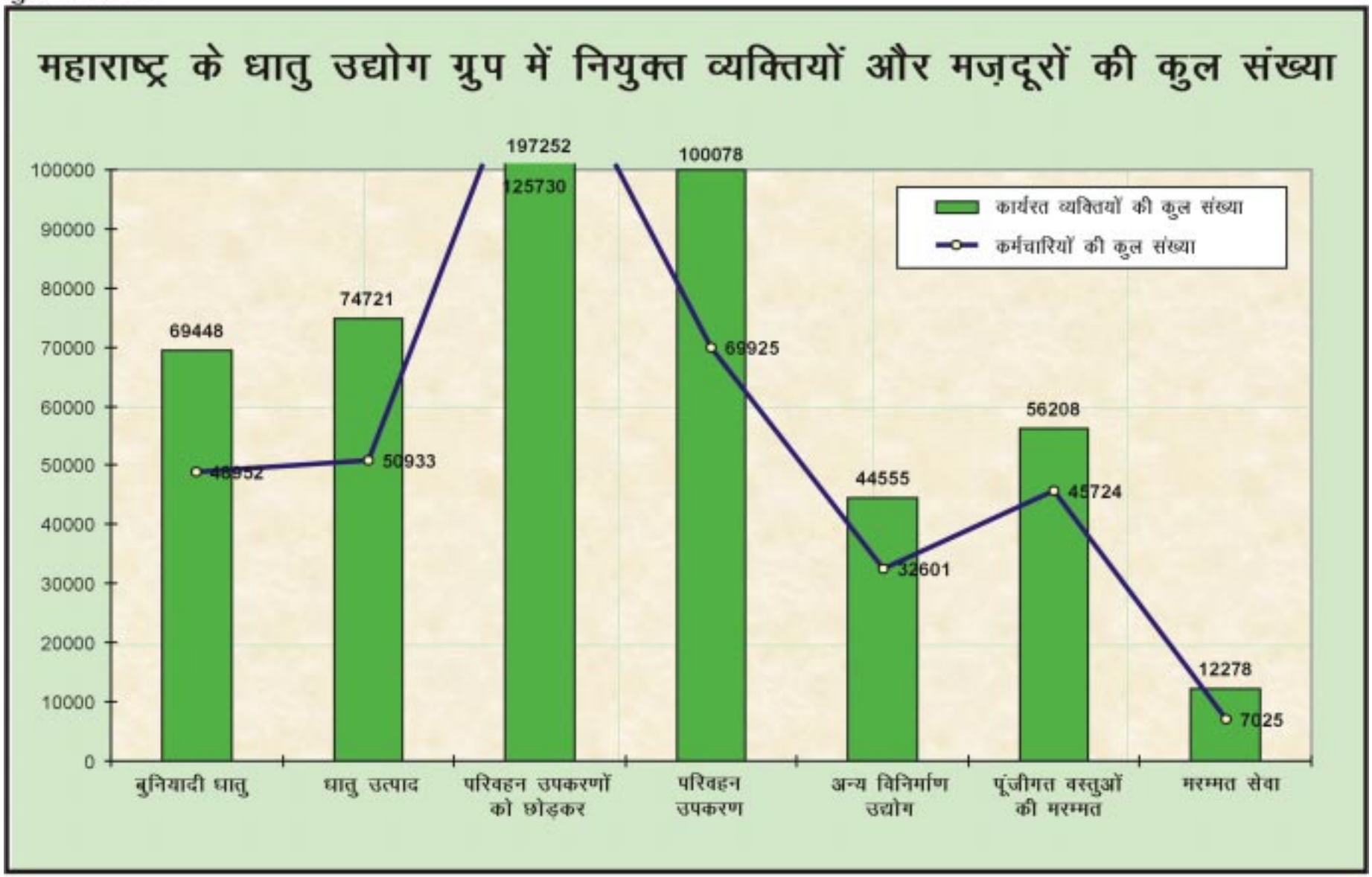
महाराष्ट्र के धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्तियों और मज़दूरों की कुल संख्या
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
69448
74721
197252
100078
44555
56208
12278
48952
50933
125730
69925
32601
45724
7025
बुनियादी धातु
धातु उत्पाद
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
परिवहन उपकरण
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा

गुजरात

गुजरात
N
औद्योगिक पट्टी
1. अहमदाबाद
2. अलंग
3. आणंद
4. अंकलेश्वर
5. पालनपुर
6. भरूच
7. भावनगर
8. भुज
9. बीलीमोरा
10. ध्रांगध्रा
11. गणदेवी
12. गांधीधाम
13. हजिरा
14. हलोल
15. जामनगर
16. जूनागढ़
17. नवसारी
18. कांडला (ई पी जेड)
19. कोयलियो
20. मीठापुर
21. मोरबी
22. पाटन
23. राजकोट
24. सिक्का
25. सूरत
26. सुरेन्द्रनगर
27. उमेरगांव
28. ऊंझा
29. बड़ौदरा
30. वांकानेर
RANN OF KACHCHH
KACHCHH
BANASKANTHA
PATAN
MAHESANA
SABARKANTHA
GANDHINAGAR
AHMEDABAD
KHEDA
PANCH MAHALS
DAHOD
SURENDRANAGAR
ANAND
VADODARA
NARMADA
BHARUCH
SURAT
THE DANGS
NAVSARI
VALSAD
JAMNAGAR
RAJKOT
PORBANDAR
JUNAGADH
AMRELI
BHAVNAGAR
I N D I A
G U J A R A T
DIU (DAMAN AND DIU)
DAMAN (DAMAN AND DIU)
SILVASSA
DADRA & NAGAR HAVELI
Bhuj
Gandhi Dham
Kandla Port
Mandvi
Palanpur
Patan
Unjha
Mahesana
Himatnagar
Ahmedabad
Surendranagar
Morbi
Wankaner
Jamnagar
Sikka
Mithapur
Dwarka
Rajkot
Porbandar
Junagadh
Veraval
Alang
Bhavnagar
Anand
Vadodara
Koyali
Bharuch
Ankleshwar
Hajira
Surat
Bilimora
Navsari
Gandevi
Valsad
Umergam
Godhra
Dahod
Halol
Ahwa

खंड–एक

राज्य की एक तस्वीर

अध्याय–1

गुजरात का आर्थिक परिदृश्य

गुजरात–विविध जलवायु एवं प्रचुर खनिज संपदा के साथ भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है और अंतर्निहित उद्यमशीलता है जिसने उसे एक मॉडल राज्य बना दिया है। 1960 के दशक से जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया। आज तक राज्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ है।

गुजरात आज **भारत में एक अग्रणी औद्योगिक राज्य हो गया है।** पिछले चार दशकों की अवधि में राज्य ने कृषि पर अपनी निर्भरता कम कर दी तथा **व्यापक आर्थिक विकास की तेज गति के** जरिये एक प्रभावशाली कार्य–निष्पादन दर्ज किया है।

एक सही मूल्यांकन तथा आधारभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन जो विश्व में किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है और जिसमें सड़क, रेल तथा बंदरगाह शामिल हैं का श्रेय न केवल उत्तरोत्तर नौकरशाहों को है बल्कि इस भूमि की जनता को भी है जिन्होंने निम्नलिखित के साथ आर्थिक विकास को तेज गाति प्रदान की :

- व्यवहारिक नियोजन
- कोष का समान वितरण
- उपयुक्त वित्तीय नीतियां
- प्रौद्योगिकी उन्मुख कृषि विकास

तेल भंडारों की खोज, स्वर्णिम गलियारों का अभ्युदय **आदिवासी, पिछड़े वर्गों को समान अवसरों की व्यवस्था,** बच्चियों का हिस्सा तथा अन्य अनेक स्वप्नदर्शी नीतियों ने इस राज्य को एक के बाद दूसरी सफलता दिलायी।

हालांकि गुजरात की आबादी भारत की आबादी का केवल 4.93 प्रतिशत ही है पर उसका भारत के कुल उपभोग में 10 प्रतिशत हिस्सा है, कुल निर्यात में 16 प्रतिशत तथा स्टाक बाजार पूंजीकरण में 30 प्रतिशत हिस्सा है। गुजरात की जनता अपनी उद्यमीय कुशलता, तीक्ष्ण व्यवसायिक बुद्धि तथा पेशागत दृष्टिकोण के लिए विख्यात है और यह सब राज्य में व्यवसाय करने के लिए एक सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के व्यवसाय समर्थक, दृष्टिकोण ने औद्योगिकरण की दिशा में गुजरात के अनवरत अभियान को सुगम बनाया और उसे उद्यमियों के लिए अपना उद्यम स्थापित करने के लिए एक सर्वोच्च स्थान बनाया।

	आंकड़ा
क्षेत्र	196,024 वर्ग किलोमीटर (भारत का 5.96 %)
राजधानी	गांधी नगर
जलवायु	उष्णकटिबंधी

आबादी (2001)	50.5 मिलियन
शहरीकरण	34.49% (25.70% राष्ट्रीय औसत की तुलना में)
आबादी की सघनता (2001)	प्रतिवर्ग किलोमीटर (258 व्यक्ति जबकि राष्ट्रीय औसत 324 व्यक्ति है)
सरकारी भाषा	गुजराती
सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	11%
सकल राज्य का घरेलू उत्पाद (1998–99)	888,220 मिलियन रु.
राज्य के घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा	वर्तमान कीमतों पर 1997–98 में 40.7%
प्रतिव्यक्ति आय (1998–99)	18792 रु.

गुजरात में लाभ

- राजनीतिक स्थान निर्धारण जो पश्चिमी, मध्यपूर्वी तथा अफ्रीकी बाजारों को आसान पहुंच प्रदान करता है।
- भारत में सबसे लंबी तटरेखा – 1600 किलोमीटर जहां 41 बंदरगाह हैं, एक बड़ा, 11 मध्यवर्ती तथा 29 छोटा। हाल ही में चालू बंदरगाह मुन्द्रा 15 मीटर का वैकल्पिक ड्राफ्ट प्रदान करता है जो देश में अधिकतम है।
- उद्यमीय कुशलता की समृद्ध विरासत
- औद्योगीकरण का उच्चस्तर : अमरीकी 26 अरब डालर के बराबर निवेश।
- उच्च उत्पादक एवं शांतिपूर्ण श्रमबल प्रदान करता है।
- वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता 8017 मेगावाट है – इसे 2002 तक बढ़ाकर 11281 मेगावाट करने की योजना है।
- उत्कृष्ट सड़क नेटवर्क – हाल के सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए 7200 किलोमीटर से अधिक।
- एक कारगर रेल नेटवर्क जो राज्य में सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को जोड़ता है– रेल की लंबाई 5227 किलोमीटर।
- सबसे अधिक हवाई अड्डे–भारत के सभी राज्यों में–10 जिनमें अहमदाबाद एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
- औद्योगिक उत्पादन, लिग्नाइट, पेट्रोलियम तथा मोल्डिंग सैंड के उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा दूसरा।
- कुल खनिज उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा चौथा।
- शैक्षणिक संस्थाओं का क्वालिटी नेटवर्क।
- उत्कृष्ट कानून एवं व्यवस्था की स्थिति।
- सरकार तथा सिविल सर्विस का व्यवसायिक दृष्टिकोण।

जबकि भारत के विभिन्न राज्य आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में अपने को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वहीं गुजरात ने देश में **औद्योगिक निवेश के लिए सर्वाधिक तरजीही स्थान का दर्जा हासिल दिया**

है। सभी भारतीय राज्यों में गुजरात ने औद्योगिक उद्यमियों के मेमौरेंडम तथा आशय–पत्र के जरिये स्वीकृत निवेश का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है। एन. आई. जी. द्वारा प्रकाशित **आंकड़े के अनुसार भारत में अगस्त 91 से मार्च 99 तक (उदारीकरण के बाद की अवधि) स्वीकृत कुल निवेश में भारत का हिस्सा करीब 18 प्रतिशत रहा है।**

अध्याय–2

गुजरात का औद्योगिक परिदृश्य

पिछले 39 वर्षों में गुजरात अपने **औद्योगिक आधार का विविधीकरण में सफल रहा है।** 1960 में एक अलग राज्य के रूप में अपनी स्थापना के समय में गुजरात में केवल टेक्सटाइल ही एक प्रमुख विकसित औद्योगिक क्षेत्र था। अब यह राज्य सूती टेक्सटाइल, मानव–निर्मित टेक्सटाइल धागों, इनआर्गेनिक केमिकल्स जैसे सोडा एश एवं कास्टिक सोडा, कार्बनिक केमिकल्स, कृषि–केमिकल्स जैसे उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं, डिटर्जेट्स एवं कास्मेटिक्स, डाइज तथा डाई–इंटरमीडिएट्स, दवाओं एवं फर्मास्युटिकल्स, पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादों जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है। खाद्य प्रोसेसिंग खासकर डेयरी उत्पदों, चीनी, खाद्य तेल तथा वनस्पति, पेपर एवं पेपरबोर्डों, सीमेंट स्टील रीराल्ड उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी जिसमें मशीन–औजार भी शामिल है, आदि के एक मुख्य निर्माता के रूप में उभरा है।

औद्योगिक पार्क

सुनियोजित औद्योगिक विकास को सम्मिलित करने के लिए पिछले चार दशकों में गुजरात में औद्योगिक पार्क की अवधारणा विकसित हुई है। संभावित विकास केन्द्रों में इष्टतम उपयोग के लिए औद्योगिक आधारभूत ढ़ांचा विकसित हुआ है। इस उद्देश्य के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) ने जो गुजरात में स्थापित होनेवाले उद्योगों को भूमि, फैक्ट्री शेड प्रदान करने वाली एक मुख्य एजेन्सी है। पिछले वर्षों में 257 औद्योगिक इस्टेट स्थापित किये है, जहां औद्योगिक आधारभूत ढांचा के अलावा निगम मुख्य विकसित औद्योगिक इस्टेटों में फायर स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आवास, स्कूल, अस्पताल, होटल, कैंटीन, दुकानों आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रदूषण को रोकने के लिए जीआईडीसी ने खास कदम उठाये हैं, जैसे बहिप्रवाही (एफ्लुएंट) संग्रह नेटवर्क, सामान्य बहिप्रवासी ट्रीटमेंट संयंत्र, संसाधित बहिप्रवाही के लिए निपटान प्रणाली तथा पौध बागानों का विकास आदि। जीआईडीसी 10 बड़े औद्योगिक इस्टेटों की स्थापना कर रहा है। निजी क्षेत्र के निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ औद्योगिक पार्कों के लिए प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

गुजरात में इंजीनियरिंग उद्योग

इंजीनियरिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों का मेरूदंड है और इसलिए यही ही जननी उद्योग समझा जाता है क्योंकि यह सभी उद्योगों को संयंत्रों तथा उपकरणों की आपूर्त्ति करता है। पिछले वर्षों में गुजरात ने **इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक प्रभावशाली विकास देखा है** खासकर फाउंड्री उत्पादों, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, मशीन औजार तथा प्रीसिजन इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण में।

औद्योगिक मशीनरी एक दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसने केमिकल मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, डेयरी मशीनरी, पेपर मशीनरी, मैटीरियल हैण्डलिंग उपकरणों, प्लास्टिक प्रोसेसन मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी, फर्मास्यूटिकल मशीनरी आदि जैसे क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। गुजरात में एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र उभरा है, वह है भावनगर के निकट अलांग में शिप–ब्रेकिंग यार्ड। अलांग एशिया में सबसे बड़ा शिप–ब्रेकिंग यार्ड होने का गर्व कर सकता है।

एक तटवर्ती राज्य होने के कारण गुजरात में **जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत की भी बड़ी संभावना है।** व्यापक निवेश के साथ इंजीनियरिंग उद्योग की औद्योगिक मशीनरी निर्माण तथा फ्रैब्रिकेशन कार्य में बड़ी संभावना है। इंजीनियरिंग सहायक कंपनियां स्थापित करने की भी बड़ी संभावनाएं है। राज्य में

केमिकल तथा पेट्रौकेमिकल क्षेत्र की कल्पना के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी निवेश अवसरों की पेशकश करता है।

गुजरात राज्य की औद्योगिक नीति

गुजरात राज्य ने औद्योगिक विकास की दिशा में तीन कदम उठाये हैं और उसके फलस्वरूप राज्यों में उसका स्थान 1960 में 8 से काफी आगे बढ़ गया है और वह सबसे उच्च स्थान पर आने के लिए तत्पर है। अपने परंपरागत टेक्सटाइल आधार से उसने केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग, फर्मास्यूटिकल्स, डाइज एवं डाइज इंटरमीडिएट्स, खाद्य प्रोसेसिंग, कृषि–आधारित उद्योग, डेयरी, खाद्य तेल तथा अन्य अनेक क्षेत्रों का विविधीकरण किया है। आर्थिक सुधार प्रक्रिया ने तीन औद्योगिकरण की दिशा में राज्य के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। नये निवेश के रूप में गुजरात का 1994 में देश के राज्यों में सबसे उच्च स्थान था। उत्तरोत्तर प्रोत्साहन नीतियों तथा अन्य निवेशक–मैत्रीपूर्ण कदमों के जरिये राज्य न केवल औद्योगिक क्षेत्र में कुल प्रवाह में तेजी लाने के लिए प्रयास करता रहा है, बल्कि राज्य में समान विकास हासिल करने के लक्ष्य के साथ पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रवाह आकृष्ट करने के लिए भी प्रयास करता रहा है।

राज्य द्वारा अपनायी गयी नीतियों के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़े हैं, कमजोर तबकों के उद्यमियों को बढ़ावा मिला है तथा राज्य के निर्यात–कार्य–निष्पादन में भी काफी सुधार हुआ है। सामान्य रूप से निवेश को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय एवं सुस्पष्ट सफलताओं के अतिरिक्त उपेक्षित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में भी सफलता हासिल की गयी है।

राज्य में उद्योग को विविधीकृत आधार को दीर्घकालिक विकास को बनाये रखने की क्षमता है। राज्य के औद्योगिक विकास को फलस्वरूप पेशागत ढांचे में भी अवसंरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसमें राज्य के घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम हो गया है एवं सेकंडरी तथा तीसरे क्षेत्र का योगदान काफी बढ़ गया है। इस संबंध में एक अन्य सुखद बात यह है कि जिन लोगों ने 1960 तथा 1970 के दशक में राज्य द्वारा दिये गये समर्थन पर भरोसा करते हुए छोटे उद्यम शुरू किये थे, उन्होंने काफी तेजी से विकास किया और बड़े उद्यमों में प्रवेश किया एवं इस तरह राज्य के उद्यमीय आधार का विस्तार किया।

राज्य की औद्योगिक नीति को पर्याप्त एवं पूरी दक्षता से उन सभी कारकों पर विचार करना है जिनका औद्योगिक विकास के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन कारकों को सामने रखने के लिए यह आवश्यक है कि अभी तक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उभरने वाले सरोकार के क्षेत्रों की पहचान की जाये और सुधारात्मक एवं निवारात्मक कदम उठाये जायें, ताकि ऐसा न हो कि भविष्य में विकास को रोक दो। संक्षेप में सरोकार के क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

1. राज्य पिछले कुछ दशकों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के लिए निवेश का व्यापक प्रवाह आकृष्ट करने में समर्थ रहा है। हालांकि इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े तालुकों में गया है, पर **फिर भी कुछ पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास की प्रक्रिया से अलग रह गये है।**

2. पेट्रोकेमिकल, केमिकल एवं फर्मास्युटिकल उद्योगों में व्यापक निवेश के फलस्वरूप राज्य बड़े **औद्योगिक केन्द्रों में प्रदूषण की समस्या** का सामना कर रहा है। यह समस्या मुख्यतः पुरजे औद्योगिक इस्टेटो तक सीमित हैं जो विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा कानून बनाये जाने से पहले स्थापित किये गये थे।

3. मानव संसाधन विकास खासकर युवकों को व्यवसायिक एवं तकनीकी हिस्सा प्रदान करने का राज्य

सरकार का प्रयास राज्य के तेज औद्योगिकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए अर्पाप्त साबित हो रहे हैं। यदि समय पर सुधारात्मक कदम नहीं उठाये जायेंगे तो **जल्द ही राज्य में कुशल एवं व्यवसायिक श्रमबल की कमी हो सकती है।**

4. गुजरात में अपेक्षाकृत बेहतर अवसंरचनात्क सुविधाएं हैं, पर ये भी नये निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। सामाजिक आधारभूत ढांचा समेत **समस्त आधारभूत ढांचें में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निवेश करना है।**

5. भारत सरकार द्वारा लागू की गयी नयी औद्योगिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को भूमंडलीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र को प्राविधिक उन्नति एवं आधुनिकीकरण के जरिये व्यापक पुनर्गठन करना होगा ताकि उत्पादकता, उत्पादों की गुणवत्ता डिजाइन, उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार किया जा सके और अस्तित्व बनाये रखने के लिए लागत – प्रभावकारिता में सुधार किया जा सके।

6. राज्य में औद्योगिक संबंधों में सौहार्द तथा औद्योगिक शांति का एक वांछनीय रिकार्ड रहा है। पर कुल **उत्पादकता एवं गुणवत्ता की चेतना में महत्वपूर्ण की जरूरत है** ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें बल्कि विदेशों में स्थापित बाजार भी प्राप्त कर सकें।

7. स्थानीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना की वाणिज्यक उत्पादन में जाने की गर्भावधि को कम से कम रखा जाना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने के लिए राज्य स्तर पर उन्हें अनुमति देने से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं, नियमों एवं विनियमनों तथा कार्यविधियों की व्यापक समीक्षा करनी होगी। अविलंब आवश्यक क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए सामान्य एवं अप्रासंगिक नियंत्रणों को दूर करना होगा।

8. राज्य के औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने एवं सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित संगठन ने राज्य के तेज औद्योगिकरण में एक उल्लेखनीय भूमिका अदा की है, पर उनका उद्देश्य तथा उनकी कार्य–प्रणाली को उदारीकरण के युग की जरूरतों के अनुरूप नयी दिशा देने की जरूरत है।

उद्देश्य

हालांकि राज्य की औद्योगिक नीति के उद्देश्य में रोजगार का सृजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास महत्वपूर्ण बना रहेगा, पर वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक है कि व्यक्त की गयी चिन्ताओं की दृष्टि में उद्देश्यों को निर्धारित करते समय उन पर व्यापक रूप से ध्यान रखा जाये। उद्योग में निवेश का रोजगार के सृजन पर एक तीव्रकारी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तेज औद्योगीकरण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यापक रोजगार पैदा कर सकता है और यह प्राथमिक क्षेत्र के अर्ध–रोजगार को भी खपा सकता है तथा शिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार दे सकता है। पर्यावरणीय सुरक्षा तथा प्रदूषण में कमी का इस संबंध में काफी महत्व है। निवेश में प्राथमिकताओं के विकास में समानता हासिल करने के लक्ष्य से निर्देशित होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों एवं पिछड़ी तथा गरीब जनता के पक्ष में गहन तरफदारी होनी चाहिए। इस विचारों से नयी औद्योगिक नीति के उद्देश्य निम्नलिखित रूप से निरुपित किये गये है:

1. **राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी**

2. बेरोजगारों की **बढ़ती फौज को खपाने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों** का सृजन।
3. औद्योगिक क्षेत्र के **निवेश** में कुल प्रवाह की **वृद्धि।**
4. दीर्घकालिक विकास को बनाये रखने के लिए आधारभूत ढांचा तथा मानव संसाधन के विकास में तेजी लाना।
5. टिकाऊ विकास हासिल करना।
6. 'स्वदेशी भावना' को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना तथा प्रौद्योगिकी को विकसित करना।

गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी)

1962 में गुजरात औद्योगिक विकास निगम की स्थापना उद्योगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने एवं अवसरंचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गयी थीं। पिछले वर्षों में निगम ने पूरे राज्य में 271 औद्योगिक इस्टेटों को स्वीकृति प्रदान की। आज देश में एक मुख्य अवसरंचनात्मक विकास एजेन्सी के रूप में यह निगम स्थान की पहचान करता है जो औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल है तथा अवसंरचनात्मक सेवाएं प्रदान करता है और इसके लिए भूमि का अधिग्रहण करता है, आंतरिक सड़कों का निर्माण करता है तथा बहिप्रवाही सुविधाएं प्रदान करता है, औद्योगिक इस्टेटों में पानी तथा बिजली की सुविधाएं प्रदान करता है और इसके साथ बड़े औद्यागिक इस्टेटों में फायर स्टेशनों, कैंटीनों, बैंकों, पोस्ट आफिसों, आवासीय स्कूलों, अस्पतालों, दुकानों आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। प्रत्येक इस्टेट के भीतर न्यूनतम 500 वर्गमीटर भूखंड के साथ विभिन्न आकार के भूखंड उपलब्ध हैं। यहां तक कि बड़े भूखंड भी उपलब्ध कराये जाते हैं जो बड़ी परियोजनाओं की जरूरत के अनुरूप हों। विभिन्न आकार के शेड भी प्रदान किये जाते हैं और ये सभी आसान किस्तों में उपलब्ध होते हैं।

जीआईडीसी नये एवं समुन्नत उद्योगों की जरूरतों का अनुमान लगाते हुए सुविधाओं में सुधार करने तथा उन्हें परिष्कृत करने का लगातार प्रयास करता है। वह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि नये उद्योग को जिस चीज की भी जरूरत हो, उसे पूरा किया जाये और उसे अद्‌भुत सफलता मिले।

गुजरात लघु उद्योग निगम लि. (जीएसआईसी)

गुजरात लघु उद्योग निगम लि. की स्थापना भी 1962 में गुजरात में लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के खास उद्देश्य से की गयी थी। इसकी सेवाओं में भारत के किसी भी हिस्से से या विदेशों से किफायती दरों पर आवश्यक कच्चे माल प्राप्त करना तथा उनका वितरण करना शामिल है। वह पिंड लौहा, लौह एवं इस्पात, कोक तथा कोयला, फेरोसिलिकोन, टिटानियम, डायोक्साइड, रबड़, पैराफिन मोम तथा प्लास्टिक प्राप्त करने के लिए सक्षम यूनिटों को कर्ज की सुविधाएं प्रदान करता हैं। पिंड लौहा के अलावा जीएसआईसी ने हाल में *स्टेनलेस स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.* तथा *राष्ट्रीय इस्पात निगम* के अधिकृत स्टाक का प्रबंध करने का भी जिम्मा लिया है।

जीएसआईसी आयतित या देशी कच्चे माल की खरीद के लिए लघु उद्योगों एवं उद्यमियों की भी सहायता कर रहा है और इसके लिए वह एस/सी खोलने या कस्टम ड्यूटी के भुगतान तथा संतुलित सेवा चार्ज एवं ब्याज दर पर आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्यक्ष भुगतान करके आवश्यक कच्चे माल की खरीद में भी मदद कर रहा है। जीएसआईसी लघु औद्योगिक इकाइयों से आवश्यक उत्पादों को प्राप्त करके तथा विभिन्न आपूर्तियों के लिए निविदाओं की दरों का भाव बताकर बड़ी परियोजनाओं उद्योगों, सरकारी विभागों तथा दूसरों की जरूरतें पूरी करता है। इससे लघु औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादित माल के विपणन के लिए कोई चिन्ता किये बिना उच्च उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उसके साथ ही खरीददार अत्यंत विवेकसम्मत एवं प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर सामग्रियां मिल जाती हैं। जीएमआईसी छोटे उद्यमियों के सपनों को भी साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

खंड–2

धातु उद्योग का सर्वेक्षण

धातु उद्योग और ट्रेड यूनियनें

गुजरात में करीब 107 कंपनियों के बारे में यूनिट के आकार, औद्यागिक संबंधों, न्यूनतम वेतन आदि की स्थिति के बारे में आंकड़े जमा किये गये। उद्योग निम्नलिखित के उत्पादन में शामिल थे :

ऑटो असेम्बली	कैपिलरीज	ग्रे आयरन कांस्टिंग्स
ऑटो कंपोनेट	कार	इंटग्रल शाफ्ट वाटरपम्प बीयरिंग
ऑटो पार्ट–साइलेन्सर	कास्ट आयरन कांस्टिंग्स	जीप
ऑटोमोटिव कास्टिंग्स	क्रेन	एलसीवी
ऑटोरिक्शा	कुपोला	लोडबाडी
बाल बियरिंग	फ्रैबिकेशन	मशीन शाप
बकैट एलीवेटर	फूड प्रोसेसिंग संयंत्र	मेटल रोलिंगक्वायल
मेटल रोलिंग शीट	स्कूटर	टेपर रोलर बियरिंग
मोटरसाइकिल	स्कूटर–असेम्बली यूनिट	टेम्पो
मल्टीस्पिंडल मशीनरी	सेपरेशन इंजिन	टेक्सटाइल मशीन कंपोनेंट
ऑयल कूलर्स	शेल मोल्डिंग कास्टिंग	थर्मोस्टेट टाइमर
प्लांट हीट एक्सचेंज	शिप बिल्डिंग	ट्रक
प्रेस शॉप	शिप मरम्मत	

धातु उद्योग में उद्यम

मालिकाना/भागीदारी इकाइयां

वास्तविक आकार के संबंध में ये काफी छोटी इकाइयां है जो 10 से 25 मजदूरों को नियुक्त करती हैं। सम्भवतः वे लघु उद्योग क्षेत्र में हैं और इसलिए अधिकांश श्रम कानूनों से मुक्त रहते है। यह न्यूनतम वेतन स्तर में प्रतिबिंबित होता है जो, मुश्किल से 750 रु. 3000 रु. प्रतिमाह है। इन इकाइयों में औद्योगिक संबंध कुछ जगहों में अच्छे और कुछ समय से खराब हैं, पर मालिकों द्वारा बहुत ही कम यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं।

प्राईवेट लि. कंपनियां

इसके तहत आनेवाली इकाइयां मुख्यतः मध्यम श्रेणी में हैं। अधिकांश जगहों में उनका रोजगार 30 से 250 तक है। फिर भी कुछ ऐसी इकाई है जो 250 और 500 मजदूरों को नियुक्त करती हैं अधिकतम संख्या 800 है। न्यूनतम वेतन अधिकांशतः 3000 रु. से 5000 रु. के बीच प्रतिमाह है। कुछ स्थानों में वेतन 5000 रु. से अधिक है और अधिकतम 7000 रु. है। अधिकांश जगहों में औद्योगिक संबंध काफी अच्छे हैं। मजदूर केवल एक यूनियन से संबद्ध है और आंतरिक यूनियन

प्रतिबद्धता से मुक्त हैं। व्यवहारतः सभी जगहों में यूनियनें मालिकों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। मजदूर, यूनियन एवं मालिक के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण है।

पब्लिक लि. कंपनियां

इस श्रेणी के तहत इकाइयां या तो मध्यम या बड़ी श्रेणी में आती हैं। वे औसतन 150 से 500 मजदूरों को नियुक्त करती हैं। पर ऐसे भी अनेक इकाइयां हैं जिनका श्रमबल 500 और 1000 तक है और कुछ में तो 1000 से भी अधिक हैं। पर वेतनमान में कोई खास अंतर नहीं है। यदि उनकी प्राईवेट लि. कंपनियों के साथ तुलना की जाये। न्यूनतम वेतन अधिकांशतः 2500 रु. से 5000 रु. तक है। कुछ स्थानों में 7000 रु. से अधिक हैं। औद्यागिक संबंध एकरुप नहीं हैं। कुछ इकाइयों में काफी अच्छे या सामान्य हैं, पर कुछ स्थानों में खराब हैं। कुछ स्थानों में यूनियनों की अधिकता के कारण हो सकता है। कुछ ऐसे मालिक हैं जिन्होंने कुछ स्थानों में यूनियनों को मान्यता दी है। कुछ ऐसे मालिक हैं जिन्होंने यूनियनों को मान्यता दी है पर उनमें से केवल एक को ही।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

इनमें बड़ी इकाइयां हैं जिन्होंने अधिकांश स्थानों में 500 से अधिक मजदूरों को नियुक्त कर रखा है। अधिकतम संख्या 1500 तक पहुंची है। न्यूनतम वेतन अन्य किस्म की इकाइयों से अधिक है। किसी भी स्थान में वेतन 6000 रु. से कम नहीं है और कुछ इकाइयों में तो 11000 रु. तक है। अधिकांश स्थानों में यूनियनें मालिकों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और मजदूरों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं।

रोजगार

मजदूरों की संख्या अलग–अलग है। यह 13 मजदूरों से 13500 मजदूरों के बीच है। स्थिति निम्न प्रकार है :

श्रमबल की संख्या	इकाइयों का प्रतिशत
50 तक	27
101–250	7
251–500	25
501–1000	17
1000 से ऊपर	12
कुल	**100**

ठेका मजदूर

यह पाया गया है कि करीब एक–तिहाई इकाइयों में ठेका प्रथा प्रचलित है। यह आश्चर्यजनक है कि बड़ी पब्लिक लि. कंपनियों में कुल श्रमबल में ठेका मजदूरों का अनुपात काफी अधिक है। एक या दो बड़ी इकाइयों में यह स्थायी मजदूरों से डेढ़ गुना अधिक है और इन ठेका मजदूरों को नियमित मजदूरों को देय वेतन के आधार से भी कम वेतन दिया जाता है, इसलिए ऐसी इकाइयों में औद्योगिक संबंध बड़े आकार एवं अन्य सार्वजनिक छवि के बावजूद संतोषजनक नहीं है।

न्यूनतम वेतन

छोटे उद्योगों में न्यूनतम वेतन राज्यवार और उद्योगवार न्यूनतम वेतन त्रिपक्षीय समितियों के जरिये न्यूनतम

वेतन अधिनयम के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। दूसरे उद्योगों में यह मालिक और ट्रेड यूनियन के बीच वार्ता के जरिये या ट्रिव्यूनल से अवार्ड के जरिये निर्धारित किया जाता है। ऐसे अधिकांश मामलों में यह उद्योगवार की अपेक्षा इकाई–वार निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम वेतन की स्थिति इस प्रकार हैः :

मासिक न्यूनतम वेतन (रुपया में)	**इकाइयों का प्रतिशत**
1000–2500	26
2501–5000	41
5001–7500	21
7500 से अधिक	12
कुल	100

औद्योगिक संबंध

प्रतिष्ठानों के आकार तथा इकाइयों की किस्मों में विविधता के बावजूद अधिकांश इकाइयों में औद्यागिक संबंध अच्छा है। मझोली तथा निम्न न्यूनतम वेतन की इकाइयों के कुछ मामलों में यह खराब है। निम्न तालिका से इस स्थिति का पता चलता है :

औद्योगिक संबंध	**इकाइयों का प्रतिशत**
उत्कृष्ट	7
अच्छा	69
सामान्य/संतोषजनक	12
खराब	12
कुल	**100**

ट्रेड यूनियनें

समग्र रूप से इकाई की किस्म एवं आकार के बावजूद मजदूर यूनियनों में संगठित है। इन इकाइयों में जिनके आंकड़े उपलब्ध थे। **88 प्रतिशत इकाइयों में ट्रेड यूनियनें हैं, 79 प्रतिशत मालिकों को मान्यता प्राप्त है।** तालिका से पता चलता है कि **52 प्रतिशत इकाइयां ट्रेड यूनियनों के एक केन्द्रीय फेडरेशन से संबद्ध हैं,** जबकि बाकी असंबद्ध है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन जिनसे 52 प्रतिशत यूनियनें संबद्ध हैं वे हैं, एटक, कामगार सेना, एचएमएस तथा सर्व श्रमिक संघ। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण हैं क्योंकि 12 प्रतिशत यूनियनों को छोड़कर केवल एक ही यूनियन है और इस तरह यूनियनों के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूनियनों की सदस्यता का प्रतिशत इस प्रकार है :

सदस्यता	**इकाइयों का प्रतिशत**
100 के नीचे	32
101–250	13
251–500	23
501–1000	19
1000 से ऊपर	13
कुल	**100**

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जिन इकाइयों का अध्ययन किया गया उनके अतिरिक्त 50 ट्रेड यूनियनों के संबंध में आंकड़ें इकट्ठे किये गये, हालांकि वह केवल सदस्यता के आंकड़े तथा उनकी संबद्धता पर ही उपलब्ध थे। निम्न तालिका से सदस्यता–वार प्रतिशत का पता चलता हैः

सदस्यता	इकाइयों का प्रतिशत
100 से नीचे	54
101–250	16
251–500	16
501–1000	6
1000 से ऊपर	8
कुल	100

इन यूनियनों में से 78 प्रतिशत यूनियनें किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठन से मान्यता प्राप्त नहीं हैं क्योंकि ज्यादातर यूनियनों का नेतृत्व भीतरी प्रबंधक द्वारा होता है। इन को साधारणतः स्वतंत्र या आंतरिक यूनियन कहा जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों का प्रतिशत वितरण (जुलाई–दिसंबर 1999)

उद्यमों की किस्में	उद्यमों का प्रतिशत वितरण					
	ओन एकाउंट उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	ओन एकाउंट उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
विनिर्माण	30.3	20.7	29.4	18.0	30.0	21.0
निर्माण	0.5	3.5	0.8	2.8	3.1	2.9
व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	49.1	44.5	48.6	46.6	35.7	43.7
होटल एवं रेस्तरां	4.3	15.6	5.4	3.6	9.0	4.9
परिवहन, स्टोरेज एवं संचार	4.4	5.6	4.5	13.6	4.1	11.2
अन्य सेवाएं	11.4	10.1	11.3	15.7	18.1	16.3
कुल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

मुख्य निष्कर्ष :

गुजरात में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

(मिलियन रु. में मूल्य, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / उद्योग ग्रुप ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	884	13	97699	20183	207	20390	12903	33293	9464	42757	16436	19022
2. धातु उत्पादों एवं पुर्जों का निर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर	950	2	6796	18430	831	19261	3520	22781	5778	28559	1009	1148
3. परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	1987	14	39386	51966	3045	55011	5704	60715	28526	89241	4933	5907
4. परिवहन उपकरण और पुर्जों का निर्माण	256	6	6709	14520	234	14754	3926	18680	3489	22169	750	876
5. अन्य विनिर्माण उद्योग	233	10	1681	7101	854	7955	464	8419	2359	10778	544	598
6. पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत	129	6	1011	10377	10	10387	20	10407	2858	13265	992	1111
7. मरम्मत सेवाएं	146	7	718	2110	0	2110	379	2489	1483	3972	175	201
कुल	**4585**	**12**	**153999**	**124687**	**5181**	**129868**	**26916**	**156784**	**53957**	**210741**	**24838**	**28863**
अखिल भारतीय आंकड़ा	39659	100	1683618	1793383	86836	1880354	232310	2112664	814453	2927117	196089	2382511
अखिल भारतीय आंकड़े के अनुपात में राज्य का कुल(%)	12	12	9	7	6	7	12	7	7	7	13	1

मुख्य निष्कर्ष :

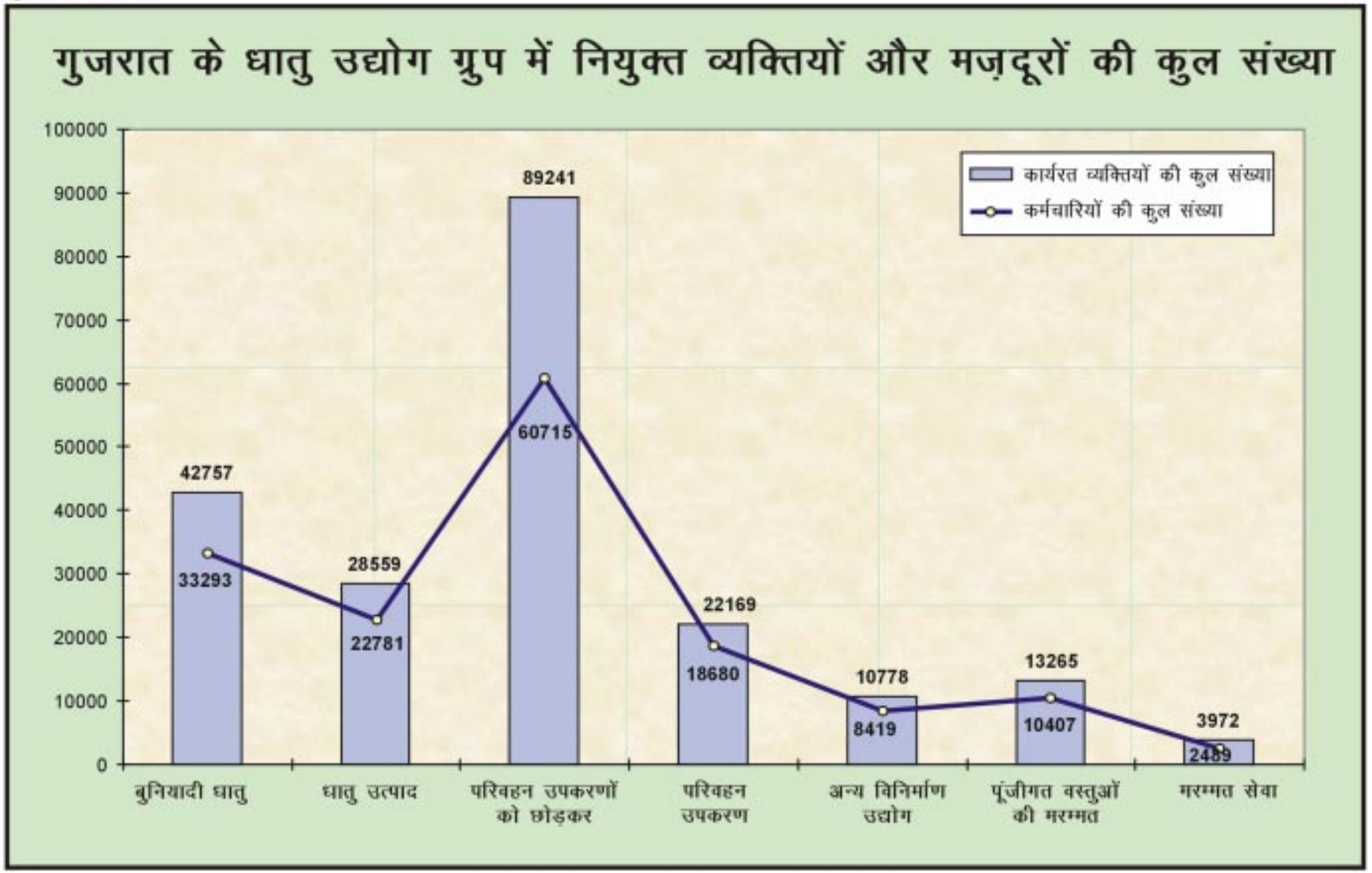
गुजरात के धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्तियों और मज़दूरों की कुल संख्या
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की कुल संख्या
42757
33293
28559
22781
89241
60715
22169
18680
10778
8419
13265
10407
3972
2489
बुनियादी धातु
धातु उत्पाद
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
परिवहन उपकरण
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा

मुख्य निष्कर्ष

धातु उद्योगों की विशेषताएं

भारत ने धातु उद्योगों के विकास में प्रभावशाली सीधी प्रगति की है जो 1997–98 तक 39659++ फैक्टरियों ने परिलक्षित होती है। आंकड़ो से यह पता चलता है कि 1992–93 ने 1997–98 के दौरान 3541 फैक्टरियों की भारी वृद्धि हुई।

भारत में धातु उद्योग को सात श्रेणियों में बांटा गया है, (भारतीय उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुरूप) और हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। भारत में समस्त धातु उद्योग में एक विशेष ग्रुप फैक्टरियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए **परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी तथा उपकरण के निर्माण** की सबसे अधिक संख्या है, यानी 13991। इसके बाद मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर धातु उत्पादों एवं पुरजो का निर्माण (8,259), **बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग** (6,931) है। 1992–93 से 1997–98 की पांच वर्षों की अवधि में विकास तत्व के उल्लेख के रूप में **मशीनरी तथा उपकरण** को छोड़कर धातु उत्पादों एवं पुरजो के निर्माण में फैक्टरियों की संख्या की दृष्टि से, तेज वृद्धि हुई है। इसमें 17.34 प्रतिशत, यानी 1221 फैक्टरियों की वृद्धि हुई है।

सभी परियोजना राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक धातु उद्योग (8,010) हैं। उद्योग के सभी ग्रुपों में **परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण** के निर्माण की सबसे अधिक 30.21 फैक्टरियां महाराष्ट्र में हें उद्योग के उसी ग्रुप में महाराष्ट्र के बाद गुजरात (1987) और कर्नाटक (1129) आता है।

निम्नलिखित चार्ट भारत में तथा परियोजना राज्यों में धातु उद्योगों के विभिन्न ग्रुपों का प्रतिशत वितरण दिखाया गया है।

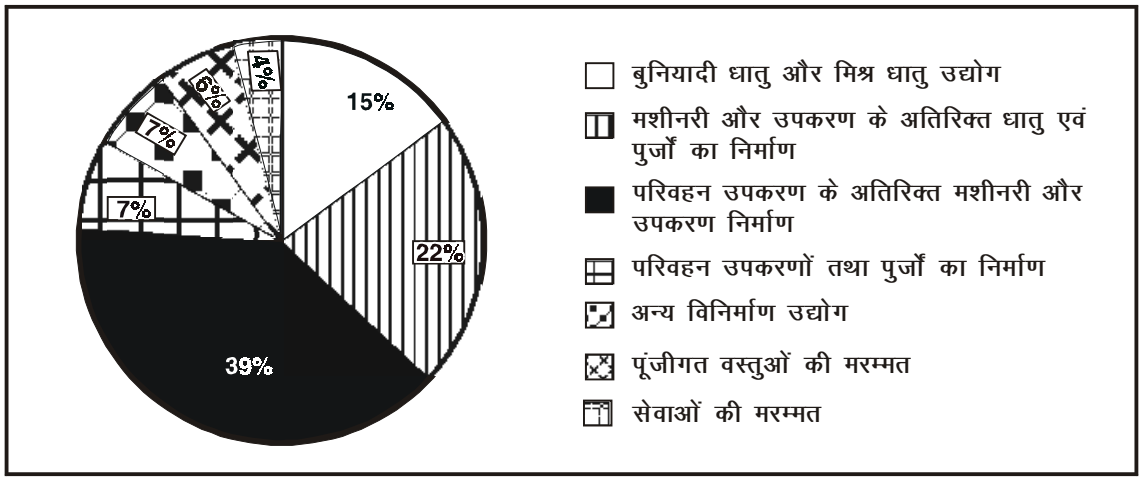

विभिन्न धातु उद्योग ग्रुप में उद्योगों का प्रतिशत (अखिल भारतीय)

+ *चार्ट एवं तालिका समेत इस अध्याय में सभी आंकड़ें उन सभी फैक्टरी इकाइयों को कवर करते हैं जो 10 या अधिक मजदूरों को नियुक्त करती हैं जो बिजली का इस्तेमाल करती हैं और 20 या अधिक मजदूरों को नियुक्त करती हैं, जो बिजली का इस्तेमाल नहीं करती है और यह उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, 1997–98 पर आधारित है। खनन तथा उत्खनन में शामिल मजदूर और स्वरोजगारशुदा मजदूरों का इस अध्याय में किसी भी आंकड़ें में शामिल नहीं है जब तक कि उसका विशेष उल्लेख नहीं किया जाये।*

⋆ *उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात।*

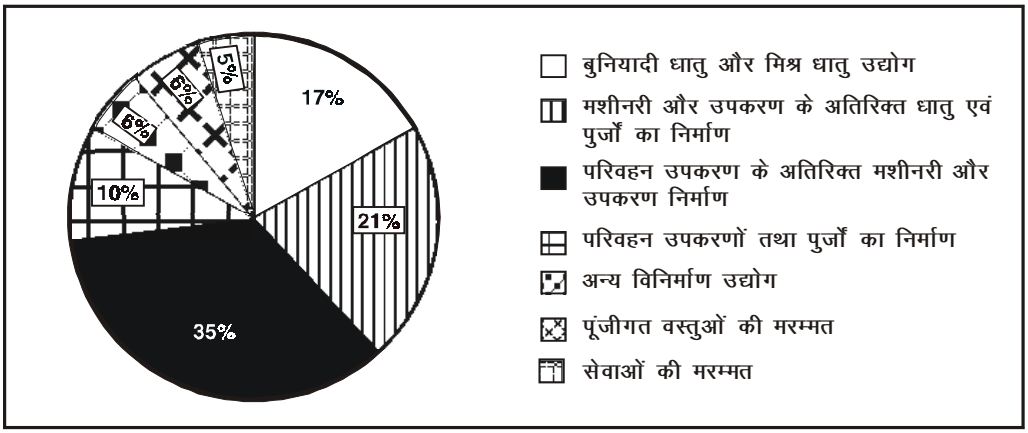

विभिन्न धातु उद्योग ग्रुप में उद्योगों का प्रतिशत (छह परियोजना राज्यों में)

भारत में **बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग** में सबसे अधिक पूंजी निवेश है 806738 मिलियन रु. और दूसरा ग्रुप है **परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण** जिसकी उत्पादक पूंजी 434904 मिलियन रु. है। परियोजना राज्य की तुलना में महाराष्ट्र की कुल उत्पादक पूंजी सबसे अधिक है और उद्योगों के सभी ग्रुपों में **परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण** सबसे आगे है जिसकी उत्पादक पूंजी 122489 मिलियन रु. है और उसके बाद **बुनियादी धातु एवं मिश्र धातु उद्योग** है। जिसकी उत्पादक पूंजी 118693 मिलियन रु. है। उत्पादक पूंजी के मामले में महाराष्ट्र के बाद गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश का स्थान आता है और सभी धातु उद्योग ग्रुपों में गुजरात की सबसे अधिक उत्पादक पूंजी 97699 मिलियन रु. है जो बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग में है जबकि आंध्र प्रदेश की उत्पादक पूंजी उसी उद्योग के ग्रुप में 71424 मिलियन रु. है।

धातु उद्योग में रोजगार

1997–98 में भारत में धातु उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों कुल संख्या करीब 2ए927,117 है जबकि 1992–99 में उनकी संख्या 2,547,099 थी। इसमें पांच वर्षों की अवधि में 14.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी 379,418 की वृद्धि, जबकि उसी अवधि में (92–93 से 97–98 तक) मजदूरों की संख्या में 310,982 (17.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

	1992–93	1997–98	वृद्धि
कुल कर्मचारी	2,547,699	2,927,117	379,418 (14.89%)
मजदूर	1,801,692	2,112,664	310,982 (17.26%)

1997–98 में भारत में धातु उद्योगों में मजदूरों की कुल संख्या का अनुमानतः 2,112,664 थी और मजदूरों की अधिकतम संख्या परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी तथा उपकरण निर्माण में करीब 594,909 थी। उसके ठीक बाद बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग में 506712 मजदूर थे और उसके बाद परिवहन उपकरण तथा पुरजो के निर्माण में 409764 **मजदूरों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पांच वर्ष की अवधि में (1992–93 से 1997–98) परिवहन उपकरण तथा पुरजो के निर्माण में देखी गयी।** उनकी संख्या थी 156965 यानी 62.09 प्रतिशत की वृद्धि।

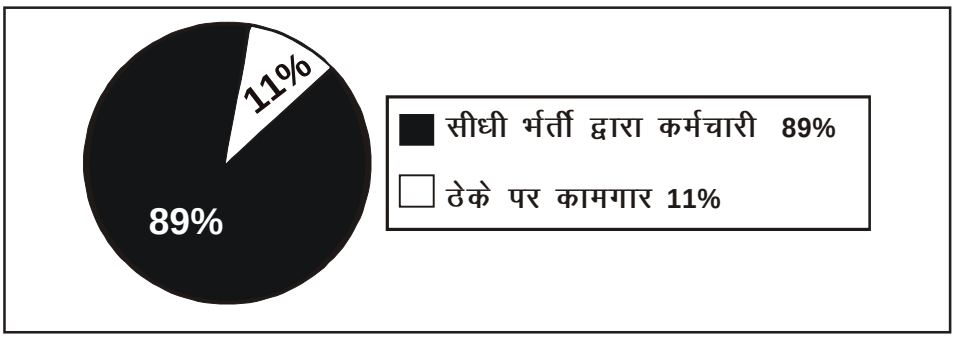

धातु उद्योग ग्रुप में मजदूरों का प्रतिशत (अखिल भारतीय)

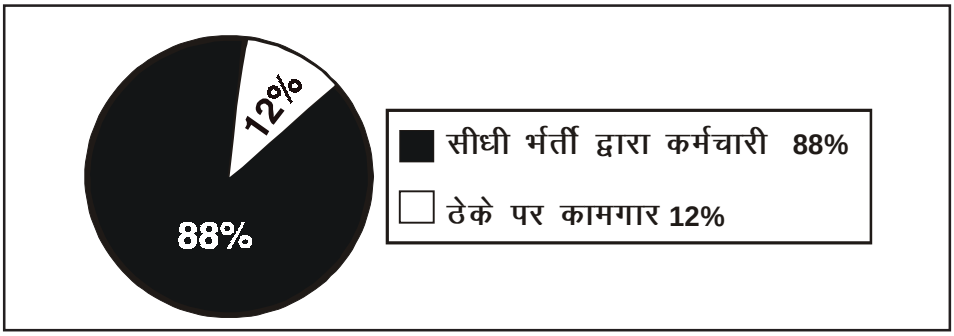

धातु उद्योग ग्रुप में मजदूरों का प्रतिशत (छह परियोजना राज्यों में)

छह परियोजना राज्यों में संयुक्त कुल श्रमबल 1,048,867 है जो भारत के धातु मजदूरों का 34 प्रतिशत है। विभिन्न राज्यों में धातु मजदूरों की कुल संख्या निम्न है :

राज्य	मजदूरों की कुल संख्या '97–'98*
महाराष्ट्र	380,890
उत्तर प्रदेश	167,208
कर्नाटक	160,881
गुजरात	156,784
आंध्र प्रदेश	132,131
राजस्थान	50,973
कुल	**1,048,867**

जहां तक मजदूरों, कर्मचारियों, निवेश तथा फैक्टरियों की संख्या का सवाल है तो महाराष्ट्र उद्योगों के सभी ग्रुपों में अग्रणी है।

धातु उद्योगों में ठेका मजदूरों की कुल संख्या 232310 है जो सीधे रोजगार में लगे मजदूरों 12.35 प्रतिशत है और मजदूरों की कुल संख्या का 10.99 प्रतिशत है। ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूरों की सबसे अधिक उपस्थिति बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग में है और मजदूरों की संख्या करीब 98,670 है जो उद्योग के उसी ग्रुप में सीधे रोजगार में लगे कुल मजदूरों का 24 प्रतिशत है, उसके बाद **मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पादों तथा पुरजो के निर्माण में (14 प्रतिशत) एवं अन्य विनिर्माण उद्योगों में (14 प्रतिशत) है।**

महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में ठेका मजदूरों का सबसे अधिक संकेन्द्रण है। राज्य–वार तुलना निम्नलिखित है।

राज्य	मजदूरों की कुल संख्या '97–'98*
महाराष्ट्र	8,010
गुजरात	4,585
उत्तर प्रदेश	3,169
कर्नाटक	2,378
आंध्र प्रदेश	2,356
राजस्थान	1,053
कुल	**21,551**

निम्नलिखित चार्ट में सीधे रोजगार में लगे मजदूरों, ठेका मजदूरों तथा मजदूरों के अलावा कर्मचारियों का प्रतिशत दिखाया गया है:

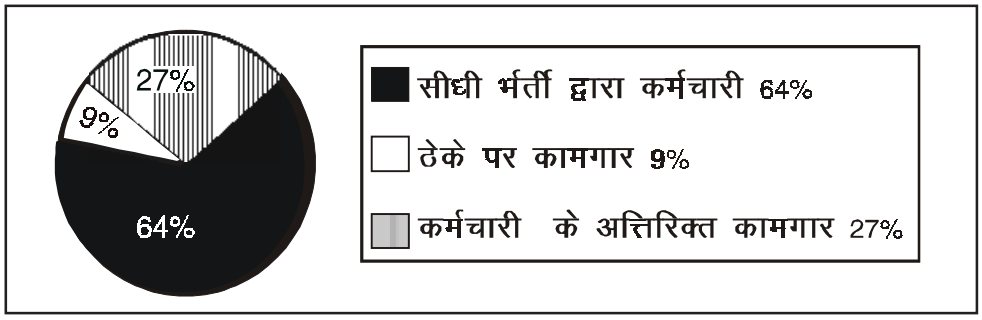

विभिन्न धातु उद्योग ग्रुप में कर्मचारियों का प्रतिशत (अखिल भारतीय)

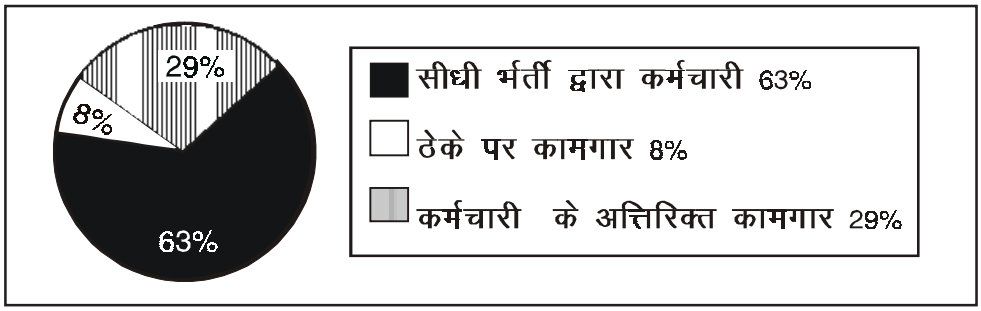

विभिन्न उद्योग ग्रुप में कर्मचारियों का प्रतिशत (छह परियोजना राज्यों में)

1997–98 में धातु उद्योगों कुल कर्मचारियों की संख्या की निम्नलिखित हैं :

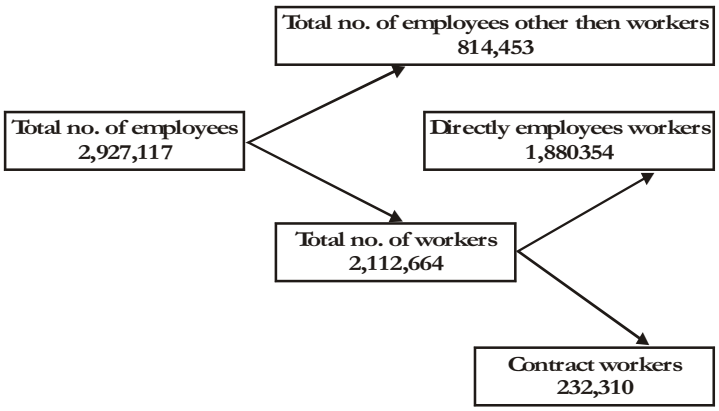

फैक्ट्री क्षेत्र में बड़े धातु उद्योग ग्रुप का हिस्सा निम्नलिखित है :

फैक्ट्री क्षेत्र में बड़े धातु उद्योग ग्रुप का हिस्सा

विभिन्न उद्योग ग्रुप	हिस्सा प्रतिशत				
	फैक्टरी	रोजगार	निवेशित पूंजी	सकल उत्पाद	मूल्य–वर्धित
बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु उद्योग	5.5	6.8	13.4	10.1	9.7
मशीनरी एवं उपकरण को छोड़कर धातु उत्पादों एवं पुरजो का निर्माण	6.1	3.1	1.7	2.2	2.1
परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण का निर्माण	11.1	9.9	7.7	11.0	12.3
परिवहन उपकरण एवं पुरजो का निर्माण	3.1	6.3	5.0	7.5	8.1
मरम्मत सेवाएं	1.4	0.6	0.2	0.2	0.4

स्त्रोत : स्टैटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया

छह परियोजना राज्यों में मजदूरों की संख्या महिला मजदूरों की अपेक्षाकृत अच्छी भागीदारी दर्शाती है

राज्यों द्वारा कुल मजदूर–आबादी का आंकड़ा

राज्य	कुल आबादी		कुल आबादी 2001	मजदूरों की आबादी 2001	तदनुरुपी कोरेस्पोंडिंग कुल आबादी का मजदूरों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	75,727,541	पुरुष	38,286,811	22,397,784	58.5
		महिला	37,440,730	16,174,395	43.2
गुजरात	50,596,992	पुरुष	26,344,053	14,647,293	55.6
		महिला	24,252,939	9,458,646	39.0
कर्नाटक	52,733,958	पुरुष	26,856,343	15,657,247	58.3
		महिला	25,877,615	10,325,168	39.9
महाराष्ट्र	96,752,247	पुरुष	50,334,270	27,281,174	54.2
		महिला	46,417,977	21,584,359	46.5
राजस्थान	56,473,122	पुरुष	29,381,657	14,925,881	50.8
		महिला	27,091,465	11,026,226	40.7

उत्तर प्रदेश	166,052,859	पुरुष	87,466,301	41,808,891	47.8
		महिला	78,586,558	15,402,965	19.6
भारत	1,027,015,247	पुरुष	531,277,078	236,418,299★	44.5★
		महिला	495,738,169	82,788,274★	16.7★

स्रोत : सेन्सस ऑफ इंडिया 2001 (धातु मजदूर समेत अस्थायी कुल आबादी)

★ मजदूरों का प्रतिशत एवं मजदूरों की आबादी कुल मजदूरों की आबादी नहीं है बल्कि मुख्य मजदूर है।

ट्रेड यूनियन पक्ष में भारत के श्रमबल 402.51 मिलियन मजदूरों का 8 प्रतिशत यूनियनों में शामिल हैं और 16 राष्ट्रीय श्रम केन्द्रों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। कम से कम 7 मजदूर यूनियन कायम कर सकते हैं और भारत में 59964 पंजीकृत यूनियनें हैं जो औसतन 710 मजदूरों की है।

पंजीकृत ट्रेड यूनियनें (मजदूर और कर्मचारी) और उनके सदस्यों की संख्या

वर्ष	पंजीकृत यूनियनों की संख्या (अनुमानित)	रिटर्न दाखिल करनेवाली यूनियनों की संख्या	रिटर्न दाखिल करने वाली यूनियनों की सदस्यता(000)			रिटर्न दाखिल करने वाली प्रति यूनियन औसतन सदस्यता
			पुरूष	महिला	कुल★	
1952	4,623	2,556	1847	136	1996	781
1961	11,312	6,813	3,618	395	4,013	589
1971	22,484	9,029	5,083	387	5,410	606
1981	37,539	6,682	5,012	385	5,397	808
1982	38,313	5,044	2,822	177	2,999	595
1983	38,935	6,844	5,011	406	5,417	792
1984	42,609	6,451	4,707	433	5,150	798
1985	45,067	7,815	5,831	602	6,433	823
1986	48,030	11,365	7,368	819	8,187	720
1987	49,329	11,063	7,211	748	7,959	719
1988	50,548	8,730	6,334	739	7,073	810
1989	52,210	9,758	8,207	1,088	9,295	953
1990	52,016	8828	6,181	838	7,019	795
1991	53,535	8,418	5,507	594	6,101	725
1992	55,680	9,165	5,148	663	5,746	627
1993	55,784	6,806	2,636	498	3,134	460
1994	56,872	6,277	3,239	855	4,094	652
1995	57,952	8,162	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	6,538	801
1996 (अस्थायी)	58,805	7,309	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5,613	768
1997 (अस्थायी)	59,964 अनुमानित	10,0016	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7,408	740

स्रोत : पाकेट बुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 1999

**कुल लिंग–वार ब्रेक–अप से मेल नहीं भी खा सकती है क्योंकि लिंग के आधार पर कुछ यूनियनों के मामले में सूचना उपलब्ध नहीं है।*

मुख्य निष्कर्ष :

भारत के छह चुने हुए राज्यों में 1997–98 में भारतीय धातु उद्योगों की विशेषताएं

राज्य–वार (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. आन्ध्र प्रदेश	2356	6	1061519	114022	4718	118750	13411	132161	45688	177849	109546	130261
2. गुजरात	4585	12	1539990	124687	5181	129868	26916	156784	53957	210741	100460	117430
3. कर्नाटक	2378	6	1249493	133968	13085	146425	14456	160881	73065	233946	140417	177227
4. महाराष्ट्र	8010	20	3940350	315455	20597	336052	44838	380890	173650	554540	497727	609295
5. राजस्थान	1053	3	304438	46124	957	47081	3892	50973	18132	69105	41184	47144
6. उत्तर प्रदेश	3169	8	1169003	142271	5262	147533	19675	167208	58975	226183	144930	160323
कुल	**21551**	**54**	**9264793**	**876527**	**49800**	**925709**	**123188**	**1048897**	**423467**	**1472364**	**1034264**	**1241680**

मुख्य निष्कर्ष :

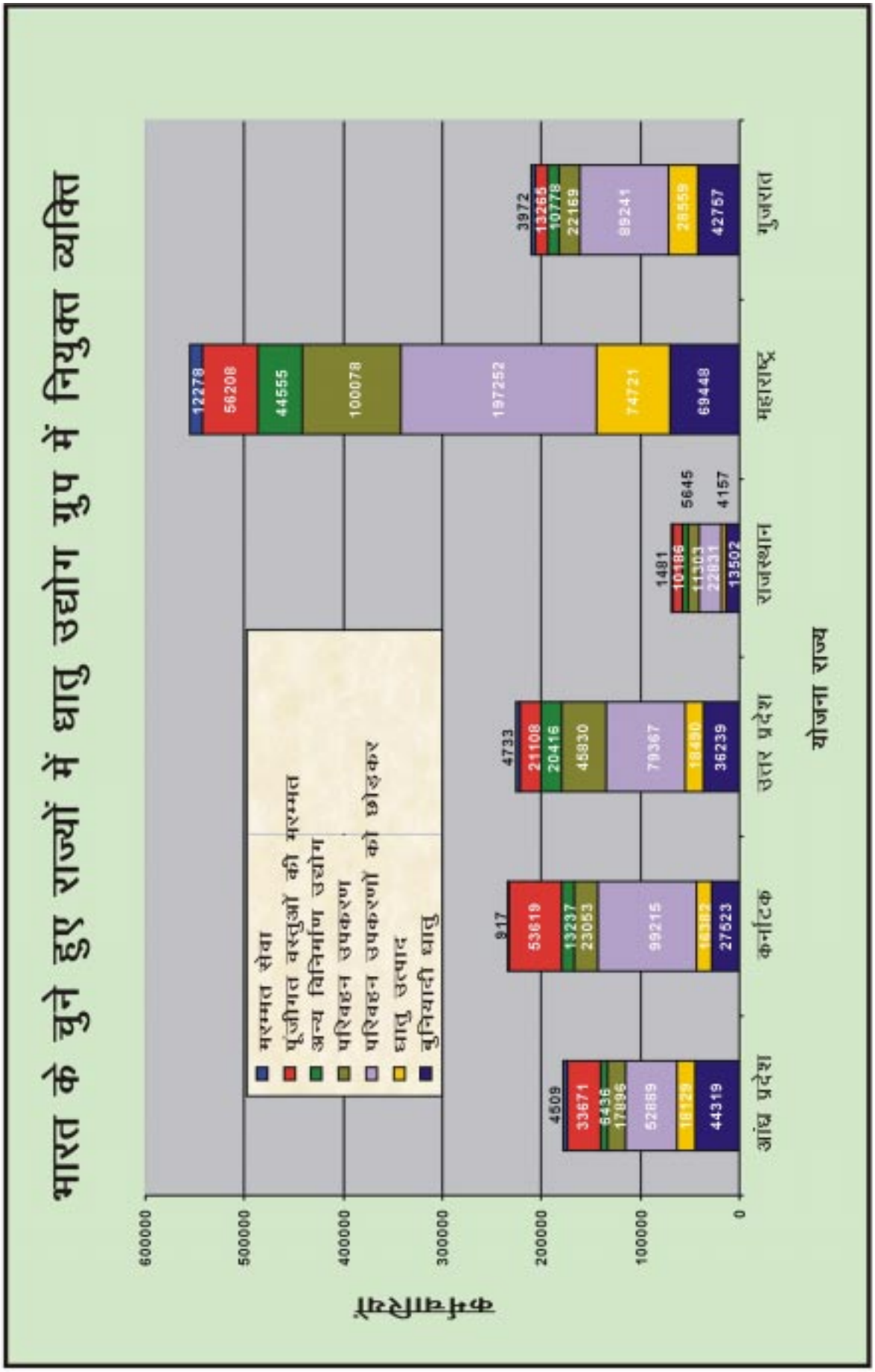

भारत के चुने हुए राज्यों में धातु उद्योग ग्रुप में नियुक्त व्यक्ति
मरम्मत सेवा
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
अन्य विनिर्माण उद्योग
परिवहन उपकरण
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
धातु उत्पाद
बुनियादी धातु
कर्मचारी
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
महाराष्ट्र
गुजरात
योजना राज्य
4509
33671
6436
17896
52889
18129
44319
847
53619
13237
23053
99215
16582
27523
4733
21108
20416
45830
79367
18490
36239
1481
5645
4157
10186
11363
22831
13502
12278
56208
44555
100078
197252
74721
69448
3972
13265
10778
22169
89241
28559
42757

मुख्य निष्कर्ष :

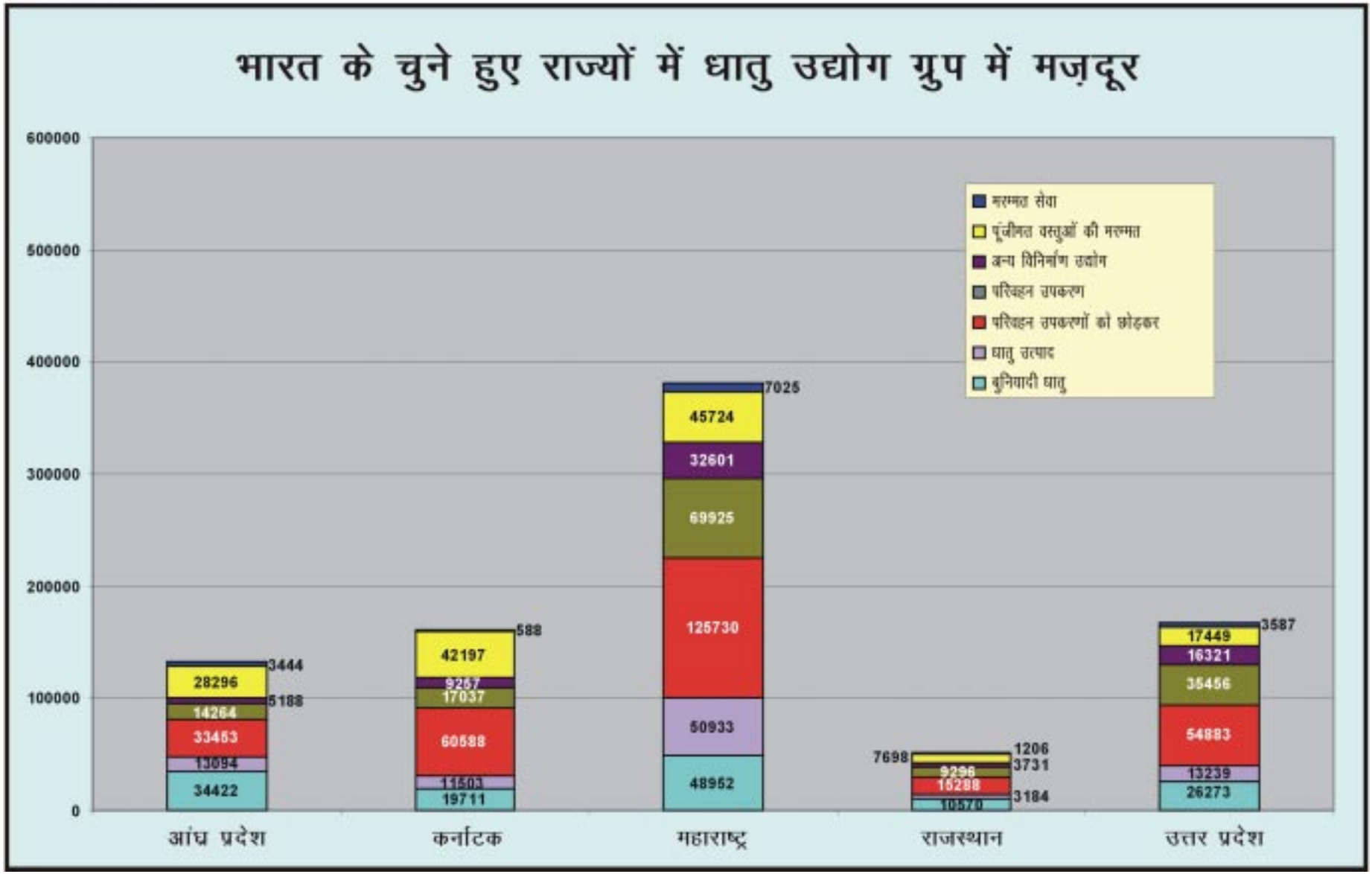
भारत के चुने हुए राज्यों में धातु उद्योग ग्रुप में मज़दूर
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
मरम्मत सेवा
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
अन्य विनिर्माण उद्योग
परिवहन उपकरण
परिवहन उपकरणों को छोड़कर
धातु उत्पाद
बुनियादी धातु
3444
28296
5188
14264
33463
13094
34422
588
42197
9267
17037
60588
11503
19711
7025
45724
32601
69925
125730
50933
48952
7698
1206
3731
9296
15288
3184
10570
3587
17449
16321
35456
54883
13239
26273
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
महाराष्ट्र
राजस्थान
उत्तर प्रदेश

निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष और सिफारिशें

पूववर्ती अध्यायों के अंतर्गत दिये गये ठोस एवं व्यापक आंकड़े यह स्पष्ट तथा अकाट्य निष्कर्ष निकलते हैं कि असंगठित क्षेत्र में अधिक उपेक्षित और अधिक शोषित मजदूरों की एक बड़ी फौज है जो श्रमबल का करीब 90 प्रतिशत है। रोजगार की आवश्यक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों के बिना वे अस्वस्थ दशाओं में काम करने को मजबूर हैं एवं उन्हें कानूनी न्यूनतम वेतन भी नही मिलता है।

इस शोध का स्वयंसिद्ध उद्देश्य जिसकी **अंतर्राष्ट्रीय मेटलवर्कर्स फेडरेशन,** दक्षिण एशिया कार्यालय, ने मांग की थी, धातुकर्म उद्योग, उद्यमों एवं वहां करने वाली ट्रेड यूनियनों के संबंध में व्यापक सूचना इकट्ठा करना था और इसका स्पष्ट लक्ष्य भारतीय धातु उद्योग में मजदूरों का डाटा–बेस (आंकड़ों का आधार) तैयार करना और धातु उद्योग मजदूरों की दशाओं के बारे में एक बोधगम्य संकलन तैयार करना तथा उन कारकों का अध्ययन करना तथा समझदारी हासिल करना था जो "असंगठित को संगठित करने" की प्रारंभिक कार्याविधि शुरु करने में मदद करेगा।

उपर्युक्त अध्यायों तथा छह भारतीय राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से प्राप्त रिपोर्टों के तथ्यों, विचारों और राज्यों के व्यापक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में ये निष्कर्ष पाये गये हैं तथा सिफारिशें की गयी हैं।

ट्रेड यूनियनें

"श्रम संगठनों का प्रथम कर्तव्य मजदूरों एवं सदस्यों का कल्याण तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना है और मजदूरों के संगठन को एक समग्ररूप से भारत के संदर्भ में उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए।"

– लालबहादूर शास्त्री

1991 के बाद की अवधि में स्थायीकरण एवं संरचनात्मक समयोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप अधिक श्रम बाजार लचीलेपन, खासकर रोजगार लचीलेपन की मांग पेश कर दी गयी। वेतनभोगी मजदूरों तथा कर्मचारियों और उनकी यूनियनों के सामने ये अनेक चुनौतियां दर पेश हैं जो आर्थिक सुधार के परिणाम हैं जिसका मुख्य जोर उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण तथा श्रम बाजार लचीलेपन पर है जिसकी वजह से अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भर्ती पर रोक लग गयी है। इसके फलस्वरूप धातु उद्योग की ट्रेड यूनियनों में निम्नलिखित पहलू सुस्पष्ट हैं –

- ❖ अधिकांश सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में यूनियनें **"स्वैच्छिक" सेवानिवत्ति योजनाओं (वीआरएस)** के संबंध में समझौते कर रही हैं जिसके फलस्वरूप सदस्यता में काफी कमी हो गयी है। **अब यूनियनों को स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना है।**
- ❖ कारखाना – आधारित स्वतंत्र यूनियनों की संख्या जो किसी भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध नहीं है, बढ़ गयी है जिसकी वजह से **केन्द्रीकृत संबद्ध यूनियनों की शक्ति, खासकर निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कम हो गयी है।**
- ❖ **ट्रेड यूनियनों में विकेन्द्रीकृत सौदेबाजी ढांचे के साथ मुनाफेवाले उद्योगों** में खासकर निजी (कुछ हद तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में) उद्यमों में तथा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों में अच्छा काम किया है। जबकि सीमांत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में मजदूर तथा यूनियनें बढ़ी तथा

अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही हैं। सार्वजनिक सेवाओं में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **केन्द्रीकृत यूनियनें इस तथ्य के कारण मजबूत बनी रहती** हैं कि वे अपनी प्रकृति में मूलतः अधिक संगठित होती हैं, पर उनके **पास उत्पादन के पुराने एवं गिरावट वाले क्षेत्रों में नयी रणनीति नहीं है** जहां उद्योग–वार सौदेबाजी ढांचा ही एक मानदंड होता है।

- ❖ खासकर आर्थिक सुधार के प्रारंभ के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बाजार दबाबों ने इस बात के लिए विवश कर दिया है कि **स्थानीय स्तर पर ही सौदेबाजी के परिणामों का निर्णय हो।**
- ❖ दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्योग में रोजगार काफी कम हो गया है। ऐसा आर्थिक सुधारों के बाद वीआरएस आदि जैसे अनेक कारणों से हुआ। इसके फलस्वरूप संगठित से असंगठित क्षेत्रों तथा बड़ी निजी लि. कंपनियों से लघु क्षेत्रों में रोजगार का व्यापक स्थानांतरण हो गया है।

फलतः देश के धातु उद्योग ट्रेड यूनियन आंदोलन पर भारी दबाब है। आज भारत में ट्रेड यूनियनों के सामने अपने सदस्यों तथा जनता को यह विश्वास दिलाने की बड़ी चुनौती दर पेश है वे सभी कर्मचारियों की ओर से काम कर सकते हैं, चाहे वे यूनियन में शामिल हैं या नहीं। इसका तकाजा है कि सामुदायिक निकायों, सामाजिक आंदोलनों एवं अन्य गैर–सरकारी संगठनों के साथ रणनीतिक गठबंधन कायम किया जाये।

सिफारिशें :

- ❖ "असंगठित को संगठित करने" की प्रक्रिया का वास्तविक माध्यम ट्रेड यूनियनें हैं। और यह सिफारिश की जाती है कि विभिन्न ट्रेड यूनियनें नये जोश के साथ कुल सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करें। यह भी आवश्यक है कि अपनी प्रदत्त सदस्यता के लिए उनकी दस्तावेजी जबाबदेही है।
- ❖ धातु उद्योग में श्रमबल का संकेन्द्रण अब औपचारिक से अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है इसलिए ट्रेड यूनियनों के अस्तित्व के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि औपचारिक क्षेत्र में सदस्यता में इस कमी का प्रतिकार करने के लिए ट्रेड यूनियनों को अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- ❖ ट्रेड यूनियनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेका मजदूरों का अधिकार भी सुरक्षित रहें। उनके रोजगार में अस्थिरता की स्थिति को उनका शोषण करने के लिए मालिकों के हाथों में एक हथियार नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करके ही इसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ठेका मजदूर भी ट्रेड यूनियन रोल का एक हिस्सा हैं। इससे सदस्यता के स्तरों में स्पष्टतः वृद्धि होगी।
- ❖ उभरती चुनौतियों का सामना करने तथा ट्रेड यूनियनों में दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन लाने के लिए **शैक्षणिक कार्यक्रम कारगर हथियार हो सकता है।**
- ❖ यह महत्वपूर्ण है कि ट्रेड यूनियनें अपनी **नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुनर्गठन करें और उन चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने के लिए रणनीतियां निरूपित करें** जो अभी धातु उद्योग के मजदूरों पर बोझ डाल रही हैं। निम्नलिखित की सिफारिशें की जाती हैं :
  - ♦ **मजबूत, एकताबद्ध, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र ट्रेड यूनियन आंदोलन का निर्माण।**
  - ♦ **केन्द्रीकृत प्राधिकार एवं विकेन्द्रीकृत कार्य–प्रणाली के साथ** बुनियादी ही ढांचे में परिवर्तन।
  - ♦ उन्हें गठित किये जाने के **बुनियादी उद्देश्य पर पुनः ध्यान देना** और यह आश्वासन देना कि **मजदूरों को आक्रांत करने वाले मसलों पर विचार किया जाएगा।**

- **राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एकजुटता** बढ़ाने की दिशा में कदम।
- एक–दूसरे के साथ सहयोग एवं छवि बढ़ाने के लिए समाज के साथ एकजुटता निर्मित करना।,
- राष्ट्रीय केन्द्रों की वित्तीय अस्थिरता ट्रेड यूनियनों के समुचित एवं निर्बाध कार्यकलापों के लिए एक बड़ी बाधा है। इसलिए ट्रेड यूनियनों को **प्रदत्त सदस्यता बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय केन्द्रों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके और यूनियनों की और सदस्यों के बीच संबद्धता की भावना निर्मित की जा सके।**

यह सही है कि देश में धातु मजदूरों को प्रभावी ट्रेड यूनियन के तहत संगठित करने की जरूरत है जो मजदूरों की सरकार तथा प्रबंधन के हमले से रक्षा करेगा और मजदूरों के वास्तविक हितों को बढ़ावा देगा तथा रक्षा करेगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए संभावित गठबंधन से लाभ उठाने की व्यापक संभावना है और पहले स्वयं अपने बीच गठबंधन कायम करके ठोस शुरूआत की जा सकती है। ट्रेड यूनियन आंदेालन की भावी भूमिका स्पष्ट रूप से इस विशाल एवं विविधितापूर्ण देश में मेहनतकश जनता की सामाजिक एकजुटता को सुनिश्चित करने के व्यापक सरोकार के साथ जुड़ा है। **ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए यह महत्वपूर्ण है** कि वह असंगठित को संगठित करने पर ध्यान केन्द्रित करे ताकि अनियमित एवं अस्थिर रोजगार में लगे मजदूरों के लिए सुरक्षित आय तथा सुरक्षित कार्य–दशाएं निर्मित की जा सकें।

ठेका मजदूर

ठेका मजदूर जो घोषित कार्यक्रम रोजगार (संगठित उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अधिकांश असंगठित क्षेत्र में भी) की कुल शक्ति के 30 से 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मजदूरों का बड़ा हिस्सा है जिन्हें 'संगठित' के सुनिश्चित झंडे के तहत लाया जाता है।

कर्नाटक में एक सप्ताह में एक 'ठेका मजदूर' काम किये जाने वाले औसतन घंटे की संख्या 58 से 60 घंटे हैं जबकि 'पक्के' मजदूर 45 से 48 घंटे काम करते हैं। ठेका मजदूर किसी भी कल्याणकारी एवं अन्य लाभों के हकदार नहीं हैं और अधिकांश राज्यों से हालांकि वे स्थायी मजदूरों के बराबर या उनसे बेहतर काम करते हैं, पर उन्हें नियमित मजदूरों को दिये जाने वाले वेतन का केवल एक–तिहाई वेतन ही दिया जाता है। आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट इस वास्तविकता का एक स्पष्ट उदाहरण है।

आन्ध्र प्रदेश में नियमित मजदूरों को दिये जाने वाले वेतन की तुलना में ठेका मजदूर को दिया जाने वाला वेतन (1997)

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या	प्रतिमाह प्रति मजदूर का न्यूनतम वेतन (रु. में)	प्रतिमाह प्रति ठेका मजदूर का न्युनतम वेतन (रु. में)
भेल	4042	1200
एचएएल	3730	1980
एचसीएल	3730	1410
ईसीआईएल	3730	1350
बीडीएल	3730	1100

ठेका मजदूर धीरे–धीरे देश में सबसे बड़ा श्रमबल होते जा रहे हैं। अधिकांश मामलों में मालिकों द्वारा मजदूरों के एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ विभाजित करने और उन्हें कमजोर करने के लिए ठेका–प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। केजुअलीकरण का उद्देश्य यूनियन संगठन की जड़ों पर प्रहार करना है। यह परिघटना स्थायी मजदूरों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा कर रही हैं।

छह राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ठेका मजदूरों की ट्रेड यूनियनों में कोई बड़ी भूमिका नहीं हैं वे शायद ही यूनियन की सदस्यता रखते हैं, इसलिए वे काम के बोझ से दबे रहते हैं और वेतन भी कम दिया जाता है। उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है जो अनुसूचित रोजगार में लागू है जिसमें वे काम करते हैं।

सिफारिशें

समुचित विचार के बाद यह सिफारिश की जाती है कि :

- ट्रेड यूनियनों द्वारा तात्कालिक एवं प्रभावी कार्रवाई शुरू की जाये **ताकि यूनियनों में ठेका मजदूरों का दाखिला सुनिश्चित किया जा सके।**
- ट्रेड यूनियनें यह सुनिश्चित करें कि यथासंभव अधिक से अधिक ठेका मजदूरों को कंपनी के प्रत्यक्ष कर्मचारियों के रूप में खपाया जा सके।

ट्रेड यूनियनों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे इन मजदूरों की अंतर्निहित संगठित शक्ति की क्षमता से वाकिफ हों और उन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्यधारा में लायें जो समानता तथा सामाजिक न्याय के साथ देश के समाजिक–आर्थिक रूपांतरण का सर्वाधिक कारगर हथियार है।

इससे निम्नलिखित लाभ मिलेंगे :

- यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी।
- इससे ठेका मजदूरों के लिए व्यवहारिक समर्थन व्यवस्था मिलेगी।
- उनके शोषण की संभावना कम हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, इससे सीधे इस बात की गारंटी मिलेगी कि असंगठित मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा 'संगठित' क्षेत्र में सीधे आ जाएगा। इससे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की ताकत बढ़ जाएगी।

महिला मजदूर

भारत में कुल 31.9 करोड़ श्रमबल है जिनमें **26 प्रतिशत महिला मजदूर हैं जो** श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा संघटित करती हैं (सेन्सस आफ इंडिया 2001; मजदूरों की संख्या एवं प्रतिशत आंकड़ा कुल मजदूरों की संख्या नहीं है बल्कि मुख्य मजदूरों की है)। क्रमिक शहरीकरण तथा प्राविधिक नव–परिवर्तन के साथ ही महिला मजदूर घर–आधारित कार्यकलाप से हटकर फैक्टरी के काम में आ गयी। इंडियन लेबर जर्नल'– सितंबर 2000 के अनुसार 1997 में महिला मजदूर फैक्टरियों में कुल श्रमबल का 14 प्रतिशत हिस्सा थीं और खानों में 6 प्रतिशत तथा विनिर्माण क्षेत्र में 21.4 प्रतिशत मजदूरों को नियुक्त किया। निम्नलिखित तालिका 1998 तक फैक्टरियों एवं खदानों में महिला मजदूरों की कुल संख्या प्रस्तुत करती हैं :

फैक्टरियों, खदानों में महिलाओं का रोजगार

	1988	1990	1992	1994
फैक्टरी	463,000	499,000	524,000	591,000
खदान	59,000	56,000	53,000	49,000

स्रोत : लेबर ब्यूरो, शिमला और खान सुरक्षा महानिदेशालय

लेकिन उनमें बहुमत को आर्थिकरूप से मान्यता नहीं दी गयी है। कार्य के मामले में अभी भी महिलाओं के साथ दोनों कानूनी एवं सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता है। इस बात के बावजूद कि महिलाओं को समानता एवं गैर–भेदभाव का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

महिला मजदूर **स्व–रोजगारशुदा एवं असंगठित क्षेत्रों में अधिक संकेन्द्रित हैं और ट्रेड यूनियनों में अपेक्षाकृत उनका बहुत कम प्रतिनिधित्व है, यह बताना निरर्थक है कि रिपोर्टों के अनुसार महिला मजदूरों के बारे में अपर्याप्त सूचना उपलब्ध हैं।** हालांकि ट्रेड यूनियनों महिला सदस्यों का प्रतिशत जो रिटर्न दाखिल करती हैं, 1951–52 में 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 1985 में 10.3 प्रतिशत हो गया; 1992 में वह 11.6 प्रतिशत था। **धातु क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों में मजदूरों के इस हिस्से की ओर से नगण्य भागीदारी है।**

महिला मजदूरों के बीच यूनियनीकरण के सबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि विशेष क्षेत्र/उद्योगों की स्थिति का काफी अध्ययन किया गया है जहां महिला मजदूर श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य दशाओं एवं अन्य लाभों से संबंधित अधिकांश मसलों पर कोई सुनवाई नहीं होती है और उनका समाधान नहीं हो पाता है।

सिफारिशें

- ट्रेड यूनियनों को महिला रोजगार के पक्ष में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की लाबिंग करनी चाहिए।
- एक **लैंगिक संवेद्री परिप्रेक्ष्य को अवश्यक ही ट्रेड यूनियनों के कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए** ताकि ट्रेड यूनियन कार्यकलापों में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।
- उन्हें **महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए** जिसमें यूनियन के ढांचें में नीति–निर्माण स्तर भी शामिल है।
- यह जोर देकर सिफारिश की जाती है कि ट्रेड यूनियनें इस समझ के साथ धातु उद्योग की महिला मजदूरों को यूनियन के कार्यकलापों में शामिल करें :
  - इस क्षेत्र को संगठित करना, उनके मुख्य मसलों का समाधान करना।
  - उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए पर्याप्त उपाय ढूंढना।
  - उन्हें सौदेबाजी की कार्यवाहियों में अधिक सक्रिय रूप से शमिल करने के लिए व्यापक रूप से उन्हें लामबंद करना।
  - उनकी नीतियों के निरूपण एवं उसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उन्हें शामिल करना।

महिला मजदूरों का सशक्तीकरण तथा उन्नति देश में श्रम आंदोलन के आधार एवं मुख्य केन्द्र सुदृढ़ीकरण में एक मुख्य योगदान होगा।

अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूर

यह वास्तव में एक कठोर वास्तविकता है कि भारत के श्रमबल का 93 प्रतिशत असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में है। भारतीय चैम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी) ने उद्घाटित किया है कि पिछले एक दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार में 14 प्रतिशत की कमी हुई है। भारत के श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्र में नियुक्त है और **यह एक तथ्य है कि अपने विशाल बहुमत को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, प्रोविडेंट फंड तथा संगठित क्षेत्र को अन्य वैध लाभ नहीं मिलता** है।

इस सूचना की रोशनी में यह चिन्ताजनक है कि रिपोर्ट के एक अध्ययन ने इस वास्तविकता को उद्घाटित किया है कि **मजदूरों तक ट्रेड यूनियनों की सही औपचारिक/संगठित क्षेत्र तक ही सीमित है।** यह दुर्भाग्य से भारत के श्रमबल के करीब 9 प्रतिशत को ही शामिल करता है।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार

वर्ष	संगठित	असंगठित	कुल	असंगठित का प्रतिशत
1983	240,10,000	2,640,00,000	2,880,10,000	91.67
1993–94	271,77,000	3,089,14,000	3,360,91,000	91.91
1995–96	275,25,000	3,224,26000	3,499,51,000	92.03
2000	280,70,000	368,730,000	396,800,000	93.00

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण

हाल की बाजार स्थिति ने श्रम बाजार परिदृश्य को बदल दिया है और इसके फलस्वरूप ट्रेड यूनियनें मजदूरों पर अपनी पहुंच और खो रहे हैं। परिणामतः यह समय का तकाजा है कि **धातु उद्योग में ट्रेड यूनियनें अनौपचारिक क्षेत्र पर अपना ध्यान दें।**

सिफारिशें :

- ❖ धातु उद्योग में ट्रेड यूनियनों को **अपना मुख्य ध्यान औपचारिक क्षेत्र से बदल कर अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमबल पर लगाना चाहिए।** अब छोटे तथा मध्यम श्रेणी के कार्यस्थल पर ध्यान लगाना चाहिए जहां भारत के अधिकांश श्रमबल संकेन्द्रित हैं।
- ❖ मजदूरों की कार्य एवं जीवन–दशाओं के सुधार करने के लिए स्थानीय तथा कार्यस्थल से संबंधित प्रयासों पर जोर दिया जाना चाहिए और उन्हें **अपनी पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के जोखिम के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।**
- ❖ अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को अधिक **यूनियनीकरण की प्रक्रिया के जरिये सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और ताकत के संबंध में हिस्सा दिया जाना चाहिए।**

निर्विवाद रूप से मजदूरों की सामूहिक ताकत एकमात्र वाहन है जिसके जरिये सामूहिक तथा आर्थिक न्याय तथा श्रम की गरिमा हासिल की जा सकती है। **इसलिए यह सर्वोच्च जरूरत है कि धातु उद्योग की ट्रेड यूनियनों को "असंगठित को संगठित करने" के लिए तत्काल और अनवरत अभियान शुरु कर देना चाहिए।**

अनुलग्निका–1

अनुलग्निका –1

सूचना प्रौद्योगिकी की – रोजगार के लिए निहितार्थ

भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के मुख्य ईंजन के रूप में सूचना तथा संचार प्रौद्यागिकी के अभ्युदय ने अपने साथ कुशल श्रमबल के लिए बड़ी आशाएं भी लायी हैं जो परंपरागत उद्योगों में लगे है और नयी प्रौद्योगिकी के महत्व को नहीं समझ सके हैं। भारत विश्व भर में विकसित अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कर्मियों के मुख्य आपूर्तिकर्त्ता के रूप में उभरा है जो सूचना प्रौद्योगिकी में पूरी तरह दक्ष हैं।

उद्योग के अनुपातों के अनुसार **1998 में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए भूमंडलीय बाजार 200 अरब अमरीकी डालर का था और उसकी प्रतिवर्ष वृद्धि दर 23 प्रतिशत थी एवं उनमें तीव्र वृद्धि की आशा की गयी जो 2008 तक 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंच जाएगा।**

यह आशा की जाती है कि 2008 वर्ष तक भविष्य उद्योग का हिस्सा 100 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा जिसमें 50 अमरीकी डालर के निर्यात का अंश भी शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण (1998–99) के अनुसार को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। **भारतीय साफ्टवेयर उद्योग दोनों घरेलू उपयोग के एवं निर्यात की दृष्टि से एक तेजी से बढ़ रहा उद्योग है।**

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992–93 से 1996–97) के दौरान घरेलू उपयोग के लिए साफ्टवेयर 1991–92 में 3200 मिलियन रु. के स्तर से बढ़कर 1996–97 में 26000 मिलियन रु. तक पहुंच गया यानी 52 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर दर्ज की। उसी अवधि के दौरान साफ्टवेयर के निर्यात का मूल्य 1991–92 में 179 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1996–97 में 1042 मिलियन अमरीकी डालर हो गया एवं 43 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर हासिल की। 1997–98 के दौरान घरेलू उपयोग में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 347000 मिलियन रु. हो गया जबकि निर्यात में 62 प्रतिशत वृद्धि हुई और वह 1799 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

इस प्रभावशाली वृद्धि के फलस्वरूप भारत सरकार ने सूचना प्रौद्यागिकी तथा साफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित कर दिया। इस ग्रुप ने जुलाई 1998 में 108 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की ओर अधिकांश सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया जिसमें आईटी उद्योग के भावी विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की गयी। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2000) में यह व्यवस्था की गयी कि सरकार केवल इसे सुगम बनायेगी और बड़ा शेयर इलेक्ट्रानिक आईटी उद्योग का कृषि 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आयेगा। टर्मिनल वर्ष के लिए नवीं योजना के लक्ष्य में 1383500 मिलियन रु. का उत्पादन तथा 489300 मिलियन रु. का निर्यात एवं प्रतिहजार दो के कंप्यूटर के अतः प्रवेश के (पेनेट्रेशन) अतिरिक्त 150000 मिलियन रु. का ई–कामर्स शामिल था।

योजना आयोग के अनुसार नवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान आईटी उद्योग का कार्य–निष्पादन प्रतिवर्ष औसतन करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ काफी महत्वपूर्ण था। नवीं योजना के मध्यकालीन आकलन (अक्तूबर 2000 में प्रकाशित) के अनुसार नवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में साफ्टवेयर के निर्यात में प्रतिवर्ष करीब 66 प्रतिशत की वृद्धि की हासिल की गयी। पर हार्डवेयर निर्यात में वृद्धि इतनी प्रभावशाली नहीं थी, उसमें कवेल 11 प्रतिशत, वृद्धि ही हासिल की गयी।

सरकारी अनुमान यह है कि विश्व साफ्टवेयर बाजार में भारत का हिस्सा निम्न ही रहा। 1998 में देश ने

कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर सेवाओं में केवल 16 प्रतिशत बाजार शेयर प्राप्त किया पर यह महसूस किया गया कि भारत के सामने विश्व बाजार में एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर विद्यमान है। यदि वह तकनीकी आधारभूत ढ़ांचे तथा कुशल क्षमता की प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान दें।

आवश्यक आधारभूत ढ़ांचा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जून 1991 में **साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)** की स्थापना की है जिसके केन्द्र **पुणे, बंगलौर, हैदराबाद, तिरूअनंतपुरम, भुवनेश्वर, गांधीनगर तथा नोएड़ा (दिल्ली के निकट)** में है। हाल ही में **नवी मुम्बई, जयपुर तथा चंडीगढ़** के एसटीपीआई के अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र दोनों डाटा संचार लिंक तथा फिजिकल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर साफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख स्कीम के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समन्वित नेटवर्क सेवा जिसे साफ्टनेट कहा गया है, की रूपरेखा तैयार की गयी और एसटीपी में उसे स्थापित किया गया। सरकार ने आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत परिवर्तन किये।

निर्यात तथा घरेलू राजस्व के महत्वकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईटी उद्योग को विकसित करने की दृष्टि एवं विचार से आर्थिक तथा वित्तीय नीति में सुधार किये गये हैं।

आईटी तथा साफ्टवेयर विकास के संबंध में राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 85 अरब अमरीकी डालर का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे 2008 तक हासिल करना है जिसमें घरेलू राजस्व का हिस्सा 35 अरब तथा निर्यात राजस्व का हिस्सा 50 अरब अमरीकी डालर हो गया।

नेशनल एसोसिऐशन फार साफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (एनएएसएससीओएम) के अनुसार यह उद्योग 1989–90 में 197 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1999–2000 में 5700 मिलियन अमरीकी डालर तथा 2000–2001 में 8750 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

भारतीय साफ्टवेयर उद्योग राजस्व तथा निर्यात (अमरीकी डालर मिलियन में)

वर्ष	कुल	घरेलू	निर्यात
1989–90	197	97	100
1994–95	835	350	485
1995–96	1224	490	734
1996–97	1755	670	1085
1997–98	2700	950	1750
1998–99	3900	1250	2650
1999–2000	5700	1700	4000
2000–2001पी	8750	2450	6300
2008	85000	35000	50000
	यौगिक वार्षिक वृद्धिदर		
1994–99 (%)	56.3	46.05	60.71

रोजगार की संभावना

एनएएसएससीओएम ने यह भी संकेत दिया है कि साफ्टवेयर उद्योग का रोजगार 1996 में 0.16 मिलियन से बढ़कर 2000 में 0.34 मिलियन हो गया। इनमें 70 प्रतिशत 1996 में साफ्टवेयर विकास में लगे थे और 2000 में केवल 63 प्रतिशत विकास तथा संपर्क विकास में लगे व्यक्तियों का हिस्सा 1996 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। साफ्टवेयर उद्योग में रोजागर की मुख्य विशेषता गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली द्वारा निम्न तालिका दिखायी गयी है।

साफ्टवेयर उद्योग में रोजगार की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	पैरामीटर	1996	1999	2000
1.	साफ्टवेयर पेशेवर (गैर–वाणिज्यिक संगठन तथा प्रयुक्त संगठन में लगे लोगों के साथ)	160000	280000	340000
2.	वे जो साफ्टवेयर विकास में लगे है 1. साफ्टवेयर विकास (%) 2. विपणन एवं संपर्क विकास (%)	10	11	14
3.	मेडिकल एज (वर्ष)	28.4	26.2	25.7
4.	आईटी डिग्री धारकों का अनुपात	75	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	उनका अनुपात जिनके पास 5 वर्षों का अनुभव है (%)	60	50	60
6.	पिछले वर्ष की तुलना में मूल वेतन में वृद्धि (%)	21	21+ ईएसओ	16+ ईएसओ
7.	घिसाई दर (%)	17.2	16	14

स्रोत : आईएलओ वर्ल्ड एम्पलायमेंट – आईटी पर रिपोर्ट

नोट : एम्पलाइज स्टाक आप्शन (ईएसओ) द्वारा पूरक किया – 41 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ईएसओ की पेश की।

एनएएसएससीओएम सर्विस यह दिखलाती है कि 1996 और 2000 के बीच रोजगार वृद्धि 28.5 प्रतिशत थी और प्रति वर्ष करीब 70000 रोजगार का सृजन किया गया। पर आईटी तथा साफ्टवेयर विकास से संबंधित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने यह बताया है कि 2008 तक रोजगार में करीब 2.2 मजदूरों की वृद्धि होगी जिसमें आईटी सेवाओं के विस्तार से 1.14 मिलियन रोजगारों का सृजन किया जाएगा। इन रोजगारों में 0.56 मिलियन बैंक आफिस परिचालन में होंगे और रोजगार के बड़े हिस्से में अपेक्षाकृत युवाजन शमिल होंगे और उनमें बहुमत 25–28 वर्ष की उम्र के इंजीनियरिंग डिग्रीधारी युवाओं का होगा।

श्रम मंत्रालय के लिए, किये गये अध्ययन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकानामिक्स ने आईटी उद्योग में छोटे आफिसों तथा घर आधारित आफिसों (एसओएचओ) की प्रमुखता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यहां तक कि एनएएसएससीओएम सर्विस ने भी यह संकेत दिया है कि साफ्टवेयर पेशेवरों में महिलाओं का हिस्सा 1999 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत तथा 2001 में 30 प्रतिशत हो गया।

आईटी उद्योग के ढ़ांचें के एक अध्ययन के अनुसार उद्योग में फर्मों की संख्या 1200 है। इनमें 545 फर्में एनएएसएससीओएम की सदस्य हैं जिनका कुल राजस्व में 95 प्रतिशत हिस्सा है और अन्य 20 फर्मों का अभी निर्यात में 55 प्रतिशत हिस्सा है। उद्योग से प्रौद्योगिकी स्वरूप के कारण मेट्रोपालिटन तथा शहरीकृत केन्द्रों में ही इसके स्थान के लिए पूर्वाग्रह है।

स्थानिक विस्तार और क्षेत्रीय वितरण

भारत में, साफ्टवेयर उद्योग प्रारंभ में मुम्बई (पूर्व बम्बई) में विकसित हुआ। बाद में 1980 के दशक के मध्य में टेक्सास इंस्ट्रूयमेंट के प्रवेश के साथ ही बंगलौर साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए एक केन्द्र बन गया। बंगलौर उद्योग के लिए अनेक तरह से आकर्षक हो गया। इनमें प्रशिक्षित श्रमबल के पूल की उलब्धता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इडियन इंस्टीट्यूट, आफ मैनेजमेंट तथा अनेक उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक समुदायों जैसे भारत इलेक्ट्रानिक्स, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स आदि शामिल है। साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क के तहत अपसंरचनात्मक विकास तथा बाद में निजी आईटी पार्क ने बंगलौर में और इसके गिर्द उद्योग के विस्तार में सहायता दी। बंगलौर तथा मुम्बई के अलावा दिल्ली अपने उपनगरों–नोएड़ा एवं गुड़गांव के साथ साफ्टवेयर इकाइयों के तीसरे सर्वाधित लोकप्रिय संकेन्द्रण के रूप में उभरकर सामने आया है। हैदराबाद तथा चेन्नई ने उपलब्ध आधारभूत ढ़ांचा के रूप में बंगलौर के भर जाने तथा स्थान की कमी हो जाने के बाद दक्षिण में वैकल्पिक स्थान प्रारंभ कर दिया। राज्य सरकार को बढ़ावा देने की भूमिका ने भी हैदराबाद को साफ्टवेयर कंपनियों के चौथे रूप से महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरने में मदद की। अन्य **पांच नगरों का 600 उच्च कंपनियों में 80.5 प्रतिशत हिस्सा** है। लेकिन अन्य नगर भी जैसे कलकत्ता, पुणे, तिरूअनंतपुरम, अहमदाबाद, भुवनेश्वर भी लोकप्रिय स्थान के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कारक है उच्च गति के डाटा संचार संपर्क तथा निर्मित स्थान की उपलब्धता जो साफ्टवेयर टेक्नालाजी (एसटीपी) में प्रदान किया गया है।

भारत में उच्च 600 साफ्टवेयर (कंपनियों का क्षेत्रीय वितरण)

नगर	कंपनी की संख्या मुख्यालय अवस्थित	प्रतिशत शेयर
मुम्बई	131	21.83
बंगलौर	122	20.33
दिल्ली एवं उसके आस–पास	111	18.50
हैदराबाद	64	10.67
चेन्नई	55	9.16
कलकत्ता	25	4.16
पूना	23	3.83
तिरअनंतपुरम	14	2.33
अन्य	55	9.16

स्रोत : एनएएसएससीओएम

इसलिए साफ्टवेयर उद्योग का विकास मुख्यतः चुने हुए मुख्य शहरी केन्द्रों तथा उनके उपनगरों में संकेन्द्रित है। इस संकेन्द्रण के ढ़ांचे का कारण ज्ञान–आधारित उद्योगों की एक जगह केन्द्रित होने की प्रवृत्ति है और इसकी वजह है संकेन्द्रित होने की उच्च अर्थव्यवस्था। भारत में संचार आधारभूत ढांचे तथा श्रमबल एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता ने भी इसमें योगदान दिया। चूंकि

ये सभी केन्द्र देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित हो चुके हैं, इसलिए संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए साफ्टवेयर उद्योग के विकास का संभव फैलाव नहीं हो सकता है।

भारत के आईटी रोजगार में लैंगिक आयाम

साफ्टवेयर पेशे में महिलाओं का हिस्सा 1993 में केवल 10 प्रतिशत से बढ़कर 1999 में 19 प्रतिशत हो गया। आईटी सर्विसेज में रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 37 प्रतिशत हैं। 2005 तक उसमें 35 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। उद्योग पर पूर्व के अध्ययन ने उद्योग पर पुरूषों के उच्च प्रभुत्व की रिपोर्ट दी थी, जिसमें महिलाओं का हिस्सा केवल 5–10 प्रतिशत होगा, पर पुरुषों द्वारा श्रमबल पर प्रमुख लैंगिक पक्षपात के कारण नहीं है। अध्ययनों ने यह रिपोर्ट दी है कि उद्योग ने अन्य अधिकांश पेशों की तुलना में अधिक आरामदेह तथा कम भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान किया है और महिलाओं के सामने अन्य उद्योगों की अपेक्षा इस उद्योग में वरिष्ठता के पदों पर पहुंचने की अधिक संभावनाएं हैं। उन सर्वेक्षणों में महिलाओं की कम उपलब्धियों के कारणों मे यह बताया गया है कि पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण उनमें अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का अभाव होता है तथा कंपनियों को रात में काम के खिलाफ कानून उन्हें रात–दिन काम के लिए नियुक्त करने से रोकती हैं। स्थल पर कार्य पर कंपनियों की निर्भरता में बराबर के साथ ही महिलाओं के खिलाफ पूर्वागृह में भी कमी होती जाएगी।

उदाहरण के लिए विश्व भर में कॉल सेंटर तथा बैंक–आफिस सर्विस, खासकर डाटा–एंट्री कार्यों (आंकड़ा शामिल करने वाले कार्य) में महिलाएं भरी हैं। इन सेवाओं का काफी बड़ा हिस्सा घर से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक घर–आधारित मजदूर एक कॉल का जवाब दे सकता है या आंकड़ा सम्मिलित कर सकता है जो ग्राहक को इलेक्ट्रानिक से संप्रेषित किया जाता है। इस तरह के 'टेलीवर्किंग' अवसर जैसा कि कहा जाने लगा है खासकर स्व–रोजगाशुदा महिला मजदूरों के काफी अनुकूल है जो पारिवारिक कारणों से या छोटे बच्चों के कारण घर पर ही रहना चाहती हैं।

अनुलग्निका–2

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	272	4	121174	68616	2487	71103	3486	74589	24922	99511	11224	13410
2. हरियाणा	352	5	11770	6372	0	6372	1759	8131	4823	12954	544	652
3. मध्य प्रदेश	380	5	91007	44391	238	44629	17860	62489	23891	86380	6726	8854
4. पंजाब	556	8	7303	17271	0	17271	2722	19993	5067	25060	907	1065
5. तमिलनाडु	662	10	25483	27357	214	27671	4633	32304	9823	42127	1948	2421
6. पश्चिम बंगाल	696	10	98201	68121	840	68961	12339	81300	19397	100697	6921	8142
7. दिल्ली	275	4	1861	2769	0	2769	565	3334	940	4274	134	155
कुल	**3193**	**46**	**356798**	**234897**	**3779**	**238776**	**43364**	**282140**	**88863**	**371003**	**28405**	**34699**
अखिल भारतीय	6932	100	806738	402048	5982	408042	98670	506712	165626	672338	46713	56622
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	46	46	44	58	63	59	44	56	54	55	61	61

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

मशीनरी तथा उपकरण को छोड़कर धातु उत्पादों एवं पुरजों का निर्माण (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	140	2	441	1887	11	1898	272	2170	651	2821	75	84
2. हरियाणा	477	6	6872	9591	38	9629	2009	11638	4661	16299	704	913
3. मध्य प्रदेश	254	3	4771	6969	93	7062	1734	8796	2570	11366	458	549
4. पंजाब	648	8	3081	14367	135	14502	398	14900	3641	18541	627	721
5. तमिलनाडु	681	8	6212	15478	1759	17237	2938	20175	4585	24760	1081	1305
6. पश्चिम बंगाल	462	6	3415	13465	222	13687	1462	15149	6491	21640	1012	1198
7. दिल्ली	288	3	4534	6459	0	6459	0	6459	1790	8249	310	367
कुल	**2950**	**36**	**29325**	**68216**	**2258**	**70474**	**8813**	**79287**	**24389**	**103676**	**4267**	**5137**
अखिल भारतीय	8257	100	94507	2ई+05	6088	182339	24735	207074	74153	281227	13852	16798
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	36	36	31	39	37	39	36	38	33	37	31	31

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

परिवहन उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी तथा उपकरण का निर्माण (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	120	1	2117	6668	121	6789	32	6821	3617	10438	674	808
2. हरियाणा	509	4	22857	26069	1012	27197	2954	30151	17700	47851	3553	4507
3. मध्य प्रदेश	332	2	20402	19810	1434	21244	3731	24975	11823	36798	2584	2799
4. पंजाब	781	6	15517	18801	1107	19908	1761	21669	7821	29490	1596	1907
5. तमिलनाडु	1612	12	42047	65896	6275	72171	9866	82037	36915	118952	6753	8547
6. पश्चिम बंगाल	865	6	11208	31669	850	32519	1546	34065	20699	54764	3587	4430
7. दिल्ली	335	2	9595	14155	1281	15438	244	15682	8043	23725	4796	5673
कुल	**4554**	**33**	**123743**	**183068**	**12080**	**195266**	**20134**	**215400**	**106618**	**322018**	**23543**	**28671**
अखिल भारतीय	13994	100	434904	496711	43298	540127	54782	594909	310169	905078	65514	81348
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	33	33	28	37	28	36	37	36	34	36	36	35

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

परिवहन उपकरण एवं पुरजों का निर्माण (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	117	3	21052	15326	570	15896	874	16770	9664	26434	2412	3123
2. हरियाणा	294	7	35351	26371	293	26669	9692	36356	14698	51054	4118	5053
3. मध्य प्रदेश	111	3	5030	9304	0	9304	1605	10909	6211	17120	835	1010
4. पंजाब	714	18	14425	40684	100	40784	1291	42075	11930	54005	2355	2655
5. तमिलनाडु	581	14	34041	61325	1619	62944	4764	67708	24938	92646	6710	8066
6. पश्चिम बंगाल	139	3	6412	51048	396	51444	1326	52770	17012	69782	5123	5668
7. दिल्ली	366	9	3963	6744	232	6976	40	7016	2577	9593	500	612
कुल	**2322**	**58**	**120275**	**210802**	**3210**	**214017**	**19592**	**233604**	**87030**	**320634**	**22052**	**26187**
अखिल भारतीय	4011	100	254523	365546	7704	373250	36514	409764	147499	557263	42833	51288
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	58	58	47	58	42	57	54	57	59	58	51	51

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

अन्य विनिर्माण उद्योग (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	4	0	135	111	4	115	2	117	148	265	18	20
2. हरियाणा	59	3	3108	4843	298	5141	344	5485	2538	8023	371	456
3. मध्य प्रदेश	28	1	457	1275	110	1385	4	1389	404	1793	70	82
4. पंजाब	65	3	834	3578	543	4121	616	4737	1580	6317	189	217
5. तमिलनाडु	197	9	3301	4745	4343	9088	87	9175	2455	11630	565	708
6. पश्चिम बंगाल	98	4	1921	5449	201	5650	57	5707	2625	8832	661	779
7. दिल्ली	107	5	718	2079	539	2618	0	2618	1212	3830	181	207
कुल	**558**	**25**	**10474**	**22080**	**6038**	**28118**	**1110**	**29228**	**10962**	**40690**	**2054**	**2468**
अखिल भारतीय	2248	100	63261	76040	21283	97323	13958	111281	39090	150371	8122	9640
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	25	25	17	29	28	29	8	26	28	27	25	26

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	34	2	4	881	11	892	4	896	224	1120	47	51
2. हरियाणा	26	1	144	6842	31	6873	7	6880	690	7570	590	608
3. मध्य प्रदेश	37	2	1539	5348	65	5413	55	5468	1140	6608	457	476
4. पंजाब	44	2	116	2518	1	2519	29	2548	414	2962	208	217
5. तमिलनाडु	475	21	4453	34633	422	35055	407	35462	7561	43023	2785	3039
6. पश्चिम बंगाल	39	2	436	13285	289	13574	156	13730	5285	19015	994	1103
7. दिल्ली	46	2	306	5052	6	5058	0	5058	1048	6106	460	504
कुल	**701**	**31**	**6998**	**68559**	**825**	**69384**	**658**	**70042**	**16362**	**86404**	**5540**	**5998**
अखिल भारतीय	2242	100	18946	229376	2194	231574	2298	233872	54944	288816	16926	18365
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	31	31	37	30	38	30	29	30	30	30	33	33

अनुलग्निका–2

भारत के अन्य मुख्य औद्योगिक राज्यों में धातु उद्योग की विशेषताएं

मरम्मत सेवाएं (मूल्य मिलियन★ रु. में, अन्य संख्या में)

विशेषताएं → / राज्य ↓	फैक्टरियों की संख्या	अखिल भारतीय अनुपात में राज्य में फैक्ट्रियों का प्रतिशत	उत्पादक पूंजी[1] (रु. में)	सीधे रोजगार में लगे मजदूर		सीधे रोजगार में लगे मजदूरों की कुल संख्या	ठेकेदारों के जरिये रोजगार में लगे मजदूर	मजदूरों की कुल संख्या[3]	मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारी[4]	कर्मचारियों की कुल संख्या[2]	बोनस समेत वार्षिक वेतन एवं मजदूरी[5] (रु. में)	कुल पारिश्रमिक[6] (रु. में)
				पुरुष	महिलाएं							
1. बिहार	97	5	155	2672	34	2706	0	2706	660	3366	106	113
2. हरियाणा	18	1	108	739	0	739	8	747	243	990	54	57
3. मध्य प्रदेश	114	6	1056	3909	44	3953	50	4003	1294	5297	251	295
4. पंजाब	51	3	251	1012	0	1012	0	1012	469	1481	67	72
5. तमिलनाडु	406	21	1286	8075	12	8087	425	8512	4159	12671	429	490
6. पश्चिम बंगाल	113	6	1219	3828	26	3854	0	3854	1483	5337	508	536
7. दिल्ली	132	7	816	3053	3	3056	98	3154	2215	5369	418	487
कुल	**931**	**47**	**4892**	**23288**	**119**	**23407**	**581**	**23988**	**10523**	**34511**	**1831**	**2050**
अखिल भारतीय	1977	100	11946	47411	287	47699	1353	49052	22972	72024	3757	4191
अखिल भारतीय आंकड़े का कुल प्रतिशत में	47	47	41	49	41	49	43	49	46	48	49	49

मुख्य निष्कर्ष :

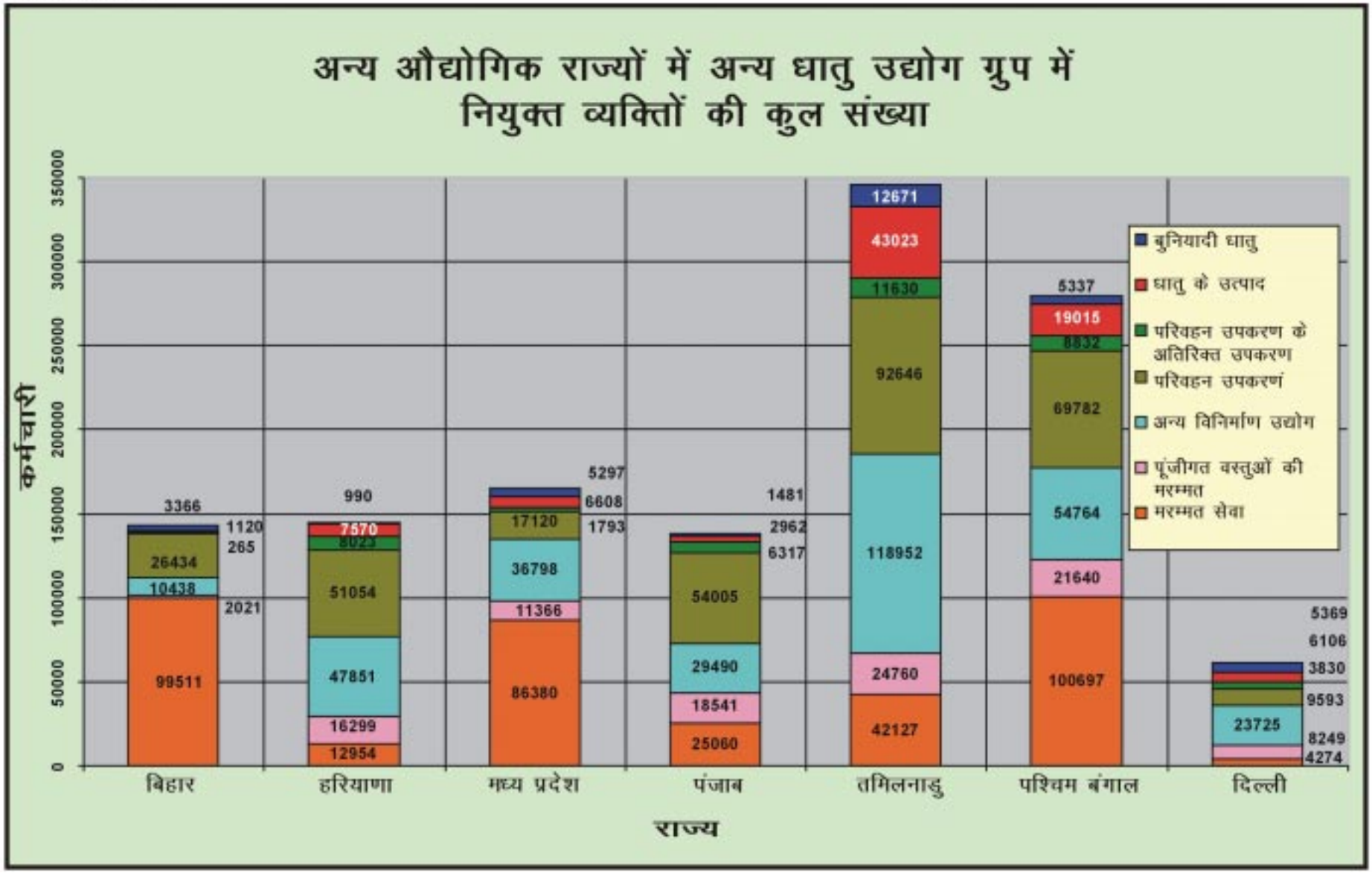
अन्य औद्योगिक राज्यों में अन्य धातु उद्योग ग्रुप में
नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
कर्मचारी
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
राज्य
3366
1120
265
26434
10438
2021
99511
990
7670
8023
51054
47851
16299
12954
5297
6608
1793
17120
36798
11366
86380
1481
2962
6317
54005
29490
18541
25060
12671
43023
11630
92646
118952
24760
42127
5337
19015
8832
69782
54764
21640
100697
5369
6106
3830
9593
23725
8249
4274
बुनियादी धातु
धातु के उत्पाद
परिवहन उपकरण के अतिरिक्त उपकरण
परिवहन उपकरणं
अन्य विनिर्माण उद्योग
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत
मरम्मत सेवा

मुख्य निष्कर्ष :

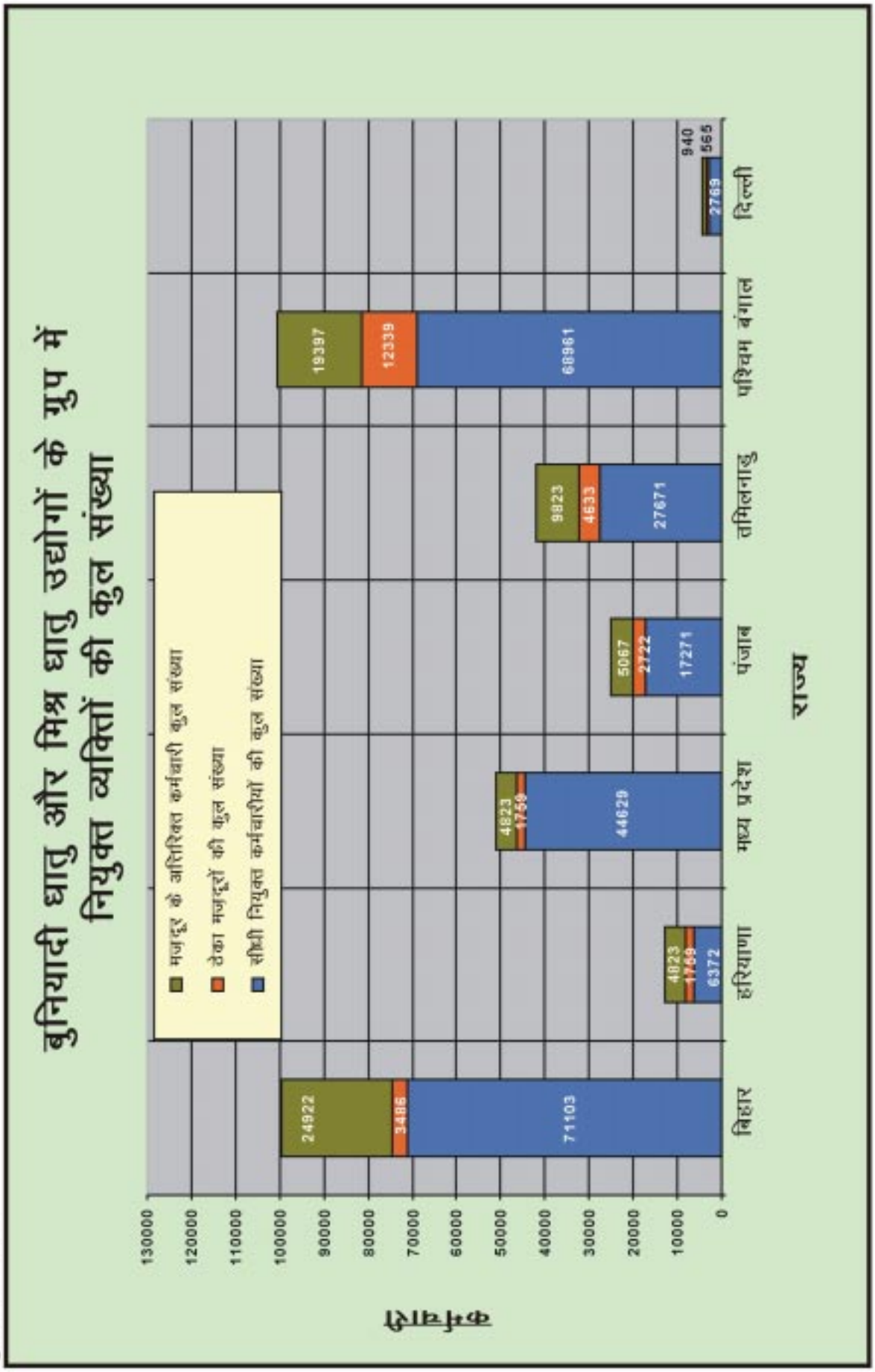
बुनियादी धातु और मिश्र धातु उद्योगों के ग्रुप में
नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूर के अतिरिक्त कर्मचारी कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधी नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
कर्मचारी
राज्य
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
24922
3486
71103
4823
1769
6372
4823
1758
44629
5067
2722
17271
9823
4633
27671
19397
12339
68961
940
565
2769
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000

मुख्य निष्कर्ष :

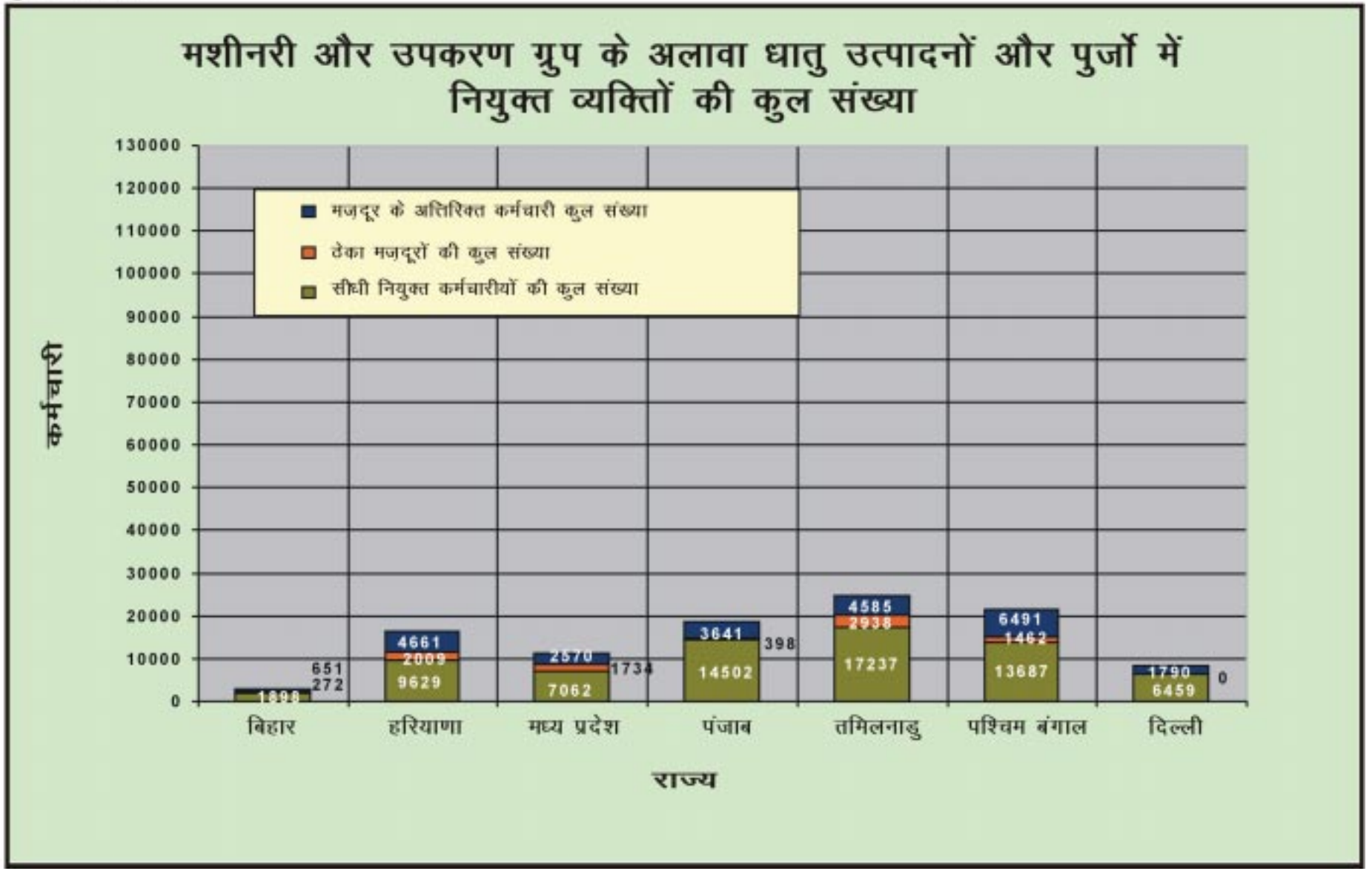
मशीनरी और उपकरण ग्रुप के अलावा धातु उत्पादनों और पुर्जो में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूर के अतिरिक्त कर्मचारी कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधी नियुक्त कर्मचारीयों की कुल संख्या
कर्मचारी
राज्य
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
651
272
1898
4661
2009
9629
2570
1734
7062
3641
398
14502
4585
2938
17237
6491
1462
13687
1790
0
6459

मुख्य निष्कर्ष :

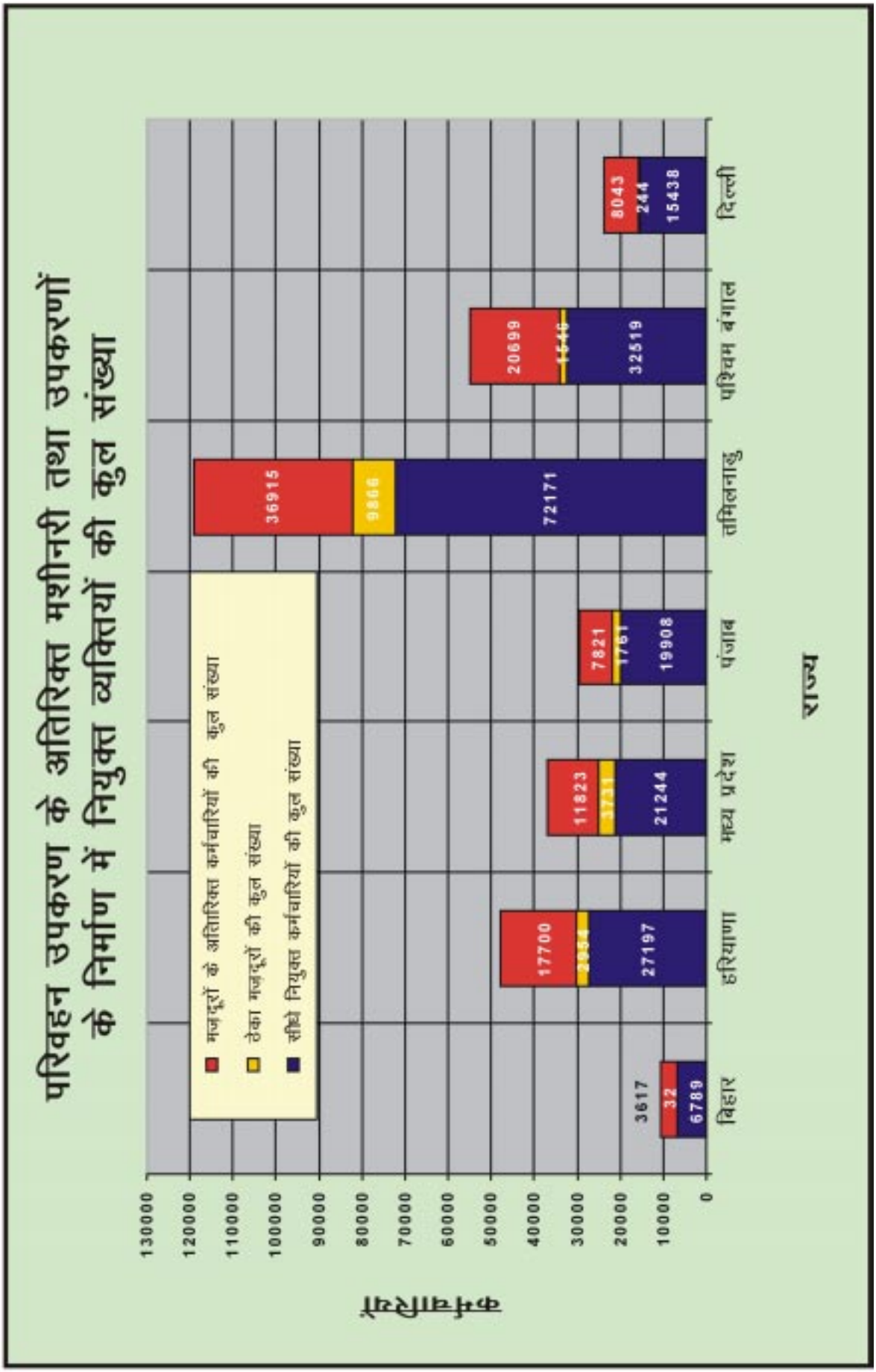

परिवहन उपकरण के अतिरिक्त मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधे नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
कर्मचारियों
राज्य
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
3617
32
6789
17700
2954
27197
11823
3731
21244
7821
1761
19908
36915
9866
72171
20699
1546
32519
8043
244
15438

मुख्य निष्कर्ष :

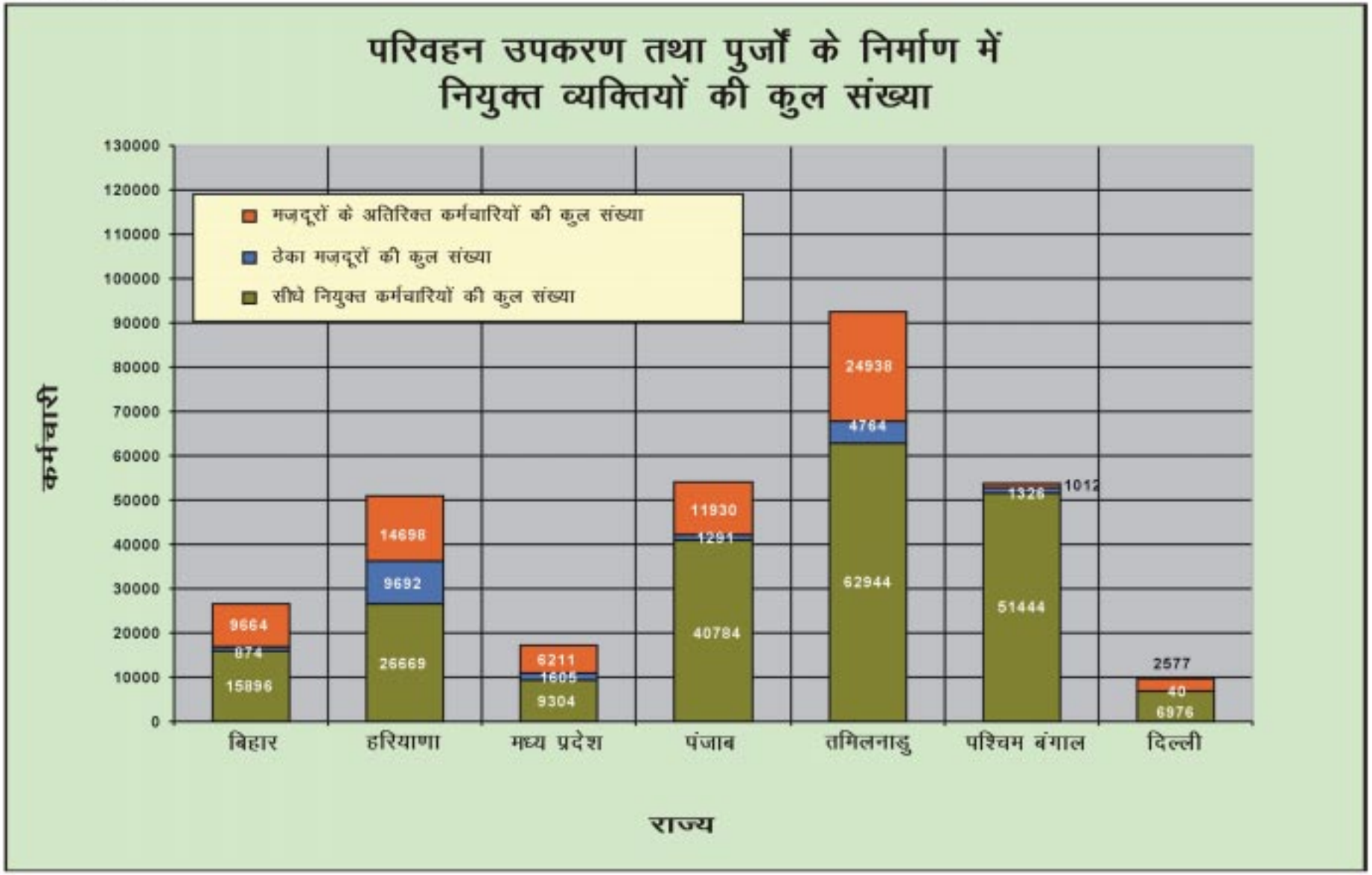

परिवहन उपकरण तथा पुर्जों के निर्माण में
नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधे नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
कर्मचारी
राज्य
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
9664
874
15896
14698
9692
26669
6211
1605
9304
11930
1281
40784
24938
4764
62944
1012
1326
51444
2577
40
6976

मुख्य निष्कर्ष :

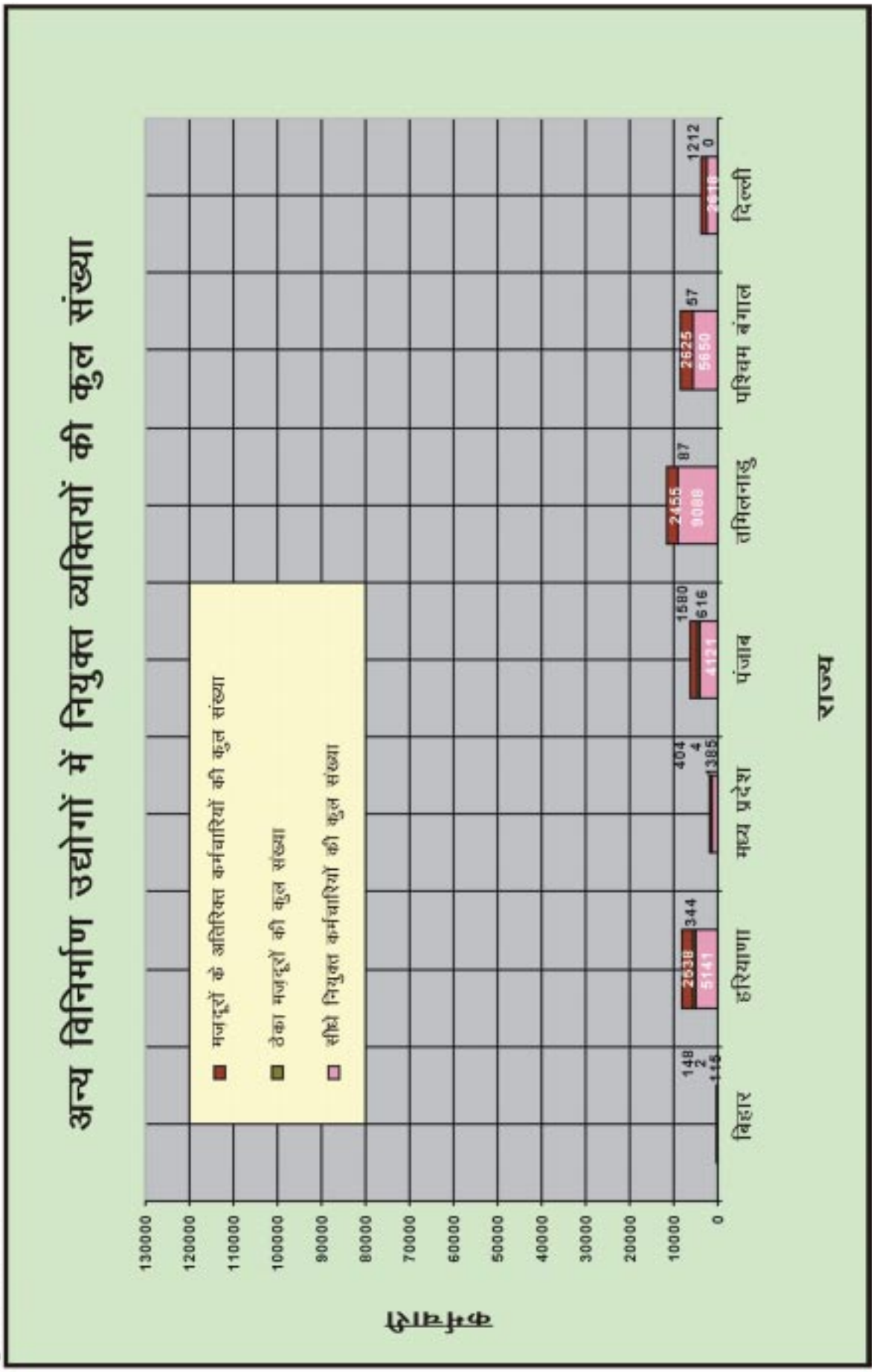
अन्य विनिर्माण उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधे नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
संख्या
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
148
2
115
2638
5141
344
404
4
1385
1580
616
4121
2455
9088
87
2625
5650
57
1212
0
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
राज्य

मुख्य निष्कर्ष :

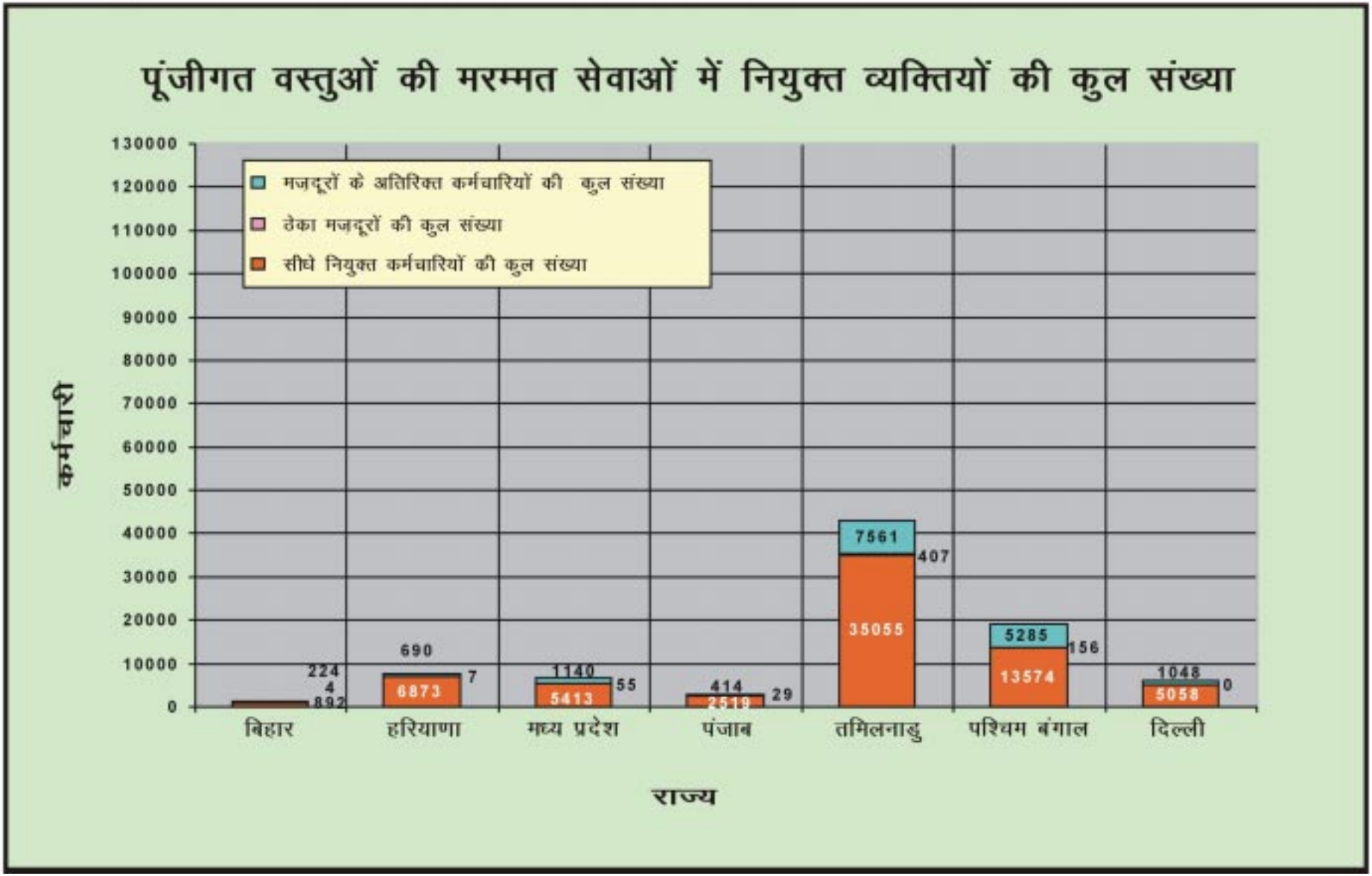
पूंजीगत वस्तुओं की मरम्मत सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूरों के अतिरिक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधे नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
कर्मचारी
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
224
4
892
690
6873
7
1140
5413
55
414
2519
29
7561
35055
407
5285
13574
156
1048
5058
0
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
राज्य

मुख्य निष्कर्ष :

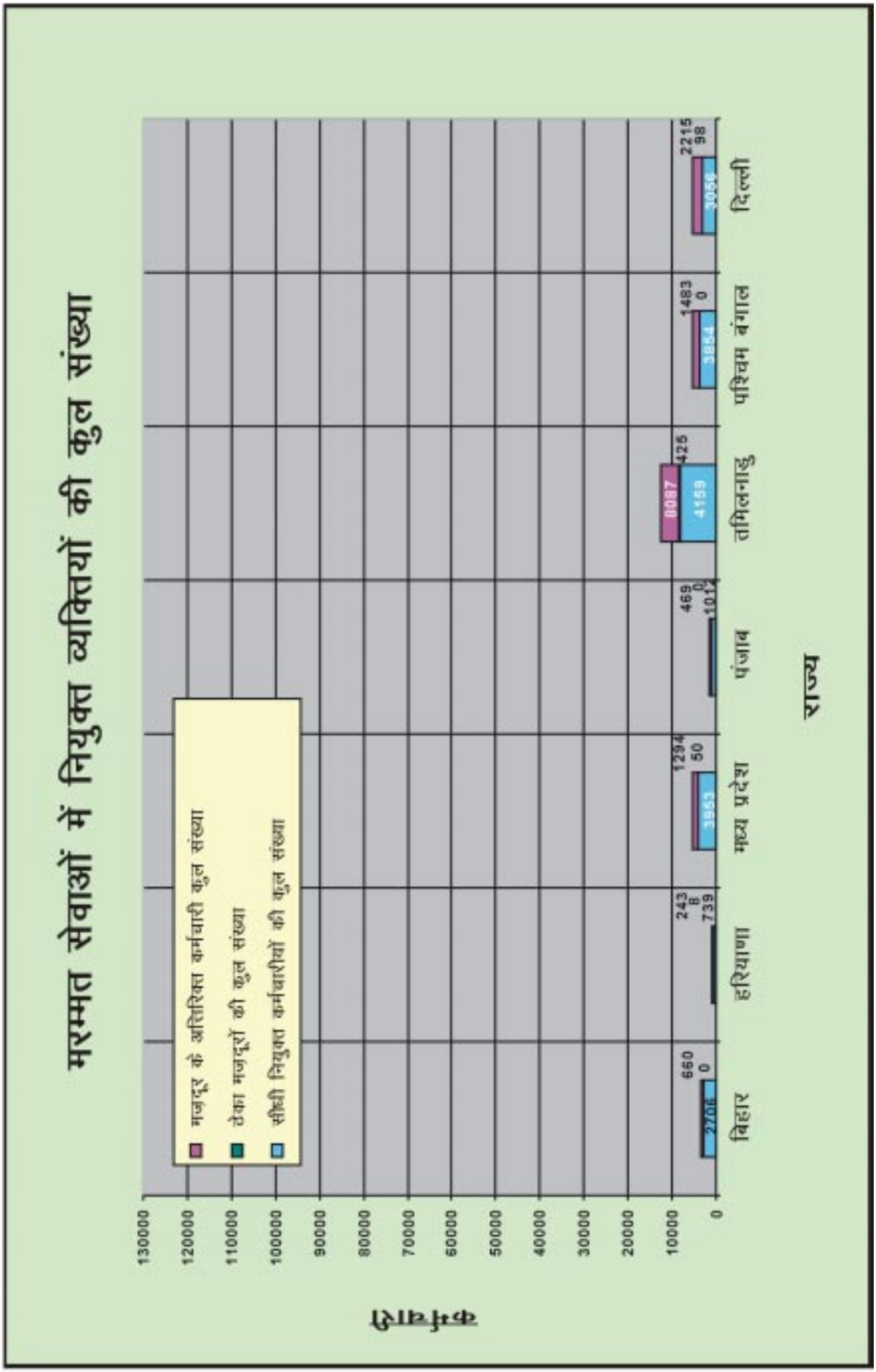

मरम्मत सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या
मजदूर के अतिरिक्त कर्मचारी कुल संख्या
ठेका मजदूरों की कुल संख्या
सीधी नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या
कर्मचारी
राज्य
बिहार
हरियाणा
मध्य प्रदेश
पंजाब
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
दिल्ली
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
660
0
2706
243
8
739
1294
50
3953
469
0
1012
8087
426
4159
1483
0
3854
2215
98
3056

मुख्य निष्कर्ष :

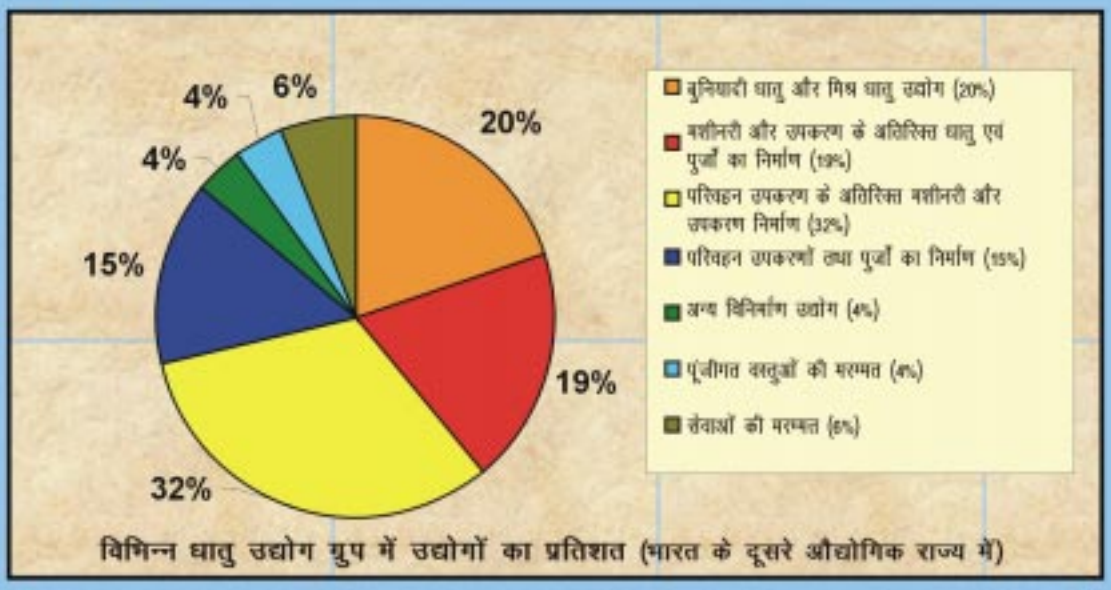

विभिन्न धातु उद्योग ग्रुप में उद्योगों का प्रतिशत (भारत के दूसरे औद्योगिक राज्य में)

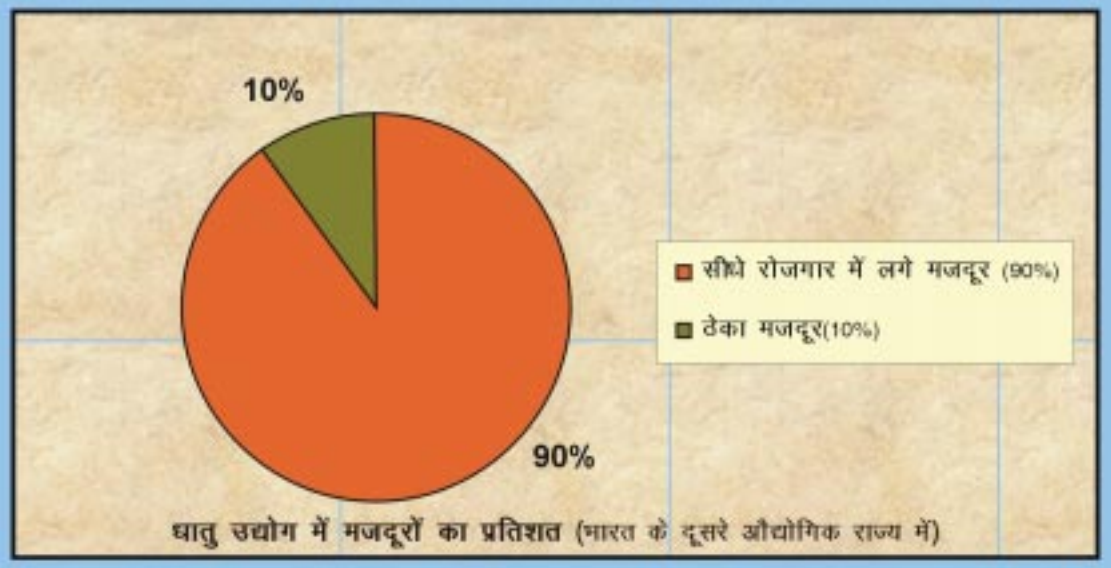

धातु उद्योग में मजदूरों का प्रतिशत (भारत के दूसरे औद्योगिक राज्य में)

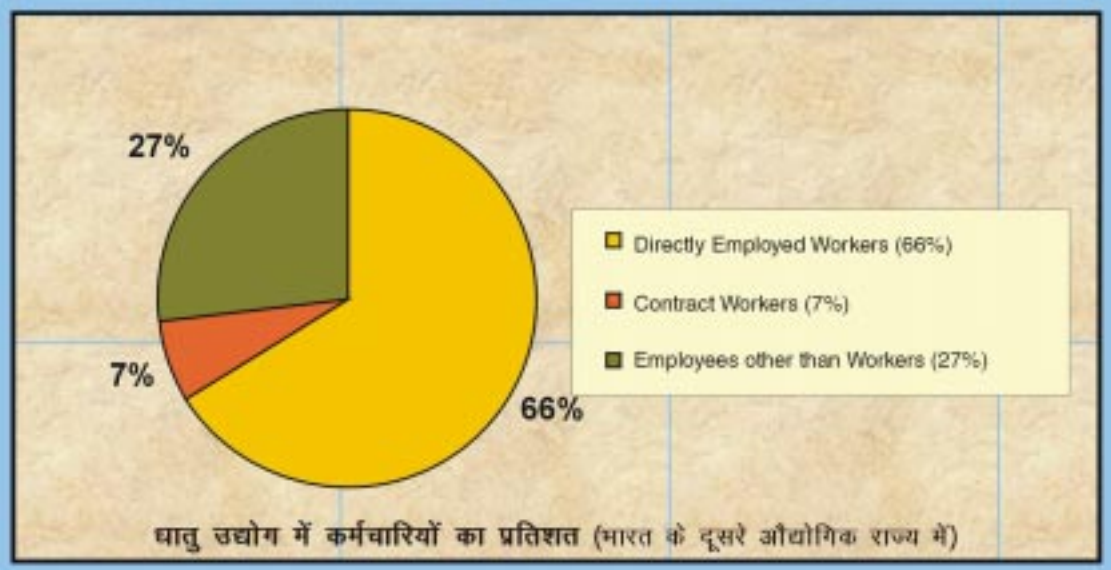

धातु उद्योग में कर्मचारियों का प्रतिशत (भारत के दूसरे औद्योगिक राज्य में)

शब्दावली

फैक्टरी यह ऐसी होती है जो फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) के तहत पंजीकृत होती है। धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) के समेत किसी भी परिसर का उल्लेख करती है। (क) जहां दस या अधिक मजदूर काम कर रहे हैं या पूर्व के बारह महीने के किसी भी दिन काम कर रहे थे और उसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता से निर्माण की प्रक्रिया चलायी जाती हो या सामान्य रूप से चलायी जाती हो (ख) बीस या अधिक मजदूर काम कर रहे हों या पूर्व के बारह महीने के किसी भी दिन काम कर रहे थे और उसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता के बिना निर्माण की प्रक्रिया चलायी जाती हो या सामान्य रूप से चलायी जाती हो

अचल पूंजी एकाउंटिंग वर्ष के अंतिम दिन फैक्टरी की अचल संपत्ति के घटे हुए मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अचल संपत्ति वह है जिसकी एक वर्ष से अधिक एक सामान्य उत्पादक जीवन होता है। अचल पूंजी में लीजधारक जमीन समेत, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी, फर्नीचर एवं फिक्सर, परिवहन उपकरण, वाटर सिस्टम एवं सड़क तथा अन्य अचल संपत्ति जैसे अस्पताल, स्कूल आदि शामिल हैं जिनका फैक्टरी के कर्मियों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

भौतिक कार्यशील पूंजी कुल वस्तु सूची है जिसमें एकाउंटिंग वर्ष के अंतिम दिन कच्चे माल तथा उपकरण, ईंधन एवं लुब्रिकेंट, स्वेयर, स्टोर तथा अन्य, अर्ध–निर्मित वस्तुएं और निर्मित वस्तुएं शमिल होती हैं पर उसमें सामग्रियों का भंडार, ईंधन, स्टोर आदि जो दूसरों द्वारा फैक्टरी को प्रोसेंसिंग के लिए दिया जाता है और दूसरों द्वारा अपूर्ति किये गये कच्चे माल के फैक्टरी द्वारा प्रोसेस की गयी निर्मित वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं।

कार्यशील पूंजी भौतिक कार्यशील पूंजी जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया तथा हाथ और बैंक में नकद डिपाजिट और एकाउंटिंग वर्ष के अंत में देय रकम से अधिक प्राप्त होनेवाले कुछ बैलेन्स का कुल योग होता है। पर कार्यशील पूंजी में अप्रयुक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा, अवधि के बावजूद जमा डिपाजिट, अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अग्रिम रकम, उद्देश्य तथा अवधि के बावजूद मालिकों एवं हिस्सेदारों तथा लिया गया कर्ज तथा अग्रिम रकम; ब्याज एवं निवेश समेत दीर्घकालिक कर्ज को अलग रखती है।

उत्पादक पूंजी अचल पूंजी तथा कार्यशील पूंजी जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है का कुल योग है।

मजदूर में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो सीधे नियुक्त किये जाते हैं या किसी एजेंसी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और किसी भी विनिर्माण की प्रक्रिया में या मशीनरी के किसी भी हिस्से को साफ कराने या विनिर्माण की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले परिसर को साफ करने या विनिर्माण की प्रक्रिया से जुड़े या उसके आनुषंगिक किसी काम या विनिर्माण प्रक्रिया के विषय में लगा हो। इसमें फैक्टरी के अपने इस्तेमाल के लिए अचल संपत्ति के उत्पादन, रख–रखाव एवं मरम्मत में लगा मजदूर तथा बिजली का उत्पादन के लिए या कोयला, गैस आदि के उत्पादन के लिए नियुक्त मजदूर भी शामिल हैं। मजदूरों को छोड़कर कर्मचारी में वे व्यक्ति शामिल हैं जो किरानी, सुपरवाइजर आदि में रूप में काम करते हैं यानी गैर शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी हैं।

काम में लगे कुल व्यक्ति इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो ऊपर परिभाषित किये गये हैं और सभी श्रमजीवी मालिक और उनके परिवार के सदस्य जो बिना किसी वेतन के फैक्टरी

के काम में सक्रिय रूप से लगे हैं एवं कोआपरेटिव सोसायटियों के अदत्त सदस्य जिन्होंने किसी प्रत्यक्ष या उत्पादक क्षमता में फैक्टरी में या फैक्टरी के लिए काम किया।

वेतन और मजदूरी में मौद्रिक रूप में सभी पारिश्रमिक शामिल है और एकाउंटिंग वर्ष के दौरान किये गये काम के लिए मुआवजे के रूप में मजदूरों को प्रत्येक वेतन अवधि में कमोबेश नियमित देय राशि शामिल है। इसमें (क) प्रत्यक्ष वेतन और मजदूरी (मूल वेतन, मजदूरी, ओवरटाइम का भुगतान, मंहगाई भत्ता, मुआवजा, मकान भत्ता, तथा अन्य भत्तें) (ख) उस अवधि के लिए परिश्रमिक जिसमें काम नहीं किया गया है (अवकाश की अवधि के लिए देय मूल वेतन, मजदूर एवं भत्ता, सवेतन अवकाश, लेआफ भुगतान तथा बेकारी के लिए भत्ता आदि मालिकों के अलावा किसी अन्य स्त्रोत से भुगतान नहीं किया गया हो) (ग) बोनस तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जो दोनों नियमित एवं कम बारम्बार के अंतराल में दिया गया हो (यानी प्रोत्साहन बोनस, अच्छी उपस्थिति का बोनस, उत्पाद का बोनस, मुनाफे में हिस्सेदारी का बोनस, महोत्सव या वर्ष के अंत का बोनस आदि) आदि शामिल है। इसमें ले आफ भुगतान शामिल नहीं है जो ट्रस्ट से या केवल इसी उद्देश्य के लिए गठित अन्य विशेष फंड से दिया जाता है यानी जो मालिक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें वस्तु में लाभ का आकलित मूल्य, वृद्धावस्था लाभ के लिए मालिकों का अंशदान तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा चार्ज, मातृत्व लाभ, शिशुगृहों एवं अन्य ग्रुप लाभों पर प्रत्यक्ष खर्च भी शामिल नहीं है। इससे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यात्रा एवं अन्य खर्च भी जिसे मालिक द्वारा चुकता ले लिया गया हो, अलग है। वेतन कुल मूल्य होता है, यानी फाइन, क्षति, टैक्स, प्राविडेंट फंड के लिए कटौती कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अंशदान आदि से पहले का।

कुल पारिश्रमिक कुल वेतन एवं मजदूरी, प्राविडेंट फंड के रूप में मालिकों को अंशदान कमाने एवं स्टाफ कल्याण खर्च होता है जैसाकि अन्य फंड के ऊपर परिभाषित किया गया है।

श्रम दिवस काम किये गये दिनों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, न कि एकाउंटिंग वर्ष के दौरान भुगतान किये गये दिनों की संख्या। यह खास श्रेणियों की व्यक्तिों की संख्या के कुल योग से प्राप्त किया जाता है जिन्होंने सभी दिनों में सभी पालियों के ऊपर प्रत्येक पाली में काम किया हों।

इंटरनेशनल मेटलवर्कर्स फेडरेशन (आईएमएफ)

आईएमएफ की स्थापना 1893 में हुई थी और वह विश्वभर में 100 देशों कीं 200 यूनियनों में 2.5 करोड़ सदस्यों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

आईएमएफ विश्व स्तर पर धातु उद्योगों में राष्ट्रीय यूनियनों – यूनियनों की यूनियन का एक फेडरेशन है। वह इस्पात, अलौह धातु तथा अयस्क खनन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाज–निर्माण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स जैसे उद्योगों में दोनों ब्लू एवं व्हाइट–कॉलर मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है।

उसका प्रधान कार्यालय, जेनेवा, स्विटजरलैंड में है, जहां विश्वभर में क्षेत्रीय कार्यालयों के एक नेटवर्क के साथ विश्वव्यापी कार्यकलापों को समन्वित किया गया है।

आईएमएफ धातु उद्योगों के घटनाक्रमों से रू–ब–रू रहता है एवं उसके साथ चलता है, आर्थिक तथा सामाजिक मसलों पर अनुसंधान द्वारा अपने सदस्यों की सेवा करता है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है तथा ट्रेड यूनियन, मानवीय एवं समान अधिकारों के लिए संघर्ष करता है आईएमएफ कार्य के समय, नये कार्य संगठन, नयी टेक्नालाजी, औद्योगिक लोकतंत्र तथा कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय यूनियन नीति पर विचार करने के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।

आईएमएफ के कार्यकलापों का फोकस (केन्द्रबिंदु) 2001 में सिडनी में आईएमएफ की 30वीं विश्व कांग्रेस में स्वीकृत कार्रवाई कार्यक्रम द्वारा निर्धारित होता है जिसमें प्राथमिकताओं के लिए एक रणनीति तैयार की गयी :

- ✓ भूमंडलीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भूमंडलीय ढांचा
- ✓ एकजुटता और संगठन
- ✓ भूमंडलीय को एक सामाजिक आयाम

आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय धातु उद्योगों की प्रवृत्तियों पर व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, वह एक पत्रिका, मेटलवर्ल्ड भी प्रकाशित करता है एवं न्यूजलेटर सर्विस, न्यूजब्रीफ तथा एक व्यापक इंटर्नेट साइड, www.imfmetal.org भी प्रदान करता है।

International Metalworkers' Federation
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516, CH-1227 Geneva, Switzerland
President : Klaus Zwickel, General Secretary : Marcello Malentacchi
info@imfmetal.org, www.imfmetal.org